

SKPF-Wincompete Test Series 2026

खण्ड 4: भारतीय संविधान और राजव्यवस्था (पाठ्य सामग्री)

Test 16 -राज्य राजव्यवस्था (राज.)

अध्याय 1: राज्यपाल का पद एवं संवैधानिक स्थितियाँ

1. संवैधानिक अवस्थिति एवं सृजन का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 153 से 161 तक राज्य के **कार्यपालिका प्रमुख** के रूप में राज्यपाल के पद का प्रावधान किया गया है। संघीय शासन प्रणाली के अनुकूल राज्यों में भी संसदीय शासन पद्धति को अपनाया गया है, जिसके तहत राज्यपाल राज्य का **संवैधानिक प्रमुख (Constitutional Head)** होता है, जबकि वास्तविक शासन शक्ति **मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद** में निहित होती है।

सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के माध्यम से यह प्रावधान जोड़ा गया कि एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। मूल रूप से संविधान निर्माता अमेरिकी मॉडल के निर्वाचित राज्यपाल और कनाडा के नॉमिनी मॉडल के बीच असमंजस में थे। अंततः संसदीय उत्तरदायित्व और केंद्र-राज्य समन्वय के संतुलन हेतु **मनोनयन पद्धति (Nomination Model)** को अपनाया गया, जिसकी प्रेरणा कनाडा के संविधान से ली गई है।

आयाम	संवैधानिक प्रावधान / व्यवस्था	व्यावहारिक और विधिक स्वरूप
पद का सृजन	अनुच्छेद 153	प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल
दो या अधिक राज्य	अनुच्छेद 153 (संशोधित 1956)	एक ही व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का प्रमुख
कार्यपालिका शक्ति	अनुच्छेद 154 (1)	राज्यपाल में निहित, प्रत्यक्ष या अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा

नियुक्ति प्रक्रिया	अनुच्छेद 155	राष्ट्रपति द्वारा राजमुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्ति
पदावधि	अनुच्छेद 156 (1)	राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (Pleasure of the President)

2. नियुक्ति की प्रक्रिया, अर्हताएँ, पदावधि और शर्तें

राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यद्यपि परंपरा यह रही है कि नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से अनौपचारिक परामर्श किया जाता है, परंतु यह संवैधानिक रूप से बाध्यकारी नहीं है।

अ. संवैधानिक अर्हताएं (अनुच्छेद 157):

क. वह भारत का नागरिक हो।

ख. उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो।

ब. पदावधि एवं त्यागपत्र (अनुच्छेद 156):

क. राज्यपाल सामान्यतः 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है।

ख. वह राष्ट्रपति को संबोधित हस्तलिखित त्यागपत्र देकर कभी भी पद त्याग सकता है।

ग. पदावधि समाप्त होने के बावजूद, वह तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता।

स. पद की शर्तें (अनुच्छेद 158):

क. राज्यपाल संसद या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि ऐसा कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होता है, तो यह माना जाएगा कि उसने उस सदन का स्थान अपने पद ग्रहण करने की तिथि से रिक्त कर दिया है।

ख. वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा।

ग. उसकी उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार संसद विधि द्वारा अवधारित करती है और जब तक इस संबंध में उपबंध नहीं किया जाता, तब तक वे दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

घ. उसकी पदावधि के दौरान उसकी उपलब्धियों और भत्तों में उसके लाभ के लिए परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

विशेषाधिकार श्रेणी	संवैधानिक संरक्षण (अनुच्छेद 361)	सीमा / अपवाद
व्यक्तिगत दायित्व	अपने कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं	पद अवधि के दौरान कोई दांडिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती
सिविल कार्यवाही	व्यक्तिगत कृत्यों हेतु 2 महीने की पूर्व सूचना पर सिविल कार्यवाही संभव	आधिकारिक कृत्यों पर पूर्ण उन्मुक्ति

गिरफ्तारी कारावास	एवं	पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी या कारावास का आदेश नहीं	निजी कृत्यों में भी आपराधिक प्रक्रिया से संरक्षण
----------------------	-----	---	--

3. कार्यपालिक शक्तियाँ और उनका दायरा

अनुच्छेद 154 और 166 के अधीन राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिक कार्रवाईयें राज्यपाल के नाम से हुई कही जाती हैं। राज्यपाल के कार्यपालिक अधिकार राज्य की विधानमंडलीय क्षमता के विस्तार तक सीमित हैं।

अ. महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ:

क. **मुख्यमंत्री** की नियुक्ति (अनुच्छेद 166/164) और उसकी सलाह पर **मंत्रिपरिषद** के अन्य सदस्यों की नियुक्ति तथा विभागों का आवंटन।

ख. राज्य के **महाधिवक्ता (Advocate General)** की नियुक्ति, जो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है (अनुच्छेद 165)।

ग. राज्य लोक सेवा आयोग (RPSC) के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति (हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास)।

घ. राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति (हटाने की प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान)।

ङ. राज्य विश्वविद्यालयों के **कुलाधिपति (Chancellor)** के रूप में कुलपतियों की नियुक्ति।

च. जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पोस्टिंग और प्रमोशन (उच्च न्यायालय के परामर्श से - अनुच्छेद 233)।

ब. प्रशासनिक सूचना प्राप्ति का अधिकार (अनुच्छेद 166/167):

मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्य के प्रशासन से संबंधित विधान विषयक प्रस्तावों और मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चयों की सूचना राज्यपाल को दे। राज्यपाल किसी विशिष्ट विषय पर प्रशासनिक रिपोर्ट या जानकारी मांग सकता है यदि राज्यपाल ने किसी मंत्री द्वारा किए गए विनिश्चय को मंत्रिपरिषद के समक्ष पुनर्विचार के लिए नहीं रखा है, तो राज्यपाल अपेक्षा कर सकता है कि मंत्रिपरिषद उस पर विचार करे।

4. विधायी शक्तियाँ और विधानमंडल के साथ संबंध

राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है (अनुच्छेद 168)। वह विधायी प्रक्रिया में सत्रारंभ से लेकर कानून बनने तक की अंतिम संस्वीकृति तक निर्णायक भूमिका निभाता है।

अ. सत्र संचालन:

क. वह राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय-समय पर सत्र के लिए **आहूत (Summon)** करता है।

ख. वह सत्रों का **सत्रावसान (Prorogation)** कर सकता है।

ग. वह विधान सभा का **विघटन (Dissolution)** कर सकता है (मुख्यमंत्री की सलाह पर या जब सरकार बहुमत खो दे)।

ब. विशेष संबोधन और संदेश:

क. प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में राज्यपाल विधानमंडल के संयुक्त सत्र या सदन को समवेत संबोधित करता है (अनुच्छेद 175-176)।

ख. वह विधानमंडल में लंबित किसी विधेयक के संबंध में या अन्य कारणों से संदेश भेज सकता है, जिस पर सदन विचार करने के लिए बाध्य होता है।

स. विशेष नामांकन:

विधान परिषद (यदि अस्तित्व में हो) में साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाजसेवा के क्षेत्र से कुल सदस्यों के 1/6 भाग के बराबर सदस्यों का मनोनयन। आंग्ल-भारतीय समुदाय का मनोनयन संविधान (104वां संशोधन) अधिनियम 2019 द्वारा निष्प्रभावी कर दिया गया है।

5. विधायी वीटो शक्तियाँ और अनुच्छेद 200 की वैधानिक जटिलताएँ

जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो अनुच्छेद 200 के तहत उसके पास चार विकल्प उपलब्ध होते हैं:

अ. वह विधेयक पर **अनुमति देता है**, जिससे वह अधिनियम बन जाता है।

ब. वह **अनुमति रोक लेता है**, जिससे विधेयक समाप्त हो जाता है (आत्यंतिक वीटो - Absolute Veto का व्यावहारिक रूप, यदि मंत्रिपरिषद द्वारा समर्थित न हो)।

स. वह धन विधेयक को छोड़कर किसी अन्य विधेयक को **पुनर्विचार** के लिए संदेश के साथ विधानमंडल को लौटा सकता है। यदि विधानमंडल संशोधन सहित या रहित पुनः पारित कर देता है, तो राज्यपाल अनुमति देने के लिए **बाध्य** है (निलंबनकारी वीटो - Suspensive Veto)।

द. वह विधेयक को **राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित** रख सकता है (अनुच्छेद 200 के तहत अनिवार्य या विवेकशील आरक्षण)।

वीटो प्रकार	संवैधानिक आधार	राज्य विधानमंडल की स्थिति	राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षण (अनुच्छेद 200/201)
आत्यंतिक वीटो	सामान्य परंपरा / अनुच्छेद 200	अनुमति रोकने पर विधेयक समाप्त	उच्च न्यायालय की शक्तियों को अल्पीकरण करने वाले विधि अनिवार्यतः आरक्षित
निलंबनकारी वीटो	अनुच्छेद 200 (प्रथम परंतुक)	पुनः पारित होने पर अनुमति बाध्यकारी	राष्ट्रपति के पास भेजने पर राज्य विधानमंडल की बाध्यता समाप्त, राष्ट्रपति अनुमति दे भी सकता है और रोक भी
पॉकेट वीटो	संवैधानिक समय-सीमा का अभाव	अनिश्चितकालीन लंबित	यदि राष्ट्रपति जेसुइट रूप से रोके तो कोई समय सीमा नहीं

6. अध्यादेश प्रख्यापन की शक्ति (अनुच्छेद 213)

जब राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो और राज्यपाल को यह महसूस हो कि तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है, तो वह अध्यादेश प्रख्यापन कर सकता है।

अ. शर्तें एवं सीमाएं:

क. यह शक्ति समवर्ती सूची और राज्य सूची के उन विषयों पर है जिन पर विधानमंडल कानून बना सकता है।

ख. राज्यपाल ऐसे किसी अध्यादेश को प्रख्यापित नहीं करेगा यदि वही उपबंध अंतर्विष्ट करने वाला विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ रखे जाने पर उसकी अनुमति प्राप्त कर चुका होता, या वह विषय उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित करता हो जिससे उसकी स्थिति असंगत हो जाए।

ग. अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो विधानमंडल के अधिनियम का होता है।

ब. वैधता एवं समाप्ति:

क. प्रख्यापन के पश्चात इसे राज्य विधानमंडल के पुनरारंभ होने पर **6 सप्ताह** के भीतर दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत करना अनिवार्य है। यदि इस अवधि में अस्वीकृत करने वाला संकल्प पारित हो जाए या 6 सप्ताह व्यतीत हो जाएं, तो यह निष्प्रभावी हो जाता है।

ख. राज्यपाल इसे किसी भी समय **वापस ले सकता है (Withdraw)**।

ग. *डीसी वाधवा बनाम बिहार राज्य (1987)* वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अध्यादेश बनाने की शक्ति विधायी शक्ति के विकल्प के रूप में बार-बार उपयोग नहीं की जा सकती; यह संवैधानिक धोखाधड़ी मानी जाएगी।

7. वित्तीय शक्तियाँ और अनुपूरक बजट नियंत्रण

राज्य की वित्तीय व्यवस्था में राज्यपाल की संस्वीकृति प्राथमिक शर्त है।

अ. **वार्षिक वित्तीय विवरण (Budget):** राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी अनुदान मांग विधान सभा में प्रस्तुत नहीं की जा सकती (अनुच्छेद 202)।

ब. **धन विधेयक (Money Bill):** राज्य का धन विधेयक राज्यपाल की **पूर्व संस्वीकृति (Prior Recommendation)** से ही विधान सभा में पुनःस्थापित किया जा सकता है।

स. **आकस्मिकता निधि (Contingency Fund):** राज्य की आकस्मिकता निधि राज्यपाल के अधिकार में होती है, जिससे अप्रत्याशित व्यय हेतु अग्रिम राशि दी जा सकती है, बाद में विधानमंडल द्वारा इसकी संपुष्टि कराई जाती है।

द. **वित्त आयोग गठन:** पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन।

8. न्यायिक शक्तियाँ एवं क्षमादान का अधिकार (अनुच्छेद 161)

राज्यपाल को न्यायालय द्वारा दंडित किसी व्यक्ति के दंड के संबंध में राहत देने की शक्ति प्राप्त है।

अ. शक्तियों का दायरा:

क. किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के **दंड को क्षमा करना, उसका प्राविलंबन (Reprieve), विराम (Respite), परिहार (Remission) या लघुकरण (Commutation)** करना।

ख. यह शक्ति उन विषयों तक विस्तारित है जिन पर राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार है।

ब. राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों में तुलनात्मक अंतर:

तुलनात्मक आधार	राष्ट्रपति (अनुच्छेद 72)	राज्यपाल (अनुच्छेद 161)
मृत्युदंड (Death Sentence)	पूर्ण क्षमादान, लघुकरण सहित सर्वव्यापक अधिकार	मृत्युदंड के मामले में क्षमादान या पूर्ण मुक्ति की शक्ति नहीं (लघुकरण/परिहार कर सकता है)

कोर्ट मार्शल (Military Court)	सैन्य न्यायालयों के दंड पर भी लागू	सैन्य न्यायालय के निर्णयों पर कोई अधिकार नहीं
अधिकार क्षेत्र	संघ सूची, समवर्ती सूची एवं राज्य सूची के सभी दंड	राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के विधि-विरुद्ध अपराध

9. स्वविवेक की शक्तियाँ (अनुच्छेद 163) और संवैधानिक अंतर्विरोध

अनुच्छेद 163 (1) यह प्रावधान करता है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा, जब तक कि इस संविधान के अधीन वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने स्वविवेक से करने के लिए अपेक्षित नहीं है।

अ. संवैधानिक स्वविवेक (Constitutional Discretion):

क. राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को आरक्षित रखना (अनुच्छेद 200)।

ख. किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) की संस्तुति करने वाला प्रतिवेदन भेजना।

ग. असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यपालों द्वारा जनजातीय क्षेत्रों के विकास हेतु स्वायत्त जिला परिषदों के रॉयल्टी राजस्व के निर्धारण में स्वतंत्र निर्णय (छठी अनुसूची)।

ब. परिस्थितिजन्य स्वविवेक (Situational Discretion):

क. त्रिशंकु विधान सभा (Hung Assembly) की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति का विवेक, हालांकि सर सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग ने इसके लिए दिशा-निर्देश (सबसे बड़े एकल दल, या पूर्व-निर्वाचित गठबंधन को प्राथमिकता) सुझाए हैं।

ख. यदि मंत्रिपरिषद् विधान सभा में विश्वास खो चुकी हो और वह त्यागपत्र देने या सदन का सामना करने से इंकार करे, तो मंत्रिपरिषद् को बर्खास्त करना।

ग. विधान सभा का विघटन करना जब मंत्रिपरिषद् अल्पमत में हो और कोई विकल्प सरकार गठन का न हो।

10. राजस्थान के प्रमुख राज्यपाल एवं ऐतिहासिक/विवादास्पद घटनाक्रम

राजस्थान राज्य के गठन (1 नवंबर 1956, प्रमुख राजप्रमुख पद की समाप्ति के पश्चात गुरुमुख निहाल सिंह प्रथम राज्यपाल बने) के उपरान्त अनेक प्रशासनिक व संवैधानिक टर्निंग पॉइंट आए।

अ. प्रमुख राज्यपालों का योगदान:

क. **सरदार गुरुमुख निहाल सिंह (1956-1962):** राजस्थान के प्रथम राज्यपाल, प्रशासनिक पुनर्गठन और लोकतांत्रिक जड़ों को मजबूती देने में योगदान।

ख. **डॉ. संपूर्णानंद (1962-1967):** शिक्षाविद्, राजनीतिक अनुभव एवं प्रथम आपातकाल/संकटकालीन परिस्थितियों का अवलोकन।

ग. **सरदार हुकुम सिंह / जोगिंदर सिंह / रघुकुल तिलक:** प्रशासनिक और न्यायिक संतुलन के दौर। रघुकुल तिलक के कार्यकाल में केंद्र-राज्य संबंधों और राज्यपाल की राजनैतिक निष्पक्षता पर गंभीर बहस हुई।

घ. **कल्याण सिंह (2014-2019) / कलराज मिश्र:** समकालीन विधायी संदर्भों और उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के प्रयास।

ब. ऐतिहासिक और विवादास्पद संवैधानिक संकट:

क. **प्रथम राष्ट्रपति शासन (1967):** मोहनलाल सुखाड़िया के नेतृत्व में कांग्रेस को बहुमत के निकट होने के बावजूद राज्यपाल संपूरणानंद द्वारा त्रिशंकु जैसी स्थिति और राज्यपाल की भूमिका पर विवाद, जिसे बाद में समाप्त कर राष्ट्रपति शासन लगाया गया (कुल 54 दिन)।

ख. **द्वितीय राष्ट्रपति शासन (1977):** जनता पार्टी सरकार द्वारा हरदेव जोशी सरकार की बर्खास्तगी और अनुच्छेद 356 के राजनीतिक दुरुपयोग का आदर्श उदाहरण।

ग. **तृतीय राष्ट्रपति शासन (1980):** भैरोसिंह शेखावत की लोकप्रिय सरकार की बर्खास्तगी, यह तर्क देते हुए कि जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को हटाया।

घ. **चतुर्थ राष्ट्रपति शासन (1992):** बाबरी मस्जिद विध्वंस के उपरान्त देशभर की भाजपा शासित सरकारों (भैरोसिंह शेखावत सरकार, राजस्थान सहित) की बर्खास्तगी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट के *एस. आर. बोम्मई वाद* (1994) के ऐतिहासिक निर्णय के आलोक में न्यायिक संवीक्षा का सामना करना पड़ा।

राष्ट्रपति शासन क्रम	वर्ष एवं अवधि	तत्कालीन मुख्यमंत्री	केंद्र सरकार / प्रधानमंत्री	संवैधानिक संदर्भ / विवाद
प्रथम	1967 (मार्च-अप्रैल)	मोहनलाल सुखाड़िया (सरकार गठन विवाद)	इंदिरा गांधी	अल्पमत/बहुमत परीक्षण का अभाव, राज्यपाल निर्णय पर विवाद
द्वितीय	1977 (अप्रैल-जून)	हरदेव जोशी	मोरारजी देसाई (जनता पार्टी)	लोकसभा चुनाव परिणामों के आधार पर राज्यों की बर्खास्तगी परंपरा
तृतीय	1980 (फ़रवरी-जून)	भैरोसिंह शेखावत	इंदिरा गांधी (कांग्रेस)	राजनीतिक प्रतिशोध एवं अनुच्छेद 356 का व्यापक प्रयोग
चतुर्थ	1992-1993 (दिसंबर-दिसंबर)	भैरोसिंह शेखावत	पी.वी. नरसिंह राव	धर्मनिरपेक्षता के बुनियादी ढांचे और लोक-व्यवस्था के आधार पर कार्रवाई, बोम्मई वाद द्वारा सीमांकन

11. न्यायिक पुनरावलोकन, वाद (Case Laws) और अद्यतन वैधानिक आयाम

राज्यपाल के पद की गरिमा, उन्मुक्ति और निष्पक्षता पर न्यायपालिका ने समय-समय पर सीमाएं निर्धारित की हैं।

अ. महत्वपूर्ण वाद:

क. **शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974):** सुप्रीम कोर्ट की सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल औपचारिक प्रमुख है और वह मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना कार्य नहीं कर सकता, सिवाय उन मामलों के जहां संविधान ने उसे स्पष्ट रूप से स्वविवेक का अधिकार दिया है।

ख. **एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994):** अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर अंकुश। फ्लोर टेस्ट (Floor Test) को बहुमत परीक्षण का एकमात्र संवैधानिक पैमाना माना गया। राज्यपाल की रिपोर्ट न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाई गई।

ग. **नबाम रेबिया बनाम डिग्री स्पीकर (2016):** अरुणाचल प्रदेश प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि राज्यपाल को सदन के सत्र आहूत करने या विधायी एजेंडा तय करने में मंत्रिपरिषद की सलाह से बाहर जाकर स्वविवेक का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 200 के तहत विधेयकों को अनिश्चितकाल तक रोके रखने पर भी कड़ी आपत्ति व्यक्त की गई।

ब. **आधुनिक संवैधानिक सुधार आयोगों की संस्तुतियां:**

क. **सरकारिया आयोग (1983-1988):** राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व मुख्यमंत्री से परामर्श अनिवार्य हो, राजनीतिक रूप से सक्रिय व्यक्तियों को तुरंत राज्यपाल न बनाया जाए, और 5 वर्ष का कार्यकाल सामान्यतः पूरा करने दिया जाए।

ख. **पुंछी आयोग (2007-2010):** राज्यपाल के प्रसादपर्यंत शब्द के स्थान पर महाभियोग जैसी या निश्चित प्रक्रिया की सीमा पर विचार, राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर निर्णय लेने की अधिकतम समय-सीमा (6 माह) निर्धारित करने का सुझाव।

वैधानिक सुधार बिंदु	सरकारिया आयोग संस्तुति	पुंछी आयोग संस्तुति	समकालीन न्यायिक रुख (सुप्रीम कोर्ट)
नियुक्ति परामर्श	मुख्यमंत्री से अनिवार्य परामर्श	कॉलेजियम जैसी व्यवस्था या तीन सदस्यीय पैनल	राजनीतिक सहमति और पारदर्शिता पर जोर
विधेयकों पर निर्णय	विलंब न हो	6 महीने के भीतर निर्णय लिया जाए	अनिश्चितकालीन विलंब संघीय ढांचे के विपरीत
अनुच्छेद 356 दुरुपयोग	अंतिम विकल्प के रूप में प्रयोग	विशिष्ट जिलों या क्षेत्रों तक सीमित किया जाए	फ्लोर टेस्ट अनिवार्य पूर्व शर्त

wincompete

अध्याय 2: मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिपरिषद

1. संवैधानिक अवस्थिति एवं संसदीय शासन प्रणाली में मुख्यमंत्री का स्थान

भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 163 से 167 राज्य की कार्यपालिका के दूसरे प्रमुख स्तंभ यानी **मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिपरिषद** की व्यवस्था करते हैं। संघीय ढांचे के अनुरूप राज्यों में भी **संसदीय लोकतंत्र (Parliamentary Democracy)** को अपनाया गया है, जिसमें नाममात्र का कार्यपालिका प्रमुख **राज्यपाल (Governor)** होता है तथा वास्तविक कार्यपालिका शक्ति **मुख्यमंत्री (Chief Minister)** के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में निहित होती है।

मुख्यमंत्री राज्य की प्रशासनिक धुरी, नीति-निर्माण का केंद्र और राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के मध्य **संवैधानिक सेतु (Constitutional Bridge)** है। ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर मॉडल के समान राज्य का मुख्यमंत्री 'समकक्षों में प्रथम' (First among equals) से अधिक बढ़कर **नेतृत्वकारी धुरी (Keystone of the Cabinet Arch)** की भूमिका निभाता है, क्योंकि राज्य की संपूर्ण राजनीति, दलीय निष्ठा और विकास मॉडल उनके व्यक्तित्व व राजनीतिक शक्ति-संतुलन पर निर्भर करते हैं।

शासन आयाम	संवैधानिक या व्यावहारिक स्थिति	वैधानिक आधार / अनुच्छेद
वास्तविक कार्यपालिका	मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद में निहित	अनुच्छेद 163 (1)
संवैधानिक प्रमुख	राज्यपाल की सलाह एवं सहायता	अनुच्छेद 163 (1)
मंत्रिमंडल का गठन	मुख्यमंत्री की नियुक्ति एवं सलाह पर अन्य मंत्री	अनुच्छेद 164 (1)
सामूहिक उत्तरदायित्व	विधान सभा के प्रति संपूर्ण मंत्रिपरिषद	अनुच्छेद 164 (2)

2. मुख्यमंत्री की नियुक्ति, शपथ, अर्हताएं एवं पदावधि (अनुच्छेद 164)

मुख्यमंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया भारत के संघीय संविधान में परंपरागत संसदीय परंपराओं तथा अनुच्छेद 164 के प्रावधानों के तहत संचालित होती है।

अ. नियुक्ति प्रक्रिया (अनुच्छेद 164 का उपखंड 1):

क. राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। सैद्धांतिक रूप से राज्यपाल की नियुक्ति स्वतंत्र विवेक पर आधारित प्रतीत होती है, किंतु व्यावहारिक रूप से संसदीय लोकतंत्र में राज्यपाल उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए बाध्य होता है जिसे विधान सभा में बहुमत दल का समर्थन प्राप्त हो।

ख. **त्रिशंकु विधान सभा (Hung Assembly)** की स्थिति में राज्यपाल अपने **परिस्थितिजन्य स्वविवेक (Situational Discretion)** का उपयोग करते हुए सबसे बड़े दल के नेता या पूर्व-निर्वाचित गठबंधन के नेता को आमंत्रित करता है, जिसे एक निश्चित अवधि (सामान्यतः 30 दिन) में बहुमत सिद्ध करना होता है।

ग. उच्चतम न्यायालय के निर्देशों तथा सरकारिया/पुंछी आयोग की संस्तुतियों के अनुसार, त्रिशंकु स्थिति में गठबंधन जो चुनाव पूर्व बना हो, उसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

ब. सदस्यता की शर्त एवं समयावधि:

क. मुख्यमंत्री या किसी अन्य मंत्री के लिए यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय वह राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य हो।

ख. यदि कोई गैर-सदस्य मंत्री या मुख्यमंत्री नियुक्त होता है, तो उसे शपथ ग्रहण की तिथि से **6 मास के भीतर** राज्य विधानमंडल के किसी सदन (विधान सभा या विधान परिषद) की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य है; अन्यथा वह मंत्री पद पर नहीं रहेगा (एस. पी. आनंद बनाम एच. डी. देवेगौड़ा एवं अन्य प्रकरणों के आलोक में वैधानिक स्थिति स्पष्ट है)।

ग. व्यवहार में यह अधिक वांछनीय माना जाता है कि मुख्यमंत्री विधान सभा का ही सदस्य हो ताकि वह सीधे निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी रहे।

स. शपथ एवं गोपनीयता (तृतीय अनुसूची):

क. राज्यपाल मुख्यमंत्री को पद और **गोपनीयता की शपथ** दिलाता है।

ख. शपथ का प्रारूप संविधान की तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, जिसके तहत वह संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने तथा अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वाह करने का संकल्प लेता है।

द. पदावधि एवं वेतन:

क. संविधान में मुख्यमंत्री की कोई निश्चित **पदावधि (Fixed Tenure)** निर्धारित नहीं है; यह राज्यपाल के **प्रसादपर्यंत (Pleasure)** पद धारण करता है।

ख. प्रसादपर्यंत का तात्पर्य यह नहीं है कि राज्यपाल जब चाहे तब मनमाने ढंग से हटा दे; इसका संवैधानिक अर्थ है कि जब तक मुख्यमंत्री को विधान सभा का विश्वास प्राप्त है, तब तक उसे हटाया नहीं जा सकता। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने या बहुमत खोने पर उसे त्यागपत्र देना पड़ता है।

ग. मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते राज्य विधानमंडल विधि द्वारा निर्धारित करते हैं।

3. मंत्रिपरिषद का आकार और 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003

मूल संविधान में मंत्रिपरिषद के आकार की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप अति-आकार के मंत्रिमंडल (Jumbo Cabinets), आयाराम-गयाराम संस्कृति और राजकोषीय दबाव की स्थितियाँ उत्पन्न होती थीं।

अ. 91वां संविधान संशोधन 2003 के वैधानिक प्रावधान:

क. अनुच्छेद 164 (1क) जोड़ा गया जिसके अनुसार, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की **विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत** से अधिक नहीं होगी।

ख. परंतु यह भी प्रावधान किया गया है कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की **न्यूनतम संख्या 12** से कम नहीं होगी (छोटे राज्यों जैसे सिक्किम, मिजोरम, गोवा आदि के लिए व्यावहारिक अपवाद/समायोजन, हालांकि राजस्थान विधान सभा की कुल सदस्य संख्या 200 होने के कारण अधिकतम 30 मंत्री हो सकते हैं)।

ग. दल-बदल (Anti-Defection) के आधार पर आयोज्य ठहराया गया व्यक्ति मंत्री पद के लिए भी अपात्र होगा जब तक कि वह पुनः निर्वाचित न हो जाए।

ब. मंत्री श्रेणियों का वर्गीकरण:

क. **कैबिनेट मंत्री (Cabinet Ministers):** सरकार के नीति-निर्धारक और प्रमुख विभागों के प्रभारी।

ख. **राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार (Ministers of State with Independent Charge):** छोटे विभागों के प्रशासनिक प्रमुख जो कैबिनेट बैठक में तब आमंत्रित होते हैं जब उनके विभाग का विषय विचाराधीन हो।

ग. **राज्य मंत्री (Ministers of State):** कैबिनेट मंत्रियों के कार्यभार को सहयोग देने वाले।

घ. **उप मंत्री (Deputy Ministers):** संसदीय और प्रशासनिक प्रशिक्षण तथा सहायता हेतु नियुक्त कनिष्ठ मंत्री (वर्तमान में राजस्थान सहित अधिकांश राज्यों में उप मंत्रियों की नियुक्ति की परंपरा कम हो गई है)।

4. मुख्यमंत्री की कार्यपालिक एवं प्रशासनिक शक्तियाँ

मुख्यमंत्री राज्य की शासन-व्यवस्था का मुख्य केंद्र बिंदु होता है। कार्यपालिका शक्तियाँ औपचारिक रूप से राज्यपाल में निहित हैं, किंतु उनका वास्तविक प्रयोग मुख्यमंत्री के माध्यम से होता है।

अ. मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण:

क. वह मंत्रियों के विभागों का आवंटन और उनमें फेरबदल करता है।

ख. किसी मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है या राज्यपाल से उसे बर्खास्त करवाने की सिफारिश कर सकता है।

ग. उसकी मृत्यु या त्यागपत्र से पूरी मंत्रिपरिषद स्वतः विघटित हो जाती है (Cabinet collapses like a house of cards), क्योंकि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का केंद्रक है।

ब. प्रशासनिक समन्वय एवं नीति-निर्माण:

क. वह विभिन्न विभागों के बीच नीतियों में समन्वय स्थापित करता है।

घ. मुख्य सचिव (Chief Secretary) एवं अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति व प्रतिनियुक्ति में नीतिगत निर्देश देता है।

ङ. राज्य के समग्र विकास एजेंडे, बजट प्राथमिकताओं और कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा तय करता है।

5. विधायी शक्तियाँ और विधानमंडल के साथ संबंध

संसदीय शासन व्यवस्था में मुख्यमंत्री विधायिका और कार्यपालिका के बीच समन्वय का प्राथमिक सूत्रधार होता है।

अ. सत्र एवं विधायी कार्यक्रम:

क. वह राज्यपाल को विधानमंडल के सत्र आहूत करने और सत्रावसान करने की सलाह देता है।

ख. वह विधान सभा के विघटन की सिफारिश किसी भी समय (बहुमत या राजनीतिक रणनीति के तहत) राज्यपाल से कर सकता है।

ग. सरकार की प्रमुख विधायी नीतियों, अध्यादेशों के प्रस्तावों और नीतिगत घोषणाओं को सदन के पटल पर प्राथमिक एजेंडे के रूप में प्रस्तुत करवाता है।

ब. सदन में रक्षा कवच:

क. वह सत्तापक्ष का मुख्य प्रवक्ता होता है। विधान सभा में विपक्ष के तीखे हमलों और अविश्वास प्रस्तावों के दौरान सरकार की नीतियों का सर्वांगीण बचाव मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है।

6. राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद सेतु (अनुच्छेद 167)

अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के वैधानिक दायित्वों को रेखांकित करता है जो राज्यपाल के साथ संवाद स्थापित करने के संदर्भ में अनिवार्य हैं।

अ. वैधानिक बाध्यताएं (अनुच्छेद 167 के क, ख, ग):

क. **क:** राज्य के प्रशासन से संबंधित विधान विषयक प्रस्तावों और मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चयों की सूचना राज्यपाल को देना।

ख. **ख:** प्रशासन और विधान विषयक प्रस्तावों से जुड़ी ऐसी जानकारी मांग जाने पर राज्यपाल को उपलब्ध कराना जो वह अभिवांचित समझे।

ग. **ग:** यदि किसी विषय पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया है, तो राज्यपाल की अपेक्षा पर उसे मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखना।

ब. संवैधानिक महत्त्व:

यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि राज्यपाल अंधेरे में न रहे और राज्य के संवैधानिक प्रमुख को सरकार के निर्णयों की निरंतर जानकारी मिलती रहे, जिससे केंद्र-राज्य और संवैधानिक गरिमा का संतुलन बना रहे।

7. मंत्रिमंडलीय समितियाँ (Cabinet Committees): संरचना और कार्यपद्धति

विशाल प्रशासनिक कार्यों और नीतिगत पेचीदगियों के कारण संपूर्ण कैबिनेट के लिए हर सूक्ष्म विषय पर निर्णय लेना व्यावहारिक नहीं होता। इसके लिए मंत्रिमंडलीय समितियों का गठन किया जाता है।

अ. स्वरूप एवं प्रकार:

क. ये समितियाँ संविधानेतर (Extra-constitutional) किंतु प्रशासनिक दृष्टि से अनिवार्य कार्यकारी निकाय होती हैं।

ख. राजनीतिक मामलों की समिति, आर्थिक मामलों की समिति, निवेश एवं बुनियादी ढांचा समिति, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार समिति प्रमुख रूप से गठित की जाती हैं।

ब. मुख्यमंत्री की भूमिका:

क. इन अधिकांश समितियों के अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री होते हैं या उनके द्वारा नामित वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री होते हैं।

ख. मंत्रिमंडलीय समितियाँ कैबिनेट के कार्यभार को विभाजित करती हैं और नीतिगत निर्णयों को त्वरित गति से अमलीजामा पहनाती हैं। कैबिनेट द्वारा इन समितियों के निर्णयों की बाद में संपुष्टि (Ratification) की जाती है।

समिति प्रकार	सामान्य नेतृत्व	कार्यक्षेत्र एवं दायरा
राजनीतिक मामले	मुख्यमंत्री	अंतर-विभागीय विवाद, बड़े नीतिगत निर्णय
आर्थिक एवं वित्त	वित्त मंत्री / मुख्यमंत्री	राजकोषीय नीतियां, पूंजी निवेश समीक्षा
कार्मिक एवं सेवा	मुख्यमंत्री / मुख्य सचिव	उच्च स्तरीय प्रशासनिक नियुक्तियां, नीतिगत सुधार
आपदा प्रबंधन / संकट	मुख्यमंत्री	आपातकालीन राज्य स्तरीय राहत एवं समन्वय

8. राजस्थान के मुख्यमंत्रियों का कालक्रम एवं उनके कार्यकाल की प्रमुख विशेषताएँ

1949 में राजस्थान के एकीकरण के विभिन्न चरणों के पश्चात हीरालाल शास्त्री प्रथम मनोनीत/लोकप्रिय मुख्यमंत्री बने। 1 नवंबर 1956 के राज्य पुनर्गठन के उपरांत निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकारों का क्रम शुरू हुआ।

क्रम	मुख्यमंत्री का नाम	राजनीतिक दल / पृष्ठभूमि	कार्यकाल / मुख्य विशेषता
01	हीरालाल शास्त्री	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	मनोनीत मुख्यमंत्री (1949-1951), प्रशासनिक नींव
02	सी.वी. वेंकटचारी / जय नारायण व्यास	कांग्रेस	संक्रमणकालीन प्रशासनिक नेतृत्व
03	मोहनलाल सुखाड़िया	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	सबसे लंबा कार्यकाल (लगभग 17 वर्ष), भूमि सुधार, पंचायती राज की शुरुआत (1959 नागौर)
04	बरकत उल्ला खान	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	अल्प कार्यकाल, प्रदेश के प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री, भारत-पाक युद्ध काल
05	हरदेव जोशी	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	प्रशासनिक दक्षता, तीन बार मुख्यमंत्री, आदिवासी बहुल क्षेत्रों पर ध्यान
06	भैरोसिंह शेखावत	जनता पार्टी / भाजपा	प्रथम गैर-कांग्रेस मुख्यमंत्री, अंत्योदय योजना, ग्रामीण विकास व राहत कार्यक्रम
07	शिव चरण माथुर	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	प्रशासनिक सुधार एवं विकासोन्मुख प्रयास
08	हीरालाल देवपुरा	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	अत्यंत अल्प कार्यकाल (16 दिन)
09	अशोक गहलोत	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	जनकल्याणकारी योजनाएं (निशुल्क दवा/इलाज, आरजीएचएस, चिरंजीवी मॉडल), सुशासन

10	वसुंधरा राजे	भारतीय जनता पार्टी	प्रथम महिला मुख्यमंत्री, भामाशाह योजना, सड़क एवं बुनियादी ढांचा विकास
11	भजनलाल शर्मा	भारतीय जनता पार्टी	समकालीन प्रशासनिक नेतृत्व, जल संरक्षण (ईआरसीपी समझौता) व औद्योगिक विकास

9. मुख्यमंत्री पद से जुड़े ऐतिहासिक, राजनीतिक एवं न्यायिक संघर्ष

मुख्यमंत्री का पद और उसकी बर्खास्तगी का विषय समय-समय पर न्यायिक और राजनीतिक समीक्षा के केंद्र में रहा है।

अ. **बहुमत परीक्षण और फ्लोर टेस्ट का सिद्धांत:**

क. एस.आर. बोम्मई वाद (1994) और बाद के विभिन्न प्रकरणों में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि मंत्रिपरिषद का बहुमत राजभवन के गलियारों में नहीं बल्कि **विधान सभा के पटल (Floor Test)** पर परखा जाना चाहिए।

ख. यदि राज्यपाल को अंदेशा हो कि सरकार अल्पमत में है, तो उसे तुरंत बर्खास्त करने के बजाय विधान सभा सत्र बुलाकर विश्वास मत प्राप्त करने का निर्देश देना चाहिए।

ब. **दल-बदल और न्यायिक हस्तक्षेप:**

क. दलबदल कानून (दसवीं अनुसूची) और अनुच्छेद 164 के अंतर्संबंधों में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई मुख्यमंत्री या मंत्री दलबदल के आधार पर अयोग्य ठहरता है, तो उसका पद स्वतः समाप्त हो जाता है।

ख. आपातकाल या राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) के तहत चुनी हुई राज्य सरकारों और मुख्यमंत्री के पद को भंग करने के राजनैतिक निर्णयों को न्यायपालिका ने सख्त न्यायिक समीक्षा के दायरे में रखा है।

10. संघीय ढांचे में मुख्यमंत्री की प्रभावी भूमिका और उभरते आयाम

संघीय व्यवस्था में राज्य के कार्यकारी प्रमुख के रूप में मुख्यमंत्री की भूमिका केवल प्रशासनिक क्रियान्वयन तक सीमित नहीं रही है, बल्कि यह अंतर-राज्यीय और केंद्र-राज्यीय संवाद का मुख्य स्वर बन चुकी है।

अ. **राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) और नीति आयोग / अंतर-राज्य परिषद (Inter-State Council):**

क. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले संघ मंचों पर मुख्यमंत्री अपने राज्य के वित्तीय संसाधनों, विशेष राज्य के दर्जे (या विशिष्ट पैकेज), कर devolution और केंद्रीय योजनाओं में हिस्सेदारी की प्रभावी वकालत करते हैं।

ख. वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद या अन्य संघीय वित्तीयरूप से जुड़े मंचों पर सामूहिक निर्णय प्रक्रिया में राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में मुख्यमंत्री की स्थिति निर्णायक होती है।

ब. **समकालीन प्रशासनिक चुनौतियाँ एवं डिजिटल गवर्नेंस:**

क. ई-ग गवर्नेंस, डीबीटी (Direct Benefit Transfer), कानून-व्यवस्था का डिजिटलीकरण, आपदा न्यूनीकरण और निवेश आकर्षित करने के लिए 'ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट' जैसी नीतियों का संचालन मुख्यमंत्री के सीधे नेतृत्व में किया जाता है।

ख. प्रशासनिक जवाबदेही, सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुपालन और लोक सेवा गारंटी अधिनियमों के प्रभावी क्रियान्वयन से मुख्यमंत्री की कार्यशैली जनता के प्रति सीधे उत्तरदायी हुई है।

संघीय आयाम	पारंपरिक स्थिति	समकालीन आधुनिक स्वरूप (2020 के पश्चात)
केंद्र-संवाद	औपचारिक पत्राचार एवं राज्यपाल के माध्यम से	प्रत्यक्ष डिजिटल संवाद, नीति आयोग बैठकें, जी-20/राष्ट्रीय सम्मेलनों में सीधी भागीदारी
निवेश नीति	केंद्रीय अनुज्ञा पर निर्भरता	'इन्वेस्ट राजस्थान' / ग्लोबल समिट के जरिए सीधी वैश्विक औद्योगिक संधियाँ
आपात प्रतिक्रिया	केंद्रीय बल पर पूर्ण निर्भरता	राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) का सुदृढीकरण एवं तकनीकी आधारित प्रारंभिक चेतावनी तंत्र
लोक शिकायत निवारण	पारंपरिक तहसील/सचिवालय पत्राचार	जनसुनवाई पोर्टल, सीएम हेल्पलाइन 181, रियल-टाइम डैशबोर्ड मॉनिटरिंग

अध्याय 3: राजस्थान विधान सभा: संरचना, प्रक्रिया एवं भूमिका

1. संवैधानिक आधार एवं विधान सभा का गठन (अनुच्छेद 168 एवं 170)

भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय 3 (अनुच्छेद 168 से 212) राज्यों के विधानमंडलों के गठन, संरचना, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकारों और शक्तियों का प्रावधान करते हैं। अनुच्छेद 168 के अनुसार, प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और एक सदन (या कुछ राज्यों में दो सदनों) से मिलकर बनेगा। राजस्थान में **एकसदनात्मक (Unicameral)** विधानमंडल व्यवस्था है, जिसे **राजस्थान विधान सभा (Rajasthan Legislative Assembly)** कहा जाता है।

अनुच्छेद 170 के प्रावधानों के तहत किसी राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए सदस्यों से 500 से अधिक और 60 से कम नहीं होगी। वर्तमान में राजस्थान विधान सभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या **200** है। परिसीमन आयोग (Delimitation

Commission) के अधिसंख्य आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जाति (SC) के लिए **34** और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए **25** सीटें आरक्षित हैं (शेष 141 सीटें अनारक्षित हैं)।

संरचनात्मक आयाम	संवैधानिक अनुच्छेद / मानदंड	राजस्थान विधान सभा की स्थिति
सदन का स्वरूप	अनुच्छेद 168	एकसदनात्मक (केवल विधान सभा)
सदस्य संख्या सीमा	अनुच्छेद 170 (1)	अधिकतम 500, न्यूनतम 60
राजस्थान की कुल सीटें	परिसीमन आदेश	200 प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य
आरक्षित सीटें	अनुच्छेद 332 / परिसीमन	अनु. जाति (SC): 34, अनु. जनजाति (ST): 25

2. अर्हताएं, निर्वाचन, पदावधि एवं विघटन (अनुच्छेद 172-173)

विधान सभा के सदस्यों का चयन वयस्क मताधिकार (Universal Adult Suffrage) के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है।

अ. संवैधानिक अर्हताएं (अनुच्छेद 173):

क. वह भारत का नागरिक हो।

ख. उसने कम से कम **25 वर्ष की आयु** पूरी कर ली हो।

ग. वह ऐसे अन्य अयोग्यताओं से मुक्त हो जो संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के अधीन निर्धारित की जाएं (जैसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधान)।

ब. पदावधि एवं विघटन (अनुच्छेद 172):

क. विधान सभा का कार्यकाल अपनी प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि से **5 वर्ष** होता है, इसके पश्चात यह स्वतः विघटित हो जाती है।

ख. राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह मुख्यमंत्री की सलाह पर 5 वर्ष पूर्व भी विधान सभा का **विघटन (Dissolution)** कर सकता है।

ग. राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) की उद्घोषणा के दौरान संसद विधि द्वारा विधान सभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष से अधिक के लिए बढ़ा सकती है, किंतु आपातकाल समाप्त होने के बाद यह विस्तार 6 मास से अधिक नहीं रह सकता।

3. विधान सभा की प्रक्रिया के नियम और कार्यसंचालन (अनुच्छेद 208)

अनुच्छेद 208 के अंतर्गत विधान सभा को अपने कार्यसंचालन और प्रक्रिया के विनियमन के लिए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। जब तक ऐसे नियम नहीं बनाए जाते, तब तक लोकसभा की प्रक्रिया के नियम यथाशक्य लागू होते हैं।

अ. कोरम (गणपूर्ति - अनुच्छेद 189):

क. विधान सभा की बैठक आयोजित करने के लिए कुल सदस्य संख्या का **10वां हिस्सा (20 सदस्य)** गणपूर्ति के रूप में अनिवार्य है।

ब. मतदान एवं निर्णय:

क. सदनों में सभी प्रश्नों का निर्धारण पीठासीन अधिकारी या मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से होता है। पीठासीन अधिकारी प्रथम दृष्टया मत नहीं देता, किंतु **मतों की समानता (Tie)** की स्थिति में उसका **निर्णायक मत (Casting Vote)** होता है।

स. भाषा एवं कार्यविधि:

क. विधान सभा की कार्यवाही हिंदी या अंग्रेजी में संचालित होती है, किंतु पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है।

प्रक्रियागत तत्व	संवैधानिक आधार	व्यावहारिक अनुप्रयोग / सीमा
गणपूर्ति (कोरम)	अनुच्छेद 189 (3)	20 सदस्य (1/10 भाग)
निर्णायक मत	अनुच्छेद 189 (1)	पीठासीन अधिकारी का कास्टिंग वोट
सत्र आहूत करना	अनुच्छेद 175-176 / 174	राज्यपाल द्वारा समय-समय पर आहूत
भाषा का अधिकार	अनुच्छेद 210	हिंदी/अंग्रेजी या मातृभाषा अनुमति से

4. अध्यक्ष (Speaker) की भूमिका, शक्तियाँ एवं संवैधानिक गरिमा

अध्यक्ष विधान सभा का संवैधानिक और कार्यकारी प्रमुख अधिकारी होता है, जिसका निर्वाचन सदन के सदस्यों द्वारा अपने में से ही किया जाता है (अनुच्छेद 178)।

अ. प्रशासनिक एवं विधायी शक्तियाँ:

क. वह सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है, शांति और व्यवस्था बनाए रखता है।

ख. सदन की कार्यवाहियों का नियमन करता है और किसी असंसदीय भाषा को रेकॉर्ड से हटाने (**Expunge**) का आदेश देता है।

ग. धन विधेयक (Money Bill) होने या न होने का **अंतिम निर्णय (Final Authority)** अध्यक्ष का होता है (अनुच्छेद 199/110 तर्ज पर)।

घ. संयुक्त बैठक (यदि द्विसदनीय व्यवस्था हो) या विधान सभा की समस्त संसदीय समितियों के सभापति/अध्यक्षों की नियुक्ति या नामांकन का अधिकार रखता है।

ब. संवैधानिक निष्पक्षता:

क. ब्रिटिश परंपरा के अनुरूप अध्यक्ष पद पर आसीन होने के बाद सदस्य अपनी दलीय संबद्धता से ऊपर उठने की अपेक्षा रखता है, हालांकि भारत में अध्यक्ष पद छोड़ने की अनिवार्य परंपरा नहीं है।

ख. 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल-बदल संबंधी अयोग्यता पर निर्णय देने का न्यायिक प्राधिकार भी अध्यक्ष के पास है (कीहोटो होलोहोन बनाम जरहिल्लू वाद, 1992)।

5. उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) के दायित्व एवं उत्तराधिकार

अनुच्छेद 178 के तहत विधान सभा अपने एक सदस्य को उपाध्यक्ष चुनती है।

अ. कार्यभार एवं शक्तियाँ:

क. अध्यक्ष की अनुपस्थिति, पद-रिक्तता, बीमारी या अवकाश की स्थिति में उपाध्यक्ष सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है और समस्त अध्यक्षीय शक्तियों का प्रयोग करता है।

ख. यदि उपाध्यक्ष किसी समिति का सदस्य है, तो वह उसका पदेन सदस्य/अध्यक्ष हो सकता है जब नियम ऐसा प्रावधान करें।

ग. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त होने पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त कोई सदस्य सदन की अध्यक्षता कर सकता है (स्पीकर पैनल के सदस्य)।

पदनाम	संवैधानिक प्रावधान	मुख्य उत्तरदायित्व
अध्यक्ष (Speaker)	अनुच्छेद 178	सदन संचालन, धन विधेयक प्रमाणन, दल-बदल निर्णय
उपाध्यक्ष (Deputy Speaker)	अनुच्छेद 178	अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का संचालन
प्रो-टेम (Pro-Tem) स्पीकर	संसदीय परंपरा	नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना, अध्यक्ष चुनाव कराना

6. दलबदल विरोधी कानून (10वीं अनुसूची) और विधान सभा अध्यक्ष की भूमिका

पचासवें संविधान संशोधन (1985) द्वारा जोड़ी गई 10वीं अनुसूची दलबदल के आधार पर अयोग्यता का प्रावधान करती है।

अ. अयोग्यता के आधार:

क. यदि कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है।

ख. यदि वह सदन में अपने दल के व्हिप (Whip) के विपरीत मतदान करता है या मतदान से अनुपस्थित रहता है, और दल द्वारा 15 दिन के भीतर उसके कृत्य को क्षमा (Ratify) नहीं किया गया है।

ग. निर्दलीय (Independent) निर्वाचित सदस्य यदि किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है।

घ. मनोनीत सदस्य यदि 6 महीने की अवधि समाप्त होने के पश्चात किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है।

ड. **विलय (Merger) अपवाद:** मूल दल के दो-तिहाई (2/3) सदस्यों द्वारा अन्य दल में विलय की स्थिति में अयोग्यता लागू नहीं होती (91वां संशोधन 2003 द्वारा 'एक-तिहाई' विभाजन की व्यवस्था समाप्त कर 'दो-तिहाई' विलय किया गया)।

ब. न्यायिक समीक्षा एवं अध्यक्ष का दायित्व:

क. *कीहोटो होलोहोन वाद* (1992) में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि 10वीं अनुसूची के तहत अध्यक्ष का निर्णय **न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review)** के अधीन है।

ख. *कीशम मेघचंद्र सिंह बनाम आदरणीय स्पीकर* (2020) में उच्चतम न्यायालय ने यह संस्तुति दी कि अध्यक्ष को दलबदल याचिकाओं का निर्णय सामान्यतः **3 महीने के भीतर** कर देना चाहिए।

7. राजस्थान की प्रमुख विधान सभाएँ और उनके राजनीतिक रुझान (1952 से समकालीन)

राजस्थान में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए, तब से अब तक अनेक विधान सभा कार्यकाल पूरे हो चुके हैं। राज्य की राजनीति में कांग्रेस और गैर-कांग्रेस/भाजपा का द्वि-ध्रुवीय (Bipolar) या स्पष्ट बहुदलीय संतुलन रहा है।

अ. ऐतिहासिक विधान सभा कालक्रम:

क. **प्रथम विधान सभा (1952-1957):** टीकाराम पालीवाल और मोहनलाल सुखाड़िया के नेतृत्व में प्रारंभिक लोकतांत्रिक संस्थागत स्थापना।

ख. **चतुर्थ/पंचम विधान सभा (1967-1977):** राजनीतिक अस्थिरता, प्रथम राष्ट्रपति शासन (1967) और सामाजिक-आर्थिक सुधारों का दौर।

ग. **छठी/सातवीं विधान सभा (1977-1985):** जनता पार्टी का उदय (भैरोसिंह शेखावत मुख्यमंत्री) और उसके पश्चात कांग्रेस की वापसी।

घ. **नवम/दसवीं विधान सभा (1990-1998):** बहुजन समाज पार्टी, जनता दल और भाजपा-कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय/संघर्षशील क्षेत्रीय राजनीति (भैरोसिंह शेखावत व अशोक गहलोत काल का संक्रमण)।

ड. **ग्यारहवीं से सोलहवीं विधान सभा (1998-2024+):** अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के नेतृत्व में बार-बार सत्ता परिवर्तन (Alternation of Power) की सुस्थापित लोकतांत्रिक परंपरा, जिसमें प्रत्येक 5 वर्ष पर सरकार बदलने का रुझान रहा। समकालीन 16वीं विधान सभा (2023 चुनाव उपरांत भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में) में यह क्रम जारी रहा है।

विधान सभा काल	प्रमुख मुख्यमंत्री / राजनीतिक घटनाक्रम	विशिष्ट राजनीतिक रुझान / विशेषता
प्रथम (1952-57)	टीकाराम पालीवाल / मोहनलाल सुखाड़िया	सामंती व्यवस्था से लोकतांत्रिक संसदीय तंत्र में संक्रमण

चतुर्थ (1967-72)	मोहनलाल सुखाड़िया (प्रथम राष्ट्रपति शासन 1967)	दलीय विखंडन, क्षेत्रीय व स्वतंत्र विधायकों की निर्णायक भूमिका
छठी (1977-80)	भैरोसिंह शेखावत (जनता पार्टी सरकार)	प्रथम गैर-कांग्रेस सरकार का गठन, ग्रामीण भागीदारी
11वीं से 16वीं (1998-2024)	गहलोत / राजे / भजनलाल शर्मा	5-वर्षीय सत्ता परिवर्तन का चक्रीय सुस्थापित क्रम

8. विधायी प्रक्रिया: सामान्य विधेयक, धन विधेयक और वित्तीय नियंत्रण

विधान सभा में विधायी प्रस्तावों का पारित होना संविधान के अनुच्छेद 196 से 207 के तहत विनियमित होता है।

अ. सामान्य विधेयक (Ordinary Bill):

क. राज्य विधान सभा में किसी भी मंत्री या गैर-सरकारी सदस्य द्वारा पुनःस्थापित किया जा सकता है।

ख. तीन वाचन (First, Second, Third Reading) से गुजरने के बाद पारित होता है (चूंकि विधान परिषद नहीं है, अतः सीधे राज्यपाल की अनुमति के लिए जाता है)।

ब. धन विधेयक (Money Bill - अनुच्छेद 199):

क. कर लगाना, उधार लेना, संचित निधि से व्यय करना आदि से संबंधित।

ख. यह केवल विधान सभा में ही पुनःस्थापित किया जा सकता है, राज्यपाल की पूर्व संस्वीकृति से।

स. लेखादान, अनुपूरक एवं अतिरिक्त अनुदान (अनुच्छेद 205-206):

क. वित्तीय वर्ष के मध्य में अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता होने पर अनुपूरक अनुदान मांगें प्रस्तुत की जाती हैं।

9. विधायी समितियाँ (Legislative Committees): लघु विधायिका के रूप में भूमिका

सदन के बड़े आकार और तकनीकी जटिलताओं के कारण विधायी नियंत्रण समितियों के माध्यम से सुनिश्चित होता है।

अ. प्रमुख वित्तीय समितियाँ:

क. **प्राक्कलन समिति (Estimates Committee):** बजट अनुमानों की मितव्ययिता और प्रशासनिक दक्षता की जाँच करना।

ख. **लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee - PAC):** नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) के प्रतिवेदनों की समीक्षा। अध्यक्ष द्वारा विपक्षी दल के सदस्य को इसका सभापति नियुक्त करने की स्वस्थ संसदीय परंपरा है।

ग. **लोक उपक्रम समिति (Public Undertakings Committee):** राजकीय निगमों और उपक्रमों के वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा।

ब. अन्य प्रशासनिक समितियाँ:

प्रत्यायोजित विधान समिति, याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति और आचार समिति।

समिति नाम	संरचना / सदस्य संख्या	मुख्य कार्य
लोक लेखा समिति (PAC)	विधान सभा सदस्यों से अनुपातिक प्रतिनिधित्व (सामान्यतः 15)	CAG प्रतिवेदनों की संवीक्षा, वित्तीय अनियमितता जाँच
प्राक्कलन समिति	विधान सभा द्वारा निर्वाचित सदस्य	बजट व्यय में मितव्ययिता एवं प्रशासनिक सुधार
लोक उपक्रम समिति	सरकारी कंपनियों/उपक्रमों के निष्पादन समीक्षा	व्यावसायिक दक्षता और ऑडिट रिपोर्ट परीक्षण

10. विधान सभा सदस्यों के विशेषाधिकार, उन्मुक्तियाँ और समकालीन चुनौतियाँ

अनुच्छेद 194 विधान सभा सदस्यों और विधानमंडल को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए विशेषाधिकार प्रदान करता है।

अ. संवैधानिक विशेषाधिकार (अनुच्छेद 194):

क. **वाक् स्वाधीनता (Freedom of Speech):** सदन या उसकी किसी समिति में कही गई किसी बात या दिए गए मत के लिए किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती (संसदीय उन्मुक्ति)।

ख. कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार।

ग. सदन की आंतरिक प्रक्रिया के नियमन का अधिकार, न्यायालयों के हस्तक्षेप से मुक्ति।

घ. सिविल प्रक्रिया के तहत सदन के सत्र के दौरान और सत्र से 40 दिन पूर्व/पश्चात गिरफ्तारी से संरक्षण (आपराधिक मामलों में यह संरक्षण लागू नहीं होता)।

ब. समकालीन संरचनात्मक एवं प्रक्रियागत चुनौतियाँ:

क. सदन की बैठकों के दिनों में निरंतर कमी और चर्चा के स्तर का क्षरण।

ख. दलबदल या अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय में विलंब से संवैधानिक नैतिकता पर प्रश्नचिह्न।

ग. डिजिटल विधान सभा (e-Assembly / NeVA - National e-Vidhan Application) पहल के माध्यम से पेपरलेस कार्यप्रणाली की ओर संक्रमण, जिससे पारदर्शिता और अभिलेख प्रबंधन सुदृढ़ हुआ है।

चुनौती आयाम	पारंपरिक स्थिति	समकालीन सुधार / डिजिटल हस्तक्षेप (2020-2026)
दस्तावेज़ प्रबंधन	कागजी फाइलें, मुद्रित प्रश्नोत्तरी	NeVA (नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन) के जरिए पेपरलेस सदन

वाद-विवाद अवधि	अनिश्चितकालीन हंगामे व कम बैठकें	कार्यमंत्रणा समिति द्वारा कड़क समयावधि और डिजिटल टाइमर
जनता से संवाद	प्रत्यक्ष पत्रचार या स्थानीय ज्ञापन	लाइव स्ट्रीमिंग, डिजिटल पोर्टल एवं ई-प्रतिक्रिया तंत्र

अध्याय 4: विधान सभा की समितियाँ एवं संसदीय विशेषाधिकार

1. संसदीय समितियों की अवधारणा, आवश्यकता और वर्गीकरण

संसदीय लोकतंत्र में विधायिका के पास समय और तकनीकी विशेषज्ञता की सीमाएं होती हैं। सदन के समग्र आकार (राजस्थान विधान सभा में 200 सदस्य) और जटिल विधायी एवं वित्तीय दस्तावेजों (जैसे नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन या हजारों करोड़ के बजट अनुमान) पर सदन के पटल पर विस्तृत चर्चा करना असंभव होता है। इस वैक्यूम को भरने के लिए **संसदीय समितियों (Parliamentary/Legislative Committees)** का गठन किया जाता है, जिन्हें 'लघु विधायिका' (Miniature Legislature) भी कहा जाता है।

संसदीय समितियों की उत्पत्ति ब्रिटिश संसदीय परंपरा से हुई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 और राज्यों में अनुच्छेद 208 के तहत सदनों को अपनी प्रक्रिया के विनियमन की शक्ति प्राप्त है, जिसके अंतर्गत विशद नियमावली बनाई जाती है। समितियां दलीय राजनीतिक दुराग्रहों से ऊपर उठकर साक्ष्य-आधारित (Evidence-based) और तकनीकी दृष्टि से गहन समीक्षा करती हैं।

समिति श्रेणी	संवैधानिक / नियम आधार	मुख्य उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली
वित्तीय समितियाँ	प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम	सार्वजनिक व्यय, कर, बजट मितव्ययिता और कैग रिपोर्ट की संवीक्षा
विभागीय / प्राकलन समितियाँ	विधान सभा नियम	नीतिगत दक्षता और वित्तीय अनुमानों की मितव्ययिता

विधायन समितियाँ	प्रक्रिया नियम (अनुच्छेद 208)	विधेयकों की धाराओं का सूक्ष्म विधिक परीक्षण
परामर्शदात्री / जांच समितियाँ	सदन के विशेषाधिकार नियम	विशेषाधिकार हनन, याचिका, आचार और आश्वासन जाँच

2. लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee - PAC): संरचना एवं कार्यपद्धति

लोक लेखा समिति विधायिका का वित्तीय नियंत्रण सुनिश्चित करने वाला सर्वोच्च और सर्वाधिक प्रतिष्ठित उप-निकाय है। इसका मुख्य उत्तरदायित्व नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (**CAG - Comptroller and Auditor General**) के प्रतिवेदनों की संवीक्षा करना है।

अ. रचना एवं निर्वाचन:

क. राजस्थान विधान सभा के नियमों के अनुसार लोक लेखा समिति के सदस्यों का निर्वाचन सदन द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत पद्धति (Single Transferable Vote System) के आधार पर किया जाता है।

ख. सामान्यतः समिति की कुल सदस्य संख्या **15** होती है (जिसमें विधान सभा सदस्य शामिल होते हैं; विधान परिषद का अभाव होने के कारण केवल विधान सभा का प्रतिनिधित्व)।

ग. **स्वस्थ संसदीय परंपरा:** अध्यक्ष (Speaker) द्वारा विपक्षी दल के किसी वरिष्ठ सदस्य को लोक लेखा समिति का **सभापति (Chairman)** नियुक्त किया जाता है, जो सरकार की वित्तीय जवाबदेही और निष्पक्षता को सुनिश्चित करता है।

ब. कार्यक्षेत्र एवं अधिकार:

क. कैग द्वारा प्रस्तुत **विनियोग लेखा (Appropriation Accounts)** और **वित्त लेखा (Finance Accounts)** के साथ-साथ सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्त निकायों पर प्रस्तुत ऑडिट रिपोर्ट की जाँच करना।

ख. यह देखना कि धन का व्यय उस उद्देश्य के लिए हुआ या नहीं जिसके लिए विधानमंडल ने अधिकृत किया था, तथा वित्तीय औचित्य (Financial Propriety) की पालना हुई है या नहीं।

ग. नीति की बुद्धिमत्ता (Wisdom of Policy) की समीक्षा करना इसका कार्यक्षेत्र नहीं है, बल्कि नीति के क्रियान्वयन की मितव्ययिता और दक्षता का परीक्षण करना है।

आयाम	वैधानिक / प्रक्रियागत स्वरूप	व्यावहारिक भूमिका
सभापति चयन	अध्यक्ष द्वारा मनोनयन (परंपरागत विपक्ष से)	शासन पर प्रभावी वित्तीय नियंत्रण
मुख्य दस्तावेज	CAG प्रतिवेदन (विनियोग एवं वित्त लेखा)	अनियमितता, अपव्यय और घोटाले उजागर करना

साक्ष्य अधिकार	गवाहों को बुलाने और दस्तावेज मांगने का अधिकार	कार्यकारी अधिकारियों की जवाबदेही तय करना
----------------	---	--

3. प्राकलन समितियाँ (Estimates Committee A & B): बजट मितव्ययिता का परीक्षण

प्राकलन समिति सरकार के बजट अनुमानों की सूक्ष्म समीक्षा करती है और यह सुझाव देती है कि नीति के दायरे में रहकर प्रशासनिक और वित्तीय मितव्ययिता कैसे प्राप्त की जा सकती है।

अ. द्वि-समिति संरचना (प्राकलन समिति अ एवं ब):

क. कार्य के भारी दबाव को देखते हुए राजस्थान विधान सभा में प्राकलन समिति को दो उप-समितियों—प्राकलन समिति 'अ' (Estimates Committee A) और प्राकलन समिति 'ब' (Estimates Committee B) के रूप में विभाजित किया जाता है।

ख. प्रत्येक समिति में सदस्यों की संख्या 15 होती है, जिनका निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है।

ब. प्रमुख कार्य एवं सीमाएं:

क. बजट अनुमानों में निहित मिट्टी-पानी जैसे अपव्यय को रोकना, वैकल्पिक प्रशासनिक मॉडल सुझाना।

ख. संगठन, पद्धति या प्रशासन में सुधार सुझाना ताकि वित्तीय मितव्ययिता आए।

ग. सीमा: यह नीति की समीक्षा नहीं करती, बल्कि स्वीकृत नीतियों के क्रियान्वयन में आर्थिक दक्षता का आकलन करती है। कैग की तरह यह भूतकालीन व्यय की जाँच नहीं करती, बल्कि आगामी/वर्तमान अनुमानों पर विचार करती है।

4. सार्वजनिक उपक्रमों की समिति (Committee on Public Undertakings): राज्य निगमों पर नियंत्रण

राज्य के औद्योगिक, वित्तीय और सेवा-प्रदत्त उपक्रमों (जैसे राज्य सड़क परिवहन निगम, विद्युत वितरण कंपनियाँ, औद्योगिक विकास निगम आदि) के वित्तीय और प्रशासनिक निष्पादन का परीक्षण करने के लिए इस समिति का गठन होता है।

अ. संरचना और गठन:

क. विधान सभा के सदस्यों में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से निर्वाचित 15 सदस्य होते हैं।

ख. इसका सभापति अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है।

ब. दायरा एवं उत्तरदायित्व:

क. सार्वजनिक उपक्रमों के वार्षिक प्रतिवेदनों और बैलेंस शीट की जाँच करना।

ख. इन उपक्रमों पर प्रस्तुत CAG की पृथक ऑडिट रिपोर्टों की संवीक्षा करना।

ग. यह देखना कि क्या व्यावसायिक कुशलता, जनहित और वाणिज्यिक सिद्धांतों के बीच संतुलन रखा जा रहा है।

वित्तीय समिति	कुल सदस्य संख्या	मुख्य परीक्षित दस्तावेज	मूल दार्शनिक आधार
---------------	------------------	-------------------------	-------------------

लोक लेखा समिति (PAC)	15	CAG प्रतिवेदन (व्यय उपरांत)	"दूध फट जाने के बाद जाँच" (भूतकालीन वित्तीय शुद्धता)
प्राकलन समिति (A & B)	15 (प्रत्येक)	आगामी अनुमान बजट	मितव्ययिता एवं प्रशासनिक सुधार
सार्वजनिक उपक्रम समिति	15	PSU रिपोर्ट्स एवं CAG ऑडिट	वाणिज्यिक दक्षता एवं लोकहित संतुलन

5. विधायन एवं परामर्शदात्री समितियाँ (Legislative and Consultative Committees)

विधेयकों के तकनीकी और विधिक प्रारूप को दुरुस्त करने, नियमों के प्रत्यायोजन की जाँच करने तथा सदन के कार्य संचालन को सुगम बनाने के लिए गैर-वित्तीय समितियाँ कार्यरत होती हैं।

अ. प्रत्यायोजित विधान समिति (Committee on Subordinate Legislation):

क. विधायिका द्वारा कार्यपालिका (सरकार) को कानून के तहत नियम, उप-नियम, विनियम (Regulations) बनाने की शक्ति सौंपी जाती है। यह समिति परीक्षण करती है कि क्या कार्यपालिका ने प्रत्यायोजित शक्तियों की सीमा का उल्लंघन (Excessive Delegation) तो नहीं किया है।

ब. प्रवर समिति / संयुक्त प्रवर समिति (Select / Joint Select Committee):

क. किसी विशिष्ट जटिल या विवादास्पद विधेयक के गहन परीक्षण के लिए सदन द्वारा प्रवर समिति का गठन किया जाता है, जिसमें संबंधित विधेयक के प्रस्तावक और विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं।

स. अन्य प्रशासनिक परामर्श समितियाँ:

क. **याचिका समिति (Committee on Petitions):** नागरिकों या संस्थाओं द्वारा विधान सभा में प्रस्तुत याचिकाओं की जाँच।

ख. **आश्वासन समिति (Committee on Government Assurances):** सदन में मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों का क्रियान्वयन हुआ या नहीं, इसकी निगरानी करना।

ग. **विशेषाधिकार समिति (Privileges Committee):** विशेषाधिकार हनन के मामलों की जाँच और संस्तुति।

6. विधान सभा सदस्यों के विशेषाधिकार: संवैधानिक आधार (अनुच्छेद 194)

संसदीय लोकतंत्र की स्वतंत्रता और गरिमा के लिए विधायिका और उसके सदस्यों को कुछ विशेष उन्मुक्तियाँ दी जाती हैं, जिन्हें विशेषाधिकार कहा जाता है। संविधान के **अनुच्छेद 194** में राज्य विधानमंडल, उसके सदस्यों और समितियों के विशेषाधिकारों का प्रावधान है।

अ. अनुच्छेद 194 के मूल प्रावधान:

क. **खंड (1):** संविधान के उपबंधों और विधानमंडल की प्रक्रिया के नियमों के अधीन रहते हुए विधानमंडल में **वाक-स्वाधीनता (Freedom of Speech)** होगी।

ख. **खंड (2):** राज्य विधानमंडल के किसी सदन में या उसकी किसी समिति में कही गई किसी बात या दिए गए मत के संबंध में किसी सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

ग. **खंड (3):** अन्य विशेषाधिकार वही होंगे जो समय-समय पर राज्य विधानमंडल विधि द्वारा परिभाषित करे (और जब तक परिभाषित नहीं किए जाते, तब तक वे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के समतुल्य होंगे—44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा 'हाउस ऑफ कॉमन्स' वाले संदर्भ को संशोधित कर संवैधानिक नियमों से जोड़ा गया)।

विशेषाधिकार श्रेणी	संवैधानिक / विधिक दायरा	अपवाद / सीमा
वाक-स्वाधीनता	सदन या समिति के भीतर पूर्ण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता	संविधान के अनुच्छेद 211 के तहत उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा पर प्रतिबंध
न्यायिक उन्मुक्ति	सदन के भीतर दिए गए भाषण/मत पर कोई सिविल/आपराधिक वाद नहीं	सदन के नियमों (जैसे असंसदीय भाषा, आचार संहिता) के अंतर्गत अध्यक्षीय अनुशासन
गिरफ्तारी से संरक्षण	सिविल प्रक्रिया के तहत सत्र के दौरान और सत्र से 40 दिन पूर्व/पश्चात गिरफ्तारी से मुक्ति	आपराधिक मामलों (Criminal Cases) , निवारक नजरबंदी या देशद्रोह में यह संरक्षण लागू नहीं

7. विशेषाधिकार हनन (Breach of Privilege) और अवमानना (Contempt of the House)

जब किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किसी सदस्य के विशेषाधिकारों में हस्तक्षेप किया जाता है या सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई जाती है, तो उसे विशेषाधिकार हनन या सदन की अवमानना कहा जाता है।

अ. हनन के स्वरूप:

क. किसी सदस्य को सदन में अपनी बात रखने से डराना, धमकाना या प्रलोभन देना।

ख. सदन की कार्यवाहियों का मिथ्या, तोड़-मरोड़ कर या अपमानजनक प्रकाशन करना।

ग. पीठासीन अधिकारी या सदस्यों पर असत्य आरोप लगाना।

ब. दंड देने की शक्ति:

क. विधान सभा को अपनी अवमानना या विशेषाधिकार हनन के लिए दोषी व्यक्ति को ताड़ना (Reprimand), भर्त्सना (Admonition) या सदन के सत्र की अवधि के लिए कारावास (Imprisonment) देने का अधिकार है।

ख. यह शक्ति स्व-न्यायाधीश (Judge in one's own cause) जैसी है, अतः इसका प्रयोग अत्यंत संयम और न्यायिक विवेक से किया जाना अपेक्षित है।

8. विधायी विशेषाधिकार बनाम मूल अधिकार (Fundamental Rights): संवैधानिक संघर्ष

संसदीय विशेषाधिकारों और नागरिकों के मूल अधिकारों (विशेषकर अनुच्छेद 19वाक-स्वाधीनता और अनुच्छेद 21प्राण-दैहिक स्वतंत्रता) के बीच संघर्ष का इतिहास रहा है।

अ. ऐतिहासिक वाद (Case Laws):

क. **सर्चलाइट वाद (एम.एस. शर्मा बनाम श्री कृष्ण सिन्हा, 1959)**: उच्चतम न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 19(1)(अ) के अधीन वाक-स्वाधीनता की तुलना में अनुच्छेद 194(3) के तहत विधानमंडल के विशेषाधिकार वरीयता रखेंगे, यदि दोनों में संघर्ष हो।

ख. **के. केशव सिंह वाद (उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रकरण, 1965)**: विधान सभा द्वारा विशेषाधिकार हनन पर एक व्यक्ति को कारावास देने और उस व्यक्ति द्वारा वकील के माध्यम से उच्च न्यायालय की शरण लेने पर विधान सभा द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नोटिस जारी करने का अत्यंत गंभीर संवैधानिक संकट उत्पन्न हुआ। राष्ट्रपति के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट ने (अनुच्छेद 143 के तहत) स्पष्ट किया कि विधान सभा का विशेषाधिकार पूर्ण नहीं है; यदि कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन या जीवन/स्वतंत्रता के उल्लंघन का आरोप लगाता है, तो न्यायपालिका (High Court/Supreme Court) अनुच्छेद 226/32 के तहत उसकी समीक्षा कर सकती है।

वाद / प्रकरण	मुख्य संवैधानिक विवाद	न्यायालय / प्राधिकरण का सिद्धांत
सर्चलाइट वाद (1959)	अनुच्छेद 19(1)(अ) बनाम विशेषाधिकार	विशेषाधिकारों को विशिष्ट मामलों में प्राथमिकता
केशव सिंह वाद (1965)	विधान सभा दंड बनाम उच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा	मूल अधिकारों (अनुच्छेद 21/22) के मामले में न्यायिक पुनरावलोकन सर्वोच्च

9. समितियों की कार्यपद्धति में पारदर्शिता, डिजिटल टूल्स (NeVA) और समकालीन सुधार

समितियों की प्रभावशीलता और शोध आधारित रिपोर्टिंग को सुनिश्चित करने के लिए समकालीन दौर में तकनीकी हस्तक्षेप और प्रक्रियागत सुधार किए गए हैं।

अ. **नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA)**:

क. राजस्थान विधान सभा सहित विभिन्न राज्यों में कमेटियों के दस्तावेजों, साक्ष्यों की फाइलों, एजेंडे और रिपोर्टों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया गया है।

ख. इससे कागजी अपव्यय कम हुआ है और साक्ष्यों की ट्रैकिंग पारदर्शी हुई है।

ब. **समितियों की सीमाएं एवं चुनौतियाँ**:

क. गवाह के रूप में आने वाले प्रशासनिक अधिकारियों (ब्यूरोक्रेसी) द्वारा कई बार टालमटोल की प्रवृत्ति या अपर्याप्त आंकड़े उपलब्ध कराना।

ख. रिपोर्टों पर सदन के पटल पर विस्तृत बहस का अभाव (कई रिपोर्टें औपचारिक रूप से पटल पर रख दी जाती हैं, जिन पर गहन वैधानिक चर्चा नहीं होती)।

ग. राजनैतिक ध्रुवीकरण के कारण कई बार वित्तीय समितियों की रिपोर्टों में भी दलीय दृष्टिकोण झलकने का अंदेशा, जिसे संसदीय परंपराओं के जरिए दूर किया जाता है।

सुधार आयाम	पारंपरिक स्थिति	समकालीन आधुनिक स्वरूप (2020-2026)
साक्ष्य संकलन	भौतिक फाइलें, मौखिक बयान पंजिका	डिजिटल रिकॉर्डिंग, ई-फाइलिंग, रियल-टाइम डेटा इंटरफेस
रिपोर्ट अनुपालन	विलंबित क्रियान्वयन प्रतिवेदन	कार्यपालिका द्वारा एक्शन-टेकेन रिपोर्ट (ATR) की डिजिटल ट्रैकिंग
शोध सहायता	सीमित आंतरिक सचिवालय बल	विधान अनुसंधान एवं संदर्भ शाखा (Research & Reference Division) का सुदृढीकरण

10. संसदीय नियंत्रण की समग्र प्रभावशीलता और निष्कर्ष

संसदीय समितियाँ कार्यपालिका पर सतत (Continuous) और सूक्ष्म (Micro) नियंत्रण रखती हैं, जबकि सदन समग्र (Macro) नीतिगत नियंत्रण रखता है।

अ. नियंत्रण के तीन स्तंभ:

क. **पूर्व-नियंत्रण (Ex-ante Control)**: प्राकलन समितियों और बजट बहसों के माध्यम से व्यय की दिशा तय करना।

ख. **समवर्ती नियंत्रण (Concurrent Control)**: विधायी समितियों और प्रश्नकाल/शून्यकाल के जरिए तात्कालिक जवाबदेही।

ग. **पश्च-नियंत्रण (Ex-post Control)**: लोक लेखा समिति और CAG प्रतिवेदनों के माध्यम से वित्तीय शुद्धता की जाँच।

ब. **राजस्थानी परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष:**

राजस्थान विधान सभा की समितियाँ (लोक लेखा, प्राकलन अ/ब, सार्वजनिक उपक्रम) प्रशासनिक पारदर्शिता, जनजातीय/ग्रामीण क्षेत्रों तक योजनाओं के वित्तीय रिसाव को रोकने और नौकरशाही पर नियंत्रण रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विशेषाधिकारों का प्रयोग दलीय अस्त्र के रूप में नहीं बल्कि संस्थागत गरिमा की रक्षा के लिए करने की संवैधानिक अपेक्षा समकालीन लोकतंत्र की कसौटी है।

wincompete

अध्याय 5: उच्च न्यायालय (High Court) एवं राज्य की न्यायिक व्यवस्था

1. संवैधानिक अवस्थिति और राज्य न्यायपालिका की संरचना (अनुच्छेद 214-231)

भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 5 (अनुच्छेद 214 से 231) राज्यों के उच्च न्यायालयों (High Courts) की संरचना, स्वतंत्रता, अधिकारिता, प्रक्रियाओं और शक्तियों का प्रावधान करता है। संविधान का अनुच्छेद 214 यह उपबंधित करता है कि **प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा** (यद्यपि संसद को विधि द्वारा दो या अधिक राज्यों के लिए या किसी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति प्राप्त है - अनुच्छेद 231)।

भारत के एकीकृत न्यायिक ढांचे (Integrated Judicial System) में उच्चतम न्यायालय शीर्ष पर है, किंतु संघ और राज्य के द्वैध प्रशासन के बावजूद उच्च न्यायालय राज्य स्तर पर संविधान के संरक्षक, मूल अधिकारों के प्रवर्तक और न्यायिक पुनरावलोकन के मुख्य अभिकरण के रूप में कार्य करते हैं। उच्च न्यायालयों को भारतीय संविधान के तहत अभिलेख न्यायालय (**Court of Record - अनुच्छेद 215**) का दर्जा प्राप्त है, जिसका अर्थ है कि उसके निर्णय पूर्वोक्त दृष्टांत (Precedents) के रूप में बाध्यकारी होते हैं तथा उसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होती है।

न्यायिक संरचना आयाम	संवैधानिक प्रावधान	विधिक एवं व्यावहारिक स्वरूप
राज्य उच्च न्यायालय	अनुच्छेद 214	प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय
साझा / संयुक्त न्यायालय	अनुच्छेद 231	संसद द्वारा दो या अधिक राज्यों हेतु एक उच्च न्यायालय
अभिलेख न्यायालय	अनुच्छेद 215	अवमानना दंड शक्ति एवं निर्णयों का अभिलेखीय मूल्य
संविधान मूल पाठ	भाग 6, अध्याय 5 (अनु. 214-231)	स्वतंत्रता, अधिकारिता, प्रशासन और नियंत्रण

2. राजस्थान उच्च न्यायालय: ऐतिहासिक विकास, मुख्य पीठ एवं जयपुर पीठ की पुनर्स्थापना

राजस्थान के विभिन्न रियासतों के एकीकरण के क्रम में विभिन्न रियासती उच्च न्यायालयों (जैसे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर आदि) का विलय हुआ। राज्य पुनर्गठन और प्रशासनिक सुगमता के दृष्टिगत न्यायिक पुनर्गठन किया गया।

अ. स्थापना एवं मुख्य पीठ (Principal Seat):

क. राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949 के अधीन की गई थी।

ख. मुख्य पीठ (Principal Seat) जोधपुर में स्थापित की गई। प्रारंभिक दौर में विभिन्न शहरों (जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा) में इसकी शाखाएं/पीठें थीं, जिन्हें 1958 में सत्यनारायण राव समिति की संस्तुतियों के आधार पर समाप्त कर दिया गया, जिससे जोधपुर एकमात्र मुख्य पीठ बन गया।

ब. जयपुर पीठ (Bench at Jaipur) की पुनर्स्थापना:

क. वकीलों और जनता की मांग तथा बढ़ती मुकदमों की संख्या के कारण 31 जनवरी 1977 को राष्ट्रपति के आदेश तथा राजस्थान उच्च न्यायालय (जयपुर पीठ) आदेश, 1976 के तहत जयपुर में उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ (Permanent Bench at Jaipur) पुनर्स्थापित की गई।

ख. यह प्रशासनिक रूप से जोधपुर मुख्य पीठ के अधीन ही एक समन्वित उच्च न्यायालय के रूप में कार्य करती है, किंतु भौगोलिक कार्यक्षेत्र (संभावित मामलों का बंटवारा) के आधार पर जयपुर पीठ राज्य के पूर्वी और उत्तर-पूर्वी संभागों के मामलों की सुनवाई करती है।

3. मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की योग्यता, संख्या और नियुक्ति प्रक्रिया (अनुच्छेद 217)

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए संविधान में विशेष प्रक्रिया तय की गई है। मूल संविधान में संख्या निर्धारित नहीं थी, राष्ट्रपति समय-समय पर न्यायाधीशों की संख्या अवधारित करते हैं।

अ. संवैधानिक अर्हताएं (अनुच्छेद 217(2)):

क. वह भारत का नागरिक हो।

ख. उसने भारत के राज्यक्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो, या

ग. किसी उच्च न्यायालय (या दो या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार) में कम से कम 100 वर्ष (दशकीय) तक अधिवक्ता रहा हो। (संविधान में विशिष्ट विधि वेत्ता का उच्च न्यायालय न्यायाधीश के रूप में प्रावधान नहीं है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय में है)।

ब. नियुक्ति प्रक्रिया (कॉलेजियम प्रणाली - Collegium System):

क. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति (CJI) और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है (अनुच्छेद 217(1))।

ख. अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श भी अनिवार्य होता है।

ग. द्वितीय न्यायाधीश वाद (1993) और तृतीय न्यायाधीश वाद (1998) के माध्यम से स्थापित कॉलेजियम व्यवस्था (सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश + वरिष्ठतम दो न्यायाधीश) की सिफारिशें कार्यपालिका के लिए बाध्यकारी हैं, हालांकि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC - 99वां संविधान संशोधन) को उच्चतम न्यायालय के एस.ए. एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वाद (2015) में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था।

4. शपथ, पदावधि, निष्कासन (महाभियोग समतुल्य प्रक्रिया) और स्थानांतरण (अनुच्छेद 217-222)

न्यायाधीशों का कार्यकाल और सेवा शर्तें उन्हें राजनैतिक दबाव से मुक्त रखती हैं।

अ. शपथ एवं पदावधि:

क. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को **राज्यपाल** या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची के प्रारूप अनुसार शपथ लेनी होती है।

ख. न्यायाधीश **62 वर्ष की आयु** तक पद धारण करता है (15वें संविधान संशोधन 1963 द्वारा उम्र 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई थी)।

ग. वह राष्ट्रपति को संबोधित हस्तालिखित त्यागपत्र देकर पद छोड़ सकता है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने पर या अन्य न्यायालय में स्थानांतरित होने पर पद रिक्त होता है।

ब. निष्कासन प्रक्रिया (Removal):

क. साबित कदाचार या असमर्थता (Proven Misbehaviour or Incapacity) के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत (कुल सदस्य संख्या का बहुमत + उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत) से पारित समावेदन पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है (अनुच्छेद 124(4) जो अनुच्छेद 217(1) के तहत उच्च न्यायालय पर लागू होता है)। न्यायाधीश जांच अधिनियम, 1968 प्रक्रिया विनियमित करता है।

स. स्थानांतरण (Transfer - अनुच्छेद 222):

क. भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। (व्यावहारिक रूप से उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों या वरिष्ठ न्यायाधीशों के व्यापक तबादले कॉलेजियम की नीति का हिस्सा रहे हैं)।

सेवा आयाम	संवैधानिक अनुच्छेद	वैधानिक / प्रक्रियागत मानक
योग्यता	अनुच्छेद 217(2)	भारत का नागरिक, 10 वर्ष न्यायिक पद या 10 वर्ष उच्च न्यायालय अधिवक्ता
शपथ	अनुच्छेद 219	राज्यपाल या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष
सेवानिवृत्ति आयु	अनुच्छेद 217(1)	62 वर्ष
स्थानांतरण	अनुच्छेद 222	राष्ट्रपति द्वारा सीजेआई के परामर्श से

5. उच्च न्यायालय की अधिकारिता (Jurisdiction) का व्यापक फलक

उच्च न्यायालय एक अपील, मूल, रिट और पर्यवेक्षणीय अधिकारिता वाला बहुआयामी संस्थान है।

अ. मूल अधिकारिता (Original Jurisdiction):

क. नौवहन (Admiralty), विवाह-विच्छेद (Divorce), कंपनी विधि, वसीयत (Testamentary) और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से जुड़े कुछ विशिष्ट मामले।

ख. राज्य विधानसभा या लोकसभा चुनाव से जुड़ी निर्वाचन याचिकाएं (Election Petitions) सीधे उच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता में आती हैं।

ब. अपीलीय अधिकारिता (Appellate Jurisdiction):

क. **सिविल अपीलें:** अधीनस्थ न्यायालयों के सिविल निर्णयों के विरुद्ध जिला अदालत या सीधे उच्च न्यायालय में (द्वितीय अपीलें सांविधिक बिंदुओं पर)।

ख. **आपराधिक अपीलें:** सत्र न्यायालयों (Sessions Court) द्वारा दिए गए 7 वर्ष से अधिक के कारावास या मृत्युदंड (death sentence) को उच्च न्यायालय द्वारा संपुष्टि/Confirmation आवश्यक है - दं.प्र.सं. की धारा 366 के विरुद्ध अपीलें।

6. रिट अधिकारिता (Writ Jurisdiction - अनुच्छेद 226) और सर्वोच्च न्यायालय के साथ तुलनात्मक आयाम

संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के साथ-साथ 'किसी अन्य प्रयोजन' (Any other purpose - जिसमें सांविधिक अधिकारों का उल्लंघन शामिल है) के लिए भी रिट जारी करने की शक्ति देता है।

अ. पांच प्रकार की रिटें:

क. **बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus):** अवैध निरोध के विरुद्ध।

ख. **परमादेश (Mandamus):** लोक कर्तव्य का पालन कराने हेतु आदेश।

ग. **प्रतिषेध (Prohibition):** अधीनस्थ न्यायालय को अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकना (न्यायिक/अर्द्ध-न्यायिक निकाय)।

घ. **उत्प्रेषण (Certiorari):** अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय/आदेश को अवैध मानकर रद्द करना।

ङ. **अधिकार पृच्छा (Quo-Warranto):** लोक पद पर अवैध तरीके से आसीन होने वाले व्यक्ति से अधिकार पूछना।

ब. अनुच्छेद 32 (उच्चतम न्यायालय) बनाम अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालय) तुलनात्मक विश्लेषण:

तुलनात्मक आधार	उच्चतम न्यायालय (अनुच्छेद 32)	उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226)
प्रयोजन दायरा	केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन तक सीमित	मौलिक अधिकार एवं अन्य कानूनी/सांविधिक अधिकार ("किसी अन्य प्रयोजन")
प्रादेशिक क्षेत्राधिकार	संपूर्ण भारतवर्ष पर अधिकारिता	संबंधित राज्य या उच्च न्यायालय के प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र तक सीमित, या यदि वाद-हेतु (Cause of action) उद्भूत हो

विवेकीय प्रकृति (Discretionary)	अनुच्छेद 32 के तहत उपचार स्वयं में मूल अधिकार है (अस्वीकार नहीं किया जा सकता)	रिट अधिकारिता विवेकीय (Discretionary) है; लोकहित या विलंब (Laches) के आधार पर अस्वीकार की जा सकती है
------------------------------------	---	---

7. पर्यवेक्षणीय अधिकारिता (Supervisory Jurisdiction - अनुच्छेद 227) और न्यायिक नियंत्रण

अनुच्छेद 227 के अनुसार, प्रत्येक उच्च न्यायालय अपने प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले सभी न्यायालयों और अधिकरणों (Tribunals) पर **अधीक्षण (Superintendence)** रखेगा।

अ. **दायरा एवं सीमाएं:**

क. यह प्रशासनिक और न्यायिक दोनों प्रकार का अधीक्षण है।

ख. उच्च न्यायालय यह सुनिश्चित कर सकता है कि अधीनस्थ अदालतें अपनी अधिकारिता के भीतर कार्य करें, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करें और प्रक्रियागत भूल न करें।

ग. यह पुनरीक्षण (Revision) से अधिक व्यापक शक्ति है, किंतु इसका उपयोग अपवादात्मक मामलों (grave injustice) में ही किया जाता है, सामान्य अपील के विकल्प के रूप में नहीं।

8. अभिलेख न्यायालय (Court of Record) एवं अवमानना शक्ति (अनुच्छेद 215 / अवमानना अधिनियम 1971)

अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय के पास दो विशेष शक्तियां हैं: इसके निर्णयों को साक्ष्य के रूप में स्थायी अभिलेख के रूप में रखा जाता है, और इसकी अवमानना (सिविल या आपराधिक अवमानना) के लिए दंड देने की शक्ति होती है।

अ. **न्यायिक अवमानना का दायरा:**

क. सिविल अवमानना: न्यायालय के किसी आदेश, डिक्री या वचन का जानबूझकर उल्लंघन।

ख. आपराधिक अवमानना: ऐसा प्रकाशन या कृत्य जिससे न्यायालय की प्रामाणिकता घटती है, न्याय की प्रक्रिया में हस्तक्षेप होता है या न्यायिक प्रशासन में बाधा उत्पन्न होती है।

ग. न्यायपालिका की निष्पक्ष आलोचना (Fair criticism) अवमानना की श्रेणी में नहीं आती, यदि वह सद्भावनापूर्ण हो और सत्य पर आधारित हो।

9. अधीनस्थ न्यायालयों की संरचना, नियुक्ति एवं नियंत्रण (अनुच्छेद 233-237)

जिला न्यायपालिका न्याय प्रणाली की धरातलीय इकाई है। संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 (अनुच्छेद 233-237) में अधीनस्थ न्यायालयों का प्रावधान है।

अ. **जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति (अनुच्छेद 233):**

क. राज्य का राज्यपाल, उच्च न्यायालय से परामर्श करके **जिला न्यायाधीशों (District Judges)** की नियुक्ति, पोस्टिंग और प्रमोशन करता है।

ख. योग्यता: 7 वर्ष का अधिवक्ता या न्यायिक सेवा का अधिकारी, जिसे उच्च न्यायालय ने संस्तुति दी हो।

ब. **न्यायिक सेवा के अन्य सदस्य (अनुच्छेद 234):**

क. राज्यपाल, राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श से नियम बनाकर जिला न्यायाधीश से नीचे के न्यायिक सेवा अधिकारियों (सिविल जज, मजिस्ट्रेट आदि) की नियुक्ति करता है।

स. नियंत्रण एवं अधिकारिता (अनुच्छेद 235):

क. जिला न्यायालयों और उनसे अधीनस्थ न्यायालयों पर posting, promotion और छुट्टी आदि का प्रशासनिक नियंत्रण (Administrative Control) पूर्णतः उच्च न्यायालय में निहित है (कार्यपालिका का हस्तक्षेप वर्जित है ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे)।

न्यायिक पद / श्रेणी	संवैधानिक / वैधानिक आधार	नियुक्ति / नियंत्रणकर्ता प्राधिकारी
जिला न्यायाधीश	अनुच्छेद 233	नियुक्ति राज्यपाल (उच्च न्यायालय परामर्श से); नियंत्रण उच्च न्यायालय
अधीनस्थ न्यायिक सेवा	अनुच्छेद 234 / RJS नियम	राज्यपाल (RPSC + उच्च न्यायालय परामर्श); नियंत्रण उच्च न्यायालय
प्रशासनिक नियंत्रण	अनुच्छेद 235	पूर्णतः उच्च न्यायालय (पोस्टिंग, प्रमोशन, अनुशासन)

10. राजस्थान की न्यायिक व्यवस्था के समकालीन रुझान, वाद (Case Laws) और डिजिटल न्याय

राजस्थान उच्च न्यायालय (मुख्य पीठ जोधपुर एवं जयपुर पीठ) और अधीनस्थ न्यायपालिका ने समकालीन युग में न्यायिक पेंडेंसी को कम करने, डिजिटलीकरण और पारदर्शी न्याय प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण मील के पथर स्थापित किए हैं।

अ. महत्वपूर्ण ऐतिहासिक वाद (Case Laws):

क. **एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1982) / द्वितीय व तृतीय न्यायाधीश वाद:** उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण और कॉलेजियम परामर्श की बाध्यकारी प्रकृति पर आधारभूत व्याख्या।

ख. **लल्ली देवी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान (विभिन्न आपराधिक अपीलें):** सत्र न्यायालयों के मृत्युदंड संदर्भ और उच्च न्यायालय की अपीलरीय संपुष्टि प्रक्रिया के मानक।

ग. **ए.आर. अंतुले बनाम आर.एस. नायक (निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार):** उच्च न्यायालय स्तर पर त्वरित न्याय (Speedy Trial - अनुच्छेद 21 का विस्तार) को प्रभावी बनाना।

ब. समकालीन सुधार एवं डिजिटल अवसंरचना (2020-2026):

क. **ई-कर्ट्स प्रोजेक्ट (e-Courts Project) एवं वर्चुअल कोर्ट:** राजस्थान में आभासी सुनवाई (Virtual Hearings), ई-फाइलिंग (e-Filing) और डिजिटल काउज लिस्ट (Digital Cause List) के माध्यम से वकीलों और वादकारियों को राहत।

ख. **राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG Integration):** लंबित मामलों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग और पारदर्शी सांख्यिकी।

ग. फास्ट ट्रैक कोर्ट एवं पोक्सो (POCSO) विशेष अदालतें: महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों के त्वरित निस्तारण हेतु राज्यभर में विशिष्ट पोक्सो न्यायालयों का संचालन, जिनकी मॉनिटरिंग उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण में होती है।

समकालीन आयाम	पारंपरिक व्यवस्था	आधुनिक डिजिटल / प्रशासनिक स्वरूप (2020-2026)
वाद फाइलिंग	भौतिक कागजी बंडल (Physical filing)	ई-फाइलिंग पोर्टल, 24x7 डिजिटल सबमिशन
सुनवाई प्रक्रिया	शारीरिक रूप से अदालत कक्ष में उपस्थिति	हाइब्रिड मोड (Hybrid Mode - भौतिक + वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग)
न्यायिक डेटा	मैनुअल रजिस्टर और मासिक रिपोर्टिंग	NJDG (National Judicial Data Grid) पर रियल-टाइम ट्रैकिंग
प्रशासनिक समन्वय	सचिवालय और राजभवन पत्राचार	डिजिटल न्यायिक प्रबंधन प्रणाली (JMIS)

अध्याय 6: राजस्थान में राजनीतिक गतिशीलता एवं चुनावी राजनीति

1. राजस्थान की दलगत राजनीति का विकास: एकसदस्यीय वर्चस्व से द्वि-ध्रुवीय संतुलन तक

स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान के प्रथम दो दशकों (1952-1967) में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) का प्रादेशिक राजनीति पर लगभग एकाधिकार रहा, हालांकि जागीरदारी उन्मूलन, भू-सुधार और रियासती क्षेत्रों (जैसे रामगढ़ के महाराजा या पूर्व राजपरिवारों के प्रभाव) के कारण प्रादेशिक स्तर पर जनसंघ, रामराज्य परिषद और स्वतंत्र पार्टी का मजबूत विरोध भी देखने को मिला। 1970 के दशक के उत्तरार्ध से आपातकाल के उपरांत भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में गैर-कांग्रेसवाद का उदय हुआ, जिसके फलस्वरूप 1977 में भैरोसिंह शेखावत के नेतृत्व में प्रदेश में प्रथम गैर-कांग्रेस (जनता पार्टी) सरकार का गठन हुआ।

समकालीन राजस्थान का चुनावी फलक स्पष्ट रूप से **द्वि-ध्रुवीय (Bipolar)** है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (BJP) मुख्य केंद्र में हैं, जबकि भारतीय ट्राइबल पार्टी (BTP), भारत आदिवासी पार्टी (BAP), राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) और बसपा जैसी क्षेत्रीय शक्तियां विशिष्ट जनजातीय या जाट बाहुल्य बेल्ट में संतुलन या त्रिकोणीय संघर्ष पैदा करती हैं।

कालखंड	मुख्य राजनीतिक प्रवृत्ति	प्रमुख प्रभावी दल / गठबंधन	सत्ता हस्तांतरण का स्वरूप
1952-1967	एक-दल का आधिपत्य एवं रियासती प्रभाव	कांग्रेस, रामराज्य परिषद, जनसंघ	कांग्रेस का सतत नेतृत्व (सुखाड़िया युग)
1977-1990	गैर-कांग्रेसवाद का उदय व अस्थिरता	जनता पार्टी, जनता दल, कांग्रेस	जनता पार्टी सरकार (1977), बहुदलीय उठापटक
1998-सम्प्राप्ति	चक्रीय सत्ता परिवर्तन (Anti-Incumbency Alternation)	कांग्रेस बनाम भाजपा	प्रत्येक 5 वर्ष में सरकार बदलने का सुस्थापित क्रम

2. मतदान व्यवहार (Voting Behavior): सामाजिक-सांस्कृतिक निर्धारक एवं वर्ग विभाजन

राजस्थान में मतदान व्यवहार का निर्धारण केवल राजकोषीय या विकास के मुद्दों पर नहीं होता, बल्कि यहां **जाति, उप-जाति, क्षेत्रीय उप-सांस्कृतिक पहचान, कबीलाई/सामाजिक वफादारी** तथा कल्याणकारी योजनाओं की प्रत्यक्ष दृश्यता (Visibility) केंद्रीय भूमिका निभाती है।

अ. सामाजिक संकुल एवं ध्रुवीकरण:

क. **जातीय वंशीय समीकरण:** जाट, राजपूत, गुर्जर, मीणा, ब्राह्मण और अनुसूचित जाति/जनजाति के क्षेत्रीय बाहुल्य वाले निर्वाचन क्षेत्रों में दलीय टिकटों का वितरण भी सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखकर किया जाता है।

ख. **क्षेत्रीय उप-विभाजन:** मारवाड़ (पश्चिमी राजस्थान), मेवाड़ (दक्षिणी-मध्य राजस्थान), शेखावाटी, हाड़ौती और डूंगरा क्षेत्रों में मुद्दों की प्राथमिकता भिन्न होती है (जैसे मारवाड़ में पेयजल/सिंचाई व कृषि ऋण, मेवाड़ में अस्मिता/जनजातीय अधिकार, शेखावाटी में सैन्य पृष्ठभूमि व शिक्षा)।

ब. मतदान व्यवहार के प्रेरक तत्व:

क. **कल्याणकारी लोकलुभावन मॉडल (Welfarism):** निशुल्क दवा, पेंशन, बीमा और रियायती दरों पर खाद्य सामग्री/ऊर्जा का प्रभाव निम्न एवं मध्यम वर्ग के मतदान रुख को गहराई से प्रभावित करता है।

ख. **प्रति-सत्तात्मकता (Anti-Incumbency Trend):** पिछले ढाई दशकों से यह मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति देखी गई है कि मतदाता 5 वर्ष के पश्चात सत्तारूढ़ दल के प्रति विकल्प की तलाश करते हैं।

3. प्रमुख गठबंधन (Alliances) और क्षैतिज-लंबवत राजनीतिक गठजोड़

राजस्थान की चुनावी राजनीति मूलतः आमने-सामने की रही है, किंतु त्रिशंकु या कड़े मुकाबले की परिस्थितियों में गठबंधन सरकार या रणनीतिक सीट-शेयरिंग का महत्व बढ़ जाता है।

अ. गठजोड़ के स्वरूप:

क. **पूर्व-निर्वाचित राष्ट्रीय गठबंधन:** राष्ट्रीय स्तर के एनडीए (NDA) या इंडिया (INDIA) गठबंधन के घटक दलों के रूप में प्रादेशिक इकाइयां चुनाव लड़ती हैं।

ख. **क्षेत्रीय-दल समायोजन:** भारतीय आदिवासी पार्टी (BAP) और अन्य स्थानीय मोर्चों का आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों (डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़) में कांग्रेस या भाजपा के वोट बैंक पर रणनीतिक प्रभाव।

ग. **निर्दलीय एवं बागी (Rebels) कारक:** राजस्थान के चुनाव इतिहास में बागियों और निर्दलीय विधायकों (Independent MLAs) की जीत या समर्थन त्रिशंकु अथवा अल्पमत/सख्त बहुमत की स्थिति में सरकार निर्माण का 'किंगमेकर' (Kingmaker) घटक रहा है।

4. महिलाओं की राजनीति में भागीदारी: टिकट वितरण से निर्णय निर्माण तक

राजनीतिक गतिशीलता में महिलाओं की भागीदारी केवल सांकेतिक (Tokenistic) से बढ़कर व्यावहारिक निर्णायक शक्ति की ओर अग्रसर है, यद्यपि विधायी सदनों में उनका प्रतिशत अभी भी आनुपातिक समानता से दूर है।

अ. निर्वाचित प्रतिनिधित्व एवं सांख्यिकी:

क. राजस्थान विधान सभा (200 सदस्य) में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या समय के साथ बढ़ी है (विभिन्न विधान सभाओं में यह संख्या 20 से 28 के बीच रही है)।

ख. पंचायती राज संस्थाओं (73वें संविधान संशोधन के पश्चात 50 प्रतिशत आरक्षण प्रावधान) और शहरी निकायों में महिलाओं की राजनैतिक साक्षरता और जमीनी नेतृत्व क्षमता में गुणात्मक वृद्धि हुई है।

ब. चुनावी सहभागिता के आयाम:

क. महिला मतदाता मतदान प्रतिशत (Turnout) में कई निर्वाचन क्षेत्रों में पुरुष मतदाताओं के समकक्ष या उससे आगे निकल चुकी हैं, जिससे महिला-केंद्रित योजनाएं (जैसे उज्ज्वला, राजश्री, लखपति दीदी, सुरक्षित परिवहन) मुख्यधारा का चुनावी एजेंडा बन चुकी हैं।

ख. टिकट वितरण में दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों (कांग्रेस व भाजपा) द्वारा 30 से 35 प्रतिशत महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की मांग व प्रयास समकालीन राजनीतिक विमर्श का हिस्सा हैं।

प्रतिनिधित्व स्तर	पारंपरिक स्थिति	समकालीन आधुनिक स्वरूप (2020-2026)
स्थानीय निकाय (पंचायती राज/नगर)	नाममात्र प्रतिनिधित्व / 'सरपंच पति' संस्कृति	स्वतंत्र निर्णय, वित्तीय हस्ताक्षर क्षमता, डिजिटल पंचायत गवर्नेंस

विधान सभा टिकट शेयरिंग	8 से 12 प्रतिशत महिला उम्मीदवार	15 से 20 प्रतिशत तक दलों द्वारा रणनीतिक उम्मीदवारी
मतदान (Turnout)	पुरुषों की तुलना में पर्याप्त कम	पुरुष मतदाताओं के बराबर या कई जिलों में अधिक

5. विधान सभा चुनाव के अद्यतन आँकड़े व रुझान (16वीं विधान सभा संदर्भ)

समकालीन राजनीतिक चक्र के तहत 16वीं विधान सभा (2023 के अंत में संपन्न चुनाव) के परिणाम और आंकड़े राज्य के द्वि-ध्रुवीय मिजाज और क्षेत्रीय दलों के प्रभाव को रेखांकित करते हैं।

अ. मतदान एवं परिणाम रुझान:

क. राज्य की कुल 200 सीटों में से एक सीट (करणपुर) पर स्थगित चुनाव के पश्चात भाजपा ने स्पष्ट बहुमत (115+ सीटें) प्राप्त कर सरकार का गठन किया।

ख. कांग्रेस ने मुख्य विपक्षी दल के रूप में लगभग 69-70 सीटें अर्जित कीं, जबकि भारत आदिवासी पार्टी (BAP), राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP), और निर्दलीयों ने शेष सीटों पर अपना प्रभाव दर्ज किया।

ग. कुल मतदान प्रतिशत लगभग 75.45 प्रतिशत रहा, जो उच्च राजनीतिक जागरूकता को दर्शाता है।

6. दल-बदल, क्षेत्रीय क्षत्रप और टिकट वितरण की अंतःक्रिया

राजनीतिक गतिशीलता में टिकट कटने की स्थिति में बागी होना या दल-बदल करना राजस्थान की राजनीति की स्थाई विशेषता रही है।

अ. संगठन बनाम क्षत्रप संघर्ष:

क. केंद्रीय नेतृत्व और प्रादेशिक क्षत्रप (Regional Stalwarts) के बीच टिकट वितरण, मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा (या बिना चेहरे के सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ना) की रणनीति चुनाव परिणामों को दिशा देती है।

ख. जातिगत समीकरण साधने के लिए ऐन वक्त पर पाला बदलना या बड़े नेताओं का दूसरे दल में प्रवेश चुनावी चर्चा का केंद्र बनता है।

7. चुनावी व्यय, आदर्श आचार संहिता (MCC) और डिजिटल प्रचारतंत्र

निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में राजस्थान के चुनावी रण में आधुनिक डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने पारंपरिक जनसभाओं और दीवार-लेखन का स्थान ले लिया है।

अ. प्रचार के बदलते आयाम:

क. व्हाट्सएप समूह, टारगेटेड सोशल मीडिया विज्ञापन, एआई-आधारित जन-संवाद और रियल-टाइम मॉनिटरिंग (C-Vigil ऐप के माध्यम से आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतें)।

ख. चुनाव व्यय सीमा (Election Expenditure Limit) की निगरानी के लिए व्यय प्रेक्षक (Expenditure Observers) और वीडियो निगरानी टीमों की सक्रियता।

आयाम	पारंपरिक प्रचार पद्धति	समकालीन डिजिटल/एकीकृत तंत्र (2023-2026)
जनसंपर्क	पदयात्राएं, दीवार लेखन, लाउडस्पीकर रथ	सोशल मीडिया माइक्रो-टार्गेटिंग, वर्चुअल रैलियां, एआई वॉयस कॉल
आचार संहिता निगरानी	मैनुअल उड़न दस्ता (FSST)	C-Vigil ऐप, GPS-ट्रैकड वाहन, रियल-टाइम फोटोग्राफिक साक्ष्य
मतदाता पर्ची वितरण	बीएलओ द्वारा घर-घर भौतिक वितरण	डिजिटल क्यूआर कोड, ई-वोटर स्लिप, मोबाइल ऐप सत्यापन

8. प्रादेशिक अस्मिता, जल-संसाधन और विकास के चुनावी मुद्दे

क्षेत्रीय राजनीति में जातिगत समीकरणों के साथ-साथ अब विकासात्मक विमर्श गहरी जड़ें जमा चुके हैं।

अ. प्रमुख उभरते चुनावी मुद्दे:

क. **पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP / PKC-ERCP Link):** जल-अभाव वाले 13 जिलों के लिए पेयजल और सिंचाई का मुद्दा प्रमुख चुनावी वादा एवं ध्रुवीय बिंदु रहा है।

ख. **कानून-व्यवस्था, पेपर लीक और युवा रोजगार:** प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता, एसओजी (SOG) की कार्रवाई और बेरोजगारी भत्ते/सरकारी नियुक्तियों का मुद्दा युवाओं के मतदान व्यवहार को निर्णायक रूप से प्रभावित करता है।

ग. **ऊर्जा और कृषि सब्सिडी:** किसानों को मुफ्त या रियायती बिजली, सौर ऊर्जा (कुसुम योजना) और कृषि ऋण माफी के वादे।

9. राजनीतिक गतिशीलता में सिविल सोसायटी, किसान आंदोलन और दबाव समूह

दलगत राजनीति के बाहर किसान संगठन, सामाजिक आंदोलन (जैसे मजदूर किसान शक्ति संगठन - MKSS, Oran/पर्यावरण संरक्षण आंदोलन) और युवा संगठनों का दबाव राजनीतिक दलों के घोषणापत्रों को आकार देता है।

अ. दबाव समूहों की भूमिका:

क. समर्थन या विरोध के खुले आह्वान के जरिए विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों में हार-जीत के मार्जिन (Margin of Victory) को प्रभावित करना।

ख. नीतिगत वादों (न्यूनतम आय गारंटी कानून, मनरेगा कार्यदिवस वृद्धि) को चुनावी घोषणापत्र में शामिल करवाने के लिए बाध्य करना।

10. भविष्य के रुझान: विकेंद्रीकरण, डिजिटल लोकतंत्र और राजनीतिक भविष्य

राजस्थान का राजनीतिक भविष्य पारंपरिक जातीय लामबंदी और समकालीन विकासोन्मुख आकांक्षाओं (Aspirational India/Rajasthan) के बीच संतुलन का प्रतीक बनता जा रहा है।

अ. निष्कर्ष एवं वैचारिक निष्कर्ष:

क. 5-वर्षीय सत्ता परिवर्तन का चक्र यह सिद्ध करता है कि मतदाता सरकार के कार्य निष्पादन और लोक-कल्याणकारी प्रतिफल के प्रति अत्यधिक संवेदनशील और जागरूक हैं।

ख. क्षेत्रीय दलों (जैसे BAP का आदिवासी बहुल बेल्ड में विस्तार) का उभार यह संकेत देता है कि आने वाले समय में विशुद्ध द्वि-ध्रुवीय राजनीति को स्थानीय सांस्कृतिक और प्रादेशिक अस्मिता के प्रश्न और अधिक सूक्ष्म एवं प्रतिस्पर्धी बनाएंगे।

अध्याय 7: राज्य सचिवालय, मुख्य सचिव एवं निदेशालय

1. राज्य प्रशासन का बहुस्तरीय ढांचा और सचिवालय की सैद्धांतिक अवस्थिति

राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था एक वृहद, पदानुक्रमित (Hierarchical) और सांविधिक रूप से विनियमित संरचना है, जिसके शीर्ष पर राजनैतिक कार्यपालिका (मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद) और उनके ठीक नीचे स्थायी सिविल सेवा का सर्वोच्च निकाय—**राज्य सचिवालय (State Secretariat)** अवस्थित है। भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका शक्तियों (अनुच्छेद 154, 162) के व्यावहारिक क्रियान्वयन और नीति-निर्माण का केंद्रीय केंद्र सचिवालय ही है।

सैद्धांतिक रूप से, सचिवालय राज्य का **मस्तिष्क (Think Tank)** है, जहाँ नीतियों, विधायी प्रस्तावों, वित्तीय आवंटन और दीर्घकालिक प्रशासनिक रणनीतियों का प्रारूप तैयार होता है। सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख **मुख्य सचिव (Chief Secretary)** होता है, जबकि विभिन्न विभागों का राजनीतिक नियंत्रण संबंधित **कैबिनेट मंत्रियों / राज्य मंत्रियों** के पास होता है और प्रशासनिक संचालन **शासन सचिव (Secretary / Principal Secretary / Additional Chief Secretary)** के अधीन होता है।

प्रशासनिक स्तर	निकाय / इकाई	मुख्य कार्यक्षेत्र	वैधानिक / प्रशासनिक स्वरूप
शीर्ष नीति-निर्माण	राजनैतिक कार्यपालिका (मंत्रिपरिषद)	नीतिगत स्वीकृति, राजनीतिक उत्तरदायित्व	संवैधानिक (अनुच्छेद 163-164)
बौद्धिक / नीति प्रारूप	राज्य सचिवालय (Secretariat)	नीतियां, विधायी ड्राफ्ट, बजट समन्वय, निगरानी	स्थायी सिविल सेवा शीर्ष निकाय
क्षेत्र/कार्यान्वयन निर्देशन	निदेशालय (Directorate)	योजनाओं का मैदानी क्रियान्वयन, तकनीकी निर्देश	कार्यपालिका का कार्यकारी अंग

मैदानी निष्पादन	जिला प्रशासन (Collectorate) / संभाग	लाभांश वितरण, कानून व्यवस्था, राजस्व संग्रह	फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन
-----------------	--	--	----------------------

2. सचिवालय की संरचना, पदानुक्रम और संगठन

स सचिवालय में पदानुक्रम का एक सुव्यवस्थित पिरामिड होता है, जो शीर्ष से निम्न स्तर की ओर प्रवाहित होता है। पदानुक्रमित संरचना में उत्तरदायित्व और प्राधिकार का स्पष्ट विभाजन होता है।

अ. प्रशासनिक पदानुक्रम (Administrative Hierarchy):

क. मुख्य सचिव (Chief Secretary): राज्य प्रशासन का समग्र प्रमुख, समन्वयकर्ता एवं कैबिनेट सचिव।

ख. अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) / प्रमुख शासन सचिव (Principal Secretary) / शासन सचिव (Secretary): विभाग के स्वतंत्र प्रशासनिक प्रभारी।

ग. विशिष्ट सचिव (Special Secretary) / संयुक्त सचिव (Joint Secretary): नीतिगत मामलों में सचिव को सहयोग देने वाले वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी।

घ. उप सचिव (Deputy Secretary) / सहायक सचिव (Assistant Secretary) / अनुभाग अधिकारी (Section Officer): पत्राचार, फाइल मूवमेंट और नियम-अनुपालन की रीढ़।

ब. अनुभागीय प्रणाली (Section System):

क. सचिवालय की बुनियादी इकाई अनुभाग (Section) है, जिसकी कमान अनुभाग अधिकारी (SO) और सहायक/कनिष्ठ लिपिकों के पास होती है।

ख. कोई भी प्रस्ताव 'लोअर डिवीजन' से उठकर उच्च पदानुक्रम (अवर सचिव, उप सचिव, सचिव) के रास्ते मंत्री या मुख्य सचिव तक पहुंचता है ('फाइल रूटिंग' प्रणाली)।

पदानुक्रम स्तर	सामान्य पदनाम	मुख्य उत्तरदायित्व
विभाग प्रमुख	शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	विभाग की संपूर्ण नीति, बजट और वैधानिक अनुपालना
मध्यवर्ती नीति	विशिष्ट / संयुक्त / उप सचिव	फाइल संवीक्षा, तकनीकी और विधिक परीक्षण
मैदानी/कार्यालय	अनुभाग अधिकारी / सहायक	कागजी कार्रवाई, रिकॉर्ड संधारण, पत्राचार का प्रथम स्तर

3. सचिवालय की भूमिका, कार्य एवं नीति-निर्माण का केंद्र

सचिवालय का मूल उद्देश्य राज्य के समग्र विकास, वैधानिक नियमों के मानकीकरण और वित्तीय अनुशासन को सुनिश्चित करना है।

अ. प्रमुख कार्य (Key Functions):

क. नीति-निर्माण (Policy Formulation): राज्य सरकार की सामाजिक-आर्थिक, औद्योगिक, कृषि और शैक्षिक नीतियों का विस्तृत प्रारूप तैयार करना।

ख. **विधायी प्रारूपण (Legislative Drafting):** विधान सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयकों, अध्यादेशों और नियमों का विधिक ड्राफ्ट विधि विभाग के सहयोग से तैयार करना।

ग. **बजट समन्वय (Budget Coordination):** वित्त विभाग के माध्यम से समस्त विभागों की वित्तीय मांगों का समेकन, व्यय नियंत्रण और प्राक्कलन तैयार करना।

घ. **केंद्र-राज्य संपर्क:** केंद्र सरकार के मंत्रालयों, नीति आयोग और वित्त आयोग के साथ पत्राचार तथा योजनाओं में राज्य का पक्ष रखना।

ङ. **कार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियां:** सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) और कार्मिक विभाग (DoP) के माध्यम से राज्य सेवा नियमों, तबादला नीतियों और प्रशासनिक सुधारों का संचालन।

4. लाइन (Line) एवं स्टाफ (Staff) एजेंसियों की अवधारणा और सचिवालय-निदेशालय द्वैत

लोक प्रशासन सिद्धांत में संगठनों को लाइन और स्टाफ के रूप में विभाजित किया जाता है, जिसका स्पष्ट प्रतिबिंब राज्य प्रशासन में सचिवालय और निदेशालय के रूप में दिखता है।

अ. **सिद्धांत की परिभाषा:**

क. **स्टाफ एजेंसियाँ (Staff Agencies):** जो मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करने में सीधे मैदान में नहीं उतरतीं, बल्कि परामर्श, नीति-निर्माण, योजना और समन्वय करती हैं (राज्य सचिवालय एक स्टाफ एवं नीति-निर्माण एजेंसी है)।

ख. **लाइन एजेंसियाँ (Line Agencies):** जो सीधे जनता से जुड़ी होती हैं, सेवाएँ वितरित करती हैं और आदेशों का धरातलीय क्रियान्वयन करती हैं (निदेशालय एवं मैदानी विभाग लाइन एजेंसियाँ हैं)।

ब. **सचिवालय बनाम निदेशालय: कार्यात्मक द्वैत:**

क. सचिवालय **नीति बनाता है** (Policy Making), जबकि निदेशालय **नीति का क्रियान्वयन और पर्यवेक्षण** कराता है (Execution/Implementation)।

ख. सचिवालय छोटा, उच्च-स्तरीय और नीति-केंद्रित होता है; निदेशालय बड़ा, तकनीकी और मैदानी तंत्र से जुड़ा होता है।

तुलनात्मक आधार	राज्य सचिवालय (Secretariat)	निदेशालय (Directorate)
प्रशासनिक प्रकृति	स्टाफ एवं नीति-निर्माण एजेंसी	लाइन एवं क्रियान्वयन एजेंसी
मुख्य नेतृत्व	शासन सचिव (IAS कैडर प्रमुख)	निदेशक (विभागीय तकनीकी / IAS / RAS विशेषज्ञ)
जनता से संपर्क	अप्रत्यक्ष (पॉलिसी स्तर पर)	प्रत्यक्ष (योजनाओं के लाभांश और मैदानी निरीक्षण)

भवन अवस्थिति	सामान्यतः सचिवालय भवन (Capital Secretariat)	पृथक भवन (विभागीय मुख्यालय, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य संकुल)
--------------	--	---

5. निदेशालय और सचिवालय के संबंध: अंतर्संबंध, तनाव और समन्वय

सैद्धांतिक रूप से दोनों के कार्य भिन्न हैं, किंतु व्यावहारिक प्रशासनिक संचालन में सचिवालय और निदेशालय के बीच नियंत्रण, फाइल ट्रांसफर और वर्चस्व को लेकर अंतर्संबंध गहरे हैं।

अ. सहयोगात्मक समन्वय:

क. सचिवालय द्वारा निर्मित नीतियों को निदेशालय मैदानी इकाइयों (जिला/ब्लॉक) तक पहुंचाता है।

ख. मैदानी कठिनाइयों, व्यावहारिक अड़चनों और आंकड़ों का फीडबैक निदेशालय सचिवालय को देता है, जिससे नीति में संशोधन (Policy Revision) होता है।

ब. संरचनात्मक तनाव एवं संघर्ष के बिंदु:

क. **अति-नियंत्रण (Over-control):** सचिवालय के अवर/उप सचिव कई बार निदेशालय के प्रशासनिक मामलों में अत्यधिक हस्तक्षेप करते हैं, जिससे निर्णय प्रक्रिया धीमी (Red-tapism) हो जाती है।

ग. **तदर्थ पत्राचार:** फाइल को बार-बार नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे भेजने (Back and forth routing) से कार्यक्षमता प्रभावित होती है।

घ. प्रशासनिक सुधार आयोगों (ARC) ने इस द्वैत को कम करने के लिए निदेशालय को कुछ वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता देने की सिफारिश की है।

6. मुख्य सचिव (Chief Secretary) का पद, चयन एवं शक्तियाँ

मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का सर्वोच्च सिविल सेवक होता है। वह मंत्रिमंडल का सचिव, मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार और राज्य के समस्त सचिवों का समन्वयक होता है।

अ. चयन एवं नियुक्ति:

क. मुख्य सचिव की नियुक्ति सीधे **मुख्यमंत्री** द्वारा की जाती है। यह एक चयन-आधारित पद है, जो वरिष्ठता (Seniority) और राजनीतिक-प्रशासनिक विश्वसनीयता के संयोजन पर निर्भर करता है।

ख. संविधान में मुख्य सचिव पद का कोई विशिष्ट अनुच्छेद नहीं है; यह एक परंपरा-आधारित और प्रशासनिक रूप से सर्वोच्च पद है।

ब. बहुआयामी भूमिकाएं:

क. **मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार:** प्रशासनिक नीति, संकट प्रबंधन और राजनीतिक-प्रशासनिक समन्वय पर सीधी सलाह।

ख. **कैबिनेट के सचिव (Secretary to Cabinet):** मंत्रिमंडल की बैठकों का एजेंडा तैयार करना, कार्यवृत्त (Minutes) सुरक्षित रखना और निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी करना।

ग. **सिविल सेवा के प्रमुख (Head of Civil Services):** अखिल भारतीय सेवाओं (IAS, IPS, IFoS) और राज्य प्रशासनिक सेवाओं के अनुशासन, पदस्थापन और समन्वय का नियंत्रण।

घ. **संकट प्रबंधन प्रमुख (Crisis Administrator):** बाढ़, सूखा, महामारी, आपदा या विधि-व्यवस्था के गंभीर संकट के समय समस्त विभागों का समेकित नेतृत्व।

भूमिका आयाम	मुख्य कार्य विवरण	प्रशासनिक प्रभाव
कैबिनेट समन्वय	बैठकों का एजेंडा, मिनट्स, निर्णय अनुपालन	सरकार की नीतिगत गति तय करना
अंतर-विभागीय विवाद	दो विभागों (जैसे वित्त एवं निर्माण) के मध्य गतिरोध दूर करना	प्रशासनिक निर्णय में रफ़्तार लाना
संकट प्रबंधन	प्राकृतिक आपदा या कानून-व्यवस्था संकट में सर्वोच्च कमान	संपूर्ण राज्य तंत्र का एकीकृत संचालन

7. राजस्थान के प्रमुख मुख्य सचिव एवं उनके कार्यकाल की प्रशासनिक विशेषताएँ

राजस्थान के प्रशासनिक इतिहास में अनेक मुख्य सचिवों ने अपने नेतृत्व, सुशासन मॉडल और संकट-प्रबंधन से प्रदेश की नींव मजबूत की है।

क्रम	मुख्य सचिव का नाम	कार्यकाल / विशिष्ट प्रशासनिक योगदान
01	के. राधाकृष्णन	प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव (1949 के आसपास संक्रमणकालीन प्रशासनिक नींव)
02	बी. मेहता	पंचायती राज और प्रशासनिक सुधारों के दौर में दीर्घकालिक एवं प्रभावी प्रशासनिक मार्गदर्शन
03	मोहन मुखर्जी / सांवलदान उज्ज्वल	प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और सूखा-राहत प्रबंधन में दक्षता
04	सी.के. मैथ्यू / डी.पी. गुप्ता	ई-गवर्नेंस, पारदर्शी प्रशासनिक पत्राचार और निवेश अनुकूल नीतियां

05	उषा शर्मा	राज्य की द्वितीय महिला मुख्य सचिव, प्रशासनिक दक्षता और सेवा वितरण में सुधार
06	सुधांशु पंत / समकालीन क्रम	डिजिटल सचिवालय, प्रशासनिक जवाबदेही और ई-फाइलिंग का सुदृढीकरण

8. लाइन एवं स्टाफ एजेंसियों के बीच प्रशासनिक सामंजस्य और कार्यप्रणाली का तकनीकी संक्रमण

पारंपरिक लाइन-स्टाफ द्वैत को डिजिटल युग में 'ई-सचिवालय' और 'इंटीग्रेटेड फाइल ट्रेकिंग सिस्टम (IFMS)' ने रूपांतरित कर दिया है।

अ. डिजिटल बदलाव:

क. भौतिक फाइलों की जगह ई-फाइल (e-File) प्रणाली से सचिवालय और निदेशालय के बीच संवाद सेकंडों में होने लगा है।

ख. 'संपर्क' पोर्टल और एकीकृत डैशबोर्ड से लाइन एजेंसियों की मैदानी प्रगति की सीधी मॉनिटरिंग सचिवालय से होती है।

तकनीकी आयाम	पारंपरिक कागजी व्यवस्था (Pre-2015)	समकालीन डिजिटल गवर्नेंस (2020-2026)
फाइल मूवमेंट	भौतिक डाक, चपरासी द्वारा पत्राचार (साप्ताहिक विलंब)	ई-फाइल, डिजिटल हस्ताक्षर (DSC), रियल-टाइम ट्रेकिंग
निदेशालय संवाद	पत्राचार और अर्ध-शासकीय पत्र औपचारिक	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, साझा क्लाउड डेटा बेस, एकीकृत समीक्षा
पारदर्शिता	आरटीआई आधारित विलंबित सूचना	डैशबोर्ड आधारित पब्लिक मॉनिटरिंग, जनसुनवाई इंटीग्रेशन

9. प्रशासनिक सुधार आयोगों (ARC) की संस्तुतियां और सचिवालय सुधार

प्रशासनिक सुधार आयोगों ने सचिवालय के आकार को सीमित रखने और दक्षता बढ़ाने के लिए विशिष्ट सुझाव दिए हैं।

अ. प्रमुख संस्तुतियां:

क. सचिवालय को केवल नीतिगत कार्यों तक सीमित किया जाए और निष्पादन योग्य प्रशासनिक कार्य निदेशालयों को हस्तांतरित किए जाएं।

ख. अनावश्यक पदानुक्रम (Layers of hierarchy) को 4 स्तरों से अधिक न बढ़ाया जाए।

ग. विषय-विशेषज्ञ (Domain Experts) को सलाहकार के रूप में सचिवालय में अनुबंध पर शामिल किया जाए।

10. समकालीन चुनौतियाँ और राज्य सचिवालय का भविष्य

समकालीन लोक प्रशासन में सचिवालय के समक्ष नीतिगत चपलता (Policy Agility), जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) और डेटा-driven गवर्नेंस की चुनौतियाँ हैं।

अ. निष्कर्ष एवं भावी दृष्टि:

क. सचिवालय को 'लालफीताशाही' (Red-tapism) के केंद्र के बजाय 'सुशासन उत्प्रेरक' (Governance Catalyst) के रूप में कार्य करना होगा।

ख. मुख्य सचिव के नेतृत्व में सचिवालय-निदेशालय का यह एकीकृत नेटवर्क राजस्थान के आर्थिक विकास, ई-गवर्नेंस और पारदर्शी लोक सेवा गारंटी के लक्ष्यों को प्राप्त करने की धुरी बना हुआ है।

अध्याय 8: जिला प्रशासन एवं जिलाधिकारी (Collector)

1. जिला प्रशासन की अवधारणा और ऐतिहासिक विकास (कोर्नवॉलिस से समकालीन युग तक)

भारत के प्रशासनिक तंत्र में **जिला प्रशासन (District Administration)** सरकार और नागरिक के बीच की सबसे जीवंत, प्रत्यक्ष और धरातलीय इकाई है। जिला वह धुरी है जहाँ राज्य की संपूर्ण कार्यपालिका शक्तियाँ, कानून-व्यवस्था, भू-राजस्व संग्रहण और विकासात्मक नीतियाँ धरातल पर मूर्त रूप लेती हैं। लार्ड कोर्नवॉलिस के काल में **कलेक्टर (Collector)** के पद का ऐतिहासिक सृजन मुख्य रूप से राजस्व संग्रहण (Collection) और न्यायिक प्रशासन के समन्वय के रूप में हुआ था।

समय के साथ जिला कलेक्टर की भूमिका केवल कर संग्रहकर्ता से बदलकर 'जिले के मुख्य कार्यकारी प्रतिनिधि', 'संकट प्रबंधक' और 'विकास समन्वयकर्ता' के रूप में विकसित हुई है। भारतीय संघ व्यवस्था में राज्य सरकार की नीतियाँ सचिवालय और निदेशालय से चलती हैं, किंतु उनका व्यावहारिक क्रियान्वयन जिले की सीमा के भीतर जिला कलेक्टर की समग्र लीडरशिप में होता है।

ऐतिहासिक प्रशासनिक काल	/	कलेक्टर की प्राथमिक भूमिका	वैधानिक या पारंपरिक आधार

ब्रिटिश काल (कोर्नवॉलिस/मैकॉले युग)	भू-राजस्व संग्रहण, शांति व्यवस्था एवं मजिस्ट्रेटियल शक्तियां	बंगाल रेगुलेशन / आपराधिक प्रक्रिया संहिता
स्वतंत्रता पश्चात (1947-1990)	विकास प्रशासन (Development Administration) का संयोजन, पंचायती राज समन्वय	कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, भू-सुधार अधिनियम
समकालीन डिजिटल युग (2020+)	ई-गवर्नेंस, आपदा प्रबंधन, कल्याणकारी योजनाओं की डीबीटी मॉनिटरिंग	आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, लोक सेवा गारंटी कानून

2. जिला कलेक्टर (Collector & District Magistrate) का पद और बहुआयामी भूमिका

जिला कलेक्टर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) का कैडर पद होता है, जो राज्य के प्रशासनिक पदानुक्रम में जिले का सर्वोच्च अधिकारी है। एक ही अधिकारी के पास राजस्व, दंडात्मक मजिस्ट्रेटियल और विकासात्मक शक्तियों का अनोखा संगम होता है।

अ. राजस्व प्रशासन के प्रमुख (Collector / Deputy Commissioner):

क. जिले का सर्वोच्च राजस्व अधिकारी, भूमि अभिलेखों के संधारण, भू-राजस्व वसूली, स्टाम्प ड्यूटी, और भू-अधिग्रहण (Land Acquisition) का नियामक।

ख. प्राकृतिक आपदा, सूखे, बाढ़ या ओलावृष्टि की स्थिति में गिरदावरी, फसल खराबे का आकलन और राहत वितरण की संस्तुति।

ब. जिला दंडाधिकारी (District Magistrate - DM):

क. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS / पुरानी CrPC के प्रावधानों अनुरूप) के तहत जिले में कानून-व्यवस्था (Law & Order) बनाए रखना।

ख. पुलिस अधीक्षक (SP) के साथ समन्वय कर दंगा नियंत्रण, धारा 163 (पुरानी धारा 144) का निषेधाज्ञा आदेश जारी करना, जेलों और पुलिस लॉकअप का निरीक्षण।

ग. मजिस्ट्रेटियल जांच, हथियार लाइसेंस (Arms License) जारी करना और लोक शांति भंग होने की आशंका पर निरोधात्मक कार्रवाई।

स. विकास अधिकारी एवं जिला समन्वयकर्ता (District Development Coordinator):

क. जिला परिषद (Zila Parishad) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) या विकास योजनाओं के समन्वय के माध्यम से ग्रामीण/शहरी विकास योजनाओं (मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, आजीविका मिशन आदि) का संवितरण और प्रगति समीक्षा।

ख. विभिन्न विभागों (स्वास्थ्य, शिक्षा, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, ऊर्जा) के बीच अंतर-विभागीय समन्वय स्थापित करना।

कलेक्टर की टोपी (Role/Capacity)	सांविधिक / वैधानिक स्रोत	मुख्य उत्तरदायित्व
भू-राजस्व कलेक्टर	भू-राजस्व अधिनियम (Land Revenue Act)	राजस्व संग्रह, भूमि अभिलेख, सीमांकन, अधिकार पत्र
जिला दंडाधिकारी (DM)	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)	कानून-व्यवस्था, निषेधाज्ञा, मजिस्ट्रेटियल नियंत्रण
जिला विकास समन्वय	राज्य कार्यकारी आदेश / पंचायती राज निर्देश	विकास योजनाओं की मॉनिटरिंग, अंतर-विभागीय तालमेल
जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO)	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951	लोकसभा, विधान सभा एवं स्थानीय निकाय चुनाव संचालन

3. जिला प्रशासन का पदानुक्रम: उप-खंड अधिकारी (SDO / Sub-Divisional Officer)

जिला प्रशासन को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से उप-खंडों (Sub-Divisions) में विभाजित किया जाता है, जिनकी कमान उप-खंड अधिकारी (IAS/RAS कैडर) के हाथ में होती है।

अ. एसडीओ की शक्तियां एवं कार्य:

- क. अपने उप-खंड क्षेत्र में सहायक कलेक्टर/सहायक दंडाधिकारी (Sub-Divisional Magistrate - SDM) के रूप में राजस्व वाद और दंडात्मक/शांति-व्यवस्था के मामलों का निस्तारण करना।
- ख. उप-खंड स्तर पर भूमि रूपांतरण (Land Conversion), अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, और चुनावों के दौरान सेक्टर/रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में कार्य।
- ग. तहसीलदारों और पटवारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करना।

4. तहसीलदार एवं पटवारी स्तर का धरातलीय राजस्व प्रशासन

तहसील प्रशासन और धरातलीय इकाई पटवार मंडल राजस्व तंत्र की सबसे निचली किंतु सबसे महत्वपूर्ण नींव हैं।

अ. तहसीलदार (Tehsildar / Executive Magistrate):

- क. तहसील क्षेत्र का भू-राजस्व संग्रह, जाति/मूल निवास/आय प्रमाण पत्रों का सत्यापन, राजस्व न्यायालयों में प्रथम-स्तरीय वादों की सुनवाई।
- ख. प्राकृतिक आपदा के समय मैदानी सर्वे और राहत पर्चियों का वितरण।

ब. पटवारी (Patwari / Village Accountant):

- क. ग्राम स्तर का भू-राजस्व अभिलेख रक्षक (खसरा, खतौनी, जमाबंदी का संधारण)।

ख. फसल गिरदावरी (फसल की स्थिति का भौतिक आंकलन), भूमि हस्तांतरण, नामांतरण (Mutation) के प्रस्ताव तैयार करना।

धरातलीय प्रशासनिक इकाई	प्रशासनिक प्रमुख	मुख्य रिकॉर्ड / दायित्व
जिला (District)	जिला कलेक्टर (DM/Collector)	संपूर्ण जिले का राजस्व, कानून, विकास कमान
उप-खंड (Sub-Division)	उप-खंड अधिकारी (SDM/SDO)	उप-खंड स्तर पर राजस्व अपील एवं मजिस्ट्रेटियल नियंत्रण
तहसील (Tehsil)	तहसीलदार	भू-राजस्व वसूली, प्रमाण पत्र सत्यापन, स्थानीय विवाद निवारण
भू-अभिलेख वृत्त (Circle)	भू-निरीक्षक (Girdawar / RI)	पटवारियों के कार्यों का निरीक्षण, गिरदावरी सत्यापन
ग्राम (Village)	पटवारी	खसरा-खतौनी, जमाबंदी, फसल गिरदावरी, नामांतरण प्रस्ताव

5. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA): संरचना और वैधानिक प्रावधान

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (Disaster Management Act 2005) के तहत प्रत्येक जिले में **जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA)** का वैधानिक प्रावधान है।

अ. **संरचना (Composition):**

क. **अध्यक्ष (Chairman):** जिले का **जिला कलेक्टर** पदेन अध्यक्ष होता है।

ख. **सह-अध्यक्ष / उपाध्यक्ष:** जिला परिषद का अध्यक्ष या स्थानीय प्राधिकारी का प्रमुख।

ग. **मुख्य कार्यकारी सदस्य:** मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, कार्यकारी अभियंता (पीडब्ल्यूडी/पीएचईडी) आदि पदेन सदस्य होते हैं।

ब. **कार्य एवं शक्तियाँ:**

क. आपदा प्रबंधन योजना (District Disaster Management Plan) तैयार करना।

ख. बाढ़, सूखा, भूकंप, महामारी या औद्योगिक दुर्घटना की स्थिति में तुरंत रेस्क्यू, राहत शिविर संचालन, और राज्य/राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (SDRF/NDRF) के साथ समन्वय करना।

ग. आपदा न्यूनीकरण (Mitigation) हेतु फंड आवंटन और जागरूकता अभियान चलाना।

आपदा चरण	DDMA / कलेक्टर की भूमिका	तकनीकी / मैदानी क्रियान्वयन
पूर्व-आपदा (Mitigation/Preparedness)	जिला आपदा योजना का अद्यतन, मॉक ड्रिल	प्रारंभिक चेतावनी तंत्र, आश्रय स्थलों की पहचान
आपदा-कालीन (Response)	एसओजी/एसडीआरएफ की तैनाती, तुरंत रेस्क्यू	कमांड एंड कंट्रोल रूम से 24x7 मॉनिटरिंग
पश्च-आपदा (Recovery/Relief)	गिरदावरी रिपोर्ट, डीबीटी के जरिए राहत मुआवजा	क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण

6. कानून-व्यवस्था और पुलिस-प्रशासन संबंध (Collector-SP Interface)

जिला स्तर पर शांति-व्यवस्था बनाए रखने की दोहरी धुरी **कलेक्टर (DM)** और **पुलिस अधीक्षक (SP)** हैं।

अ. **संवैधानिक व वैधानिक संतुलन:**

क. दंडात्मक और निषेधात्मक शक्तियों (जैसे भीड़ नियंत्रण पर बल प्रयोग का आदेश, मजिस्ट्रेटियल जांच) का अंतिम वैधानिक प्राधिकार **जिला दंडाधिकारी** के पास होता है।

ख. तकनीकी और ऑपरेशनल पुलिसिंग, बल का deployment, अन्वेषण (Investigation) और अपराध नियंत्रण **पुलिस अधीक्षक** के अधीन होता है।

ग. दोनों के बीच सहज तालमेल (Collector-SP synergy) ही सांप्रदायिक सौहार्द, बड़े आयोजनों (चुनाव, त्यौहार) और कानून-व्यवस्था की सफलता की गारंटी है।

7. लोक शिकायत निवारण, जनसुनवाई और डिजिटल जिला प्रशासन

समकालीन जिला प्रशासन पारदर्शी, नागरिक-केंद्रित और डिजिटल (e-District / e-Governance) हो चुका है।

अ. **प्रमुख तंत्र:**

क. **जिला जनसुनवाई एवं समाधान पोर्टल:** साप्ताहिक या प्रतिदिन जनसुनवाई के माध्यम से नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण।

ख. **ई-धरती और जमाबंदी डिजिटलीकरण:** भूमि रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन उपलब्ध कराना।

ग. **राजकीय डैशबोर्ड मॉनिटरिंग:** मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल और पीएम गतिशक्ति (PM GatiShakti) के तहत जिला स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की जियो-स्पेशियल ट्रैकिंग।

आयाम	पारंपरिक प्रणाली	समकालीन डिजिटल जिला प्रशासन (2020-2026)
भू-अभिलेख	हस्तलिखित जिल्दें और पटवारखाने के चक्कर	ऑनलाइन खसरा-नकल, ई-हस्ताक्षरित जमाबंदी, भूमि सीडिंग
जनशिकायत	लिखित आवेदन, रजिस्टर में दर्ज	सीएम हेल्पलाइन 181, समाधान पोर्टल पर ऑनलाइन ट्रैकिंग
आपदा संचार	वीएचएफ वायरलेस सेट और भौतिक दूत	सैटेलाइट फोन, रियल-टाइम वेदर अलर्ट ऐप, ड्रोन मैपिंग

8. विकास प्रशासन (Development Administration) और पंचायती राज-कलेक्टर अंतर्संबंध

जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं (जिला परिषद और पंचायत समितियां) के निर्वाचित प्रतिनिधियों और स्थायी प्रशासनिक तंत्र (कलेक्टर/सीईओ) के बीच समन्वय विकास की गति तय करता है।

अ. समन्वय के बिंदु:

क. पंचायती राज संस्थाओं की योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति, वित्तीय मानकों के अनुपालन और कैग ऑडिट की पालना सुनिश्चित करना।

ख. जनजातीय उप-योजना (TSP) या आकांक्षी जिला कार्यक्रम (Aspirational Districts Programme) के तहत संकेतकों (Kpis - Health, Education, Agriculture) में सुधार करना।

9. प्रशासनिक सुधार आयोगों (ARC) की संस्तुतियां और जिला प्रशासन में सुधार

प्रशासनिक सुधार आयोगों ने जिले को प्रशासनिक इकाई के रूप में अधिक स्वायत्तता और विकेंद्रीकृत बजट देने की संस्तुति की है।

अ. प्रमुख संस्तुतियां:

क. जिला स्तर पर योजना निर्माण (District Planning Committee - DPC) को वास्तविक वित्तीय अधिकार दिए जाएं।

ख. कलेक्टर के अत्यधिक भार (Overload) को कम करने के लिए विकास और कानून-व्यवस्था के कार्यों के बीच प्रशासनिक दायित्वों का विवेकपूर्ण कार्य-विभाजन हो।

ग. ई-गवर्नेंस के माध्यम से पटवार से लेकर कलेक्ट्रेट तक फाइल मूवमेंट की लेयर कम की जाए।

10. समकालीन चुनौतियाँ और जिला प्रशासन का भविष्य

समकालीन युग में जलवायु परिवर्तन जनित अतिवृष्टि/सूखा, साइबर अपराध, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स का प्रबंधन, और जन-आकांक्षाओं का दबाव जिला प्रशासन की परीक्षाओं को कठिन बनाता है।

अ. निष्कर्ष एवं भावी दृष्टि:

क. जिला कलेक्टर केवल नियम-कानून लागू करने वाला अधिकारी नहीं, बल्कि 'डिस्ट्रिक्ट सीईओ' (Chief Executive Officer of the District) के रूप में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का उत्प्रेरक है।

ख. डिजिटल तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI-based resource allocation) और पारदर्शी जन-संवाद के संलयन से जिला प्रशासन सुशासन (Good Governance) के मूल लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है।

अध्याय 9: स्थानीय स्वशासन: पंचायती राज व्यवस्था (73वां संशोधन)

1. स्थानीय स्वशासन का सैद्धांतिक आधार और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण

लोकतंत्र की सार्थकता इस बात में निहित है कि शासन का प्रभाव और निर्णय प्रक्रिया केवल राजधानी या जिला मुख्यालय तक सीमित न रहकर धरातल तक प्रवाहित हो। **लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण (Democratic Decentralization)** का अर्थ है सत्ता, संसाधनों और निर्णय लेने के अधिकार को अंतिम छोर पर बैठे नागरिक तक पहुंचाना।

भारतीय संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों (Directive Principles of State Policy) के **अनुच्छेद 40** में यह उपबंधित किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों। स्थानीय स्वशासन की यह इकाई दो रूपों में विभाजित है—ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज (प्रारंभिक ग्रामीण लोकतंत्र) और नगरीय क्षेत्रों में नगरपालिकाओं/नगर निगमों (शहरी स्वशासन)।

शासन स्तर	संवैधानिक आधार	प्राथमिक उद्देश्य	निर्णय इकाई का केंद्र
केंद्रीय शासन	संघ सूची (सातवीं अनुसूची)	राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, समेकित मौद्रिक नीति	संसद एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल
राज्य शासन	राज्य सूची	विधि-व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि	विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद
स्थानीय स्वशासन (ग्रामीण/शहरी)	73वां एवं 74वां संशोधन	स्वच्छता, स्थानीय जल-संसाधन, ग्रामीण सड़क, नागरिक सुविधाएं	ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद

2. राजस्थान में पंचायती राज का विकास: नागौर 1959 से सांविधिक युग तक

स्वतंत्रता के पश्चात सामुदायिक विकास कार्यक्रम (Community Development Programme - 1952) और राष्ट्रीय विस्तार सेवा (1953) की विफलता (जो नौकरशाही के अति-केंद्रित होने के कारण जन-सहभागिता नहीं जुटा सकी) के बाद **बलवंत राय मेहता समिति (1957)** का गठन हुआ। इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए त्रि-स्तरीय पंचायती राज की संस्तुति की।

अ. ऐतिहासिक शुभारंभ (2 अक्टूबर 1959, नागौर):

क. भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री **जवाहरलाल नेहरू** ने 2 अक्टूबर 1959 को **नागौर** (राजस्थान) के बगदरी गांव में देश की **प्रथम त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था** का उद्घाटन किया।

ख. इसके पश्चात 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश ने इस मॉडल को अपनाया।

ग. प्रारंभिक दौर में राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 और राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम, 1959 के तहत संस्थाएं गठित की गईं, किंतु वित्तीय अस्थिरता, नियमित चुनावों का अभाव और प्रशासनिक हस्तक्षेप के कारण इनका क्षरण हुआ।

ब. सुधार समितियाँ और संक्रमण काल:

क. **अशोक मेहता समिति (1977-1978)**: द्वि-स्तरीय व्यवस्था (मंडल पंचायत और जिला परिषद) की संस्तुति।

ख. **जी.वी.के. राव समिति (1985)**: पंचायती राज संस्थाओं को 'बिना जड़ों की घास' (Grass without roots) की संज्ञा देते हुए पुनर्जीवित करने का सुझाव।

ग. **एल.एम. सिंघवी समिति (1986)**: पंचायती राज संस्थाओं को **संवैधानिक दर्जा (Constitutional Status)** देने की सबसे पहली और स्पष्ट राजनैतिक-वैधानिक संस्तुति।

3. 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 और भाग 9 का समावेश

एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिशों तथा राजीव गांधी और नरसिंह राव सरकारों के प्रयासों के परिणामस्वरूप **73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992** पारित हुआ, जो **24 अप्रैल 1993** से संपूर्ण देश में प्रवृत्त हुआ (इसी कारण 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है)।

अ. संविधान में संरचनात्मक परिवर्तन:

क. संविधान में **भाग 9** (अनुच्छेद 243 से 243-ओ) और **ग्यारहवीं अनुसूची (Eleventh Schedule)** जोड़ी गई।

ख. ग्यारहवीं अनुसूची में स्थानीय स्वशासन के सुपुर्द किए गए **29 कार्यकारी विषय** विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

ग. **अनुच्छेद 243-B**: त्रि-स्तरीय पंचायती राज संरचना का अनिवार्य प्रावधान (ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर)। अपवाद: जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, वे मध्यवर्ती (ब्लॉक) स्तर का गठन करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

4. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 और वैधानिक फ्रेमवर्क

73वें संविधान संशोधन के पश्चात राज्यों के लिए एक वर्ष के भीतर अपने विधिनुसार कानून बनाना अनिवार्य था। राजस्थान सरकार ने **राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994** और नियम 1996 प्रख्यापित किए, जो 23 अप्रैल 1994 से लागू हुए।

अ. कानून के मूल सिद्धांत:

क. सत्ता का त्रि-स्तरीय विकेंद्रीकरण, नियमित 5-वर्षीय चुनाव, दुर्बल वर्गों (SC/ST/Women) का आरक्षण और ग्राम सभा की संप्रभुता।

ख. राज्य विधानमंडल को यह शक्ति दी गई कि वह पंचायतों को कर लगाने, शुल्क वसूलने और संचित निधि से अनुदान देने के नियम बनाए।

संशोधन / अधिनियम घटक	संवैधानिक / वैधानिक आधार	प्रमुख अधिकार / प्रावधान
भाग 9 प्रावधान	अनुच्छेद 243 - 243-O	परिभाषाएं, ग्राम सभा, त्रि-स्तरीय गठन, आरक्षण, अवधि
ग्यारहवीं अनुसूची	अनुच्छेद 243-G	29 विषयों पर योजना निर्माण और क्रियान्वयन
राजस्थान अधिनियम 1994	राज्य विधायी अधिनियम	राजस्थान में चुनाव, स्थायी समितियां, वित्तीय अधिकार
ग्राम सभा की स्थिति	अनुच्छेद 243 (b)	ग्रामीण लोकतंत्र की मूल सभा, सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit)

5. तीन-स्तरीय संरचना: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद

राजस्थान में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का पिरामिड ग्राम स्तर से लेकर जिला स्तर तक संगठित है।

अ. प्रथम स्तर: ग्राम पंचायत (Village Panchayat):

क. एक या अधिक गांवों के समूह के लिए गठित।

ख. राजनीतिक प्रमुख: **सरपंच**, जिसका निर्वाचन सीधे मतदाताओं द्वारा होता है (उप-सरपंच का निर्वाचन निर्वाचित वार्ड पंचों द्वारा अपने में से होता है)।

ग. प्रशासनिक अधिकारी: **ग्राम विकास अधिकारी (VDO - Village Development Officer / ग्राम सेवक)**।

ब. द्वितीय स्तर: पंचायत समिति (Block/Intermediate Level):

क. ब्लॉक या तहसील स्तर पर गठित।

ख. संरचना: निर्वाचित वार्ड सदस्य, क्षेत्र के लोकसभा/विधानसभा सदस्य (पदेन सदस्य), और सभी संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंच (पदेन सदस्य)।

ग. राजनीतिक प्रमुख: **प्रधान**, जिसका निर्वाचन निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से होता है (उप-प्रधान निर्वाचित सदस्यों से)।

घ. प्रशासनिक अधिकारी: **विकास अधिकारी (BDO - Block Development Officer)**, जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) कैडर का अधिकारी होता है।

स. तृतीय स्तर: जिला परिषद (District Apex Body):

क. संपूर्ण जिले के ग्रामीण स्तर की शीर्ष निकाय।

ख. संरचना: निर्वाचित जिला परिषद सदस्य, जिले से संबंधित लोकसभा/राज्यसभा सांसद, और सभी पंचायत समितियों के प्रधान (पदेन सदस्य)।

ग. राजनीतिक प्रमुख: **प्रमुख**, जिसका निर्वाचन निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है (उप-प्रमुख निर्वाचित सदस्यों से)।

घ. प्रशासनिक अधिकारी: **मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO - Chief Executive Officer)**, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) या वरिष्ठ RAS कैडर का अधिकारी होता है।

स्तर	भौगोलिक प्रशासनिक इकाई	राजनीतिक प्रमुख	प्रशासनिक प्रमुख	मुख्य कार्यक्षेत्र
ग्राम स्तर	ग्राम पंचायत (वार्ड समूह)	सरपंच (प्रत्यक्ष निर्वाचित)	ग्राम विकास अधिकारी (VDO)	स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, बीपीएल सूची सत्यापन
ब्लॉक स्तर	पंचायत समिति	प्रधान (अप्रत्यक्ष निर्वाचित)	विकास अधिकारी (BDO)	मनरेगा समन्वय, कृषि विस्तार, प्राथमिक विद्यालय भवन
जिला स्तर	जिला परिषद	प्रमुख (अप्रत्यक्ष निर्वाचित)	सीईओ (CEO - IAS/RAS)	जिला योजना निर्माण (DPC), योजनाओं का समेकित मॉनिटरिंग

6. ग्राम सभा (Gram Sabha): ग्रामीण लोकतंत्र की धरातलीय आत्मा

अनुच्छेद 243(b) के अनुसार **ग्राम सभा** वह निकाय है जिसमें किसी ग्राम पंचायत के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत सभी पंजीकृत मतदाता (Voters) शामिल होते हैं।

अ. शक्तियां एवं कार्य:

क. ग्राम पंचायत की वार्षिक आय-व्यय (बजट), लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और विकास योजनाओं की संस्वीकृति।

ख. सामाजिक अंकेक्षण (**Social Audit**), मनरेगा कार्यों का भौतिक सत्यापन और हितग्राहियों (Beneficiaries) का चयन।

ग. अनुसूचित क्षेत्रों (PESA - Panchayat Extension to Scheduled Areas Act, 1996 के तहत राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्र के नियमों के अधीन) में खनिज पट्टों, भूमि अधिग्रहण और ग्राम-संसाधनों पर ग्राम सभा की पूर्व-अनुमति (Consent) सर्वोच्च है।

7. 29 विषय और कार्यात्मक विकेंद्रीकरण (Geleventh Schedule)

ग्यारहवीं अनुसूची में प्रदत्त 29 विषय स्थानीय स्वशासन को वास्तविक स्व-प्रशासित इकाइयां बनाते हैं।

अ. प्रमुख विषय क्षेत्र:

क. कृषि, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, जल-प्रबंधन और पशुपालन।

ख. सामाजिक वानिकी, खादी-ग्रामोद्योग, ग्रामीण आवास, पेयजल, सड़क, पुलिया और संचार साधन।

ग. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण, पुस्तकालय, सांस्कृतिक गतिविधियां, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का पर्यवेक्षण, और स्वास्थ्य एवं स्वच्छता (अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र)।

8. आरक्षण, अर्हताएं एवं कार्यकाल (अनुच्छेद 243D, 243E)

पंचायती राज संस्थाओं में समाज के वंचित तबकों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान है।

अ. आरक्षण व्यवस्था:

क. अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण।

ख. महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर कुल सीटों का **कम से कम एक-तिहाई (33 प्रतिशत)** और अध्यक्ष/प्रमुख पदों पर भी कम से कम 33 प्रतिशत आरक्षण (राजस्थान राज्य ने महिलाओं को स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान वैधानिक रूप से किया है)।

ग. पिछड़े वर्गों (OBC) के लिए राज्य विधिनुसार आरक्षण का प्रावधान।

ब. कार्यकाल एवं विघटन:

क. प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल अपनी प्रथम बैठक की तिथि से **5 वर्ष** होता है।

ख. यदि 5 वर्ष पूर्व विघटन होता है, तो विघटन की तिथि से **6 मास के भीतर** निर्वाचन कराना अनिवार्य है। शेष अवधि के लिए चुनी गई नई पंचायत केवल शेष अवधि तक ही बनी रहती है (यदि शेष अवधि 6 मास से कम हो तो चुनाव आवश्यक नहीं)।

आरक्षण / अर्हता आयाम	संवैधानिक / वैधानिक प्रावधान	व्यावहारिक स्वरूप
न्यूनतम आयु	21 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो	लोकसभा/विधानसभा (25 वर्ष) से भिन्न, स्थानीय राजनीति में युवा प्रवेश
महिला आरक्षण	न्यूनतम 33% (अनुच्छेद 243D)	राजस्थान सहित कई राज्यों में 50% तक प्रावधान
शैक्षणिक योग्यता विवाद	पूर्ववर्ती राज्य वैधानिक प्रयोग (अब शिथिल/संशोधित)	न्यूनतम शैक्षिक अर्हता (आठवीं/दसवीं पास) के प्रयोग और विधिक वाद

कार्यकाल	प्रथम बैठक से 5 वर्ष	समय-समय पर निर्वाचन आयोग द्वारा निश्चित चक्र
----------	----------------------	--

9. राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission - अनुच्छेद 243I / 243Y)

स्थानीय निकायों की वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करता है।

अ. संरचना एवं कार्य:

क. एक अध्यक्ष और राज्यपाल द्वारा नियुक्त अन्य सदस्य (उच्च न्यायालय के न्यायाधीश योग्यता समकक्ष या प्रशासनिक विशेषज्ञ)।

ख. राज्य की संचित निधि से पंचायतों और नगरपालिकाओं के बीच करों, शुल्कों, टोल और फीसों के शुद्ध आगमों के वितरण (Devolution) का सिद्धांत तय करना।

ग. स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए संस्तुति देना।

घ. केंद्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप स्थानीय निकायों को अनुदान हस्तांतरण की मॉनिटरिंग करना।

10. राजस्थान में पंचायती राज के समकालीन आयाम, डिजिटल गवर्नेंस और चुनौतियाँ

समकालीन युग में पंचायती राज केवल कूप-निर्माण और सड़क निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल इंडिया के तहत 'ई-पंचायत', 'ग्राम स्वराज पोर्टल' और 'संपत्ति कार्ड (स्वामित्व योजना)' के जरिए धरातल पर पारदर्शी डिजिटल गवर्नेंस का हिस्सा बन चुका है।

अ. समकालीन चुनौतियाँ:

क. वित्त की निर्भरता: पंचायतों द्वारा अपने स्तर पर कर (Own Source Revenue - OSR) संग्रहण क्षमता का कम होना और राज्य/केंद्र अनुदान पर अत्यधिक निर्भरता।

ख. प्रशासनिक द्वैत: निर्वाचित जनप्रतिनिधियों (सरपंच/प्रधान) और स्थायी नौकरशाही (VDO/BDO) के बीच समन्वय और प्राधिकार का संघर्ष।

ग. सरपंच पति संस्कृति (Sarpanch Pati Culture): महिला आरक्षण के बावजूद वास्तविक निर्णय कई बार पुरुष रिश्तेदारों द्वारा किए जाने की सामाजिक चुनौती, जिसे महिला प्रशिक्षण और वित्तीय साक्षरता से दूर किया जा रहा है।

शासन आयाम	पारंपरिक स्थिति	समकालीन आधुनिक स्वरूप (2020-2026)
-----------	-----------------	-----------------------------------

लेखा एवं भुगतान	भौतिक चेक और मैनुअल रोकड़ बही	PFMS / e-GramSwaraj डिजिटल भुगतान और रियल-टाइम ट्रैकिंग
ग्राम सभा आयोजन	कागजी कोरम और चयनात्मक सूचना	वीडियोग्राफी, डिजिटल एजेंडा प्रसार, सोशल ऑडिट पोर्टल
भूमि मानचित्रण	मैनुअल जरीब और शेज नक्शा	ड्रोन सर्वे, स्वामित्व (SVAMITVS) योजना के जरिए डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड

अध्याय 10: शहरी स्थानीय स्वशासन (74वां संशोधन)

1. शहरी स्थानीय स्वशासन का सैद्धांतिक आधार और नगरीकरण की अनिवार्यता

औद्योगीकरण, आर्थिक विविधीकरण और ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों की ओर पलायन के साथ **शहरी स्थानीय स्वशासन (Urban Local Self-Government)** किसी भी आधुनिक राज्य के विकास का केंद्र बन जाता है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की तुलना में नगरीय प्रशासन को अधिक जटिल बुनियादी ढांचे, जल-आपूर्ति, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, अग्नि सुरक्षा और भू-उपयोग विनियमन की आवश्यकता होती है।

भारतीय संविधान में प्रारंभिक तौर पर नगरीय स्वशासन को राज्य सूची की प्रविष्टि 5 के अधीन छोड़ दिया गया था, जिससे विभिन्न राज्यों में नगरपालिकाओं का स्वरूप, वित्तीय स्वायत्तता और चुनाव की नियमितता असमान थी। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के दूसरे बड़े वैधानिक सोपान के रूप में **74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992** के माध्यम से इसे संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया, जो **1 जून 1993** से प्रवृत्त हुआ।

शासन आयाम	ग्रामीण स्वशासन (73वां संशोधन)	शहरी स्वशासन (74वां संशोधन)
संवैधानिक भाग	भाग 9 (अनुच्छेद 243 से 243-O)	भाग 9-क (अनुच्छेद 243-P से 243-ZG)
संबंधित अनुसूची	ग्यारहवीं अनुसूची (29 विषय)	बारहवीं अनुसूची (18 विषय)

शीर्ष संस्था / निकाय	जिला परिषद / पंचायत समिति / ग्राम पंचायत	नगर निगम / नगर परिषद / नगरपालिका
प्रशासकीय धुरी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) / VDO	आयुक्त (Commissioner) / अधिशासी अधिकारी (EO)

2. 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 और भाग 9-क का ढांचा

74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नया **भाग 9-क** जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 243-P से 243-ZG तक नगरीय निकायों के गठन, संरचना, आरक्षण, शक्तियों और उत्तरदायित्वों का प्रावधान है।

अ. प्रमुख संवैधानिक प्रावधान:

क. **अनुच्छेद 243-Q (नगरपालिकाओं का गठन):** तीन प्रकार के निकायों की व्यवस्था—

- **नगर पंचायत (Nagar Panchayat):** संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए (ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में बदलते इलाके)।
- **नगर परिषद (Municipal Council):** छोटे नगरीय क्षेत्र के लिए।
- **नगर निगम (Municipal Corporation):** बड़े नगरीय क्षेत्र (महानगर) के लिए।

ख. **संरचना:** सभी सीटों पर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा वार्ड सदस्यों का चुनाव। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन के विशेष अनुभव वाले व्यक्तियों (बिना मतदान अधिकार के या राज्य विधिनुसार) को प्रतिनिधित्व देने का उपबंध।

ग. **वार्षिक वित्तीय पुनरावलोकन:** राज्य वित्त आयोग द्वारा नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा।

3. राजस्थान में नगरीय स्थानीय स्वशासन का वर्गीकरण: नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिकाएं

राजस्थान राज्य में जनसंख्या घनत्व, आर्थिक गतिविधि और क्षेत्रीय आकार के आधार पर नगरीय निकायों का त्रि-स्तरीय या त्रि-रूपीय वर्गीकरण किया गया है।

अ. **नगरीय निकायों के प्रकार और मानदंड:**

क. **नगर निगम (Municipal Corporation):** राज्य के बड़े और महानगरों (जैसे जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर आदि) में गठित। कमान भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) या वरिष्ठ प्रशासनिक सेवा के **आयुक्त (Commissioner)** के हाथ में होती है।

ख. **नगर परिषद (Municipal Council):** मध्यम आकार के शहरों या जिला मुख्यालयों (जैसे टोंक, पाली, बारां आदि) में गठित। प्रशासनिक प्रमुख **आयुक्त (Commissioner)** (राज्य प्रशासनिक सेवा कैडर)।

ग. **नगरपालिका (Municipality):** छोटे नगरों, कस्बों या संक्रमणकालीन क्षेत्रों में गठित। प्रशासनिक प्रमुख **अधिशासी अधिकारी (EO - Executive Officer)**।

निकाय प्रकार	जनसंख्या / क्षेत्र प्रकृति	राजनीतिक प्रमुख	प्रशासनिक प्रमुख

नगर निगम	महानगर / वृहद जनसंख्या	महापौर (Mayor)	आयुक्त (IAS / वरिष्ठ RAS)
नगर परिषद	मध्यम नगर / जिला मुख्यालय	सभापति (Chairman)	आयुक्त (RAS कैडर)
नगरपालिका	छोटा कस्बा / संक्रमण क्षेत्र	अध्यक्ष (President)	अधिशाली अधिकारी (EO)

4. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 और उसके प्रमुख वैधानिक प्रावधान

74वें संविधान संशोधन की भावना के अनुरूप राजस्थान में पूर्ववर्ती कानूनों को समेकित करते हुए **राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009** प्रख्यापित किया गया, जो वर्तमान में राज्य के सभी नगरीय निकायों का शासी (Governing) कानून है।

अ. अधिनियम की मुख्य विशेषताएं:

- क. नगरपालिकाओं को संपत्ति कर, विज्ञापन कर, उपयोगकर्ता शुल्क (User Charges) और लाइसेंस फीस लगाने एवं वसूलने के वैधानिक अधिकार।
- ख. वार्ड समितियों (Ward Committees - 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले निकाय क्षेत्रों में) के गठन का प्रावधान, जिससे जमीनी स्तर पर जनभागीदारी बढ़े।
- ग. निर्वाचित पार्षदों और महापौर/सभापति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव (No-confidence Motion) के नियम और समयावधि का विधिक निर्धारण।

ब. सदस्यता अर्हताएं एवं अयोग्यताएं:

- क. न्यूनतम आयु **21 वर्ष** पूर्ण हो चुकी हो।
- ख. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं (जैसे पूर्ववर्ती वैधानिक प्रयोगों में साक्षरता शर्तें, हालांकि वर्तमान विधिक व्यवस्था में संशोधनों के अधीन)।
- ग. दो से अधिक संतान होने संबंधी वैधानिक प्रतिबंध (कुछ विशिष्ट प्रावधानों और संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में)।

5. बारहवीं अनुसूची और नगरीय निकायों के 18 कार्य (अनुच्छेद 243-W)

संविधान की **बारहवीं अनुसूची** में नगरीय निकायों के सुपुर्द किए गए **18 कार्यकारी विषय** विनिर्दिष्ट किए गए हैं, जो शहरों के समग्र विकास और जनसुविधाओं से जुड़े हैं।

अ. 18 प्रमुख विषय क्षेत्र:

- क. नगरीय योजना (Urban planning), नगर भूमि का विनियमन और भवनों का निर्माण विनियमन।
- ख. आर्थिक और सामाजिक विकास की योजनाएं बनाना।

ग. सड़कें और पुल (Roads and bridges), लोक स्वास्थ्य (Public health), स्वच्छता (Sanitation), और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid waste management)।

घ. अग्निशमन सेवाएं (Fire services), नगरीय वानिकी, पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी पहलुओं का संवर्धन।

ङ. समाज के कमजोर वर्गों (दिव्यांग, मानसिक रूप से मंद) के हितों की रक्षा, गंदी बस्ती सुधार (Slum improvement and upgrading), और शहरी गरीबी उपशमन।

च. जन सुविधाएँ (पार्क, खेल के मैदान, सांस्कृतिक केंद्र) और पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण।

कार्य श्रेणी	बारहवीं अनुसूची संदर्भ	व्यावहारिक क्रियान्वयन दायरा
अवस्थापना (Infrastructure)	सड़कें, पुल, जल-आपूर्ति	नागरिक आवागमन और बुनियादी सेवाएं
पर्यावरण एवं स्वच्छता	ठोस अपशिष्ट, फायर सर्विस, वानिकी	हरित शहर, प्रदूषण नियंत्रण, आपदा राहत
सामाजिक कल्याण	गंदी बस्ती सुधार, गरीबी उपशमन	समावेशी शहरी विकास, कमजोर वर्ग सहायता

6. स्मार्ट सिटी मिशन (Smart City Mission) और शहरी विकास योजनाएं

केन्द्र सरकार के **स्मार्ट सिटी मिशन** तथा राजस्थान सरकार की विशिष्ट शहरी कायाकल्प योजनाओं (जैसे राजस्थान अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट - RUIDP, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड, शहरी आवास योजनाएं) ने प्रदेश के शहरों के रूप-रंग को बदला है।

अ. **स्मार्ट सिटी पहल के आयाम:**

क. राजस्थान के चयनित शहर (जैसे जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर) स्मार्ट सिटी के तहत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC), स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट ऑटोमेशन और हेरिटेज संरक्षण से जुड़े हैं।

ख. **क्षेत्र-आधारित विकास (Area-Based Development - ABD)** और **पैन-सिटी (Pan-City)** तकनीकी समाधानों का क्रियान्वयन।

7. आरक्षण, कार्यकाल एवं लोक वित्त (Article 243-Z / State Finance Commission)

नगरीय निकायों में सत्ता का लोकतांत्रिक समावेशन सुनिश्चित करने के लिए संविधान स्पष्ट संरक्षण देता है।

अ. **आरक्षण व्यवस्था (अनुच्छेद 243-Z):**

क. अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए जनसंख्या अनुपात में सीटें आरक्षित।

ख. महिलाओं के लिए सभी वार्डों और अध्यक्ष/महापौर पदों पर **कम से कम एक-तिहाई (33 प्रतिशत)** और राज्य विधि अनुसार विशेष प्रावधान (अक्सर 50 प्रतिशत तक)।

ब. कार्यकाल एवं मध्यावधि चुनाव:

क. प्रथम बैठक से **5 वर्ष** का निश्चित कार्यकाल।

ख. विघटन की स्थिति में 6 मास के भीतर निर्वाचन अनिवार्य। शेष अवधि के लिए गठित निकाय शेष समय तक रहता है।

वित्तीय आयाम	वैधानिक स्रोत	मुख्य कार्य / प्रभाव
राज्य वित्त आयोग	अनुच्छेद 243-Y	संचित निधि से करों के शुद्ध आगमों का नगरपालिकाओं को देवोल्यूशन (Devolution)
अपने स्रोत के कर (OSR)	राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009	गृह कर (Property tax), यूजर चार्ज, लाइसेंस फीस
केंद्र-राज्य अनुदान	15वां वित्त आयोग / शहरी विकास योजनाएं	स्मार्ट सिटी, अमृत (AMRUT), स्वच्छ भारत मिशन फंड आवंटन

8. शहरी स्थानीय स्वशासन में समकालीन चुनौतियाँ, ई-गवर्नेंस और पारदर्शी सेवाएं

तेजी से बढ़ते महानगरों और छोटे कस्बों में शहरी स्थानीय स्वशासन को अनेक संरचनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

अ. प्रमुख चुनौतियाँ:

क. **वित्तीय स्वायत्तता की कमी:** नगर निकाय अपने स्रोत (OSR - Own Source Revenue) से पर्याप्त कर संग्रह करने में असमर्थ रहते हैं और राज्य अनुदान पर निर्भर रहते हैं।

ख. **अर्बन स्प्रैड (Unplanned Urbanization):** मास्टर प्लान की अवहेलना, अनियोजित कॉलोनियां और अवैध निर्माण।

ग. **कचरा प्रबंधन संकट:** ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक निस्तारण और कूड़ा प्रसंस्करण संयंत्रों की सीमित क्षमता।

ब. समकालीन डिजिटल सुधार (2020-2026):

क. **ई-नगरपालिका पोर्टल (e-Municipality / RajCAD Integration):** जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण, भवन मानचित्र स्वीकृति और लाइसेंसिंग का पूरी तरह ऑनलाइन होना।

ख. **रियल-टाइम मॉनिटरिंग:** स्वच्छता ऐप, जीपीएस-ट्रैकड गारबेज वाहन और कमांड सेंटर से यातायात नियंत्रण।

चुनौती आयाम	पारंपरिक स्थिति	समकालीन डिजिटल / प्रशासनिक सुधार (2020-2026)

मानचित्र स्वीकृति (Building Plan)	भौतिक फाइलें, लंबे चक्कर, मानवीय विवेक	ऑटो-डीडी (Auto-DCR) / ऑनलाइन पोर्टल के जरिए त्वरित स्वीकृति
कर भुगतान (Tax Collection)	नकद/चेक काउंटर रसीदें	डिजिटल पेमेंट गेटवे, यूपीआई (UPI), प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन रिबेट
जनशिकायत निवारण	लिखित आवेदन, रजिस्टर प्रविष्टि	मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप चैटबॉट, रियल-टाइम जियो-टैग शिकायत निवारण

9. प्रशासनिक नियंत्रण, संवीक्षा और लोकपाल/लोकायुक्त जैसी संस्थाएं

नगरपालिकाओं पर राज्य सरकार का प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण होता है, ताकि वैधानिक नियमों का उल्लंघन न हो।

अ. नियंत्रण के रूप:

क. राज्य सरकार द्वारा नियमों की अधिसूचना, निरीक्षण और किसी प्रस्ताव के निलंबन/निरस्तीकरण की शक्ति (जब वह लोकहित या कानून के विरुद्ध हो)।

ख. लेखा परीक्षा (Audit): राज्य के महालेखाकार (AG) और स्थानीय निधि लेखापरीक्षा (Local Fund Audit) विभाग द्वारा वार्षिक वित्तीय ऑडिट।

10. भविष्य की दृष्टि: समेकित महानगर नियोजन और सतत शहरीकरण (Sustainable Urbanization)

नगरीय स्थानीय स्वशासन का भविष्य पारंपरिक 'सफाई और प्रकाश व्यवस्था' से आगे बढ़कर 'क्लाइमेट-रेसिलिएंट सिटीज' (Climate-resilient cities) और सर्कुलर इकोनॉमी की ओर अग्रसर है।

अ. निष्कर्ष एवं वैचारिक दृष्टि:

क. 74वें संशोधन की मूल भावना तब तक अधूरी है जब तक जिला योजना समिति (DPC - District Planning Committee) और महानगर योजना समिति (MPC - Metropolitan Planning Committee) को वास्तविक वित्तीय और वैधानिक अधिकार नहीं मिल जाते।

ख. राजस्थान के नगर निगमों और नगरपालिकाओं को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेटिव गवर्नेंस, जनभागीदारी और वित्तीय स्वायत्तता के त्रिकोण पर खरा उतरते हुए सतत विकास लक्ष्यों (SDGs - विशेषकर SDG 11: Sustainable Cities and Communities) को प्राप्त करना होगा।

अध्याय 11: राजस्थान पुलिस प्रशासन

1. राज्य पुलिस प्रशासन का संवैधानिक और वैधानिक आधार

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत **राज्य सूची (List II, प्रविष्टि 2)** का विषय होने के कारण 'पुलिस' राज्य सरकार का प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व है। राज्य स्तर पर लोक-व्यवस्था (Public Order) बनाए रखने, अपराध की रोकथाम, अन्वेषण और कानून के शासन (Rule of Law) को सुरक्षित रखने की संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य पुलिस प्रशासन की होती है।

ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय पुलिस अधिनियम, **1861 (Police Act, 1861)** आज भी देश के अधिकांश राज्यों में पुलिस बल के संगठन और अनुशासन का वैधानिक आधार है, हालांकि समय-समय पर राज्य विशिष्ट अधिनियमों और मॉडल पुलिस अधिनियमों के प्रावधानों को समायोजित किया गया है। राजस्थान राज्य में पुलिस प्रशासन गृह विभाग (**Home Department**) के प्रशासनिक नियंत्रण और पुलिस महानिदेशक (**DGP**) के ऑपरेशनल नेतृत्व में संचालित होता है।

शासन आयाम	संवैधानिक / वैधानिक आधार	प्राथमिक उत्तरदायित्व
विधान विषयक अधिकार	संविधान की सातवीं अनुसूची, राज्य सूची, प्रविष्टि 2	लोक-व्यवस्था एवं पुलिस बल का गठन
वैधानिक संचालन	पुलिस अधिनियम, 1861 एवं राज्य पुलिस नियम	बल अनुशासन, वर्दी, ड्यूटी, दंड प्रावधान
प्रशासनिक नियंत्रण	राज्य गृह विभाग (शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव)	नीतिगत मंजूरी, बजट, कैडर प्रबंधन
ऑपरेशनल कमान	पुलिस महानिदेशक (DGP)	अपराध नियंत्रण, विधि-व्यवस्था, बल तैनाती

2. राज्य पुलिस का ढांचा: डीजीपी (DGP) से आरक्षी (Constable) स्तर तक

राजस्थान पुलिस बल का पदानुक्रमिक पिरामिड शीर्ष पर महानिदेशक से लेकर धरातल पर आरक्षी तक सुव्यवस्थित रूप से विभाजित है। भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारी उच्च प्रबंधकीय पदों पर होते हैं, जबकि राज्य पुलिस सेवा (RPS) और अधीनस्थ बल मैदानी कमान संभालते हैं।

अ. शीर्ष प्रबंधकीय एवं कमान स्तर (IPS Cadre):

क. **पुलिस महानिदेशक (DGP - Director General of Police)**: राज्य पुलिस बल का सर्वोच्च मुखिया।

ख. **अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP) / पुलिस महानिरीक्षक (IGP)**: विभिन्न शाखाओं (इंटेलिजेंस, सीआईडी-सीबी, कानून-व्यवस्था, प्रशिक्षण) या रेंजों के प्रमुख।

ग. **पुलिस उप-महानिरीक्षक (DIG)**: पुलिस रेंजों (Ranges) के प्रशासनिक और पर्यवेक्षणीय प्रमुख।

ब. जिला एवं मैदानी कमान:

क. पुलिस अधीक्षक (SP - Superintendent of Police): जिले का पुलिस प्रमुख (IAS/IPS/RPS संवर्ग)। गंभीर जिलों में सीनियर एसपी/एसपी।

ख. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (Addl. SP) / पुलिस उप-अधीक्षक (DSP / ASP): सर्किल (Circle) या विशिष्ट इकाइयों के प्रभारी।

ग. निरीक्षक (Inspector / SHO - Station House Officer): पुलिस थाने के प्रभारी।

घ. उप-निरीक्षक (SI - Sub-Inspector) / सहायक उप-निरीक्षक (ASI): अनुसंधान (Investigation) और थाने के दैनिक कार्यों के सह-प्रभारी।

ङ. मुख्य आरक्षी (Head Constable) / आरक्षी (Constable): धरातलीय बीट पुलिसिंग (Beat Policing), गश्त, भीड़ नियंत्रण और प्रथम सूचना संप्रेषण की धुरी।

पदानुक्रम स्तर	पदनाम / रैंक	मुख्य प्रशासनिक / ऑपरेशनल दायरा
शीर्ष स्तर	पुलिस महानिदेशक (DGP)	संपूर्ण राज्य पुलिस बल का नियंत्रण एवं नीति निर्देशन
रेंज स्तर	आईजीपी / डीआईजी (IGP / DIG)	बहु-जिला रेंज का प्रशासनिक एवं अपराध पर्यवेक्षण
जिला स्तर	पुलिस अधीक्षक (SP)	जिले में विधि-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, बल अनुशासन
वृत्त स्तर	पुलिस उप-अधीक्षक (DSP / Circle Officer)	पुलिस उप-विभागीय थानों का पर्यवेक्षण
थाना स्तर	निरीक्षक (SHO) / उप-निरीक्षक (SI)	प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR), अन्वेषण, स्थानीय शांति
धरातलीय स्तर	मुख्य आरक्षी एवं आरक्षी (Constable)	गश्त, बीट ड्यूटी, यातायात, सुरक्षा गार्ड

3. पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली (Commissionerate System): जयपुर एवं जोधपुर

बढ़ते महानगरों, तेजी से विकसित होते शहरी घनत्व, जटिल यातायात और त्वरित निर्णय की आवश्यकता के दृष्टिगत पारंपरिक जिला मजिस्ट्रेट-एसपी समन्वय मॉडल से आगे बढ़कर महानगरों में **पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली** लागू की गई है।

अ. राजस्थान में स्थापना:

क. राजस्थान में **जयपुर** और **ज जोधपुर** महानगरों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू है।

ख. इस प्रणाली में पुलिस आयुक्त (**Commissioner of Police - CP**, एडीजीपी या आईजी रैंक के अधिकारी) को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और विशिष्ट पुलिस अधिनियमों के तहत कई मजिस्ट्रेटियल शक्तियां (जैसे निषेधाज्ञा, हथियार लाइसेंसिंग या निवारक नजरबंदी के कुछ विशिष्ट अधिकार) प्रदत्त होती हैं।

ब. संरचना एवं कार्यपद्धति:

क. कमिश्नरेट क्षेत्र को जोन (Zones) और सर्किल्स में बांटा जाता है, जिनकी कमान डीसीपी (DCP - Deputy Commissioner of Police, एसपी रैंक) के पास होती है।

ख. त्वरित दंगा नियंत्रण, संगठित अपराध (Organized Crime) पर अंकुश, और हाई-टेक ट्रैफिक मैनेजमेंट में कमिश्नरेट प्रणाली अधिक प्रभावी मानी जाती है।

तुलनात्मक आयाम	पारंपरिक जिला पुलिस SP मॉडल (District SP Model)	पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली (Commissionerated Jaipur/Jodhpur)
सर्वोच्च अधिकारी	पुलिस अधीक्षक (SP) समन्वय में DM की भूमिका प्रमुख	पुलिस कमिश्नर (CP - ADG/IG रैंक) स्वतंत्र कमान
मजिस्ट्रेटियल शक्ति	अधिकांश निरोधात्मक आदेश DM/SDM के स्तर पर	कई पुलिस-सम्बद्ध निवारक/शांति शक्तियां CP के पास समाहित
निर्णय गति	पत्राचार और जिला प्रशासन के साथ तालमेल में समय-सापेक्ष	त्वरित ऑपरेशनल डिजीजन मेकिंग, कम लेयर्स

4. राजस्थान पुलिस की विशेष शाखाएं एवं इकाइयाँ

जटिल अपराधों, आर्थिक घोटालों, आतंकवाद विरोध और खुफिया तंत्र के लिए पुलिस मुख्यालय के अधीन विशिष्ट विंग कार्य करती हैं।

अ. प्रमुख विशेष शाखाएं:

क. **सीआईडी-सीबी (CID-CB - Crime Branch)**: गंभीर, सनसनीखेज और अंतर-जिला आपराधिक मामलों का विशेष अन्वेषण।

ख. **इंटेलिजेंस विंग (Intelligence Wing)**: आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद-विरोधी सूचना संकलन और सामरिक गुप्तचर सेवा।

ग. **एसीबी (ACB - Anti-Corruption Bureau)**: लोक सेवकों और विभागों में भ्रष्टाचार ट्रैप एवं अन्वेषण (स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई के रूप में निकट समन्वय)।

घ. **एसओजी (SOG - Special Operations Group)**: संगठित अपराध, माफिया, नकली नोट रैकेट और प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता भंग करने वाले गिरोहों पर कार्रवाई।

ङ. **राजस्थान पुलिस अकादमी (RPA, जयपुर)**: आरपीएस, उप-निरीक्षकों और बल का प्रशिक्षण केंद्र।

5. पुलिस सुधार (Police Reforms): ऐतिहासिक समितियाँ एवं उच्चतम न्यायालय के निर्देश

पुलिस बल को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त कराने, मानवाधिकारों की रक्षा और पेशेवर दक्षता बढ़ाने के लिए देश भर में पुलिस सुधार वैचारिक एवं न्यायिक केंद्र में रहे हैं।

अ. **प्रमुख समितियाँ एवं आयोग:**

क. **राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977-1981)**: पुलिस स्वतंत्रता, दक्षता और उत्तरदायित्व पर व्यापक संस्तुतियाँ।

ख. **प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ वाद (2006, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय)**: पुलिस सुधार के 7 निर्देशक निर्देश जारी किए गए—

- डीजीपी का चयन यूपीएससी/समिति के पैनल से और न्यूनतम निश्चित कार्यकाल (Fixed Tenure)।
- पुलिस स्थापना बोर्ड (Police Establishment Board) का गठन (स्थानांतरण/पोस्टिंग में राजनीतिक हस्तक्षेप समाप्त)।
- राज्य सुरक्षा आयोग (State Security Commission) का गठन।
- पुलिस शिकायत प्राधिकारी (Police Complaints Authority) का गठन।
- अन्वेषण (Investigation) को कानून-व्यवस्था (Law & Order) से अलग करना।

प्रकाश सिंह वाद निर्देश (2006)	मूल उद्देश्य	व्यावहारिक स्थिति / चुनौतियाँ
डीजीपी का निश्चित कार्यकाल	राजनीतिक दबाव से मुक्ति, दीर्घकालिक नीति	राज्यों द्वारा विभिन्न विधिनुसार आंशिक अनुपालना
पुलिस स्थापना बोर्ड	पारदर्शी तबादले एवं पदस्थापन	कैडर नियमों के तहत लागू, राजनीतिक प्रभाव सीमित करने का प्रयास
स्वतंत्र शिकायत प्राधिकारी	पुलिस बल के विरुद्ध मानवाधिकार/कमीशन शिकायतों की जाँच	अर्ध-न्यायिक निकायों के रूप में कार्यरत

6. साइबर क्राइम सेल और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर

डिजिटल भुगतान, सोशल मीडिया अपराध, ऑनलाइन फ्रॉड और एआई-जनित साइबर खतरों के युग में राजस्थान पुलिस ने साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता दी है।

अ. संस्थागत तंत्र:

क. पुलिस मुख्यालय स्तर पर **साइबर क्राइम सेल (Cyber Crime Cell)** एवं **साइबर फॉरेंसिक लैब** की स्थापना।

ख. राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (**NCRP - 1930 हेल्पलाइन**) के साथ रियल-TIME इंटीग्रेशन, जिससे वित्तीय धोखाधड़ी (Financial Fraud) के मामलों में 'गोल्डन ऑवर' (Golden Hour) के भीतर राशि प्रीज कराई जाती है।

ग. ज़िला और थाना स्तर पर साइबर हेल्पडेस्क (Cyber Helpdesk) का गठन।

7. सामुदायिक पुलिसिंग (Community Policing) मॉडल और जन-संवाद

पुलिस और जनता के बीच की पारंपरिक दूरी को पाटने और अपराध की रोकथाम में जन-सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक पुलिसिंग को अपनाया गया है।

अ. प्रमुख मॉडल एवं पहल:

क. **मित्र पुलिस / सुरक्षा सखी (Suraksha Sakhi)**: महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा तथा ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में जन-जागरूकता के लिए महिला वालंटियर्स का नेटवर्क।

ख. **ग्राम रक्षक योजना**: ग्रामीण स्तर पर स्थानीय निवासियों को अपराध सूचना संकलन और सामंजस्य से जोड़ना।

ग. **सक्रिय जन-संवाद**: सोशल मीडिया हैंडल, जनसुनवाई और सी-विजिल जैसी डिजिटल माध्यमों से पुलिस-नागरिक पारदर्शिता।

सामुदायिक मॉडल	वैचारिक आधार	मैदानी भूमिका
सुरक्षा सखी	महिला सुरक्षा एवं सशक्तीकरण	स्कूलों, कॉलेजों, बस्तियों में परामर्श और सूचना साझा करना
ग्राम रक्षक	ग्रामीण बीट इंटेलिजेंस	स्थानीय स्तर पर आपराधिक गतिविधियों की समय पर सूचना
जन-सहयोग बैठकें	सौहार्द और निवारण	त्यौहारों, आयोजनों और सांप्रदायिक शांति में सहभागिता

8. पुलिस-न्यायपालिका अंतर्संबंध, एफआईआर (FIR) और अन्वेषण शुचिता

आपराधिक न्याय प्रणाली (Criminal Justice System - CJS) में पुलिस प्रथम कड़ी है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के प्रावधानों के तहत शून्य एफआईआर (Zero FIR), इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलन और ई-साक्ष्य (e-Sakshya) पोर्टल के अनिवार्य उपयोग ने पुलिस अनुसंधान की प्रकृति बदल दी है।

अ. अनिवार्य प्रक्रियागत आयाम:

क. संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) में सूचना मिलने पर एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य (ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाद के अनुरूप)।

ख. वीडियोग्राफी और डिजिटल पंचनामा के माध्यम से अन्वेषण की पारदर्शिता बढ़ाना।

ग. कोर्ट में चालान (Charge sheet) का समयबद्ध निस्तारण।

9. महिला एवं बाल सुरक्षा, एएचटीयू (AHTU) और विशेष अदालत समन्वय

महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष इकाइयाँ कार्यरत हैं।

अ. संस्थागत तंत्र:

क. एंटी ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट (AHTU - मानव तस्करी रोधी इकाई): प्रत्येक जिले में मानव तस्करी, बाल श्रम और महिलाओं के अवैध व्यापार की रोकथाम।

ख. महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र (Mahila Suraksha Evam Salah Kendra - MSSK): परामर्श और घरेलू विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान।

ग. पोक्सो (POCSO) मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए विशेष पुलिस इन्वेस्टिगेशन सेल।

10. समकालीन चुनौतियाँ, पुलिस आधुनिकीकरण (Modernization) और भविष्य की दृष्टि

समकालीन पुलिसिंग के समक्ष संगठित साइबर सिंडिकेट, सीमावर्ती अवैध तस्करी, सोशल मीडिया हेट स्पीच और पुलिस बल पर मानसिक दबाव (Stress Management) जैसी चुनौतियाँ हैं।

अ. निष्कर्ष एवं भावी दृष्टि:

क. पुलिस आधुनिकीकरण योजना (Modernization of Police Forces - MPF) के तहत बॉडी वॉर्न कैमरे (Body-worn cameras), ड्रोन सर्विलांस, एआई-आधारित क्रिमिनल रिकग्निशन सिस्टम (AFIS / CCTNS इंटीग्रेशन) को अपनाया जा रहा है।

ख. राजस्थान पुलिस का भविष्य 'स्मार्ट पुलिसिंग' (Strict and Sensitive, Modern and Mobile, Alert and Accountable, Reliable and Responsive) के सिद्धांतों पर टिके होने के साथ-साथ जन-विश्वास और मानवाधिकार संरक्षण का समेकित प्रतिमान है।

wincompete

अध्याय 12: राज्य लोक सेवा आयोग (संवैधानिक अभिकरण संदर्भ)

1. संवैधानिक अवस्थिति और लोक सेवा आयोगों का दार्शनिक आधार

भारतीय संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों (Public Service Commissions) का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 315 यह उपबंधित करता है कि संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। किसी राज्य में निष्पक्ष, मेधावी (Merit-based) और राजनीतिक रूप से तटस्थ स्थायी सिविल सेवा के चयन के लिए राज्य लोक सेवा आयोग को **संवैधानिक अभिकरण (Constitutional Agency)** के रूप में स्थापित किया गया है।

प्रशासनिक दक्षता की रीढ़ स्थायी सिविल सेवा होती है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में राजनैतिक कार्यपालिका के नीतिगत निर्देशों को धरातल पर उतारने वाले प्रशासकों का चयन तटस्थता और योग्यता के आधार पर हो, इसके लिए संविधान निर्माताओं ने ब्रिटिश कालीन सिविल सेवा बोर्डों की परंपरा को परिष्कृत कर सांविधिक-संवैधानिक स्वतंत्रता प्रदान की।

संवैधानिक आयाम	संबंधित अनुच्छेद	वैधानिक एवं प्रशासनिक स्वरूप
आयोग का गठन	अनुच्छेद 315	प्रत्येक राज्य के लिए स्वतंत्र लोक सेवा आयोग
नियुक्ति एवं पदावधि	अनुच्छेद 316	राज्यपाल द्वारा नियुक्ति, 6 वर्ष या 62 वर्ष आयु सीमा
निष्कासन / पदमुक्ति	अनुच्छेद 317	केवल राष्ट्रपति द्वारा (सुप्रीम कोर्ट जांच उपरांत)
स्वतंत्रता के प्रावधान	अनुच्छेद 318-322	सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं, स्वतंत्र व्यय

2. संरचना, चयन एवं नियुक्ति प्रक्रिया (अनुच्छेद 316)

राज्य लोक सेवा आयोग की संरचना और सदस्यों की संख्या का निर्धारण संविधान में कठोर रूप से संख्यात्मक रूप में तय नहीं किया गया है, बल्कि यह राज्यपाल के विवेक पर छोड़ा गया है, हालांकि व्यावहारिक रूप से एक अध्यक्ष और निर्धारित संख्या में सदस्य होते हैं।

अ. संरचनात्मक स्वरूप:

क. आयोग का एक **अध्यक्ष** और राज्य के राज्यपाल द्वारा अवधारित अन्य सदस्य होते हैं (सामान्यतः राज्य आयोगों में 1 अध्यक्ष और 4 से 6 सदस्य होते हैं)।

ख. संविधान के अनुसार, आयोग के **आधे सदस्यों** के पास कम से कम **10 वर्ष का भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन न्यायिक पद** का अनुभव होना आवश्यक है।

ब. नियुक्ति प्रक्रिया:

क. राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति **राज्य के राज्यपाल** द्वारा की जाती है।

ख. यद्यपि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख हैं, किंतु व्यावहारिक रूप से यह नियुक्ति **मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की संस्तुति** से होती है।

सेवा आयाम	संवैधानिक अनुच्छेद	वैधानिक / प्रक्रियागत मानक
नियुक्ति प्राधिकारी	अनुच्छेद 316 (1)	राज्य का राज्यपाल
पदावधि (Tenure)	अनुच्छेद 316 (2)	6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो)
पुनर्नियुक्ति प्रतिबंध	अनुच्छेद 316 (3)	आयोग के सदस्य/अध्यक्ष अपने उसी पद पर पुनर्नियुक्त नहीं हो सकते (संघ आयोग अध्यक्ष या अन्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष बन सकते हैं)

3. पदमुक्ति, निलंबन और निष्कासन प्रक्रिया (अनुच्छेद 317)

लोक सेवा आयोग के सदस्यों की स्वायत्तता को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें राज्य सरकार या राज्यपाल द्वारा सामान्य आदेश से नहीं हटाया जा सकता। निष्कासन की शक्ति केवल **राष्ट्रपति** के पास है।

अ. राष्ट्रपति द्वारा निष्कासन के आधार (अनुच्छेद 317(1) और (3)):

क. साबित कदाचार (**Proven Misbehaviour or Incapacity**)।

ख. दिवालिया घोषित होना, अपनी पदावधि के दौरान किसी अन्य लाभ के पद में संलग्न होना, या शारीरिक/मानसिक असमर्थता।

ब. जांच प्रक्रिया की अनिवार्यता:

क. यदि कदाचार का आरोप है, तो राज्यपाल या राष्ट्रपति सीधे नहीं हटा सकते; मामले को **उच्चतम न्यायालय (Supreme Court)** को जांच के लिए निर्देशित किया जाता है।

ख. उच्चतम न्यायालय यदि जांच में कदाचार को सिद्ध (Sustained) मानता है, तो राष्ट्रपति को निष्कासन का आदेश देना **बाध्यकारी** होता है।

ग. **निलंबन शक्ति (अनुच्छेद 317(2)):** राष्ट्रपति (राज्य आयोग के संदर्भ में) कदाचार की जांच लंबित रहने तक उस सदस्य या अध्यक्ष को **निलंबित (Suspend)** कर सकता है।

4. कार्य और कृत्यों का दायरा (अनुच्छेद 320)

राज्य लोक सेवा आयोग राज्य के प्रशासनिक संवर्गों की भर्ती और कार्मिक नीतियों में सलाहकार और चयन निकाय के रूप में कार्य करता है।

अ. प्रमुख कृत्य:

क. **सिविल सेवा भर्ती परीक्षाएँ:** राज्य प्रशासनिक सेवा (RAS), पुलिस सेवा (RPS) और अन्य प्रांतीय राज्य सेवाओं के लिए सीधी भर्ती परीक्षाएं आयोजित करना।

ख. **परामर्श अधिकार:** सिविल सेवाओं में नियुक्तियों की पद्धतियों, पदोन्नति (Promotion) के सिद्धांतों, एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण (Transfer/Deputation) पर परामर्श देना।

ग. **अनुशासनात्मक मामले:** लोक सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई (Disciplinary Proceedings), पेंशन लाभ रोकने या क्षतिकारक दंडात्मक मामलों में सरकार द्वारा परामर्श मांगा जाना।

ब. **परामर्श की प्रकृति:**

क. अनुच्छेद 320 के तहत दिए गए परामर्श सलाहकारी (Advisory) प्रकृति के होते हैं, किंतु व्यावहारिक और नैतिक रूप से सरकार इनसे विचलित होने पर विधानमंडल के समक्ष कारण रखती है (हालांकि न्यायिक समीक्षा के दायरे में भी आते हैं)।

कार्य श्रेणी	संवैधानिक संदर्भ	प्रकृति / अधिकार क्षेत्र
सीधी भर्ती	अनुच्छेद 320 (1)	परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से मेधावी चयन
पदोन्नति डीपीसी	अनुच्छेद 320 (3)(b)	विभागीय पदोन्नति समितियों (DPC) में आयोग प्रतिनिधित्व
अनुशासनात्मक अपील	अनुच्छेद 320 (3)(c)	सरकारी सेवकों के दंड/अपील पर विधिक परामर्श

5. स्वतंत्रता और स्वायत्तता के वैधानिक रक्षक (अनुच्छेद 318, 321, 322)

संविधान ने लोक सेवा आयोगों को कार्यकारी हस्तक्षेप से बचाने के लिए वित्तीय और प्रशासनिक सुरक्षा दी है।

अ. **स्वायत्तता के स्तंभ:**

क. **सेवा शर्तों का संरक्षण (अनुच्छेद 318):** नियुक्ति के पश्चात सदस्य/अध्यक्ष की सेवा शर्तों में उनके अलाभकारी परिवर्तन (Disadvantageous change) नहीं किया जा सकता।

ख. **व्यय की भारित प्रकृति (Charged Expenditure - अनुच्छेद 322):** राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों/अध्यक्ष के वेतन, भत्ते और पेंशन राज्य की संचित निधि पर भारित (Charged upon Consolidated Fund) होते हैं, जिन पर विधान सभा में मतदान नहीं होता (डिस्कशन संभव है)।

ग. **अतिरिक्त कृत्यों का अर्पण (अनुच्छेद 321):** राज्य विधानमंडल विधि द्वारा किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम की सेवाओं के लिए भी आयोग को दायित्व सौंप सकता है।

6. वार्षिक प्रतिवेदन और विधानमंडल के प्रति उत्तरदायित्व (अनुच्छेद 323)

लोक सेवा आयोग की लोकतांत्रिक जवाबदेही पारदर्शिता के माध्यम से सुनिश्चित होती है।

अ. प्रतिवेदन प्रक्रिया:

क. राज्य लोक सेवा आयोग प्रत्येक वर्ष अपने कृत्यों का **वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत** करता है।

ख. राज्यपाल उस प्रतिवेदन को राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है, साथ ही उन मामलों का विवरण भी रखवाता है जिनमें आयोग की सलाह नहीं मानी गई और उसका कारण क्या था।

7. लोक सेवा आयोगों की सीमाएं और अपवाद (अनुच्छेद 320(4))

संविधान ने कुछ मामलों को आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा है।

अ. अपवाद क्षेत्र:

क. अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST) और पिछड़े वर्गों के लिए पदों के आरक्षण (Reservation) के प्रावधान करने या उनकी प्रतिशतता तय करने का मामला आयोग के अधिकार क्षेत्र में अनिवार्य परामर्श का विषय नहीं है (यह नीतिगत निर्णय कार्यपालिका/विधानमंडल का है)।

ख. अल्पकालिक या संविदा (Contractual) नियुक्तियाँ (सामान्यतः विशिष्ट अवधि हेतु)।

8. राजस्थान लोक सेवा आयोग: ऐतिहासिक संदर्भ, गठन और मुख्यालय

राजस्थान राज्य में एकीकृतीकरण के उपरान्त प्रशासनिक सेवाओं में एकरूपता और मेधावी चयन के लिए प्रांतीय आयोग का गठन हुआ।

अ. स्थापना एवं संरचना:

क. राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की स्थापना **20 अगस्त 1949** को अध्यादेश के जरिए की गई थी (संवैधानिक प्रावधान लागू होने के पश्चात इसे अनुच्छेद 315 के तहत मान्यता मिली)।

ख. राज्य पुनर्गठन के पश्चात सत्यनारायण राव समिति की संस्तुति के अनुरूप RPSC का **मुख्य कार्यालय अजमेर** में स्थापित किया गया (जो वर्तमान में भी अजमेर में स्थित है)।

ग. प्रथम अध्यक्ष एस.के. घोष थे।

प्रशासनिक आयाम	विवरण / तथ्यात्मक मानक
स्थापना तिथि	20 अगस्त 1949
मुख्यालय	अजमेर, राजस्थान
प्रथम अध्यक्ष	एस.के. घोष
संरचना	1 अध्यक्ष + निर्धारित सदस्य (सामान्यतः 6-7 सदस्य कैडर)

9. परीक्षा शुचिता, सुधार समितियाँ और समकालीन प्रशासनिक चुनौतियाँ

समकालीन युग में प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता, पेपर लीक संकट, ट्रांसपेरेंसी और एआई-आधारित डिजिटल इवेल्यूएशन RPSC के समक्ष बड़ी चुनौतियाँ हैं।

अ. सुधार एवं वैधानिक हस्तक्षेप:

क. एसओजी (SOG) और एंटी-चीटिंग कानून: प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए कठोर दंडात्मक राज्य अधिनियम (सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम)।

ख. पारदर्शी चयन प्रक्रिया: बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी सर्विलांस, ई-लर्निंग, ओटीआर (One Time Registration) प्रणाली और वन-टैब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना।

ग. प्रशासनिक सुधार आयोगों (ARC) की संस्तुतियों के अनुरूप साक्षात्कार (Interview) के अंकों के भारांक को युक्तिसंगत बनाना ताकि पक्षपात की गुंजाइश न्यूनतम हो सके।

10. तुलनात्मक अध्ययन: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) बनाम राज्य लोक सेवा आयोग (RPSC)

संघ और राज्य स्तरीय संवैधानिक आयोगों की संरचना और शक्तियों में वैधानिक समानता के बावजूद कार्यक्षेत्र में अंतर है।

तुलनात्मक आधार	संघ लोक सेवा आयोग (UPSC - अनुच्छेद 315)	राज्य लोक सेवा आयोग (RPSC - अनुच्छेद 315)
नियुक्ति प्राधिकारी	भारत के राष्ट्रपति	राज्य के राज्यपाल
निष्कासन शक्ति	राष्ट्रपति (सर्वोच्च न्यायालय जांच उपरांत)	राष्ट्रपति (राज्यपाल नहीं हटा सकता, जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा)
सेवानिवृत्ति आयु	65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष कार्यकाल	62 वर्ष की आयु या 6 वर्ष कार्यकाल
अधिकार क्षेत्र	अखिल भारतीय सेवाएं (IAS, IPS) एवं केंद्रीय सेवाएं	प्रांतीय राज्य सेवाएं (RAS, RPS) एवं अधीनस्थ सेवा संवर्ग
वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुति	राष्ट्रपति को (जो संसद के पटल पर रखी जाती है)	राज्यपाल को (जो राज्य विधानमंडल के पटल पर रखी जाती है)

अध्याय 13: राज्य मानवाधिकार आयोग (संवैधानिक-सांविधिक अभिकरण)

1. मानवाधिकारों की संकल्पना और राष्ट्रीय-राज्यीय सुरक्षा का दार्शनिक आधार

मानवाधिकार (Human Rights) वे न्यूनतम अपरिहार्य अधिकार हैं जो मानव को केवल मानव होने के नाते गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक होते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 (मौलिक अधिकार) और भाग 4 (राज्य के नीति-निर्देशक तत्व) इन अधिकारों की अंतर्निहित रक्षा करते हैं। तथापि, कार्यपालिका या पुलिस तंत्र के द्वारा मानवाधिकारों के हनन (जैसे हिरासत में हिंसा, अवैध निरोध, टॉर्चर, या लोक-प्रशासन में उपेक्षा) के विरुद्ध प्रभावी निवारण हेतु वैधानिक सुरक्षा की आवश्यकता महसूस की गई।

संयुक्त राष्ट्र की **पेरिस सिद्धांतों (Paris Principles - 1991)** की अनुपालना में भारत की संसद ने **मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (Protection of Human Rights Act, 1993 - PHRA 1993)** अधिनियमित किया। यह अधिनियम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के साथ-साथ राज्यों में **राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC)** के गठन का सांविधिक प्रावधान करता है।

शासन स्तर	मानवाधिकार निकाय	सांविधिक / वैधानिक आधार	अधिकार क्षेत्र दायरा
राष्ट्रीय स्तर	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)	मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993	संघ सूची व समवर्ती सूची / राष्ट्रीय व्यापक मामले
राज्य स्तर	राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC)	PHRA 1993 (धारा 21)	राज्य सूची (प्रविष्टि 1 व 2) एवं समवर्ती सूची के विषय

2. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 और उसके प्रमुख ऐतिहासिक संशोधन (2006 व 2019)

PHRA 1993 समय के साथ बदलती प्रशासनिक वास्तविकताओं और मानवाधिकारों के व्यापक दायरे को समाहित करने के लिए संशोधित किया गया है।

अ. 2006 का संशोधन अधिनियम:

क. मानवाधिकार न्यायालयों (Human Rights Courts) के गठन को अधिक स्पष्ट किया गया।

ख. राष्ट्रीय और राज्य आयोगों की अन्वेषण शाखा (Investigation Division) के गठन और महा निदेशक/पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारियों के प्रतिनियुक्ति प्रावधानों को सुदृढ़ किया गया।

ग. आयोग के सदस्यों की चयन समिति की व्यापकता में सुधार।

ब. 2019 का संशोधन अधिनियम:

क. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में **उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायमूर्ति के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश** को भी नियुक्त करने का विकल्प जोड़ा गया।

ख. सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई तथा महिलाओं और मानवाधिकारों के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले सदस्यों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया गया।

ग. राज्य मानवाधिकार आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की **पदावधि 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष** (या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो) कर दी गई, और उनकी पुनर्नियुक्ति की पात्रता स्पष्ट की गई।

संशोधन वर्ष	प्रमुख विधिक परिवर्तन / प्रभाव
2006 संशोधन	अन्वेषण विंग को सुदृढ़ता, मानवाधिकार न्यायालयों की स्पष्ट प्रक्रिया
2019 संशोधन	पदावधि 5 से घटाकर 3 वर्ष, सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की पात्रता का विस्तार, विविधता और विशेषज्ञता को प्राथमिकता

3. राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC): गठन और मुख्यालय

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 21 के अंतर्गत राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन करती है।

अ. स्थापना एवं संरचना:

क. राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन **18 जनवरी 1999** को अधिसूचना के माध्यम से किया गया और मार्च 2000 से इसने प्रभावी रूप से कार्य करना प्रारंभ किया।

ख. आयोग का **मुख्य कार्यालय जयपुर** में स्थित है।

ग. **संरचना:** 2019 के संशोधन के पश्चात, आयोग में **1 अध्यक्ष** और **2 सदस्य** होते हैं (पूर्व में अध्यक्ष + 4 सदस्य थे, जिसे बाद में युक्तिसंगत बनाया गया)।

4. अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यताएँ, चयन समिति और नियुक्ति

आयोग के सदस्यों की गरिमा और तटस्थता बनाए रखने के लिए उच्च न्यायिक और मानवाधिकार विशेषज्ञता के मापदंड तय किए गए हैं।

अ. योग्यताएँ (धारा 22):

क. **अध्यक्ष:** किसी **उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश** (वर्तमान संशोधित प्रावधानों के अनुसार सेवानिवृत्त या सेवारत मुख्य न्यायमूर्ति/न्यायाधीश)।

ख. **सदस्यगण:**

- ऐसा व्यक्ति जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो, या किसी जिला न्यायालय में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव रखने वाला जिला न्यायाधीश हो।
- मानवाधिकारों से संबंधित विषयों का व्यावहारिक ज्ञान या विशेष अनुभव रखने वाला व्यक्ति।

ब. चयन समिति (Selection Committee - धारा 22(1) के अंतर्गत राज्य हेतु):

राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, किंतु यह नियुक्ति एक उच्च स्तरीय चयन समिति की संस्तुति पर होती है, जिसमें शामिल हैं:

क. **मुख्यमंत्री**—अध्यक्ष (Committee Chairperson)।

ख. विधान सभा के **अध्यक्ष**—सदस्य।

ग. राज्य गृह विभाग के प्रभारी **मंत्री**—सदस्य।

घ. विधान सभा में **विपक्ष के नेता (Leader of Opposition)**—सदस्य।

ड. (नोट: यदि किसी राज्य में विधान परिषद है, तो विधान परिषद के सभापति और वहां के विपक्ष के नेता भी समिति में शामिल होते हैं, किंतु राजस्थान एकसदनीय होने के कारण उपरोक्त 4 सदस्य ही होते हैं)।

पद / भूमिका	वैधानिक आधार / चयन प्राधिकारी	मुख्य अर्हता मापदंड
आयोग अध्यक्ष	राज्यपाल (चयन समिति संस्तुति)	उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति / न्यायाधीश
न्यायिक सदस्य	राज्यपाल (चयन समिति संस्तुति)	उच्च न्यायालय या जिला न्यायाधीश (7 वर्ष अनुभव)
गैर-न्यायिक सदस्य	राज्यपाल (चयन समिति संस्तुति)	मानवाधिकारों के क्षेत्र में व्यावहारिक ज्ञान / विशेषज्ञ

5. पदावधि, सेवा शर्तें, त्यागपत्र और निष्कासन प्रक्रिया (धारा 24-26)

आयोग के सदस्यों की स्वायत्तता को सुरक्षित रखने के लिए उनके कार्यकाल और निष्कासन के कड़े नियम हैं।

अ. पदावधि एवं आयु सीमा:

क. 2019 संशोधन के पश्चात, अध्यक्ष और सदस्य **3 वर्ष की अवधि** या **70 वर्ष की आयु** प्राप्त करने तक (जो भी पहले हो) पद धारण करते हैं (पूर्व में 5 वर्ष/70 वर्ष था)।

ख. पदमुक्ति के पश्चात वे राज्य या केंद्र सरकार के अधीन किसी अन्य लाभ के पद के पात्र नहीं होते (पुनर्नियुक्ति के सीमित अपवादों को छोड़कर)।

ब. त्यागपत्र एवं निष्कासन:

क. अध्यक्ष या सदस्य **राज्यपाल को संबोधित हस्तलिखित त्यागपत्र** देकर पद त्याग सकते हैं।

ख. साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उन्हें **राष्ट्रपति** द्वारा ही हटाया जा सकता है (राज्य सरकार सीधे नहीं हटा सकती, सर्वोच्च न्यायालय की जांच अनिवार्य—राष्ट्रीय आयोग तर्ज पर समरूप प्रक्रिया या प्रावधानित विधिक प्रक्रिया)।

6. राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रमुख अध्यक्ष एवं संस्थागत इतिहास

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के नेतृत्व में कई प्रतिष्ठित न्यायिक हस्तियों ने कार्य किया है।

क्रम	अध्यक्ष का नाम	पृष्ठभूमि / न्यायिक परिचय
01	न्यायमूर्ति कांता भटनागर	राजस्थान उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश, प्रथम अध्यक्ष
02	न्यायमूर्ति सगेर अहमद	सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व सेवानिवृत्त न्यायाधीश
03	न्यायमूर्ति नन्द किशोर शर्मा	उच्च न्यायालय पूर्व न्यायाधीश
04	न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया	उच्च न्यायालय पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति
05	समकालीन / अन्य पीठ	न्यायिक व मानवाधिकार विशेषज्ञों का सतत नेतृत्व

7. शक्तियाँ, अधिकारिता और जाँच प्रक्रिया (Powers and Investigation Procedure)

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12 और 13 के तहत आयोग को व्यापक सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं।

अ. आयोग के मुख्य कृत्य (धारा 12):

क. मानवाधिकारों के उल्लंघन या लोक सेवक द्वारा ऐसे उल्लंघन को रोकने में उपेक्षा की **स्वतः संज्ञान (Suo motu)** या किसी पीड़ित/तर्फदार के आवेदन पर **जाँच** करना।

ख. किसी जेल या हिरासत गृह (Detention Centre / Lockup) का निरीक्षण करना जहाँ राज्य सरकार के नियंत्रण में लोग बंद हैं, कैदियों के living conditions की समीक्षा करना।

ग. मानवाधिकार क्षेत्र में अनुसंधान, समीक्षा और संविधान/विधियों द्वारा दी गई सुरक्षाओं का पुनरावलोकन करना।

घ. मानवाधिकार जागरूकता और शिक्षा का प्रसार करना।

ब. सिविल न्यायालय की शक्तियाँ (धारा 13):

जाँच करते समय आयोग के पास सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC 1908) के अधीन निम्नलिखित शक्तियाँ होती हैं:

क. किसी भी व्यक्ति को समन करना और उसकी उपस्थिति कराना, शपथ पर परीक्षा लेना।

ख. दस्तावेजों की खोज और प्रकटन की अपेक्षा करना।

ग. किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई लोक अभिलेख (Public Record) या उसकी प्रति मांगना।

घ. शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना।

8. अन्वेषण शाखा (Investigation Division) और राज्य मशीनरी के साथ समन्वय

आयोग के पास अपनी स्वतंत्र पुलिस/अन्वेषण एजेंसी होती है, जिसे केंद्र/राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर उपलब्ध कराया जाता है।

अ. अन्वेषण प्रक्रिया:

क. आयोग किसी भी जांच के लिए राज्य सरकार के किसी पुलिस अधिकारी या विशेष अन्वेषण दल (SIT/Investigation Cell) की सेवाएं ले सकता है।

ख. धारा 14 के तहत आयोग राज्य सरकार के किसी अधिकारी या एजेंसी से विशिष्ट जांच रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर मांग सकता है (समय-सीमा बढ़ाई भी जा सकती है)।

9. सिफारिशें, बाध्यता की सीमा और वार्षिक प्रतिवेदन

राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रकृति **सलाहकारी (Advisory / Recommendatory)** है, किंतु इसके नैतिक और प्रशासनिक प्रभाव गहरे हैं।

अ. सिफारिशों का स्वरूप:

क. जांचोपरांत यदि मानवाधिकार उल्लंघन सिद्ध होता है, तो आयोग संबंधित सरकार या प्राधिकारी को पीड़ित को **आर्थिक प्रतिकर (Compensation)** देने, दोषी लोक सेवक के विरुद्ध अनुशासनात्मक या अभियोजन कार्रवाई (Prosecution) करने की संस्तुति कर सकता है।

ख. **बाध्यता नहीं:** आयोग की सिफारिशें सीधे तौर पर स्वयं निष्पादित (Self-executing) नहीं होतीं; सरकार को 1 महीने के भीतर या निर्धारित समय में यह बताना होता है कि उन्होंने संस्तुति पर क्या कार्रवाई की (यदि नहीं मानी, तो कारण बताने होते हैं)।

ब. वार्षिक प्रतिवेदन:

क. आयोग अपना **वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत** करता है।

ख. राज्य सरकार उस प्रतिवेदन को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाती है, जिसमें अस्वीकृत सिफारिशों के कारणों का विवरण भी होता है।

वैधानिक चरण	प्रक्रिया / विधिक प्रावधान	प्रशासनिक परिणाम
शिकायत प्राप्ति	स्वतः संज्ञान या पीड़ित/एनजीओ का आवेदन	प्रारंभिक संवीक्षा एवं अधिकार क्षेत्र परीक्षण
नोटिस रिपोर्ट	व धारा 14 के तहत राज्य सरकार/पुलिस से रिपोर्ट	30 दिन के भीतर तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्ति

अंतिम संस्तुति	प्रतिकर, अनुशासनात्मक कार्रवाई या विधिक सुधार	सरकार द्वारा समीक्षा एवं अनुपालना रिपोर्ट
----------------	---	---

10. मानवाधिकार आयोग की सीमाएँ, आलोचनात्मक मूल्यांकन और समकालीन चुनौतियाँ

सैद्धांतिक रूप से मानवाधिकार रक्षक होने के बावजूद व्यावहारिक धरातल पर आयोग कुछ संरचनात्मक सीमाओं से ग्रस्त है।

अ. प्रमुख सीमाएँ:

क. 'दांतविहीन बाघ' (Toothless Tiger): आयोग केवल सिफारिश कर सकता है; prosecutions या compensation के आदेश सीधे लागू कराने की दंडात्मक (Penal) शक्ति उसके पास नहीं है।

ख. वित्तीय और स्टाफ की कमी: कई बार मैदानी स्तर पर स्वतंत्र अन्वेषण अधिकारियों और बजट आवंटन की कमी से पेंडेंसी बढ़ती है।

ग. सशस्त्र बलों / केंद्रीय बलों के मामलों में सीमा: सशस्त्र बलों (Armed Forces) द्वारा मानवाधिकार हनन के मामलों में NHRC/SHRC की सीधी अधिकारिता अत्यंत सीमित और केंद्र सरकार की पूर्व-अनुमति/विशेष प्रक्रियाओं से जुड़ी है।

ब. समकालीन डिजिटल एवं सुशासन संदर्भ (2020-2026):

क. डिजिटल शिकायत पोर्टल (Online SHRC Portal) के माध्यम से आम नागरिकों की पहुंच आसान हुई है।

ख. हिरासत में मौतों (Custodial Deaths), मानवाधिकार शिविरों, बाल श्रम, और स्वास्थ्य/पर्यावरण के अधिकारों (Right to clean environment as part of Right to Life - अनुच्छेद 21) के संरक्षण में आयोग की सक्रियता बढ़ी है।

चुनौती आयाम	पारंपरिक स्थिति	समकालीन आधुनिक स्वरूप (2020-2026)
शिकायत पंजीकरण	भौतिक डाक, लिखित आवेदन, व्यक्तिगत उपस्थिति	ऑनलाइन पोर्टल, ई-फाइलिंग, रियल-टाइम स्टेटस ट्रैकिंग
हिरासत निरीक्षण	अघोषित कागजी दौरे, सीमित फोटोग्राफी	डिजिटल वीडियो-ऑडियो रिकॉर्डिंग युक्त निरीक्षण, कैदी अधिकार पोर्टल
जागरूकता प्रसार	सेमिनार और मुद्रित पुस्तिकाएं	सोशल मीडिया जागरूकता अभियान, डिजिटल लिटरेसी और मानवाधिकार पाठशाला

अध्याय 14: राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त (संस्थागत भ्रष्टाचार निवारण संदर्भ)

1. लोकपाल और लोकायुक्त संस्था की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि और लोक-शिकायत निवारण

आधुनिक कल्याणकारी राज्य में नौकरशाही, प्रशासनिक निर्णय लेने की अपार शक्तियों और लोक धन के प्रबंधन के कारण भ्रष्टाचार, पक्षपात और लालफीताशाही (Red-tapism) की संभावना बनी रहती है। पारंपरिक न्यायिक तंत्र (न्यायालय) व्ययसाध्य, विलंबकारी और केवल औपचारिकता-केंद्रित होता है, जो प्रशासनिक मनमानी (Maladministration) या अनौपचारिक भ्रष्टाचार की हर सूक्ष्म परत को नहीं पकड़ सकता। इस रिक्तता को भरने के लिए स्कैंडिनेवियाई देशों (विशेषकर स्वीडन 1809 का **Ombudsman** मॉडल) की तर्ज पर भारत में प्रशासनिक कदाचार और भ्रष्टाचार के अन्वेषण हेतु स्वतंत्र लोकपाल एवं लोकायुक्त संस्थाओं की परिकल्पना की गई।

भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC - प्रथम, 1966) ने संघ स्तर पर लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त संस्था गठित करने की संस्तुति की थी। महाराष्ट्र राज्य देश में सबसे पहले (1971) लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला राज्य बना। राजस्थान राज्य ने प्रशासनिक पारदर्शिता और जन-शिकायत निवारण के लिए **राजस्थान लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973** प्रख्यापित किया।

शासन आयाम	राष्ट्रीय स्तर	राज्य स्तर (राजस्थान)
शासी निकाय	लोकपाल (Lokpal)	लोकायुक्त (Lokayukta) एवं उप-लोकायुक्त
वैधानिक आधार	लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013	राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973
मुख्य फोकस	लोक सेवकों, मंत्रियों और प्रधानमंत्री तक भ्रष्टाचार	राज्य के लोक सेवकों, मंत्रियों, स्थानीय निकायों के अधिकारियों के विरुद्ध कदाचार

2. राजस्थान लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 का फ्रेमवर्क

राजस्थान विधान सभा द्वारा पारित **राजस्थान लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973** (जो 3 फरवरी 1973 से प्रवृत्त हुआ) राज्य में प्रशासनिक कदाचार, भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और भाई-भतीजावाद के मामलों की स्वतंत्र जांच का वैधानिक कवच है।

अ. अधिनियम के मूल उद्देश्य:

क. लोक सेवकों और राजनीतिक कार्यपालिका (मंत्रियों) के कृत्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना।

ख. नागरिकों की शिकायतों का त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ अर्द्ध-न्यायिक निवारण।

ग. प्रशासन में निष्पक्षता (Equity in Administration) का संरक्षण।

ब. संगठन संरचना:

क. एक **लोकायुक्त** (सर्वोच्च प्रशासनिक लोकपाल)।

ख. आवश्यकतानुसार एक या अधिक **उप-लोकायुक्त (Up-Lokayukta)**, जो लोकायुक्त के निर्देशन में विशिष्ट श्रेणियों के मामलों की जांच में सहयोग करते हैं।

3. योग्यताएँ, चयन, नियुक्ति और पदावधि (अनुच्छेद/धारा प्रावधान)

लोकायुक्त की गरिमा, निष्पक्षता और राजनीतिक तटस्थता के लिए संविधान और अधिनियम में कड़े चयन एवं सेवा मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

अ. योग्यताएँ:

क. लोकायुक्त के पद पर सामान्यतः **उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश** या किसी **उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति** या प्रख्यात विधि-वेत्ता/प्रशासनिक अनुभव के प्रतिष्ठित व्यक्ति की नियुक्ति की परंपरा रही है (राज्य विधिनुसार प्रावधानित)।

ब. नियुक्ति प्रक्रिया:

क. राजस्थान के राज्यपाल द्वारा **मुख्यमंत्री** की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय चयन समिति की संस्तुति पर लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है।

ख. चयन समिति में सामान्यतः मुख्यमंत्री (अध्यक्ष), उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति (या उनके द्वारा नामित न्यायाधीश), और विधान सभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं।

स. पदावधि एवं सेवा शर्तें:

क. राजस्थान अधिनियम के प्रारंभिक प्रावधानों के अनुसार लोकायुक्त का कार्यकाल **5 वर्ष** था, जिसे बाद के संशोधनों/व्यवहार में युक्तिसंगत बनाया गया है।

ख. वह पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता (No re-appointment/extension to ensure complete independence from executive patronage).

ग. वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या समकक्ष स्तर के अनुरूप होती हैं, जिनमें उसके अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते।

सेवा आयाम	वैधानिक मानक / प्रावधान	व्यावहारिक स्वरूप
नियुक्ति प्राधिकारी	राज्य का राज्यपाल (चयन समिति परामर्श से)	राजनैतिक सहमति आधारित पारदर्शी चयन

कार्यकाल (Tenure)	5 वर्ष या निर्धारित आयु सीमा (साधारणतया 65/70 वर्ष परिप्रेक्ष्य)	निश्चित कार्यकाल, पुनर्नियुक्ति निषेध
पदमुक्ति	साबित कदाचार/असमर्थता पर विधान सभा प्रस्ताव/महाभियोग समतुल्य प्रक्रिया	राज्यपाल द्वारा जांच उपरांत निष्कासन

4. लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार (Jurisdiction): कौन आता है दायरे में?

लोकायुक्त की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि किन लोक सेवकों या प्राधिकारियों को उसके दायरे में रखा गया है।

अ. दायरे में आने वाले प्रमुख पद:

क. राज्य के **मंत्री (Ministers)** (मुख्यमंत्री को छोड़कर, हालांकि कुछ राज्यों/विशेष बहसों में परिधि अलग हो सकती है—राजस्थान संदर्भ में मुख्यमंत्री अपवादित या विशिष्ट प्रावधानों के अधीन)।

ख. राज्य विधानमंडल के सदस्य (MLA) - विशिष्ट प्रशासनिक कृत्यों के संदर्भ में।

ग. राज्य सरकार के सभी श्रेणी के अधिकारी और कर्मचारी (अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी जो राज्य में प्रतिनियुक्ति पर हैं, लोक सेवक)।

घ. स्थानीय प्राधिकारियों (नगर निगम, नगर परिषद, नगरपालिका, जिला परिषद, पंचायत समिति) के अध्यक्ष, सदस्य और अधिकारी।

ङ. राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण वाले निगमों, बोर्डों, सहकारी सोसाइटियों या विश्वविद्यालयों के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और अधिकारी।

5. लोकायुक्त के दायरे से बाहर के पद (Exclusions from Jurisdiction)

प्रशासनिक संतुलन और संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखने के लिए कुछ विशिष्ट उच्च पदों और न्यायिक अभिकरणों को लोकायुक्त के दायरे से बाहर रखा गया है।

अ. प्रमुख अपवादित पद / क्षेत्र:

क. **मुख्यमंत्री (Chief Minister)**: राजस्थान अधिनियम के अनुसार मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के प्रत्यक्ष अन्वेषण दायरे से बाहर रखा गया है (हालांकि जनहित और गंभीर राजनीतिक जवाबदेही की दृष्टि से लोकपाल/लोकायुक्त बहसों में इस पर वैधानिक चर्चा होती है)।

ख. **राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के अध्यक्ष एवं सदस्य**: संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता बनाए रखने के लिए RPSC के सदस्य/अध्यक्ष इस दायरे से बाहर हैं (इनकी पदमुक्ति अनुच्छेद 317 के तहत राष्ट्रपति/सुप्रीम कोर्ट द्वारा होती है)।

ग. **उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश, तथा अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारी**: न्यायपालिका की स्वतंत्रता (Independence of Judiciary) बनाए रखने के लिए न्यायिक कृत्यों और आचरण की जांच लोकायुक्त नहीं कर सकता (न्यायिक जवाबदेही इन-हाउस प्रक्रिया या उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के पास है)।

घ. **महाधिवक्ता (Advocate General):** राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी का विधिक परामर्श कार्य इस दायरे से बाहर है।

ड. चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारी, जिनके कृत्य सांविधिक निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े हैं।

च. ऐसे मामले जो सिविल न्यायालयों में विचारधीन हैं या जिनकी घटना की अवधि 5 वर्ष से अधिक पुरानी है (काल-बाधित / Time-barred complaints, हालांकि अपवादित विवेकीय शक्ति के अधीन)।

अपवाद श्रेणी (दायरे से बाहर)	संवैधानिक / वैधानिक तर्क
मुख्यमंत्री (संबंधित प्रावधान)	सामूहिक उत्तरदायित्व और राजनीतिक स्थिरता का संतुलन
RPSC अध्यक्ष/सदस्य	संविधान के अनुच्छेद 315-317 के तहत स्वतंत्र संवैधानिक सुरक्षा
उच्च न्यायालय / न्यायिक अधिकारी	न्यायपालिका की स्वतंत्रता का बुनियादी ढांचा (Basic Structure)
5 वर्ष से पुराने मामले	साक्ष्यों की अनुपलब्धता और प्रशासनिक स्थिरता का सिद्धांत

6. शक्तियाँ, जाँच प्रक्रिया और साक्ष्य अधिकार

लोकायुक्त के पास किसी नियमित सिविल न्यायालय की तुलना में अधिक व्यापक अनुसंधानात्मक (Investigative) शक्तियाँ होती हैं।

अ. जांच प्रक्रिया:

क. नागरिक द्वारा लिखित शिकायत (निर्धारित शपथ पत्र/शुल्क रहित या न्यूनतम औपचारिकताओं के साथ) प्राप्त करने पर या **स्वतः संज्ञान (Suo motu)** से जांच प्रारंभ करना।

ख. लोक सेवक या मंत्री द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने, भ्रष्टाचार, या कुप्रशासन (Maladministration) की जांच।

ब. सिविल न्यायालय की शक्तियाँ:

क. किसी भी व्यक्ति को समन करना, शपथ पर परीक्षण करना।

ख. दस्तावेजों के प्रकटन (Discovery) और उत्पादन (Production) की अपेक्षा करना।

ग. शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना।

घ. लोक अभिलेखों (Public Records) का निरीक्षण करना।

स. विशेष शक्ति:

लोकायुक्त के पास पुलिस जैसी अन्वेषण इकाई नहीं होती, किंतु वह राज्य सरकार के किसी भी एजेंसी या विशेष दल (SIT/ACB सहयोग) की मदद से जांच करवा सकता है या स्वयं के जांच अधिकारियों का उपयोग कर सकता है।

7. सिफारिशों की प्रकृति, बाध्यता और वार्षिक प्रतिवेदन

लोकायुक्त की प्रकृति **सलाहकारी और अन्वेषणात्मक (Investigatory & Recommendatory)** है, दंडात्मक स्वयं-निष्पादित (Self-executing penal authority) नहीं।

अ. सिफारिश प्रक्रिया:

क. जांचोपरांत यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो लोकायुक्त संबंधित प्राधिकारी या राज्यपाल को **प्रतिवेदन (Report)** भेजता है जिसमें दोषी लोक सेवक के विरुद्ध अभियोजन (Prosecution), अनुशासनिक कार्रवाई या सुधार की संस्तुति होती है।

ख. **बाध्यता का दायरा:** सरकार या सक्षम प्राधिकारी को 3 महीने के भीतर यह बताना होता है कि उन्होंने संस्तुति पर क्या कार्रवाई की। यदि कार्रवाई नहीं की जाती है, तो लोकायुक्त विशेष प्रतिवेदन (Special Report) प्रस्तुत कर सकता है।

ब. वार्षिक प्रतिवेदन:

क. लोकायुक्त प्रत्येक वर्ष अपनी गतिविधियों और जांच परिणामों का **वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत** करता है।

ख. राज्यपाल उस प्रतिवेदन को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है, जिससे जनता और प्रतिनिधियों के समक्ष प्रशासनिक पारदर्शिता आती है।

चरण	विधिक / प्रक्रियागत आयाम	प्रशासनिक परिणाम
शिकायत दर्ज	नागरिक आवेदन / स्वतः संज्ञान	प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र संवीक्षा
अन्वेषण एवं नोटिस	संबंधित लोक सेवक/मंत्री का पक्ष सुनना	साक्ष्य संकलन, दस्तावेज परीक्षण
अंतिम प्रतिवेदन	राज्यपाल/सरकार को संस्तुति रिपोर्ट	3 महीने के भीतर अनुपालना या कारण स्पष्टीकरण

8. राजस्थान के प्रमुख लोकायुक्त एवं संस्थागत इतिहास

राजस्थान में लोकायुक्त संस्था ने प्रशासनिक कदाचार और भ्रष्टाचार के मामलों में कई ऐतिहासिक प्रतिवेदन दिए हैं।

क्रम	लोकायुक्त का नाम	कार्यकाल / विशिष्ट प्रशासनिक प्रभाव

01	आई.डी. दुआ	प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त (प्रारंभिक संस्थागत नींव)
02	पी.ई.सी. मारवाड़ / अन्य न्यायिक हस्तियाँ	विभिन्न प्रशासनिक घोटालों और भूमि आवंटन मामलों में जांच
03	न्यायमूर्ति एम.एल. मेहता	प्रशासनिक जवाबदेही और भ्रष्टाचार निवारण में सक्रिय भूमिका
04	समकालीन / वर्तमान पीठ	ई-फाइलिंग, पोर्टल आधारित शिकायत ट्रैकिंग और त्वरित संवीक्षा

9. लोकायुक्त संस्था की सीमाएँ, आलोचनात्मक मूल्यांकन और 'दांतविहीन बाघ' बहस

लोकायुक्त संस्था को लेकर लोक प्रशासन और विधि वेत्ताओं के बीच इसके वास्तविक प्रभाव को लेकर समीक्षा होती रही है।

अ. **संरचनात्मक सीमाएँ:**

क. **अनुशंसात्मक प्रकृति (Recommendatory nature):** सरकार लोकायुक्त की सिफारिशों को मानने के लिए पूर्णतः बाध्य नहीं है; अस्वीकार किए जाने पर केवल राजनीतिक दबाव ही साधन बनता है।

ख. **मुख्यमंत्री और उच्च न्यायपालिका का बाहर होना:** कई नागरिक संगठन यह तर्क देते हैं कि शीर्ष स्तर (मुख्यमंत्री) को दायरे से बाहर रखने से संस्था की व्यापकता कम होती है।

ग. **स्वतंत्र अन्वेषण बल का अभाव:** लोकायुक्त को अपनी स्वतंत्र पुलिस/फॉरेंसिक जांच विंग के अभाव में राज्य एजेंसियों (जो स्वयं सरकार के अधीन हैं) पर निर्भर रहना पड़ता है।

10. सुशासन, लोकपाल-लोकायुक्त तालमेल और भविष्य की दिशा

समकालीन युग में जब 'जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन' राष्ट्रीय नीति का हिस्सा है, तब लोकायुक्त संस्था को अधिक स्वायत्त बनाने के विचार विमर्श में हैं।

अ. **निष्कर्ष एवं भावी दृष्टि:**

क. लोकायुक्त और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) के बीच सहज समन्वय से मैदानी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा रहा है।

ख. डिजिटल राजस्थान (e-Lokayukta Portal) के माध्यम से शिकायतों की ऑनलाइन ट्रैकिंग, समयबद्ध निस्तारण और पारदर्शी रिपोर्टिंग ने इस संस्था को 'दांतविहीन' से 'प्रभावी नैतिक पहरेदार' में रूपांतरित करने में योगदान दिया है।

अध्याय 15: राज्य निर्वाचन आयोग (संवैधानिक स्थानीय चुनावी अभिकरण)

1. लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और चुनाव की सांविधिक अनिवार्यता

लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल शर्त यह है कि सत्ता केवल केंद्र या राज्य की राजधानियों तक संकेंद्रित न रहकर त्रि-स्तरीय और द्वि-स्तरीय स्थानीय निकायों के माध्यम से जनता तक प्रवाहित हो। 73वें (ग्रामीण स्थानीय स्वशासन) और 74वें (शहरी स्थानीय स्वशासन) संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने स्थानीय निकायों को केवल संवैधानिक दर्जा ही नहीं दिया, बल्कि उनके नियमित, निष्पक्ष और समयबद्ध चुनाव को एक संवैधानिक अनिवार्यता बना दिया।

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव (Free and Fair Elections) लोकतंत्र की प्राणवायु हैं। लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के चुनावों के लिए भारतीय चुनाव आयोग (Election Commission of India - अनुच्छेद 324) की व्यवस्था है, किंतु स्थानीय निकायों (पंचायतों और नगरपालिकाओं) की विविधता, व्यापकता और स्थानीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत संविधान ने प्रत्येक राज्य में एक स्वतंत्र और स्वायत्त राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission - SEC) के गठन का उपबंध किया है।

शासन स्तर	निर्वाचक अभिकरण	संवैधानिक आधार	निर्वाचन दायरा
संघ / राज्य	भारतीय चुनाव आयोग (ECI)	अनुच्छेद 324	संसद (लोकसभा/राज्यसभा), राज्य विधान सभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति
ग्रामीण स्थानीय	राज्य निर्वाचन आयोग (SEC)	अनुच्छेद 243-K	ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद
शहरी स्थानीय	राज्य निर्वाचन आयोग (SEC)	अनुच्छेद 243-ZA	नगर निगम, नगर परिषद, नगरपालिका

2. संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 243-K और अनुच्छेद 243-ZA

भारतीय संविधान के भाग 9 और भाग 9-क में स्थानीय निकायों के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की संपूर्ण शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपी गई है।

अ. अनुच्छेद 243-K (पंचायतों के निर्वाचन):

क. पंचायतों के सभी निर्वाचन के लिए मतदाता सूचियों तैयार कराने का और उन चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगी जिसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा।

ख. राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया वही होगी जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की होती है (साबित कदाचार या असमर्थता पर संसद के विशेष बहुमत/समावेदन आधारित राष्ट्रपति/राज्यपाल प्रक्रिया के अनुरूप सांविधिक प्रावधान)।

ग. उसकी नियुक्ति के पश्चात उसकी सेवा शर्तों में उसके लाभ के लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

ब. अनुच्छेद 243-ZA (नगरपालिकाओं के निर्वाचन):

क. नगरपालिकाओं के निर्वाचन के लिए भी यही उपबंध लागू होते हैं; नगरपालिकाओं के लिए मतदाता सूचियों का तैयार कराना और चुनावों का नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है।

3. राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद: योग्यता, नियुक्ति और सेवा शर्तें

राज्य निर्वाचन आयोग का प्रशासनिक प्रमुख 'राज्य निर्वाचन आयुक्त' (State Election Commissioner) होता है।

अ. नियुक्ति प्रक्रिया:

क. राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति **राज्य के राज्यपाल** द्वारा की जाती है (व्यवहारिक रूप से मंत्रिपरिषद्/मुख्यमंत्री के परामर्श से)।

ख. यह पद एक स्वतंत्र संवैधानिक-सांविधिक प्राधिकारी का है, जिसका कार्यकारी नियंत्रण किसी प्रशासनिक विभाग (जैसे गृह या सामान्य प्रशासन विभाग) के अधीन साधारण प्रशासनिक आदेशों से प्रभावित नहीं होता।

ब. पदावधि एवं सेवा शर्तें:

क. राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त का कार्यकाल सामान्यतः **5 वर्ष की अवधि** या **65 वर्ष की आयु** (जो भी पहले हो) तक होता है (राज्य विधिनुसार निश्चित प्रावधानित)।

ख. **कार्यकाल की सुरक्षा (Security of Tenure):** नियुक्त होने के पश्चात उसे सामान्य प्रशासनिक इच्छा से नहीं हटाया जा सकता। उसे केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समतुल्य आधारों और रीति से ही हटाया जा सकता है, जिससे उसकी राजनैतिक तटस्थता सुनिश्चित होती है।

सेवा आयाम	संवैधानिक / वैधानिक मानक	उद्देश्य / प्रभाव
नियुक्ति प्राधिकारी	राज्य का राज्यपाल	प्रादेशिक उच्च संवैधानिक गरिमा
कार्यकाल सुरक्षा	उच्च न्यायालय न्यायाधीश समतुल्य निष्कासन	सत्तापक्ष के राजनैतिक दबाव से पूर्ण मुक्ति

वेतन व भत्ते	राज्य संचित निधि पर भारित / उच्च न्यायालय समकक्ष	वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वतंत्रता
--------------	--	----------------------------------

4. राज्य निर्वाचन आयोग के व्यापक कार्य और अधिकारिता

राज्य निर्वाचन आयोग केवल चुनाव कराने वाली एजेंसी नहीं है, बल्कि यह स्थानीय लोकतंत्र की पूरी चुनावी प्रक्रिया का नियामक है।

अ. प्रमुख कार्य:

क. **निर्वाचक नामावली (Electoral Rolls) तैयार कराना:** प्रत्येक वार्ड और पंचायत/नगर निकाय के लिए पारदर्शी और अद्यतन मतदाता सूची का प्रकाशन और संशोधन।

ख. **क्षेत्रीय परिसीमन एवं वार्ड विभाजन समन्वय:** राज्य सरकार द्वारा वार्डों के गठन/विभाजन के पश्चात चुनाव कार्यक्रम की घोषणा और आचार संहिता का क्रियान्वयन।

ग. **चुनाव कार्यक्रम की घोषणा:** निर्वाचन की तिथियां, नामांकन, वापसी, मतदान और मतगणना का संपूर्ण शेड्यूलिंग।

घ. **आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct - MCC) लागू करना:** स्थानीय निकायों के चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों पर संयम, वित्तीय सीमा और निष्पक्षता की निगरानी।

ङ. **चुनाव मशीनरी का नियंत्रण:** राज्य सरकार के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को चुनाव अवधि के दौरान प्रतिनियुक्ति/नियंत्रण में लेना (डेप्युटेशन कंट्रोल)।

च. **निर्वाचन पेटिशन (Election Petitions) का निपटारा या अपीलीय निकाय समन्वय:** स्थानीय चुनाव विवादों से जुड़े न्यायिक/अर्द्ध-न्यायिक निस्तारण तंत्र को निर्देशित करना।

चुनावी चरण	राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका	तकनीकी / प्रशासनिक हस्तक्षेप
पूर्व-निर्वाचन	मतदाता सूची पुनरीक्षण, आचार संहिता प्रारूपण	डिजिटल इलेक्टोरल डेटाबेस, सी-विजिल जैसे स्थानीय ऐप
निर्वाचन-कालीन	पोलिंग बूथ प्रबंधन, ईवीएम/बैलेट आवंटन	सुरक्षा बलों की तैनाती, वेबकास्टिंग/सेंसिटिव बूथ मॉनिटरिंग
पश्च-निर्वाचन	परिणाम घोषणा, गजट अधिसूचना	राज्य सरकार को निर्वाचित प्रतिनिधियों की सूची प्रेषण

5. राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग: स्थापना, गठन और संस्थागत विकास

राजस्थान में त्रि-स्तरीय पंचायती राज और नगरीय स्थानीय स्वशासन के सुदृढ़ीकरण के लिए स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का गठन किया गया।

अ. स्थापना:

क. राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन **दिसंबर 1994** (संविधान के 73वें/74वें संशोधन के अनुरूप राज्य अधिनियमों के क्रियान्वयन के क्रम में) किया गया।

ख. प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौड़ थे।

ग. आयोग का मुख्य कार्यालय **जयपुर** में अवस्थित है।

प्रशासनिक आयाम	विवरण / तथ्यात्मक मानक
स्थापना वर्ष	दिसंबर 1994
मुख्यालय	जयपुर, राजस्थान
प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त	अमर सिंह राठौड़
शासी अधिकार क्षेत्र	राजस्थान की समस्त ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियां, जिला परिषदें, नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिकाएं

6. स्थानीय निकायों के चुनावों की विशिष्ट चुनौतियाँ और प्रक्रियागत पेचीदगियाँ

लोकसभा/विधानसभा चुनावों की तुलना में स्थानीय निकायों के चुनाव (खासकर ग्रामीण स्तर पर बहु-स्तरीय और बड़े पैमाने पर) अत्यधिक श्रम-साध्य होते हैं।

अ. विशिष्ट संरचनात्मक कारक:

क. बड़ी संख्या में उम्मीदवार और ग्राम स्तर पर बैलेट पेपर/इवीएम का प्रबंधन।

ख. पारिवारिक, जातीय और स्थानीय ग्राम-धुवीकरण के बीच शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करना।

ग. समय पर आरक्षण चक्र (Rotation of Reservation - SC/ST/Women/OBC) के अनुपालन के साथ चुनाव संपन्न कराना, जिसे उच्च न्यायालयों में चुनौती मिलने पर स्थगन जैसी स्थितियाँ।

7. मतदाता जागरूकता अभियान (Voter Awareness / SVEEP Model at Local Level)

स्थानीय निकायों में मतदान प्रतिशत (Turnout) को बढ़ाने और ग्रामीण-शहरी मतदाताओं को लोकतांत्रिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने के लिए व्यापक अभियान चलाए जाते हैं।

अ. प्रमुख पहलें:

क. **स्वीप (SVEEP - Systematic Voters' Education and Electoral Participation):** स्थानीय सांस्कृतिक कलाओं, नुक्कड़ नाटक, जिला प्रशासन के सहयोग से जागरूकता रथ और डिजिटल मीडिया का उपयोग।

ख. युवा और महिला मतदाताओं (First-time local voters) को विशिष्ट रूप से नामावली से जोड़ना।
ग. दिव्यांगजनों (PwD) और वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र (Postal Ballot) या सुगम मतदान केंद्र (Accessible Polling Booths) की व्यवस्था।

जागरूकता आयाम	पारंपरिक पद्धति	समकालीन आधुनिक स्वरूप (2020-2026)
प्रचार माध्यम	दीवार लेखन, मुनादी, पर्चे वितरण	सोशल मीडिया रील, एआई-आधारित वॉयस संदेश, लोकल इन्फ्लुएंसर सहभागिता
दिव्यांग सहयोग	शारीरिक सहायता पर निर्भरता	पीडब्ल्यूडी (PwD) मोबाइल ऐप, व्हीलचेयर और स्वयंसेवक डेडीकेटेड टीम
साक्षरता शिविर	चौपाल बैठकें	डिजिटल साक्षरता और ईवीएम/बैलेट डेमो वैन

8. चुनावी तकनीकी सुधार (Electoral Technology Reforms): ईवीएम, डिजिटल मैपिंग और पोर्टल

पारदर्शिता, गति और मानवीय त्रुटि (Human Error) को कम करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने तकनीक का व्यापक समावेश किया है।

अ. तकनीकी हस्तक्षेप:

क. **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) / स्मार्ट बैलेट:** नगरीय निकायों और उच्च स्तरीय स्थानीय चुनावों में ईवीएम का उपयोग तथा ग्रामीण पंचायत स्तर पर बैलेट बॉक्स/पेपर की व्यवस्था का वैधानिक मानकीकरण।

ख. **डिजिटल इलेक्टोरल मैनेजमेंट सिस्टम:** नामावली की ऑनलाइन खोज, डिजिटल फोटो मतदाता पर्चे और रियल-टाइम पोलिंग पर्सेंटेज डैशबोर्ड।

ग. **आचार संहिता उल्लंघन ट्रेकिंग:** ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल और जिओ-टैग की गई उड़न दस्ता (Flying Squad) टीमों।

तकनीकी आयाम	पूर्ववर्ती प्रणाली	समकालीन डिजिटल युग (2020-2026)
नामांकन पत्र (Nomination)	पूर्णतः भौतिक कागजी फाइलें	ऑनलाइन नॉमिनेशन पोर्टल, दस्तावेज प्री-स्कैनिंग

मॉनिटरिंग	मैनुअल रिपोर्टिंग और वायरलेस सेट	रियल-टाइम वेबकास्टिंग, कंट्रोल रूम AI एनालिटिक्स
परिणाम सारणीकरण	मैनुअल टैबुलेशन और विलंब	डिजिटल डेटा एंट्री, ऑटोमेटेड रिजल्ट जनरेशन

9. राज्य निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता बनाम कार्यकारी निर्भरता: संरचनात्मक द्वंद्व

सैद्धांतिक रूप से स्वतंत्र होने के बावजूद व्यावहारिक धरातल पर राज्य निर्वाचन आयोग प्रशासनिक मशीनरी और वित्तीय संसाधनों के लिए राज्य सरकार पर निर्भर रहता है।

अ. संरचनात्मक सीमाएं:

क. **कर्मचारी प्रतिनियुक्ति:** चुनावों के दौरान शिक्षकों, पटवारियों और प्रशासनिक अमले को राज्य सरकार से ही लेना पड़ता है, जिससे कई बार प्रशासनिक समन्वय की चुनौती आती है।

ख. **वित्तीय आवंटन:** चुनाव खर्च के लिए राज्य सरकार के बजट प्रावधानों पर निर्भरता।

ग. **क्षेत्रीय परिसीमन सीमा:** वार्डों का पुनर्गठन (Delimitation of Wards) का अधिकार राज्य सरकार/विशिष्ट निकाय के पास होता है, जिससे चुनाव तिथियों के निर्धारण में तालमेल जरूरी होता है (सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार परिसीमन और चुनाव समय-सारणी में मनमानी कटौती पर अंकुश)।

10. भविष्य की दृष्टि: डिजिटल लोकल डेमोक्रेसी और एकीकृत मतदाता पारिस्थितिकी तंत्र

स्थानीय स्वशासन के चुनावों का भविष्य पूर्णतः डिजिटाइज्ड, पेपर्स-लेस और एआई-संचालित (AI-driven transparent local polls) होने की ओर अग्रसर है।

अ. निष्कर्ष एवं वैचारिक दृष्टि:

क. राज्य निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 243-K / 243-ZA) भारत के संघवाद और ग्रासरूट डेमोक्रेसी का सुरक्षा कवच है।

ख. मतदाता जागरूकता, पारदर्शी डिजिटल नॉमिनेशन, और कड़े आचार संहिता अनुपालन के जरिए राजस्थान जैसे वृहद और भौगोलिक रूप से विविध राज्य में स्थानीय निकायों की वैधता और लोकतांत्रिक सुदृढ़ता को निरंतर गति दी जा रही है।

wincompete

अध्याय 16: राज्य सूचना आयोग (पारदर्शिता और उत्तरदायित्व का सांविधिक अभिकरण)

1. सुशासन में सूचना के अधिकार का दार्शनिक आधार और वैधानिक पृष्ठभूमि

लोकतांत्रिक व्यवस्था में वास्तविक संप्रभुता जनता के पास निहित होती है, और लोक-प्रशासन उसका अभिकर्ता है। गुप्तता और लालफीताशाही (Red-tapism) भ्रष्टाचार, मनमानी और शक्तियों के दुरुपयोग की उर्वर भूमि होती है। 'जानने का अधिकार' (Right to Know) संविधान के **अनुच्छेद 19(1)(अ)** के अंतर्गत वाक-स्वाधीनता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अंतर्निहित पहलू माना गया है (*राज नारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1975*)।

वैश्विक स्तर पर स्वीडन (1766) से प्रारंभ हुई सूचना पारदर्शिता की यात्रा ने संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार घोषणा-पत्र को प्रभावित किया। भारत में नागरिकों को लोक प्राधिकरणों के नियंत्रण वाले अभिलेखों तक पारदर्शी पहुंच प्रदान करने के लिए संसद ने **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (Right to Information Act, 2005 - RTI Act 2005)** अधिनियमित किया, जो 12 अक्टूबर 2005 से संपूर्ण देश में प्रवृत्त हुआ।

शासन आयाम	राष्ट्रीय स्तर	राज्य स्तर
शासी कानून	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (राज्य नियम सहित)
केंद्रीय निकाय	केंद्रीय सूचना आयोग (CIC)	राज्य सूचना आयोग (SIC)
अपीलीय सोपान	जन सूचना अधिकारी -> प्रथम अपीलीय प्राधिकारी -> CIC	जन सूचना अधिकारी -> प्रथम अपीलीय प्राधिकारी -> SIC

2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का वैधानिक फ्रेमवर्क और मुख्य प्रावधान

RTI अधिनियम, 2005 लोक प्राधिकरणों की जवाबदेही तय करने का क्रांतिकारी दस्तावेज है।

अ. अधिनियम के मूल तत्व:

क. **लोक प्राधिकरण (Public Authority)**: संविधान या किसी विधि से गठित, सरकार द्वारा वित्तपोषित या नियंत्रित निकाय।

ख. **सूचना की परिभाषा (धारा 2(f))**: किसी भी रूप में उपलब्ध सामग्री—अभिलेख, दस्तावेज, ईमेल, आंकड़े, नमूने, इलेक्ट्रॉनिक रूप में डेटा।

ग. **समय-सीमा (Time Limit)**: सामान्य सूचना 30 दिनों के भीतर; जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता (Life and Liberty) से जुड़े मामलों में **48 घंटे** के भीतर सूचना देना अनिवार्य।

ब. **प्रकटीकरण का दायित्व (धारा 4)**:

प्रत्येक लोक प्राधिकरण का यह स्व-प्रेरित (Proactive/Ipsa facto) दायित्व है कि वह अपने संगठन, शक्तियों, निर्णय प्रक्रिया और बजट का न्यूनतम 16 श्रेणियों में स्वतः प्रकाशन करे।

3. राजस्थान राज्य सूचना आयोग (SIC): गठन और संस्थागत अवस्थिति

RTI अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से राज्य सूचना आयोग (State Information Commission) का गठन किया जाता है।

अ. स्थापना एवं संरचना:

क. राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन 13 अप्रैल 2006 को किया गया था।

ख. आयोग का मुख्य कार्यालय जयपुर में अवस्थित है।

ग. संरचना: आयोग में 1 मुख्य सूचना आयुक्त (Chief Information Commissioner) और विहित संख्या (अधिकतम 10) में राज्य सूचना आयुक्त होते हैं, जिनकी संख्या समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा तय की जाती है।

4. मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य आयुक्त: योग्यताएँ, चयन समिति और नियुक्ति

आयोग के सदस्यों की गरिमा और राजनीतिक तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तरीय चयन प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

अ. योग्यताएँ (धारा 15(5)):

क. सार्वजनिक जीवन का ऐसा व्यक्ति जो विधि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जन-प्रशासन या प्रशासन का व्यापक अनुभव और प्रतिष्ठित ज्ञाता हो।

ख. अयोग्यताएँ: सांसद या विधायक नहीं होना चाहिए, या किसी अन्य लाभ के पद में संलग्न नहीं होना चाहिए, या राजनीतिक दल से प्रत्यक्ष संबद्धता नहीं होनी चाहिए।

ब. चयन समिति (Selection Committee - धारा 15(3)):

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, किंतु यह नियुक्ति एक उच्च स्तरीय चयन समिति की संस्तुति पर होती है, जिसमें शामिल हैं:

क. मुख्यमंत्री—अध्यक्ष (Chairperson)।

ख. विधान सभा में विपक्ष का नेता (Leader of Opposition)—सदस्य।

ग. मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री—सदस्य।

पद / भूमिका	वैधानिक आधार / चयन प्राधिकारी	मुख्य अर्हता मापदंड
मुख्य सूचना आयुक्त	राज्यपाल (चयन समिति संस्तुति)	सार्वजनिक जीवन का प्रतिष्ठित एवं अनुभवी विशेषज्ञ

राज्य आयुक्त सूचना	राज्यपाल (चयन समिति संस्तुति)	विधि, प्रशासन या विशिष्ट क्षेत्रों का अनुभव
--------------------	-------------------------------	---

5. पदावधि, सेवा शर्तें, पुनर्नियुक्ति प्रतिबंध और निष्कासन (धारा 16)

आयोग की स्वायत्तता को सुरक्षित रखने के लिए कार्यकाल के कड़े नियम हैं।

अ. पदावधि एवं आयु सीमा (संशोधित प्रावधानों के अनुरूप):

क. सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त केंद्र/राज्य अधिनियम के अद्यतन वैधानिक प्रावधानों के अनुसार 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (या निर्धारित वैधानिक अवधि) तक पद धारण करते हैं।

ख. मुख्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता (अन्य प्रशासनिक पदों या आयु सीमा प्रतिबंधों के अधीन), जबकि राज्य सूचना आयुक्त मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति का पात्र हो सकता है, कुल कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं।

ब. निष्कासन प्रक्रिया (Removal - धारा 17):

क. साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर **राज्यपाल** द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु इसके लिए **उच्चतम न्यायालय (Supreme Court)** को जांच के लिए संदर्भित करना अनिवार्य होता है।

ख. यदि सुप्रीम कोर्ट जांच में कदाचार को सिद्ध मानता है, तो राज्यपाल द्वारा निष्कासन आदेश जारी किया जाता है।

ग. बिना जांच के सरकार सीधे नहीं हटा सकती (दिवालिया होने, मानसिक अस्थिरता, या लाभ का पद लेने पर राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अपवादित बर्खास्तगी प्रक्रिया के अधीन)।

6. आयोग की शक्तियाँ, कृत्य और अर्द्ध-न्यायिक अधिकार (धारा 18 व 19)

राज्य सूचना आयोग को सिविल न्यायालय की व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं।

अ. प्रमुख कृत्य एवं शक्तियाँ:

क. किसी व्यक्ति से शिकायत सुनना—यदि उसने सूचना देने से इनकार किया है, या समय पर उत्तर नहीं मिला, या शुल्क अत्यधिक मांगा गया, या मिथ्या/भ्रामक सूचना दी गई।

ख. स्व-प्रेरित संज्ञान (Suo motu inquiry) लेकर मामलों की सुनवाई करना।

ग. जांच के दौरान सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC 1908) के तहत शक्तियाँ:

- किसी भी व्यक्ति को समन करना और शपथ पर उसकी परीक्षा लेना।
- दस्तावेजों के प्रकटन (Discovery) और उत्पादन की अपेक्षा करना।
- शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना।
- किसी लोक अभिलेख (Public Record) की मांग करना।

7. अपील प्रक्रिया (Appellate Mechanism): प्रथम और द्वितीय अपील

सूचना प्राप्त करने की व्यवस्था त्रि-स्तरीय अपील तंत्र पर आधारित है।

अ. अपीलीय सोपान:

क. **जन सूचना अधिकारी (SPIO - State Public Information Officer):** आवेदन प्राप्ति से 30 दिन के भीतर उत्तर देना।

ख. **प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (First Appellate Authority - FAA):** SPIO के निर्णय या समय-सीमा समाप्ति के 30 दिनों के भीतर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी (सामान्यतः अपर/संयुक्त सचिव स्तर) के समक्ष प्रथम अपील।

ग. **द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी (Second Appeal):** प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आदेश से असंतुष्ट होने पर 90 दिनों के भीतर राज्य सूचना आयोग (SIC) के समक्ष द्वितीय अपील दाखिल करना।

अपीलीय स्तर	प्राधिकारी / निकाय	समय-सीमा (Timeline)	विधिक प्रकृति
प्रथम चरण	विभाग का SPIO	30 दिन (जीवन/स्वतंत्रता मामले में 48 घंटे)	प्रशासनिक सूचना प्रदाय
द्वितीय चरण	विभागीय प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (FAA)	प्रथम निर्णय के विरुद्ध 30 दिन के भीतर अपील	आंतरिक प्रशासनिक समीक्षा
तृतीय चरण (अंतिम)	राज्य सूचना आयोग (SIC)	प्रथम अपीलीय आदेश के 90 दिन के भीतर द्वितीय अपील	अर्द्ध-न्यायिक (Quasi-judicial) अंतिम अपीलीय संस्था

8. दंड संबंधी प्रावधान (Penal Provisions - धारा 20)

RTI अधिनियम, 2005 की धारा 20 आयोग को वैधानिक दंडात्मक शक्ति देती है, जो लोक सेवकों में जवाबदेही सुनिश्चित करती है।

अ. शास्ति (Penalty) के प्रावधान:

क. यदि आयोग यह निष्कर्ष निकालता है कि SPIO ने बिना किसी उचित कारण के आवेदन प्राप्त करने से इनकार किया है, या निर्धारित समय-सीमा (30 दिन) में बिना किसी वैध कारण के सूचना नहीं दी, या दुर्भावनापूर्वक (Malafide) गलत/भ्रामक सूचना दी है, या सूचना को नष्ट किया है:

- तो वह दोषी SPIO पर **₹250 प्रति दिन** की दर से शास्ति (Penalty) अधिरोपित कर सकता है, जब तक आवेदन का निस्तारण न हो या सूचना न दी जाए।
- कुल शास्ति की अधिकतम सीमा **₹25,000** तक हो सकती है।
- ब. **अनुशासनात्मक कार्रवाई (Disciplinary Action):**
- क. शास्ति के साथ-साथ आयोग संबंधित लोक सेवक के विरुद्ध सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई (Disciplinary Proceedings) की सिफारिश भी कर सकता है।

दंडात्मक आयाम	सांविधिक आधार	मात्रा / सीमा
दैनिक शास्ति (Penalty)	धारा 20(1)	₹250 प्रति दिन (जब तक विलंब सुधार न हो)
अधिकतम शास्ति सीमा	धारा 20(1) proviso	कुल अधिकतम ₹25,000
अनुशासनात्मक संस्तुति	धारा 20(2)	बार-बार लापरवाही पर सेवा नियमों के तहत विभागीय जांच/दण्ड

9. राजस्थान राज्य सूचना आयोग के प्रमुख संदर्भ एवं संस्थागत इतिहास

राजस्थान में सूचना के अधिकार के प्रति जन-जागरूकता (विशेषकर मजदूर किसान शक्ति संगठन - MKSS और अरुणा राय के नेतृत्व वाले जनांदोलनों की पृष्ठभूमि) के कारण इस आयोग की प्रासंगिकता विशेष रही है।

अ. प्रमुख ऐतिहासिक चरण:

क. राजस्थान राज्य सूचना आयोग ने कई लैंडमार्क आदेशों के जरिए भूमि रिकॉर्ड, विकास कार्यों के मस्टरोल (Mustoroll) और टेंडर प्रक्रियाओं को सार्वजनिक कराया।

ख. डिजिटल पोर्टल (e-RTI Rajasthan / Online Second Appeal Portal) के माध्यम से डिजिटल सुनवाई और पारदर्शी ट्रेकिंग की शुरुआत हुई।

10. अपवाद (Exclusions) और प्रतिबंध (Section 8 & 24): पारदर्शिता बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा

सूचना का अधिकार पूर्ण नहीं है; देश की संप्रभुता, सुरक्षा और व्यक्तिगत गोपनीयता के बीच संतुलन बनाने के लिए धारा 8 और 24 में अपवाद हैं।

अ. सूचना देने से छूट (धारा 8):

क. भारत की संप्रभुता, अखंडता, सामरिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों को प्रभावित करने वाली सूचनाएं।

ख. न्यायालय द्वारा प्रकाशित करने से वर्जित मामले या विशेषाधिकार हनन के विषय।

ग. तीसरे पक्ष (Third party) की व्यक्तिगत जानकारी, जिससे गोपनीयता का हनन होता हो (बशर्ते व्यापक जनहित प्रमाणित न हो)।

ब. गुप्तचर और सुरक्षा संगठन (धारा 24 - दूसरी अनुसूची):

क. आईबी (IB), राँ (RAW), बीएसएफ, सीआरपीएफ जैसे सुरक्षा/खुफिया संगठनों को अधिनियम के दायरे से सामान्यतः बाहर रखा गया है, हालांकि मानवाधिकार उल्लंघन और भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े मामले इसके अपवाद हैं।

अपवाद श्रेणी	वैधानिक आधार	सीमा / प्रतिबंध
राष्ट्रीय सुरक्षा / संप्रभुता	धारा 8(1)(a)	रक्षा, कूटनीति या आंतरिक सुरक्षा हानि पर छूट
व्यक्तिगत गोपनीयता	धारा 8(1)(j)	थर्ड-पार्टी पर्सनल डेटा (बड़े जनहित को छोड़कर वर्जित)
सुरक्षा संगठन	धारा 24 / दूसरी अनुसूची	भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों को छोड़कर छूट

11. सुशासन में सूचना आयोग की भूमिका, चुनौतियाँ और भविष्य की दृष्टि

समकालीन युग में सूचना आयोग लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में कार्य करता है।

अ. समकालीन चुनौतियाँ:

क. रिक्तियों (Vacancies of Commissioners) के कारण पेंडेंसी का बढ़ना।

ख. लोक सूचना अधिकारियों (SPIOs) द्वारा टालमटोल की प्रवृत्ति या रिकॉर्ड डिजिटलीकरण का अभाव।

ग. जन-जागरूकता की कमी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी उपयोग सीमित रहता है।

ब. निष्कर्ष एवं भावी दृष्टि:

क. सूचना का अधिकार और राज्य सूचना आयोग (SIC) ने शासन को 'डार्क बॉक्स' से 'ग्लास हाउस' में बदल दिया है।

ख. एआई-आधारित ऑटोमेटेड आरटीआई रिस्पॉन्स, डिजिटल आर्काइव और एस-पी-आई-ओ (SPIO) की जवाबदेही के कड़े अनुपालन से सुशासन (Good Governance) के संवैधानिक लक्ष्यों को चिरस्थायी बनाया जा रहा है।

अध्याय 17: लोक नीति: निर्माण, कार्यान्वयन एवं मूल्यांकन

1. लोक नीति (Public Policy) की अवधारणा और दार्शनिक आधार

आधुनिक कल्याणकारी राज्य (Welfare State) में शासन का स्वरूप केवल नियम-प्रवर्तन (Law enforcement) या कानून-व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के संसाधनों के समतामूलक वितरण, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक विकास को दिशा देना उसका प्राथमिक उत्तरदायित्व है। **लोक नीति (Public Policy)** सरकार का वह सुनियोजित, लक्ष्य-केंद्रित और वैधानिक रूप से प्राधिकृत कोर्स ऑफ एक्शन (Course of Action) है जो किसी विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक या प्रशासनिक समस्या के समाधान के लिए अपनाया जाता है।

प्रसिद्ध लोक प्रशासन वेत्ता थॉमस डाय (Thomas Dye) के अनुसार, "लोक नीति वह है जो सरकारें करने का निर्णय लेती हैं या न करने का निर्णय लेती हैं।" संवैधानिक रूप से, भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित **राज्य के नीति-निर्देशक तत्व (Directive Principles of State Policy - अनुच्छेद 36 से 51)** लोक नीति के मौलिक मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, जो सरकार को सामाजिक-आर्थिक न्याय, समता और लोककल्याणकारी नीतियां बनाने का जनादेश देते हैं।

नीति आयाम	वैधानिक / सैद्धांतिक आधार	मुख्य उद्देश्य
नीति-निर्देशक तत्व (DPSP)	अनुच्छेद 36-51 (संविधान भाग 4)	आर्थिक समानता, कार्य का अधिकार, लोक स्वास्थ्य सुधार
विधायी संस्वीकृति	विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम	नीतियों को बाध्यकारी वैधानिक बल प्रदान करना
कार्यकारी आदेश	कार्यपालिका/मंत्रिपरिषद अधिसूचना	विशिष्ट योजनाओं (जैसे सौर ऊर्जा नीति, औद्योगिक नीति) का संचालन

2. लोक नीति के चक्र (Policy Cycle) के चरण

लोक नीति कोई एकमुश्त निर्णय नहीं है, बल्कि एक सतत चक्रीय प्रक्रिया (Cyclical Process) है जो समस्याओं की पहचान से लेकर मूल्यांकन तक चलती है।

अ. नीति चक्र के प्रमुख चरण:

क. **समस्या पहचान एवं agenda setting (Agenda Building)**: सामाजिक-आर्थिक मांगों का सरकार के संज्ञान में आना।

ख. **नीति निर्माण (Policy Formulation)**: विशेषज्ञों, नौकरशाही और राजनीतिक नेतृत्व द्वारा विकल्पों का विकास एवं ड्राफ्टिंग।

ग. **नीति अंगीकरण (Policy Adoption)**: मंत्रिपरिषद या विधानमंडल द्वारा नीतिगत प्रस्ताव की औपचारिक स्वीकृति।

घ. **नीति कार्यान्वयन (Policy Implementation)**: सचिवालय, निदेशालय और मैदानी इकाइयों द्वारा वित्तीय और प्रशासनिक अमले के जरिए धरातल पर उतारना।

ङ. **नीति मूल्यांकन एवं पुनरीक्षण (Policy Evaluation & Feedback)**: वांछित परिणामों की प्राप्ति की समीक्षा और आवश्यक संशोधन।

नीति चरण	मुख्य अभिकर्ता / इकाई	प्रमुख निष्पादन कार्य
एजेंडा निर्माण	नागरिक समाज, मीडिया, दबाव समूह, राजनीतिक दल	मुद्दों को प्रकाश में लाना और दबाव बनाना
नीति निर्माण	थिंक टैंक, सचिवालय सचिव, विशेषज्ञ समिति	वैधानिक/आर्थिक प्रारूप तैयार करना
कार्यान्वयन	निदेशालय, जिला कलेक्टर, लाइन एजेंसियां	बजट संवितरण, मैदानी मैपिंग, सेवा वितरण
मूल्यांकन	CAG, प्रशासनिक सुधार आयोग, स्वतंत्र शोध संस्थान	लागत-लाभ विश्लेषण (Cost-Benefit Analysis), प्रभाव आकलन

3. राजस्थान में नीति निर्माण की प्रक्रिया और संस्थागत तंत्र

राजस्थान जैसे वृहद भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से विविध राज्य में नीति निर्माण की प्रक्रिया विकेंद्रीकृत परामर्श और केंद्रीयकृत प्रशासनिक स्वीकृति का संलयन है।

अ. नीति निर्माण की प्रक्रिया:

क. **परामर्श एवं स्टेकहोल्डर संवाद:** उद्योग संघों, किसानों, शिक्षाविदों और सिविल सोसायटी के साथ परामर्श बैठकें।

ख. **विभागीय प्रारूपण (Secretariat Drafting):** संबंधित प्रशासनिक विभाग (जैसे उद्योग, ऊर्जा, स्वास्थ्य) द्वारा शासन सचिव के नेतृत्व में नीति का ड्राफ्ट तैयार करना।

ग. **वित्त एवं विधि संवीक्षा:** वित्त विभाग (राजकोषीय प्रभाव आकलन - Fiscal Impact Analysis) और विधि विभाग (वैधानिक शुद्धता परीक्षण) की संस्तुति।

घ. **कैबिनेट अनुमोदन:** मंत्रिमंडलीय समिति या मंत्रिपरिषद द्वारा औपचारिक स्वीकृति, जिसके पश्चात आधिकारिक गजट अधिसूचना (Gazette Notification) जारी होती है।

प्रशासनिक सोपान	वैधानिक भूमिका	उत्तरदायित्व
संबंधित विभाग (सचिवालय)	प्राथमिक नीति ड्राफ्टिंग	क्षेत्रीय डेटा विश्लेषण, नीति प्रारूप तैयार करना

वित्त विभाग	राजकोषीय संवीक्षा	सब्सिडी, पूंजीगत व्यय और बजट प्रावधान परीक्षण
मंत्रिमंडल (Cabinet)	अंतिम नीति अंगीकरण	राजनीतिक इच्छाशक्ति और राज्य-व्यापी प्राथमिकता निर्धारण

4. राजस्थान की प्रमुख नीतियाँ: औद्योगिक नीति (Industrial Policy)

औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और संतुलित क्षेत्रीय विकास को गति देने के लिए राजस्थान सरकार समय-समय पर नवीन औद्योगिक नीतियाँ लेकर आती है।

अ. राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) और औद्योगिक नीति संदर्भ:

क. **फोकस क्षेत्र:** एमएसएमई (MSME) सेक्टर का सुदृढीकरण, खनिज आधारित उद्योगों का मूल्य संवर्धन (Value addition), हस्तशिल्प और टेक्स्टाइल सेक्टर को प्रोत्साहन।

ख. **विशेष प्रावधान:** पिछड़ा क्षेत्रों (Backward areas) में इकाई स्थापना पर पूंजी निवेश सब्सिडी (Capital Subsidy), स्टाम्प ड्यूटी में छूट, और बिजली टैरिफ में राहत।

ग. **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business):** सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम (Single Window Clearance System) और 'राज-निवेश' (Raj-Nivesh) पोर्टल के माध्यम से समयबद्ध अनुज्ञाएं।

औद्योगिक नीति आयाम	वैधानिक / प्रशासनिक प्रोत्साहन	लक्षित प्रभाव
एमएसएमई विकास	तकनीकी उन्नयन अनुदान, आसान ऋण	स्थानीय रोजगार सृजन, आयात प्रतिस्थापन
एकल खिड़की (Single Window)	निर्धारित समय-सीमा में वैधानिक स्वीकृतियाँ	लालफीताशाही में कमी, प्रत्यक्ष विदेशी/घरेलू निवेश आकर्षण
क्षेत्रीय संतुलन	मरुस्थलीय/जनजातीय क्षेत्रों में अतिरिक्त कर रियायतें	प्रादेशिक असमानता में कमी

5. राजस्थान की प्रमुख नीतियाँ: सौर ऊर्जा नीति (Solar & Renewable Energy Policy)

राजस्थान में प्रचुर सौर विकिरण (Solar Radiation - औसत 300 से अधिक धूप वाले दिन प्रतिवर्ष) के कारण ऊर्जा सुरक्षा और हरित संक्रमण (Green Transition) की दिशा में सौर ऊर्जा नीतियां मील का पत्थर रही हैं।

अ. नीतिगत मुख्य विशेषताएँ:

क. **राजस्थान सौर ऊर्जा नीति:** यूटिलिटी-स्केल सोलर पार्क, रूफटॉप सोलर (Rooftop Solar), और कुटीर/कृषि स्तर पर कुसुम (PM-KUSUM) योजना का समावेशन।

ख. **भूमि रूपांतरण और संविदात्मक सरलीकरण:** बंजर और अकृषि योग्य भूमि (Waste/Barren land) के सौर परियोजनाओं के लिए तीव्र भूमि रूपांतरण (Land Conversion) की अनुमति।

ग. **ग्रिड कनेक्टिविटी और ट्रांसमिशन:** ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के माध्यम से उत्पादित ऊर्जा का अंतर-राज्यीय और इंटर-स्टेट प्रेषण (Transmission)।

ऊर्जा नीति तत्व	वैधानिक / प्रशासनिक प्रावधान	लाभ / परिणाम
सौर पार्क विकास (Solar Parks)	भादला (जोधपुर), फलौदी और जैसलमेर में वृहद पार्क स्थापना	वैश्विक स्तर पर सौर हब के रूप में राजस्थान की पहचान
कुसुम योजना (Component A/C)	किसानों को भूमि पर सौर संयंत्र लगाने और ऊर्जा बिक्री पर आय	कृषि क्षेत्र में दिन के समय विश्वसनीय बिजली और अतिरिक्त आय
कर एवं शुल्क छूट	सौर उपकरणों के क्रय पर वैट/GST रियायतें, ट्रांसमिशन चार्ज में छूट	निवेश लागत में कमी, निवेशकों का आकर्षण

6. राजस्थान की प्रमुख नीतियाँ: जन स्वास्थ्य नीति एवं सार्वभौमिक स्वास्थ्य मॉडल

लोक स्वास्थ्य (Public Health) को अधिकार आधारित सेवा बनाने की दिशा में राजस्थान ने अनूठी पहल की है।

अ. **स्वास्थ्य नीति के प्रमुख स्तंभ:**

क. **निशुल्क दवा एवं जांच योजना:** राजकीय अस्पतालों में आवश्यक दवाओं और डायग्नोस्टिक्स की मुफ्त उपलब्धता।

ख. **स्वास्थ्य का अधिकार (Right to Health Act):** आपातकालीन चिकित्सा उपचार (Emergency Treatment) का नागरिक अधिकार, जिसके तहत किसी भी अस्पताल (निजी या सरकारी) में आपातकाल में निःशुल्क इलाज की कानूनी बाध्यता।

ग. **सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा मॉडल:** राज्य के निवासियों को कैशलेस स्वास्थ्य कवर प्रदान करने वाली बीमा योजनाएं (जैसे पूर्ववर्ती चिरंजीवी और समकालीन एकीकृत स्वास्थ्य कार्ड मॉडल)।

स्वास्थ्य नीति आयाम	वैधानिक / प्रशासनिक व्यवस्था	लोक कल्याणकारी प्रभाव
आपातकालीन देखभाल	राइट टू हेल्थ अधिनियम प्रावधान	निजी अस्पतालों में भी गोल्डेन ऑवर में निःशुल्क प्राथमिक उपचार
औषधीय सुरक्षा	सेंट्रल ड्रग वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन (RMCWL)	जेनेरिक दवाओं की पारदर्शी आपूर्ति शृंखला
निवारक स्वास्थ्य (Preventive Health)	निरोगी राजस्थान अभियान	जीवनशैली रोगों और संक्रामक बीमारियों की प्रारंभिक स्क्रीनिंग

7. नीति मूल्यांकन (Policy Evaluation) के मानक और पद्धतियाँ

नीति निर्माण और कार्यान्वयन के पश्चात उसकी वास्तविक सार्थकता मापने के लिए वैज्ञानिक मूल्यांकन अनिवार्य है।

अ. मूल्यांकन के प्रमुख मानक (Criteria):

क. प्रासंगिकता (Relevance): क्या नीति वास्तव में उस मूल समस्या का समाधान कर रही है जिसके लिए बनाई गई थी?

ख. प्रभावशीलता (Effectiveness): क्या लक्षित परिणाम (Target outcomes) प्राप्त हुए हैं?

ग. दक्षता (Efficiency): कम लागत और न्यूनतम समय में अधिकतम सामाजिक लाभ (Cost-effectiveness)।

घ. स्थिरता (Sustainability): क्या नीतिगत लाभ दीर्घकालिक रूप से टिकने योग्य हैं (वित्तीय और पारिस्थितिकीय दृष्टि से)?

ड. समावेशन (Equity / Inclusiveness): क्या हाशिए के वर्ग (SC, ST, महिला, दिव्यांग) तक लाभांश समान रूप से पहुंचा है?

मूल्यांकन मानक	परीक्षण प्रश्न	मुख्य डेटा स्रोत
प्रभावशीलता (Effectiveness)	लक्ष्य बनाम वास्तविक उपलब्धि का अनुपात	विभाग की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट, कैग (CAG) ऑडिट
दक्षता (Efficiency)	प्रति इकाई व्यय पर कितना सामाजिक लाभ?	राजकोषीय लेखा परीक्षा (Financial audit), लागत-लाभ अनुपात

समता (Equity)	क्या वंचित क्षेत्रों/वर्गों को आनुपातिक लाभ मिला?	सामाजिक अंकेक्षण (Social audit), धरातलीय सर्वे
---------------	---	--

8. नीति मूल्यांकन में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) और स्वतंत्र निकायों की भूमिका

लोक नीति के वित्तीय और प्रशासनिक निष्पादन का परीक्षण स्वतंत्र संवैधानिक अभिकरणों द्वारा होता है।

अ. संस्थागत संवीक्षा:

क. **CAG प्रतिवेदन:** किसी विशिष्ट नीति (जैसे सौर ऊर्जा भूमि आवंटन या स्वास्थ्य बीमा क्लेम वितरण) में राजकोषीय औचित्य और अपव्यय की समीक्षा।

ख. **विधान सभा की समितियाँ:** लोक लेखा समिति (PAC) और प्राकलन समिति द्वारा नीतिगत परिणामों की संवीक्षा।

ग. **सिविल सोसायटी एवं सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit):** मनरेगा और कल्याणकारी योजनाओं में ग्राम सभा के माध्यम से धरातलीय सत्यापन।

9. नीति निर्माण और कार्यान्वयन में समकालीन चुनौतियाँ (डिजिटल डिवाइड, नौकरशाही जड़ता)

सैद्धांतिक उत्कृष्टता के बावजूद धरातल पर नीतियों के क्रियान्वयन में कई संरचनात्मक अवरोध आते हैं।

अ. **प्रमुख चुनौतियाँ:**

क. **पालिसी-इम्प्लीमेंटेशन गैप (Policy-Implementation Gap):** सचिवालय में बनी आदर्श नीतियों का मैदानी स्तर पर नौकरशाही की जड़ता (Bureaucratic inertia) या लालफीताशाही के कारण धीमा क्रियान्वयन।

ख. **डिजिटल डिवाइड (Digital Divide):** डीबीटी (Direct Benefit Transfer) या ऑनलाइन पोर्टल आधारित योजनाओं में ग्रामीण और इंटरनेट-वंचित क्षेत्रों की पहुँच की कठिनाई।

ग. **संसाधन और क्षमता कमी:** मैदानी अमले (फील्ड स्टाफ) के पास तकनीकी और प्रशासनिक प्रशिक्षण का अभाव।

चुनौती आयाम	कारण	समकालीन सुधार / समाधान
पालिसी गैप	सचिवालय और फील्ड एजेंसियों के बीच संवादहीनता	रियल-टाइम डैशबोर्ड, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समीक्षा
डेटा विसंगति	डुप्लीकेट लाभार्थी या अपूर्ण सीडिंग	जन आधार / आधार (Aadhaar) बायोमेट्रिक लिंकिंग

भ्रष्टाचार/रिस्का व	बिचौलियों की भूमिका	डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में हस्तांतरण
------------------------	---------------------	---

10. भविष्य की दृष्टि: साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण (Evidence-Based Policy Making) और एआई-संचालित शासन

लोक नीति का भविष्य अटकलों या राजनीतिक लोकलुभावनवाद से आगे बढ़कर डेटा-Driven और साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण पर टिके होने की अपेक्षा रखता है।

अ. निष्कर्ष एवं भावी दृष्टि:

क. राजस्थान जैसे मरुस्थलीय और विकासशील राज्य को जलवायु-संवेदनशील (Climate-resilient) औद्योगिक और जल नीतियां अपनाने की आवश्यकता है।

ख. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI-based predictive analytics), नागरिक फीडबैक पोर्टल और पारदर्शी सोशल ऑडिट के संलयन से लोक नीति निर्माण 'टॉप-डाउन' के बजाय 'को-क्रिएटेड बॉटम-अप' मॉडल में रूपांतरित हो रही है, जिससे सुशासन के वैधानिक लक्ष्य सिद्ध होते हैं।

अध्याय 18: विधिक अधिकार एवं नागरिक अधिकार पत्र (Citizens' Charter)

1. अधिकारों की संकल्पना: नैतिक अधिकार बनाम विधिक अधिकार (Legal Rights)

मानव समाज में 'अधिकार' (Rights) वे दावे हैं जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, गरिमा और स्वतंत्रता के लिए अपरिहार्य माने जाते हैं। दार्शनिक रूप से अधिकार नैतिक (Moral), प्राकृतिक (Natural) या विधिक (Legal) हो सकते हैं। जब इन्हीं नैतिक या दावों को राज्य की संप्रभु सत्ता द्वारा मान्यता दी जाती है, उनके संरक्षण के लिए न्यायिक या अर्द्ध-न्यायिक तंत्र का सृजन किया जाता है, और उनके उल्लंघन पर दंड का विधान तय किया जाता है, तो वे **विधिक अधिकार (Legal Rights)** बन जाते हैं।

भारतीय संविधान के भाग 3 में प्रदत्त **मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)** सर्वोच्च विधिक अधिकार हैं जिनका प्रवर्तन अनुच्छेद 32 (उच्चतम न्यायालय) और अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालय) के माध्यम से सीधे किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए सांविधिक कानून (Statutory/Legal Rights - जैसे सूचना का अधिकार, लोक सेवा गारंटी, सुनवाई का अधिकार) नागरिकों को कार्यकारी मनमानी के विरुद्ध सशक्त बनाते हैं।

अधिकार श्रेणी	मूल स्रोत / आधार	प्रवर्तन तंत्र / उपाय
मौलिक अधिकार	संविधान का भाग 3 (अनुच्छेद 12-35)	सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) एवं उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226)

नीति-निर्देशक तत्व (DPSP)	संविधान का भाग 4 (अनुच्छेद 36-51)	गैर-न्यायिक (Non-justiciable), किंतु शासन का नैतिक/वैधानिक आधार
सांविधिक/विधिक अधिकार	संसद/विधानमंडल के विशेष अधिनियम	निचली अदालतें, आयोग, लोकपाल, विशिष्ट अपीलीय प्राधिकरण

2. नागरिक अधिकार पत्र (Citizens' Charter): अवधारणा और दार्शनिक विकास

पारंपरिक नौकरशाही व्यवस्था में शासन को 'मालिक' और नागरिक को 'प्रजा' या 'याचकर्ता' के रूप में देखने की औपनिवेशिक मानसिकता रही है। इस प्रतिमान को बदलने के लिए 1991 में यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री जॉन मेजर की सरकार द्वारा **सिटिजन चार्टर (Citizens' Charter)** की अभिनव अवधारणा का सूत्रपात हुआ।

अ. सिटिजन चार्टर का मूल दर्शन:

क. प्रशासन को 'नागरिक-केंद्रित' (Citizen-centric) बनाना।

ख. लोक सेवाओं के प्रदाय में **6 'C' के सिद्धांत** की पालना:

- **Choice (विकल्प):** जहां संभव हो सेवाओं का चयन।
- **Standard (मानक):** सेवा की गुणवत्ता और समय-सीमा का स्पष्ट निर्धारण।
- **Value (मूल्य):** करदाताओं के धन का सदुपयोग एवं दक्षता।
- **Accountability (उत्तरदायित्व):** चूक होने पर व्यक्तिगत/संस्थागत जवाबदेही।
- **Transparency (पारदर्शिता):** नियम-प्रक्रियाओं का खुलापन।
- **Courtesy (शिष्टाचार):** लोक सेवकों द्वारा नागरिकों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार।

ब. भारत में सिटिजन चार्टर का विकास:

क. 1997 में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में 'एक्शन प्लान फॉर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस' (Action Plan for Responsive Governance) के तहत भारत में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा सिटिजन चार्टर अपनाने की शुरुआत हुई।

ख. बाद में इसे 'सेवा का अधिकार' (Right to Service) जैसे वैधानिक कानूनों के रूप में अमलीजामा पहनाया गया, क्योंकि केवल प्रशासनिक घोषणापत्र (Charter) होने पर कानूनी बाध्यता का अभाव रहता है।

3. सिटिजन चार्टर का ढांचा, उद्देश्य और प्रभावशीलता के घटक

एक आदर्श नागरिक अधिकार पत्र केवल कागजी दस्तावेज नहीं होता, बल्कि वह विभाग और नागरिक के बीच एक पारदर्शी सेवा-अनुबंध होता है।

अ. ढांचागत घटक:

क. विभाग का मिशन और विजन स्टेटमेंट (Mission & Vision)।

ख. प्रदान की जाने वाली सेवाओं की स्पष्ट सूची (जैसे प्रमाण पत्र, लाइसेंस, बिल भुगतान, कल्याणकारी लाभ)।

ग. प्रत्येक सेवा के लिए **निश्चित समय-सीमा (Timeframe)**।

घ. सेवा शुल्क (Fee structure) और फॉर्म उपलब्धता की जानकारी।

ङ. शिकायत निवारण अधिकारी (Grievance Redressal Officer - GRO) का नाम, पदनाम और संपर्क विवरण।

ब. सफलता की शर्तें:

क. चार्टर का निर्माण हितधारकों (Stakeholders/Citizens) के साथ परामर्श करके किया जाना चाहिए (कॉर्पोरेट/टॉप-डाउन नहीं)।

ख. स्थानीय भाषाओं में उपलब्धता और डिजिटल पोर्टल पर सुलभता।

चार्टर घटक	पारंपरिक कागजी घोषणा (Pre-2010)	आधुनिक वैधानिक-डिजिटल सिटिजन चार्टर (2020-2026)
उपलब्धता	विभाग के बोर्ड पर टंगा हुआ पुराना पत्राचार	ई-पोर्टल, मोबाइल ऐप और डैशबोर्ड पर रियल-टाइम चार्टर
समय-सीमा अनुपालन	मौखिक आश्वासन, अनिश्चित प्रतीक्षा	ऑटो-एसएमएस/डिजिटल ट्रैकिंग और विलंब पर स्वतः दंड
शिकायत निवारण	उसी अधिकारी के पास दोबारा आवेदन	स्वतंत्र अपीलीय प्राधिकारी और समयबद्ध पेनल्टी

4. राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 (Rajasthan Right to Hearing Act, 2012)

प्रशासनिक पारदर्शिता, शिकायतों के त्वरित निवारण और 'सुनवाई के प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत' (Audi alteram partem) को वैधानिक रूप देने के लिए राजस्थान सरकार ने **राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012** पारित किया, जो 1 अगस्त 2012 से प्रवृत्त हुआ।

अ. अधिनियम के मूल प्रावधान:

क. प्रत्येक नागरिक को यह वैधानिक अधिकार है कि वह विकास कार्यों, लोक सेवाओं, या प्रशासनिक शिकायतों के संबंध में जनसुनवाई में अपनी बात रखे।

ख. **सहायक जनसुनवाई अधिकारी (Assistant Public Hearing Officer)** और **जनसुनवाई अधिकारी (Public Hearing Officer - PHO)** का प्रावधान, जो समय-सीमा के भीतर परिवाद का निस्तारण करेंगे।

ग. यदि PHO या प्राधिकारी द्वारा समय पर सुनवाई या संतोषजनक निर्णय नहीं दिया जाता, तो प्रथम अपील और द्वितीय अपील (संभागीय आयुक्त या राज्य स्तर पर विहित प्राधिकारी) का प्रावधान।

घ. कर्तव्य में लापरवाही बरतने वाले लोक सेवक पर शास्ति (Penalty) अधिरोपित करने की शक्ति।

प्रक्रियात्मक आयाम	वैधानिक प्रावधान	सीमा / समय-सीमा

परिवाद प्रस्तुति	लिखित या डिजिटल रूप में PHO के समक्ष	निर्धारित प्रारूप में
प्रारंभिक निस्तारण	PHO द्वारा सुनवाई एवं आदेश	निर्धारित दिवस (सामान्यतः 15-30 दिन के भीतर)
प्रथम अपील	उच्च प्रशासनिक प्राधिकारी के समक्ष अपील	आदेश प्राप्ति से 30 दिन के भीतर

5. राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 (Right to Public Services Act, 2011)

नागरिक अधिकार पत्र को बाध्यकारी कानूनी अधिकार में बदलने के लिए राजस्थान ने **राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011** लागू किया, जिसने प्रशासनिक सेवाओं को डिलेवरी-आधारित (Time-bound delivery) बना दिया।

अ. अधिनियम की मुख्य विशेषताएं:

क. विभिन्न विभागों (राजस्व, गृह, स्थानीय निकाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन) की चिन्हित **लोक सेवाओं** को निश्चित समयावधि में प्रदान करना वैधानिक रूप से अनिवार्य किया गया।

ख. यदि निर्धारित समयावधि में सेवा प्रदान नहीं की जाती है, तो सेवा प्रदाता (Designated Officer) पर शास्ति (Penalty - ₹500 से ₹5000 तक या विभागीय अनुशासन) लगाने का प्रावधान।

ग. विलंब के कारण पीड़ित नागरिक को प्रतिकर (Compensation) दिए जाने की व्यवस्था।

ब. प्रथम एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी:

क. प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (First Appellate Authority - FAA) और द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी (Second Appellate Authority) के समक्ष अपील का अधिकार, जिनके आदेश बाध्यकारी होते हैं।

सेवा गारंटी आयाम	वैधानिक प्रावधान	उत्तरदायित्व एवं दंड
चिन्हित सेवाएं	राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, जाति/मूल निवास, लाइसेंस	पारदर्शी सूची समय-बद्धता सहित
विलंब शास्ति	धारा के तहत Designated Officer पर आर्थिक दण्ड	₹500 से ₹5000 तक या अनुशासनात्मक कार्रवाई

अपीलीय सोपान	FAA (वरिष्ठ अधिकारी) और SAA (आयोग/संभागीय स्तर)	न्यायोचित प्रतिकर एवं सेवा सुनिश्चितता
--------------	---	--

6. दोनों अधिनियमों (सुनवाई का अधिकार 2012 बनाम सेवा गारंटी 2011) का तुलनात्मक विश्लेषण

राजस्थान के ये दोनों ऐतिहासिक कानून सुशासन के जुड़ाव स्तंभ हैं, किंतु इनके कार्यक्षेत्र और फोकस में अंतर है।

तुलनात्मक आधार	राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012	राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011
मूल फोकस	प्रशासनिक शिकायतों, नीतिगत grievances और सुनवाई का अवसर	पूर्व-निर्धारित लोक सेवाओं (जैसे प्रमाण पत्र, लाइसेंस, पानी/बिजली कनेक्शन) की समय-बद्ध डिलीवरी
मुख्य प्राधिकारी	जनसुनवाई अधिकारी (PHO) एवं अपीलीय प्राधिकारी	पदांकित अधिकारी (Designated Officer) एवं अपीलीय प्राधिकारी
दंडात्मक दृष्टिकोण	प्रशासनिक उत्तरदायित्व एवं सुनवाई अनुपालन सुनिश्चित करना	सेवा विलंब पर आर्थिक शास्ति (Penalty) एवं प्रतिकर

7. लोक नीति और विधिक अधिकारों के बीच अंतःक्रिया (Policy-Law Interface)

लोक नीतियां (जैसे चिरंजीवी, जनसुनवाई पोर्टल, जन आधार) जब वैधानिक कानूनों (Right to Public Services / Right to Hearing) से जुड़ जाती हैं, तब उनका प्रभाव 'ऐच्छिक कल्याण' से बदलकर 'अधिकार आधारित सुशासन' (Rights-based Governance) में रूपांतरित हो जाता है।

अ. अधिकार आधारित मॉडल के लाभ:

क. नागरिक भीख मांगने की स्थिति में नहीं रहता, बल्कि वह अपनी विधिक पात्रता (Legal Entitlement) की मांग कर सकता है।

ख. नौकरशाही में 'जवाबदेही की संस्कृति' (Culture of Accountability) का विकास होता है।

8. ई-गवर्नेंस, 'ई-मित्र' और समकालीन डिजिटल सिटिजन चार्टर (2020-2026)

पारंपरिक काउंटर-आधारित सेवा गारंटी अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह एकीकृत हो चुकी है।

अ. डिजिटल परिवर्तन:

क. **राजस्थान संपर्क (Sampark) पोर्टल:** 181 हेल्पलाइन और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए शिकायतों का सिंगल-विंडो ट्रैकिंग।

भ. **जन आधार और ई-प्रमाण पत्र:** जन्म-मृत्यु, जाति, मूल निवास, और जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभों का समय-बद्ध ऑटोमेटेड डिजिटल प्रदाय।

ग. **फेसलेस और पेपरलेस सेवाएं:** नागरिक को कार्यालय जाने की आवश्यकता के बिना डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त दस्तावेज प्राप्त होना।

डिजिटल आयाम	पारंपरिक काउंटर व्यवस्था	समकालीन डिजिटल एकीकृत तंत्र (2020-2026)
आवेदन प्रक्रिया	भौतिक काउंटर पर फॉर्म जमा कराना, रसीद लेना	e-Mitra / SSO ID के जरिए ऑनलाइन सबमिशन
स्टेटस ट्रैकिंग	रजिस्टर में नंबर खोजना या बाबू से पूछना	एसएमएस/व्हाट्सएप/पोर्टल पर रियल-टाइम ट्रैकिंग
विलंब निवारण	बार-बार चक्कर लगाना	ऑटो-escalation और उच्चाधिकारियों के डैशबोर्ड पर रेड फ्लैग

9. विधिक अधिकारों और सेवा गारंटी के क्रियान्वयन में समकालीन चुनौतियाँ

वैधानिक उत्कृष्टता के बावजूद धरातल पर कई संरचनात्मक और व्यावहारिक अवरोध मौजूद हैं।

अ. प्रमुख चुनौतियाँ:

क. **जागरूकता का अभाव:** ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को अपने अधिकार-पत्र और पेनल्टी प्रावधानों की पूरी जानकारी न होना।

ख. **दंडात्मक प्रावधानों का कम उपयोग:** अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा Designated Officers पर पेनल्टी लगाने में संकोच या प्रशासनिक सौहार्द का दबाव।

ग. **स्टाफ की कमी:** मैदानी कार्यालयों (तहसील, ब्लॉक, निकाय) में भारी वर्कलोड और तकनीकी बुनियादी ढांचे का असमान वितरण।

चुनौती आयाम	कारण	सुधारात्मक प्रशासनिक उपाय

कम पेनल्टी प्रवर्तन	औपचारिक प्रक्रिया और पत्राचार का संकोच	ऑटोमेटेड पेनल्टी जेनरेशन सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन
ग्रामीण अज्ञानता	डिजिटल/विधिक साक्षरता की कमी	पंचायत स्तर पर विधिक साक्षरता शिविर और वॉयस-आधारित हेल्पडेस्क
बैकएंड डिले	विभागों में समन्वय का अभाव	इंटीग्रेटेड एपीआई (API) और रियल-टाइम फाइल ट्रेकिंग

10. भविष्य की दृष्टि: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और प्रेडिक्टिव गवर्नेंस

विधिक अधिकारों और नागरिक अधिकार पत्रों का भविष्य 'प्रतिक्रियाशील' (Reactive) से 'प्रेडिक्टिव' (Predictive) गवर्नेंस की ओर बढ़ रहा है।

अ. निष्कर्ष एवं भावी दृष्टि:

क. राजस्थान के सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 और सेवा गारंटी अधिनियम 2011 ने सुशासन के भारतीय संघवाद में एक मानक स्थापित किया है।

ख. एआई-आधारित चैटबॉट, ऑटोमेटेड एसएलए (SLA - Service Level Agreement) मॉनिटरिंग और पारदर्शी सोशल ऑडिट के संलयन से सिटीजन चार्टर को 'कागजी वादे' से 'सजीव डिजिटल अधिकार' के रूप में स्थापित किया जा रहा है।

अध्याय 19: सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) एवं जन सूचना पोर्टल

1. पारंपरिक वित्तीय अंकेक्षण बनाम सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit): सैद्धांतिक आधार

पारंपरिक वित्तीय अंकेक्षण (Financial / Statutory Audit) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा आंकड़ों की गणितीय शुद्धता, वाउचर, बिल और राजकोषीय नियमों की अनुपालना (Compliance) की जाँच करने वाली एक तकनीकी प्रक्रिया है। यह यह देखता है कि "पैसा कहाँ खर्च हुआ और क्या हिसाब-किताब सही है?"।

इसके विपरीत, सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) लोकतान्त्रिक जवाबदेही का वह सहभागी (Participatory) और ज़मीनी उपकरण है जिसके माध्यम से किसी लोक नीति, योजना या विकास कार्य के

धरातलीय प्रभाव (Social Impact), गुण-दोष, और वास्तविक लाभार्थियों तक लाभांश पहुँचने की समीक्षा स्वयं **लाभार्थी समुदाय (Local Community/Gram Sabha)** द्वारा की जाती है। इसका मूल प्रश्न यह होता है कि "क्या जिस उद्देश्य के लिए लोक धन व्यय किया गया, उसने वास्तव में लक्षित समाज के जीवन में गुणात्मक सुधार लाया या नहीं?"

तुलनात्मक आयाम	पारंपरिक वित्तीय अंकेक्षण (Financial Audit)	सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit)
मुख्य अभिकर्ता	सीएजी (CAG), पेशेवर ऑडिटर, राजकोषीय विशेषज्ञ	ग्राम सभा, स्थानीय नागरिक, लाभार्थी, स्वतंत्र स्वयंसेवक
दृष्टिकोण	कागजी अभिलेख, वाउचर, बिल, अर्थमितीय शुद्धता	धरातलीय भौतिक सत्यापन, जन-साक्षी बयान, सार्वजनिक सुनवाई
भागीदारी	विशेषज्ञ-केंद्रित (Top-down technical review)	सहभागी और लोकतांत्रिक (Bottom-up democratic scrutiny)
मुख्य फोकस	व्यय की वैधानिक शुद्धता और रोकड़ बही मिलान	सार्वजनिक उपयोगिता, समावेशन (Inclusiveness) और पारदर्शिता

2. सामाजिक अंकेक्षण की कार्यप्रणाली और चरणबद्ध प्रक्रिया

सामाजिक अंकेक्षण कोई एक दिवसीय कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित और चरणबद्ध सामाजिक-प्रशासनिक अन्वेषण है।

अ. प्रमुख चरण:

क. **पूर्व-अंकेक्षण चरण (Pre-audit):** ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण समिति का गठन, मस्टरोल, बिल, भौतिक परिसंपत्तियों की सूची और अभिलेखों की प्रतियां प्राप्त करना।

ख. **क्षेत्रीय सत्यापन (Field Verification):** समिति द्वारा घर-घर जाकर या कार्य-स्थल (जैसे निर्माण स्थल, स्कूल, आंगनबाड़ी) पर जाकर भौतिक निरीक्षण करना, मजदूरों या लाभार्थियों से सीधे साक्ष्य प्राप्त करना।

ग. **जनसुनवाई (Public Hearing / Jan Sunwai):** ग्राम स्तर पर खुली अदालत/संसद जैसा मंच आयोजित करना जहाँ प्रशासनिक अधिकारी, जन प्रतिनिधि और आम जनता के सामने अंकेक्षण निष्कर्षों को पढ़ा जाता है और स्पष्टीकरण मांगा जाता है।

घ. **अनुपालना एवं कार्रवाई रिपोर्ट (Action Taken Report - ATR):** जनसुनवाई में उभरी अनियमितताओं या रिकवरी के प्रस्तावों को सक्षम प्राधिकारी को भेजना और वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करना।

अंकेक्षण चरण	मुख्य गतिविधि	वैधानिक / प्रशासनिक उत्तरदायित्व

तैयारी (Preparation)	दस्तावेज प्राप्त करना, समिति का प्रशिक्षण	ग्राम विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी
मैदानी सत्यापन (Inspection)	मस्टरोल मिलान, भौतिक परिसंपत्ति माप	सामाजिक अंकेक्षण टीम / स्वयंसेवक
जनसुनवाई (Public Hearing)	खुली बहस, साक्ष्य वाचन, स्पष्टीकरण	स्वतंत्र जनसुनवाई अध्यक्ष (Observer) एवं अधिकारी
अनुपालना (ATR)	दण्ड, राशि वसूली, प्रशासनिक सुधार	जिला कलेक्टर / मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)

3. महात्मा गांधी नरेगा (MGNREGA) में पारदर्शिता और सामाजिक अंकेक्षण की अनिवार्यता

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA, 2005), जो दुनिया की सबसे बड़ी मांग-आधारित रोजगार गारंटी योजना है, के धारा 17 में सामाजिक अंकेक्षण को वैधानिक रूप से अनिवार्य किया गया है।

अ. नरेगा में पारदर्शिता के सांविधिक तंत्र:

क. **मस्टरोल की सार्वजनिक उपलब्धता:** कार्यस्थल पर मस्टरोल (Muster Roll) का खुला रहना ताकि काम करने वाले श्रमिक अपनी उपस्थिति और मजदूरी की प्रविष्टि देख सकें।

ख. **जॉब कार्ड डिजिटलीकरण:** हर परिवार को जॉब कार्ड और डिजिटल ट्रैकिंग।

ग. **सोशल ऑडिट यूनिट (SAU):** राज्य स्तर पर एक स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन, जो राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप से मुक्त होकर प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रतिवर्ष कम से कम एक बार सामाजिक अंकेक्षण कराना सुनिश्चित करती है।

घ. **सामूहिक जनसुनवाई की बाध्यता:** फर्जी मस्टरोल, मृत/अनुपस्थित व्यक्तियों के नाम से भुगतान (Ghost beneficiaries), या कम सामग्री गुणवत्ता के मामलों में सार्वजनिक मंच पर जवाबदेही तय करना।

नरेगा पारदर्शिता आयाम	वैधानिक आधार	व्यावहारिक सुरक्षा
धारा 17 अनुपालना	MGNREGA अधिनियम 2005	प्रत्येक ग्राम पंचायत का अनिवार्य वार्षिक सामाजिक अंकेक्षण

मस्टरोल खुलापन	अधिनियम नियम	श्रमिक द्वारा स्वयं उपस्थिति और कार्यदिवस सत्यापन
स्वतंत्र SAU	केंद्र/राज्य दिशानिर्देश	प्रशासनिक नियंत्रण से मुक्त स्वतंत्र अंकेक्षण निदेशक/दल

4. 'जन सूचना पोर्टल' (Jan Information Portal - राजस्थान अभिनव पहल)

भारत के सूचना का अधिकार (RTI 2005) के तहत प्रत्येक आवेदन पर सूचना मांगने की पारंपरिक प्रक्रिया (जो कई बार लंबी और खर्चीली होती है) को दरकिनार करते हुए, राजस्थान सरकार ने नागरिकों को **बिना आवेदन किए, स्वतः (Proactive disclosure)** शासन की योजनाओं, लाभार्थियों, बजट और प्रशासनिक खर्चों की रियल-टाइम जानकारी उपलब्ध कराने के लिए **जन सूचना पोर्टल (jaisoo.rajasthan.gov.in)** का ऐतिहासिक शुभारंभ 13 सितंबर 2019 को किया।

अ. संविधान/सुशासन दर्शन:

संविधान के अनुच्छेद 19(1)(अ) और आरटीआई की धारा 4(1)(b) (स्व-प्रेरित प्रकटीकरण) को डिजिटल युग में जन-केंद्रित फलक देना।

ब. जन सूचना पोर्टल की मूल विशेषताएं:

क. सिंगल-विंडो डिजिटल एक्सेस: एक ही पोर्टल पर राज्य के दर्जनों विभागों, योजनाओं और सेवाओं का डेटाबेस।

ख. लोक-केंद्रित खोज (Citizen-friendly search): जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत या स्वयं के जन आधार/नाम से योजनाओं के लाभ या सूची देखना।

ग. पारदर्शिता और बिचौलिया-मुक्ति (Middlemen elimination): ग्रामीण नागरिक यह देख सकता है कि उसके गांव में किस विकास कार्य के लिए कितना बजट आया और किस ठेकेदार/एजेंसी को गया।

पोर्टल आयाम	विवरण / विशेषता
लॉन्च तिथि	13 सितंबर 2019
तकनीकी मंच	राजस्थान संपर्क / आईटी विभाग, राजस्थान सरकार
मूल दार्शनिक सूत्र	"हर नागरिक का अधिकार—सरकार क्या कर रही है, उसकी पूरी जानकारी उसकी उंगलियों पर"

5. जन सूचना पोर्टल पर उपलब्ध प्रमुख सेवाएँ और क्षेत्र

जन सूचना पोर्टल पर कल्याणकारी योजनाओं, कृषि, खाद्य सुरक्षा, खनन, ऊर्जा, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े सैकड़ों डेटा पॉइंट लाइव उपलब्ध हैं।

अ. **प्रमुख उपलब्ध क्षेत्र एवं सेवाएँ:**

क. **खाद्य सुरक्षा (PDS / राशन):** उचित मूल्य की दुकान (Fair Price Shop) पर स्टॉक, गोहं वितरण की स्थिति और लाभार्थी सूची।

ख. **महात्मा गांधी नरेगा:** कार्यवार व्यय, मस्टरोल विवरण, भुगतान स्थिति और स्वीकृत कार्य।

ग. **सामाजिक सुरक्षा पेंशन:** पेंशनधारियों की सूची, सत्यापन स्थिति और डीबीटी भुगतान।

घ. **खान एवं खनिज (Mining):** बजरी/खनन पट्टे, रॉयल्टी संग्रह और वाहन ट्रैकिंग।

ङ. **विद्युत एवं कृषि कनेक्शन:** कृषि कनेक्शन लंबित सूची, ट्रांसफॉर्मर खराबी/बदलाव की स्थिति।

च. **शिक्षा एवं स्वास्थ्य:** राजकीय विद्यालयों में नामांकन, मिड-डे मील और अस्पतालों में दवा उपलब्धता।

योजना / क्षेत्र	पोर्टल पर दृश्यमान डेटा	नागरिक लाभ
सार्वजनिक वितरण (PDS)	राशन डीलर का स्टॉक, वितरण तिथि, पात्र सूची	राशन वितरण में कालाबाजारी और फर्जी वितरण पर अंकुश
सामाजिक सुरक्षा पेंशन	पेंशनर का नाम, आधार सीडिंग, भुगतान माह	पेंशन रुकने का कारण स्वतः पता चलना, बिचौलिये से मुक्ति
खनन एवं रॉयल्टी	पट्टाधारक विवरण, पर्यावरण मंजूरी, ई-रवत्रा	अवैध खनन और राजस्व चोरी पर जन-निगरानी

6. सूचना का अधिकार (RTI) बनाम जन सूचना पोर्टल: पूरक संबंध बनाम सक्रिय प्रकटीकरण

आरटीआई और जन सूचना पोर्टल दोनों पारदर्शिता के उपकरण हैं, किंतु उनकी कार्यप्रणाली में मूलभूत अंतर है।

अ. **तुलनात्मक विश्लेषण:**

तुलनात्मक आधार	सूचना का अधिकार (RTI Act 2005)	जन सूचना पोर्टल (Jan Information Portal)
प्रकृति	प्रतिक्रियाशील (Reactive) — आवेदन करने पर सूचना	सक्रिय / स्व-प्रेरित (Proactive/Ipsa facto) — बिना आवेदन स्वतः उपलब्ध

समय और व्यय	₹10 शुल्क + 30 दिन प्रतीक्षा + अपीलीय भाग	शून्य व्यय, 24x7 रियल-टाइम डिजिटल एक्सेस
पहुँच दायरा	व्यक्तिगत जिज्ञासा या विशिष्ट दस्तावेजों की मांग	व्यापक जन-सामूहिक डेटा, सूची और डैशबोर्ड
सीमा	व्यक्तिगत डेटा गोपनीयता (धारा 8) के प्रतिबंध	सार्वजनिक हित के सामूहिक डेटा और लाभार्थी सूचियाँ

ब. पूरक भूमिका:

जन सूचना पोर्टल सामान्य नागरिकों की दैनिक जिज्ञासाओं (जैसे नरेगा पैसा, पेंशन, राशन) को स्वतः मिटाता है, जबकि आरटीआई विशिष्ट वैधानिक नीतिगत दस्तावेजों, नोटिंग और विधिक स्पष्टीकरण के लिए आरक्षित रहती है। दोनों मिलकर 'पारदर्शी सुशासन (Transparent Governance)' का मजबूत ढांचा बनाते हैं।

7. ई-गवर्नेंस (e-Governance) की संकल्पना और लोक-कल्याणकारी प्रशासन

ई-गवर्नेंस केवल कागजों को कंप्यूटर पर ले जाना (Computerization) नहीं है, बल्कि यह सूचना और संचार तकनीक (ICT) के माध्यम से प्रशासन की दक्षता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और नागरिक सहभागिता (G2C - Government to Citizen, G2B - Government to Business) को रूपांतरित करने की प्रक्रिया है।

अ. ई-गवर्नेंस के 4 स्तंभ:

क. **G2C (Government to Citizen):** ई-मित्र, जन आधार, डिजिटल प्रमाण पत्र (जाति, मूल निवास), जन सुनवाई पोर्टल।

ख. **G2B (Government to Business):** सिंगल विंडो क्लियरेंस (राज-निवेशन), ऑनलाइन टेंडर, ई-Procurement।

ग. **G2G (Government to Government):** ई-ऑफिस (e-Office), आई.एफ.एम.एस. (IFMS - इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम), सचिवालय फाइल ट्रैकिंग।

घ. **G2E (Government to Employee):** पे-रोल स्व-सेवा (Paymanager), जी.पी.एफ. (GPF) पोर्टल, डिजिटल सर्विस बुक।

ई-गवर्नेंस मॉडल	प्रशासनिक फोकस	राजस्थान संदर्भ
G2C (नागरिक केंद्रित)	सरल, पारदर्शी और समयबद्ध सेवा वितरण	e-Mitra, Jan Aadhaar, Sampark 181

G2G (विभाग-अंतर्विभाग)	लालफीताशाही और कागजी विलंब समाप्त करना	e-Office, IFMS राजकोषीय प्रणाली
G2B (व्यवसाय-अनुकूल)	निवेश सुगमता और त्वरित अनुज्ञा	Raj-Nivesh सिंगल विंडो

8. सामाजिक अंकेक्षण और डिजिटल प्लेटफॉर्म का अभिसरण (Convergence)

समकालीन सुशासन में सामाजिक अंकेक्षण को पूरी तरह कागजी प्रक्रिया से बाहर लाकर डिजिटल डेटा और जियो-टैगिंग (Geo-tagging) से जोड़ा जा रहा है।

अ. डिजिटल सोशल ऑडिट के आयाम:

क. **जिओ-टैग परिसंपत्तियाँ:** नरेगा या भवन निर्माण कार्यों के फोटो जीपीएस कोऑर्डिनेट के साथ पोर्टल पर अपलोड होना, जिससे फर्जी या कागजी निर्माण न हो सकें।

ख. **डिजिटल फीडबैक और ऐप आधारित सोशल अंकेक्षण:** मोबाइल ऐप के माध्यम से ग्रामवासी सीधे निर्माण की गुणवत्ता की रेटिंग या शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

ग. **सोशल ऑडिट पोर्टल (SAU Online):** अंकेक्षण आपत्तियों, जनसुनवाई मिनट्स और रिकवरी ट्रेक का केंद्रीकृत डिजिटल रिकॉर्ड।

9. सामाजिक अंकेक्षण और जन सूचना पोर्टल के क्रियान्वयन में समकालीन चुनौतियाँ

वैचारिक और तकनीकी उत्कृष्टता के बावजूद धरातल पर कई संरचनात्मक अवरोध मौजूद हैं।

अ. **प्रमुख चुनौतियाँ:**

क. **डिजिटल डिवाइड (Digital Divide):** ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्मार्टफोन, इंटरनेट कनेक्टिविटी या डिजिटल साक्षरता का अभाव, जिससे जन सूचना पोर्टल का सीधा उपयोग हर अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता।

ख. **राजनीतिक और प्रशासनिक प्रतिरोध:** स्थानीय स्तर पर जन-जागरूकता या कड़े सामाजिक अंकेक्षण से कई बार भ्रष्ट तंत्र (नियोक्ता/ठेकेदार गठजोड़) द्वारा अंकेक्षण दलों या गवाहों पर दबाव बनाने की सामाजिक चुनौती।

ग. **रिकॉर्ड अपडेशन विलंब:** कई विभागों के पोर्टल पर रियल-टाइम डेटा के बजाय कई दिनों या हफ्तों पुराना डेटा अपडेट होना।

घ. **अनुपालना (ATR) में ढिलाई:** जनसुनवाई में भ्रष्टाचार या अनिमित्यता सिद्ध होने के बावजूद कई बार रिकवरी या दंडात्मक कार्रवाई में प्रशासनिक विलंब।

चुनौती आयाम	कारण	सुधारात्मक प्रशासनिक उपाय

डिजिटल पहुँच सीमा	ग्रामीण नेटवर्क व साक्षरता अभाव	e-Mitra कियोस्क के माध्यम से जन सूचना डेटा वाचन सुविधा
डेटा लेटेसी (विलंब)	बैकएंड एंटी और फील्ड समन्वय कमी	ऑटोमेटेड एपीआई (API) इंटीग्रेशन और मासिक ऑडिट
एटीआर (ATR) विलंब	राजनीतिक/प्रशासनिक सुस्ती	मुख्य सचिव/कलेक्टर डैशबोर्ड पर एटीआर पेंडेंसी रेड-फ्लैग

10. भविष्य की दृष्टि: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और 'पार्टिसिपेटरी डिजिटल डेमोक्रेसी'

लोक नीति, सामाजिक अंकेक्षण और ई-गवर्नेंस का भविष्य 'नागरिक सहभागिता से युक्त कृत्रिम बुद्धिमत्ता' (AI-driven Participatory Governance) की ओर अग्रसर है।

अ. निष्कर्ष एवं भावी दृष्टि:

क. राजस्थान का जन सूचना पोर्टल और मनरेगा सामाजिक अंकेक्षण का मॉडल भारतीय संघवाद में 'बाटम-अप अकाउंटैबिलिटी' का सर्वोच्च प्रतिमान है।

ख. एआई-आधारित एनोमली डिटेक्शन (Anomaly detection in muster rolls or PDS stock mismatch), ब्लॉकचेन-आधारित डिजिटल ऑडिट ट्रेल और वॉयस-बेस्ड लोकल लैंग्वेज इंटरफेस के संलयन से शासन को 'सर्वोच्च पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त समाज' के लक्ष्यों की ओर ले जाया जा रहा है।

अध्याय 20: ई-गवर्नेंस एवं सुशासन (Good Governance) की पहलें

1. सुशासन (Good Governance) की संकल्पना और वैधानिक-दार्शनिक आधार

लोक प्रशासन और राजनीतिक सिद्धांत में **सुशासन (Good Governance)** केवल सरकार के होने या कानून लागू करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह लोक संसाधनों के समतामूलक, पारदर्शी, उत्तरदायी और जन-केंद्रित प्रबंधन का प्रतिमान है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा सुशासन के **8 प्रमुख स्तंभ** निर्धारित किए गए हैं:

- सहभागिता (Participation)
- विधि का शासन (Rule of Law)
- पारदर्शिता (Transparency)

- उत्तरदायित्व (Responsiveness)
- सम Consensus-oriented (सर्वसम्मति-उन्मुख)
- इकिटी एवं समावेशी विकास (Equity and Inclusiveness)
- प्रभावशीलता और दक्षता (Effectiveness and Efficiency)
- जवाबदेही (Accountability)

पारंपरिक लोक प्रशासन जहाँ 'दमन या औपनिवेशिक नियंत्रण' पर आधारित था, वहीं सुशासन 'नागरिक को ग्राहक और साझीदार' मानता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT - Information and Communication Technology) के माध्यम से जब इस सुशासन को धरातल पर उतारा जाता है, तो उसे ई-गवर्नेंस (e-Governance) कहा जाता है।

शासन आयाम	पारंपरिक प्रशासन (Traditional Bureaucracy)	ई-गवर्नेंस समर्थित सुशासन (e-Governance Paradigm)
सेवा वितरण (Service Delivery)	काउंटर-आधारित, भौतिक पत्राचार, लंबी कतारें	फेसलेस, पेपरलेस, 24x7 डिजिटल पोर्टल एक्सेस
पारदर्शिता स्तर	फाइल नोटिंग और रिकॉर्ड तक सीमित पहुँच	जन सूचना पोर्टल, डैशबोर्ड आधारित ओपन डेटा
भ्रष्टाचार नियंत्रण	मानवीय विवेकाधिकार और बिचौलियों की गुंजाइश	ऑटोमेटेड वर्कफ़्लो, डीबीटी (Direct Benefit Transfer)
नागरिक सहभागिता	औपचारिक ज्ञापन या विरोध प्रदर्शन	ऑनलाइन फीडबैक, मोबाइल ऐप शिकायत, सोशल ऑडिट

2. ई-गवर्नेंस की चतुर्दिक रूपरेखा (G2C, G2B, G2G, G2E)

सुशासन में सूचना तकनीक का प्रयोग चार स्पष्ट आयामों में होता है, जो राज्य प्रशासन की संपूर्ण कार्यप्रणाली को रूपांतरित करते हैं:

अ. **G2C (Government to Citizen):** नागरिकों को प्रमाण पत्र (जाति, मूल निवास), पेंशन, कल्याणकारी योजनाएं और लाइसेंस डिजिटल माध्यम से देना (जैसे ई-मित्र, जन आधार)।

ब. **G2B (Government to Business):** व्यापार और उद्योग स्थापना के लिए सिंगल विंडो अनुज्ञा, ऑनलाइन टेंडर और कर अनुपालन (जैसे राज-निवेशन, ई-प्राक्योरमेंट)।

स. **G2G (Government to Government):** विभागों और सचिवालय के बीच फाइलों का डिजिटल आदान-प्रदान, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इंटर-डिपार्टमेंटल डेटा शेयरिंग (जैसे ई-ऑफिस, आईएफएमएस)।

द. **G2E (Government to Employee):** सरकारी कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड, वेतन प्रबंधन, जीपीएफ और पदोन्नति का पारदर्शी डिजिटलीकरण (जैसे पे-मैनेजर, राज-काज)।

आयाम	वैधानिक / प्रशासनिक उद्देश्य	प्रमुख तकनीकी उपकरण (राजस्थान संदर्भ)
G2C	नागरिक अधिकारों और लोक सेवाओं की आसान पहुंच	e-Mitra, Jan Aadhaar, e-District
G2B	'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' और निवेश सुगमता	Raj-Nivesh, e-Procurement Portal
G2G	लालफीताशाही समाप्त करना और निर्णय गति बढ़ाना	e-Office, IFMS, Secretariat File Tracking
G2E	कार्मिक संतुष्टि और सेवापुस्तिका पारदर्शित	Paymanager, Raj-Kaj

3. राजस्थान में ई-गवर्नेंस परियोजनाएं: 'ई-मित्र' (e-Mitra) मॉडल

राजस्थान सरकार की ई-मित्र (e-Mitra) परियोजना नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण (G2C/B2C) का देश में अनूठा और व्यापक मॉडल है, जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कियोस्क के माध्यम से डिजिटल सेवाएं देता है।

अ. ई-मित्र का संरचनात्मक स्वरूप:

क. कियोस्क नेटवर्क: ग्रामीण क्षेत्रों में अटल सेवा केंद्र/ग्राम पंचायत स्तर और शहरी क्षेत्रों में ई-मित्र कियोस्क के जरिए कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जैसी सुविधा।

ख. एकीकृत सेवा फलक: बिजली/पानी के बिल, परीक्षा शुल्क, प्रमाण पत्र (जन्म/मृत्यु/विवाह), भू-अभिलेख नकल और सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के आवेदन एक ही छत (या डिजिटल विंडो) के नीचे उपलब्ध।

ग. e-Mitra Plus / Kiosk: मानवरहित (Unattended) डिजिटल टचस्क्रीन कियोस्क, जिससे नागरिक स्वयं 24x7 दस्तावेज प्रिंट या आवेदन स्थिति देख सकते हैं।

4. राज-काज (Raj-Kaj) और ई-ऑफिस: शासकीय आंतरिक डिजिटलीकरण

सचिवालय, निदेशालय और जिला प्रशासनों में कागजी फाइलों के भारी बोझ और विलंब को समाप्त करने के लिए 'राज-काज' और 'ई-ऑफिस' प्रणाली लागू की गई है।

अ. राज-काज (Raj-Kaj - Integrated Office Automation System):

क. राजस्थान सरकार का विशिष्ट ई-गवर्नेंस सॉफ्टवेयर, जो ई-फाइलिंग, लीव मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस अप्रूवल (ACR/APAR) और टास्क मॉनिटरिंग को एक एकीकृत प्लेटफॉर्म पर लाता है।

ख. डिजिटल हस्ताक्षर (Digital Signature Certificate - DSC) के माध्यम से फाइलों का त्वरित अनुमोदन, जिससे 'कहाँ अटकी फाइल' की स्थिति स्पष्ट रहती है।

ब. ई-ऑफिस (e-Office):

क. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा विकसित वर्कफ़्लो आधारित प्रणाली, जो नोटिंग और ड्राफ़्टिंग को पेपरलेस बनाती है।

आंतरिक प्रणाली	मुख्य कार्यक्षेत्र	सुशासन प्रभाव
राज-काज (Raj-Kaj)	एपीएआर (APAR), टास्क ट्रैकिंग, ई-फाइल, पत्राचार	पारदर्शी कार्मिक प्रबंधन और जवाबदेही
ई-ऑफिस (e-Office)	नोटिंग, ड्राफ़्टिंग, फाइल मूवमेंट, आर्काइव	भौतिक कागज रहित सचिवालय (Paperless Secretariat)

5. राजस्थान संपर्क (Sampark) पोर्टल और 181 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

नागरिक शिकायतों के समयबद्ध और पारदर्शी निवारण के लिए राजस्थान संपर्क पोर्टल और 181 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सुशासन के शक्तिशाली स्तंभ हैं।

अ. कार्यप्रणाली एवं विशेषताएं:

क. **सिंगल-विंडो ग्रीवांस रिड्रेसल:** नागरिक पोर्टल पर ऑनलाइन या 181 पर कॉल करके किसी भी विभाग की शिकायत दर्ज करा सकता है।

ख. **ऑटो-रूटिंग और ट्रैकिंग:** शिकायत संबंधित विभाग/अधिकारी के डैशबोर्ड पर स्वतः स्थानांतरित होती है और नागरिक को हर स्तर (Pending, Under Process, Resolved) पर एसएमएस/डिजिटल अपडेट मिलता है।

ग. **पुनः समीक्षा (Feedback & Escalation):** समाधान के पश्चात नागरिक के संतुष्टि फीडबैक (Satisfaction rating) की व्यवस्था, और असंतुष्ट होने पर उच्च स्तर पर स्वतः एस्केलेशन (Escalation)।

शिकायत निवारण आयाम	पारंपरिक पत्राचार	राजस्थान संपर्क / 181 मॉडल
पंजीकरण माध्यम	लिखित आवेदन, विभागवार भटकना	टोल-फ्री 181 कॉल, मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल
ट्रैकिंग	मैनुअल डायरी नंबर	यूनिक ग्रीवांस आईडी (Unique ID) के जरिए रियल-टाइम ट्रैकिंग

गुणवत्ता नियंत्रण	कोई अनिवार्य फीडबैक नहीं	नागरिक संतुष्टि रेटिंग और उच्च स्तरीय समीक्षा
-------------------	--------------------------	---

6. iStart राजस्थान: स्टार्टअप, उद्यमिता और इनोवेशन इकोसिस्टम

युवाओं में नवाचार, उद्यमिता (Entrepreneurship) और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (DoIT&C) द्वारा **iStart राजस्थान** नीति का संचालन किया जा रहा है।

अ. **iStart की प्रमुख विशेषताएं:**

क. **स्टार्टअप मान्यता (Startup Recognition):** एक्सीलेरेटर (Accelerators), इन्क्यूबेटर (Incubators) और बूटकैप के माध्यम से विचारों को व्यावसायिक मॉडल में बदलना।

ख. **भामाशाह टेक्नो हब (Bhamashah Techno Hub, जयपुर):** देश के सबसे बड़े इन्क्यूबेशन सेंटरों में से एक, जहाँ को-वर्किंग स्पेस, फंडिंग सपोर्ट और मेंटरशिप उपलब्ध कराई जाती है।

ग. **क्रिज और चैलेंज फंड:** इनोवेशन चैलेंज के जरिए वित्तीय अनुदान (Grant-in-aid) और निवेशकों (Angel Investors/Venture Capitalists) से सीधा संवाद।

iStart आयाम	वैधानिक / प्रशासनिक प्रावधान	लाभ / परिणाम
इन्क्यूबेशन हब	भामाशाह टेक्नो हब एवं प्रादेशिक सेंटर	आधुनिक को-वर्किंग स्पेस और तकनीकी परामर्श
वित्तीय सहायता	बीज पूंजी (Seed Money), मार्केटिंग अनुदान	प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप्स को आर्थिकी में स्थिरता
अनुपालन छूट	राज्य नी-टैक्स/नियमों में सरलीकरण (Regulatory Sandbox)	ईज ऑफ़ डूइंग स्टार्टअप्स

7. पारदर्शी प्रशासन के अन्य अभिनव उपाय (Transparency & Openness Measures)

राजस्थान ने सुशासन को केवल सॉफ्टवेयर तक सीमित न रखते हुए जन-संवाद और ऑडिट को संस्थागत रूप दिया है।

अ. **प्रमुख पारदर्शी उपाय:**

क. **प्रशासन गांवों के संग / शहरों के संग अभियान:** शिविरों के माध्यम से मौके पर पट्टे, प्रमाण पत्र और भू-रूपांतरण का निस्तारण।

ख. **जनसुनवाई और समाधान दिवस:** प्रत्येक स्तर (ग्राम पंचायत, उप-खंड, जिला) पर निश्चित दिवसों पर जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त जनसुनवाई।

ग. ई-प्रोक्योरमेंट (e-Procurement): सरकारी टेंडर और खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल/राजस्थान ई-प्रोक्योरमेंट पर ऑनलाइन करना, जिससे ठेका प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आती है।

8. सुशासन सूचकांक (Good Governance Index - GGI) में राजस्थान की स्थिति

केंद्र सरकार (प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग - DARPG) द्वारा राज्यों के सुशासन प्रदर्शन को मापने के लिए सुशासन सूचकांक (GGI) जारी किया जाता है।

अ. GGI के प्रमुख क्षेत्र (Sectors):

क. कृषि और संबद्ध क्षेत्र, वाणिज्य एवं उद्योग, मानव संसाधन विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य, लोक बुनियादी ढांचा एवं उपयोगिता, आर्थिक शासन, समाज कल्याण एवं विकास, न्यायिक एवं सार्वजनिक सुरक्षा, पर्यावरण, और नागरिक-केंद्रित शासन।

ब. राजस्थान का प्रदर्शन और रुझान:

क. कृषि, सामाजिक सुरक्षा, और ई-गवर्नेंस सेवाओं के विस्तार में राजस्थान ने लगातार प्रगति दर्ज की है।

ख. ई-मित्र, जन आधार और जन सूचना पोर्टल के कारण 'नागरिक-केंद्रित शासन (Citizen-centric governance)' स्कोर में सुधार हुआ है।

ग. सीमांत क्षेत्रों (मरुस्थलीय एवं जनजातीय बेल्ट) में स्वास्थ्य और आधारभूत अवसंरचना के समान वितरण में सूचकांक आधारित सुधार की निरंतर गुंजाइश बनी हुई है।

सूचकांक आयाम	GGI मानक फोकस	राजस्थान प्रदर्शन प्रवृत्ति
लोक बुनियादी ढांचा	ग्रामीण/शहरी सड़क, पेयजल, ऊर्जा पहुंच	ईआरसीपी, हर घर नल (जल जीवन मिशन) से सुधार
सामाजिक कल्याण	पेंशन, शिक्षा, महिला सुरक्षा	डीबीटी और वन-स्टॉप सेंटर से सुदृढ़ीकरण
आर्थिक शासन	राजकोषीय घाटा नियंत्रण, ऋण प्रबंधन	आईएफएमएस और राजकोषीय अनुशासन नीतियां

9. ई-गवर्नेंस और सुशासन में समकालीन चुनौतियाँ (डिजिटल डिवाइड, साइबर सुरक्षा)

तकनीकी क्रांति के बावजूद सुशासन के मार्ग में कुछ संरचनात्मक अवरोध विद्यमान हैं।

अ. प्रमुख चुनौतियाँ:

क. डिजिटल डिवाइड (Digital Divide): ग्रामीण बुजुर्गों, दूरस्थ मरुस्थलीय ढाणियों और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्मार्टफोन, हाई-स्पीड इंटरनेट और डिजिटल साक्षरता का अभाव।

ख. साइबर सुरक्षा एवं डेटा गोपनीयता (Cyber Security & Data Privacy): वृहद डेटाबेस (जैसे जन आधार, स्वास्थ्य रिकॉर्ड) के लीकेज या साइबर अटैक का खतरा।

ग. बिल्ट-इन प्रतिरोध (Inertia): पारंपरिक नौकरशाही में डिजिटल वर्कफ़्लो अपनाने को लेकर तकनीकी झिझक या समानांतर कागजी रिकॉर्ड बनाए रखने की प्रवृत्ति।

चुनौती आयाम	कारण	सुधारात्मक प्रशासनिक उपाय
डिजिटल डिवाइड	नेटवर्क/साक्षरता कमी	ई-मित्र कियोस्क साक्षर ऑपरेटर, वॉयस-आधारित पोर्टल
डेटा सुरक्षा जोखिम	सर्वर वेंडर या एपीआई लूपहोल	राज्य डेटा सेंटर (SDC) का सुदृढीकरण, स्टेट साइबर सेल
सिस्टम अवसाद	पुरानी मानसिकता का डर	अनिवार्य डिजिटल ट्रेनिंग, इंसेंटिव आधारित मूल्यांकन

10. भविष्य की दृष्टि: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और 'स्मार्ट सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस'

सुशासन का भविष्य 'प्रतिक्रियाशील' (Reactive) से 'प्रोलिएक्टिव एवं प्रेडिक्टिव' (Proactive & Predictive) गवर्नेंस की ओर बढ़ रहा है।

अ. निष्कर्ष एवं भावी दृष्टि:

क. राजस्थान ने ई-मित्र, राज-काज, जन संपर्क और iStart के जरिए ई-गवर्नेंस की जो मजबूत आधारशिला रखी है, वह सुशासन के वैधानिक और नैतिक लक्ष्यों को पूरा करती है।

ख. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI-driven grievance classification), ब्लॉकचेन-आधारित डिजिटल भू-अभिलेख और 100% फेसलेस सेवा वितरण के संलयन से राजस्थान को 'ग्लोबल ई-गवर्नेंस बेंचमार्क' के रूप में स्थापित किया जा रहा है, जिससे सुशासन की परिभाषा 'जन-अधिकार' में रूपांतरित हो रही है।

अध्याय 21: महिलाओं के विरुद्ध अपराध: संवैधानिक सुरक्षा व IPC/BNS के प्रावधान

1. महिलाओं के विरुद्ध अपराधों का सामाजिक-वैधानिक संदर्भ और लैंगिक न्याय

किसी भी लोकतांत्रिक और सभ्य समाज की कसौटी वहां महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा (Dignity) और समान अधिकारों का स्तर होता है। ऐतिहासिक रूप से पितृसत्तात्मक संरचनाओं, असमान शक्ति-संतुलन और सामाजिक रूढ़िवादिता के कारण महिलाओं के विरुद्ध हिंसा (Violence against women) एक गंभीर संरचनात्मक चुनौती बनी रही है।

भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 'सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय' तथा 'व्यक्ति की गरिमा' का संकल्प लिया गया है। अपराध न्याय प्रणाली (Criminal Justice System - CJS) में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को सामान्य दंडात्मक श्रेणियों से अलग, संवेदनशीलता और त्वरित न्याय की दृष्टि से विशेष प्रावधानों के तहत विनियमित किया जाता है। औपनिवेशिककालीन भारतीय दंड संहिता (IPC, 1860) के प्रावधानों को समकालीन और न्याय-केंद्रित बनाने के लिए **भारतीय न्याय संहिता (BNS, 2023)** के तहत व्यापक और कड़े दंड प्रावधान लागू किए गए हैं।

न्याय आयाम	संवैधानिक / वैधानिक आधार	मुख्य फोकस / उद्देश्य
मूल अधिकार सुरक्षा	संविधान का भाग 3 (अनुच्छेद 14, 15, 21)	समता, भेदभाव का निषेध, प्राण-दैहिक स्वतंत्रता एवं गरिमा
निदेशक तत्व (DPSP)	अनुच्छेद 39(a), 42	आजीविका का अधिकार, प्रसूति सहायता, शोषण से संरक्षण
पूर्ववर्ती दंडात्मक संहिता	भारतीय दंड संहिता (IPC, 1860) के अध्याय 16 व अन्य	पारंपरिक अपराध (बलात्कार, लज्जाभंग आदि) परिभाषाएं
समकालीन दंडात्मक संहिता	भारतीय न्याय संहिता (BNS, 2023)	संगठित अपराध, महिला-बाल सुरक्षा पर कड़े प्रावधान

2. महिलाओं के संवैधानिक अधिकार (Constitutional Rights and Safeguards)

भारतीय संविधान में महिलाओं को दो स्तरों पर सुरक्षा प्राप्त है—सामान्य अधिकार (जो पुरुषों को भी प्राप्त हैं) और विशेष सुरक्षात्मक प्रावधान (Protective Discrimination / Affirmative Action)।

अ. **समता और भेदभाव निषेध के अधिकार:**

क. **अनुच्छेद 14:** विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण।

ख. **अनुच्छेद 15(1):** धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा।

ग. **अनुच्छेद 15(3):** राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष उपबंध बनाने से यह अनुच्छेद नहीं रोकेंगा (सकारात्मक भेदभाव / सकारात्मक कार्रवाई का संवैधानिक आधार)।

घ. **अनुच्छेद 16:** लोक नियोजन (Public Employment) के अवसर की समता, लिंग के आधार पर नियोजन में अपात्रता नहीं।

ब. गरिमा, स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध संरक्षण:

क. **अनुच्छेद 21:** प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण (उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अनुसार इसमें गरिमापूर्ण जीवन और यौन उत्पीड़न/हिंसा से मुक्त रहने का अधिकार शामिल है)।

ख. **अनुच्छेद 23:** मानव का दुर्व्यापार (Trafficking) और बलात् श्रम का प्रतिषेध (महिलाओं और बच्चों की तस्करी पर रोक)।

3. बलात्कार एवं यौन हिंसा से संबंधित प्रावधान (IPC 375/376 बनाम BNS 2023)

यौन हिंसा महिलाओं के विरुद्ध सबसे गंभीर अपराध है। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2013 (निर्भया कांड के पश्चात) और BNS, 2023 के तहत परिभाषाओं को अत्यंत व्यापक और कड़ा किया गया है।

अ. **बलात्कार की परिभाषा (BNS की धारा 63 / पुरानी IPC 375):**

क. यदि कोई पुरुष निम्नलिखित कृत्यों में से कोई कृत्य करता है, तो वह बलात्कार करता है—

- महिला की इच्छा के विरुद्ध (Against her will).
- महिला की सम्मति के बिना (Without her consent).
- सम्मति ऐसी सहमति के बिना जो भय, गलतफहमी या मानसिक अस्वस्थता/मादक पदार्थ के प्रभाव में ली गई हो।
- सहमति देने में असमर्थ आयु (18 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ सम्मति का कोई वैधानिक अर्थ नहीं—पॉक्सो/दंड संहिता समन्वय)।
- महिला की शारीरिक क्षमता या चेतना की स्थिति का लाभ उठाकर।

ब. **दंड प्रावधान (BNS की धारा 64-72 / पुरानी IPC 376):**

क. **सामान्य बलात्कार:** न्यूनतम 10 वर्ष का कठोर कारावास (जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है) और जुर्माना।

ख. **सामूहिक बलात्कार (Gang Rape - धारा 70 BNS):** न्यूनतम 20 वर्ष का कठोर कारावास जो शेष प्राकृतिक जीवन के लिए आजीवन कारावास तक हो सकता है, और भारी जुर्माना।

ग. **12 वर्ष से कम आयु की बालिका से बलात्कार:** कठोर कारावास जो 20 वर्ष से कम नहीं होगा या मृत्युदंड/शेष जीवन कारावास तक।

घ. **पुनरावृत्ति (Repeat offender)** या मृत्यु/वनस्पति अवस्था (Persistent vegetative state) की स्थिति में मृत्युदंड या आजीवन कारावास।

अपराध श्रेणी	BNS धारा प्रावधान	न्यूनतम दंडात्मक प्रावधान	विशेष गंभीर कारक
साधारण बलात्कार	धारा 64(1)	10 वर्ष कठोर कारावास + जुर्माना	आजीवन कारावास तक विस्तार
पुलिस/लोक सेवक द्वारा बलात्कार	धारा 69 / सम्बद्ध धाराएं	10 वर्ष से आजीवन कारावास	शक्ति का दुरुपयोग, विशेष कठोर दंड

सामूहिक बलात्कार (Gang Rape)	धारा 70	20 वर्ष से आजीवन (शेष प्राकृतिक जीवन)	सह-अपराधियों की सामूहिक भागीदारी
12 वर्ष से कम बालिका	विशिष्ट गंभीर धारा	20 वर्ष से मृत्युदंड तक	उम्र और शारीरिक संवेदनशीलता

4. लज्जाभंग, पीछा करना (Stalking) और शील-भंग संबंधी अपराध

महिलाओं की व्यक्तिगत गरिमा और सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षित आवाजाही को सुनिश्चित करने वाले अपराध।

अ. महिला की लज्जा का अनादर करने के आशय से बल प्रयोग (BNS धारा 74 / पुरानी IPC 354):

क. न्यूनतम 1 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष का कारावास + जुर्माना।

ब. विवस्त्र करने का विवक्षापूर्ण कृत्य (BNS धारा 75 / पुरानी IPC 354B):

क. किसी स्त्री को विवस्त्र करने या विवस्त्र होने के लिए विवश करने के आशय से आपराधिक बल का प्रयोग।
न्यूनतम 3 वर्ष से 7 वर्ष का कारावास + जुर्माना।

स. पीछा करना (Stalking - BNS धारा 78 / पुरानी IPC 354D):

क. जब कोई पुरुष किसी महिला का पीछा करता है (किसी भी डिजिटल, सोशल मीडिया या भौतिक माध्यम से) और महिला द्वारा स्पष्ट रूप से अस्वीकृति (Disinterest) जताने के बावजूद संपर्क करने का प्रयास करता है।
ख. प्रथम अपराध: 3 वर्ष तक का कारावास + जुर्माना। द्वितीय/पुनरावृत्ति अपराध: 5 वर्ष तक का कारावास + जुर्माना।

द. गृह-अतिक्रमण और ताक-झांक (Voyeurism - BNS धारा 77 / पुरानी IPC 354C):

क. किसी निजी कृत्य (जिसे निजी अपेक्षा है) में लिप्त स्त्री की तस्वीर लेना, वीडियो बनाना या सार्वजनिक करना। प्रथम बार 3 से 7 वर्ष, पुनरावृत्ति पर 7 वर्ष तक का कारावास।

अपराध प्रकार	BNS धारा संदर्भ	मुख्य परिभाषा / कृत्य	दंडात्मक सीमा
लज्जा भंग (Assault/Use of force)	धारा 74	महिला की लज्जा का अनादर करने वाला बल प्रयोग	1 से 5 वर्ष कारावास
विवस्त्र करना	धारा 75	विवस्त्र करने या बाध्य करने का कृत्य	3 से 7 वर्ष कारावास

पीछा करना (Stalking)	धारा 78	लगातार अनचाहा संपर्क/डिजिटल पीछा	प्रथम बार 3 वर्ष, पुनरावृत्ति 5 वर्ष
ताक-झांक (Voyeurism)	धारा 77	निजी एकांत पलों की वीडियोग्राफी/चित्रण	प्रथम 3-7 वर्ष, पुनरावृत्ति 7 वर्ष

5. तेजाबी हमला (Acid Attack) और क्रूरता संबंधी अपराध

महिला के चेहरे या शरीर को स्थायी रूप से विकृत करने या मानसिक रूप से तोड़ने वाले जघन्य अपराध।

अ. तेजाब फेंकना या तेजाब से चोट पहुँचाना (BNS धारा 124 / पुरानी IPC 326A & 326B):

क. यदि कोई तेजाब फेंकता है या उपयोग करता है जिससे स्थायी/आंशिक क्षति या विकृति (Permanent/Partial damage/disfiguration) होती है:

- न्यूनतम 10 वर्ष का कठोर कारावास, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, तथा भारी जुर्माना (पीड़ित के चिकित्सा व्यय हेतु न्यायालय द्वारा निर्देशित)।
- ख. तेजाब फेंकने का प्रयत्न (Attempt to acid attack - धारा 124(2)): 5 से 7 वर्ष का कठोर कारावास।

ब. पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता (Cruelty - BNS धारा 85 / पुरानी IPC 498A):

क. महिला के साथ ऐसी क्रूरता करना जिससे उसकी शारीरिक या मानसिक क्षति हो, या दहेज की अवैध मांग पूरी करने के लिए प्रताड़ित करना। 3 वर्ष तक का कारावास + जुर्माना।

अपराध प्रकार	BNS धारा संदर्भ	दंडात्मक प्रावधान	विशिष्ट विशेषता
तेजाब हमला (Acid Attack)	धारा 124(1)	10 वर्ष से आजीवन कारावास + जुर्माना	चिकित्सा व्यय पीड़ितपूर्ति हेतु अलग से देय
तेजाब फेंकने का प्रयत्न	धारा 124(2)	5 से 7 वर्ष कारावास + जुर्माना	कृत्य निष्पादन से पूर्व रुकावट
पति/रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता	धारा 85	3 वर्ष तक का कारावास + जुर्माना	दहेज प्रताड़ना या मानसिक/शारीरिक उत्पीड़न

6. शून्य FIR (Zero FIR): अवधारणा, वैधानिक आधार और पुलिस की बाध्यता

पारंपरिक पुलिस क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) के संकीर्ण नियमों के कारण जब पीड़ित महिला दूरस्थ स्थान पर अपराध होने के बाद किसी स्थानीय थाने में पहुंचती थी, तो पुलिस "क्षेत्राधिकार नहीं है" कहकर FIR दर्ज करने से मना कर देती थी, जिससे "गोल्डन ऑवर" और साक्ष्य नष्ट हो जाते थे। इस समस्या के समाधान के रूप में **शून्य FIR** की संकल्पना विकसित हुई है।

अ. शून्य FIR की वैधानिक प्रकृति:

क. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS, 2023 की धारा 173) और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों (ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2013) के अनुसार, संज्ञेय अपराध (Cognizable offence - विशेषकर महिलाओं के विरुद्ध यौन अपराध) की सूचना मिलने पर पुलिस **थाना क्षेत्र के अधिकार से बाहर होने पर भी शून्य क्रमांक (Zero Number)** डालकर तात्कालिक रूप से FIR दर्ज करने के लिए **बाध्य** है।

ख. शून्य FIR दर्ज करने के तुरंत बाद इसे उस संबंधित पुलिस थाने को अंतरित (Transfer/Forward) कर दिया जाता है जिसके अधिकार क्षेत्र में घटना घटी है।

ब. क्रियान्वयन के अनिवार्य चरण:

क. पीड़िता को मौके पर ही FIR की प्रति निःशुल्क दी जानी अनिवार्य है।

ख. विलंब का कोई बहाना नहीं चलेगा; महिला पुलिस अधिकारी या उपलब्ध अधिकारी द्वारा प्राथमिक बयान और चिकित्सा सहायता (Medical examination under BNSS / CrPC section 164 statement equivalent) सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

प्रक्रिया आयाम	पारंपरिक क्षेत्राधिकार नियम	शून्य FIR (Zero FIR - BNSS धारा 173)
अधिकार क्षेत्र बाहर होने पर	दूसरे थाने में भेजने से मना करना या टालना	तात्कालिक 'शून्य' क्रमांक पर FIR दर्ज करना अनिवार्य
साक्ष्य संरक्षण गति	विलंब से साक्ष्य नष्ट होने की आशंका	तुरंत रिकॉर्डिंग, मेडिकल और अंतरण (Transfer)
पुलिस अधिकारी दायित्व	क्षेत्राधिकार विवाद में समय गंवाना	संज्ञेय अपराध में तात्कालिक कानूनी संरक्षण

7. महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में अन्वेषण (Investigation) की विशेष वैधानिक प्रक्रियाएं

लैंगिक संवेदनशीलता और साक्ष्य की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए कानून में विशेष अन्वेषण नियम तय हैं।

अ. महिला अधिकारी द्वारा अन्वेषण:

क. बलात्कार या गंभीर यौन उत्पीड़न मामलों में अन्वेषण यथासंभव **महिला पुलिस अधिकारी (Female Police Officer)** द्वारा ही किया जाना चाहिए।

ख. पीड़िता का बयान उसके निवास स्थान या उसकी पसंद के स्थान पर, किसी माता-पिता, रिश्तेदार, सामाजिक कार्यकर्ता या महिला की उपस्थिति में दर्ज किया जाना चाहिए।

ब. चिकित्सा परीक्षण (Medical Examination - BNSS/CrPC प्रावधान):

क. बलात्कार पीड़िता का चिकित्सा परीक्षण पंजीकृत चिकित्सक द्वारा, पीड़िता की सहमति से, घटना के 24-72 घंटों के भीतर प्राथमिकता से किया जाना चाहिए। परीक्षण रिपोर्ट गोपनीय रखी जाती है।

स. दंडात्मक प्रक्रिया संहिता / BNSS के तहत मजिस्ट्रेटी बयान (Section 183 BNSS / old 164 CrPC):

क. पीड़िता के बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ पर दर्ज कराए जाते हैं, जिनकी साक्ष्य में सर्वोच्च स्वीकार्यता होती है।

8. न्यायिक दृष्टांत (Case Laws) और उच्चतम न्यायालय के मील के पथर

न्यायपालिका ने महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में संवेदनशीलता और पीड़िता-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया है।

अ. प्रमुख वाद (Case Laws):

क. **विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997):** कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment at Workplace) के विरुद्ध 'विशाखा गाइडलाइंस' जारी की गईं, जो बाद में 'कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013' का आधार बनीं।

ख. **ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2013):** संज्ञेय अपराध में FIR दर्ज करना अनिवार्य (Mandatory registration of FIR in cognizable offenses).

जे. **निर्भया केस (मुकेश बनाम स्टेट ऑफ दिल्ली, 2017):** सामूहिक बलात्कार में क्रूरता के उच्चतम स्तर पर मृत्युदंड की पुष्टि और आपराधिक न्याय प्रणाली में त्वरित सुधार।

9. समकालीन प्रशासनिक एवं तकनीकी चुनौतियाँ (साइबर क्राइम, डीपफेक, ऑनलाइन उत्पीड़न)

पारंपरिक भौतिक हिंसा के साथ-साथ डिजिटल युग में महिलाओं के विरुद्ध नए प्रकार के अपराध उभरे हैं।

अ. उभरते डिजिटल अपराध:

क. **साइबर स्टर्किंग और मॉर्फिंग (Cyber Stalking & Morphing):** सोशल मीडिया पर अवांछित तस्वीरें मॉर्फ कर ब्लैकमेल करना।

ख. **डीपफेक (Deepfake) और ऑनलाइन मानहानि:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के जरिए महिला की फर्जी वीडियो या ऑडियो बनाकर शील-भंग करना।

ग. **ऑनलाइन ट्रोलिंग और हेट स्पीच:** लैंगिक रूप से अपमानजनक टिप्पणियाँ।

डिजिटल श्रेणी	अपराध	वैधानिक प्रावधान / अधिनियम / BNS	आईटी निवारक तकनीकी तंत्र

मॉर्फिंग / अवांछित चित्रण	BNS धारा 77/78 + आईटी अधिनियम की धारा 66E / 67	साइबर सेल रिपोर्टिंग, एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म कंसेंट
साइबर स्टर्किंग	BNS धारा 78 + आईटी अधिनियम	डिजिटल फुटप्रिंट ट्रैकिंग, आईपी लॉग एनालिसिस
कार्यस्थल डिजिटल उत्पीड़न	POSH Act 2013 + BNS	आंतरिक शिकायत समिति (ICC) डिजिटल पोर्टल

10. भविष्य की दृष्टि: एकीकृत न्याय प्रणाली और 'सुरक्षित समाज' का प्रतिमान

महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम केवल कठोर कानूनों से नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव और त्वरित तकनीक-संचालित न्याय प्रणाली से संभव है।

अ. निष्कर्ष एवं भावी दृष्टि:

क. BNS, 2023 के प्रावधानों और शून्य FIR के सख्त अनुपालन से पीड़ितों को भयमुक्त वातावरण मिल रहा है।

ख. वन स्टॉप सेंटर (Sakhi Centres), आपातकालीन रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम (ERSS - 112), और एआई-आधारित प्रेडिक्टिव पुलिसिंग के संलयन से महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों (अनुच्छेद 14, 15, 21) को धरातल पर चिरस्थायी रूप दिया जा रहा है।

अध्याय 22: घरेलू हिंसा एवं दहेज प्रतिषेध कानून

1. घरेलू हिंसा की समाजशास्त्रीय और विधिक अवधारणा

पारंपरिक पितृसत्तात्मक ढांचे में परिवार के भीतर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले हिंसक कृत्यों को 'निजी पारिवारिक मामला' मानकर अनदेखा किया जाता था। वैवाहिक गृहस्थी (Domestic sphere) के भीतर जब महिला को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, यौन या मौखिक-भावनात्मक उत्पीड़न (Abuse) का सामना करना पड़ता है, तो वह मानवाधिकारों और लैंगिक समानता के बुनियादी सिद्धांतों का गंभीर उल्लंघन है।

संवैधानिक रूप से, अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत प्राप्त संरक्षण को प्रभावी बनाने तथा आपराधिक न्याय प्रणाली की दंडात्मक सीमाओं से आगे बढ़कर **सिविल उपचारात्मक (Civil/Remedial)** सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत की संसद ने **घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 - PWDVA)** अधिनियमित किया, जो 26 अक्टूबर 2006 से प्रवृत्त हुआ।

संरक्षण आयाम	आपराधिक न्याय (उदा. BNS/IPC)	सिविल/संरक्षणात्मक न्याय (PWDVA 2005)
मुख्य उद्देश्य	अपराधी को दंडित करना (Punishment)	पीड़ित महिला का संरक्षण, निवास और राहत
साक्ष्य मानक	संदेह से परे (Beyond reasonable doubt)	संभावनाओं की प्रबलता (Preponderance of probabilities)
मुख्य राहत	कारावास, जुर्माना, प्रोबेशन	सुरक्षा आदेश, निवास आदेश, मौद्रिक राहत, अभिरक्षा आदेश

2. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (PWDVA): दायरा और परिभाषाएं

अधिनियम की धारा 3 के तहत 'घरेलू हिंसा' (Domestic Violence) की व्यापक परिभाषा दी गई है, जिसमें केवल शारीरिक प्रताड़ना ही नहीं, बल्कि बहुआयामी उत्पीड़न शामिल है।

अ. घरेलू हिंसा की श्रेणी (धारा 3):

क. **शारीरिक दुर्व्यवहार (Physical abuse)**: मार-पीट, जीवन या अंग को खतरा, शारीरिक पीड़ा।

ख. **यौन दुर्व्यवहार (Sexual abuse)**: जबर्न यौन संबंध, अपमानजनक या अश्लील यौन व्यवहार।

ग. **मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार (Verbal and Emotional abuse)**: अपमान, बेइज्जती, बेटे/पुत्री न होने ताना देना, वित्तीय निर्भरता का उपहास।

घ. **आर्थिक दुर्व्यवहार (Economic abuse)**: स्त्रीधन (Stridhan) या संयुक्त आय पर रोक, भरण-पोषण न देना, नौकरी छोड़ने के लिए विवश करना।

ब. घरेलू रिश्ता (Domestic Relationship - धारा 2(f)):

क. ऐसा रिश्ता जिसमें दो व्यक्ति एक साथ एक ही गृहस्थी में रहे हैं या किसी समय साथ रहे हैं (विवाह, लिव-इन रिलेशनशिप, रक्त संबंध, दत्तक ग्रहण, या संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य)।

ख. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों (इंद्रा सरमा बनाम वी.के. वी. शर्मा) के अनुसार लिव-इन रिलेशनशिप भी इस दायरे में आते हैं, बशर्ते विवाह-तुल्य स्थायी प्रकृति हो।

3. संरक्षण अधिकारी (Protection Officer): नियुक्ति, शक्तियाँ और कर्तव्य

PWDVA 2005 की धारा 8 के तहत राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक या अधिक **संरक्षण अधिकारियों (Protection Officers - POs)** की नियुक्ति करती है (प्राथमिक रूप से महिला अधिकारियों की नियुक्ति को वरीयता दी जाती है)।

अ. संरक्षण अधिकारी के वैधानिक कर्तव्य (धारा 9):

क. मजिस्ट्रेट को घरेलू हिंसा की घटनाओं की रिपोर्ट (Domestic Incident Report - DIR) प्रस्तुत करना।

ख. पीड़ित महिला को विधिक सहायता, चिकित्सा सहायता, और आश्रय गृह (Shelter home) तक पहुँचने में सहायता करना।

ग. यह सुनिश्चित करना कि पीड़ित महिला को कानूनी अधिकार और न्यायिक आदेशों की जानकारी मिले।

घ. पुलिस और सेवा प्रदाताओं (Service Providers) के साथ समन्वय स्थापित करना।

अधिकारी / इकाई	वैधानिक आधार	मुख्य भूमिका / दायित्व
संरक्षण अधिकारी (PO)	PWDVA धारा 8-9	DIR रिपोर्टिंग, विधिक/चिकित्सा सहायता समन्वय, पीड़ित का साथी
सेवा प्रदाता (Service Provider)	PWDVA धारा 10	पंजीकृत एनजीओ/संस्थाएं जो परामर्श, आश्रय और मेडिकल सहायता देती हैं
न्यायिक मजिस्ट्रेट (JM/MM)	PWDVA धारा 12	संरक्षण आदेश, निवास आदेश और मौद्रिक राहत प्रदान करने वाला प्राधिकारी

4. निवास का अधिकार (Right to Residence - धारा 17) और साझा गृहस्थी

अधिनियम का सबसे क्रांतिकारी प्रावधान 'निवास का अधिकार' है, जो पितृसत्तात्मक संपत्ति के दावों के बावजूद महिला को छत की सुरक्षा देता है।

अ. निवास के अधिकार के प्रावधान:

क. धारा 17: हर महिला को 'साझा गृहस्थी' (Shared household) में रहने का अधिकार है, चाहे उसका उस गृहस्थी पर कोई स्वामित्व (Ownership) या अधिकार हो या न हो।

ख. धारा 19 (निवास आदेश - Residence Orders): मजिस्ट्रेट यह आदेश दे सकता है कि प्रतिवादी (Respondent) साझा गृहस्थी से महिला को बेदखल न करे, या यदि आवश्यक हो तो प्रतिवादी को घर छोड़ने का आदेश दे, या पीड़ित महिला के लिए वैकल्पिक आवास या किराया उपलब्ध कराए।

ग. साझा गृहस्थी वह घर है जहाँ महिला विवाह के बाद रही है या लिव-इन में रही है, चाहे वह ससुराल के नाम हो, संयुक्त परिवार की हो या प्रतिवादी के किराए पर हो।

5. मौद्रिक राहत (Monetary Relief - धारा 20) और अभिरक्षा आदेश (Custody - धारा 21)

अधिनियम त्वरित आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास के उपाय प्रदान करता है।

अ. मौद्रिक राहत (धारा 20):

क. चिकित्सा व्यय, भरण-पोषण (Maintenance), आय की हानि, या नष्ट किए गए/छीने गए स्त्रीधन (Stridhan) की भरपाई के लिए प्रतिवादी को मौद्रिक राहत देने का आदेश।

ब. बच्चों की अस्थायी अभिरक्षा (धारा 21):

क. किसी भी बच्चे की अस्थायी अभिरक्षा (Temporary custody) के अधिकार का निर्धारण करना, यह देखते हुए कि बच्चे का हित सर्वोपरि (Welfare of the minor is paramount) है।

राहत प्रकार	PWDVA धारा	मुख्य वैधानिक प्रभाव
सुरक्षा आदेश (Protection)	धारा 18	हिंसा रोकने, संपर्क से प्रतिबंधित करने का आदेश
निवास आदेश (Residence)	धारा 19	साझा गृहस्थी में रहने या वैकल्पिक आवास का अधिकार
मौद्रिक राहत (Monetary)	धारा 20	चिकित्सा, भरण-पोषण और स्त्रीधन वापसी का आदेश
अभिरक्षा आदेश (Custody)	धारा 21	बच्चों की अस्थायी अभिरक्षा का निर्धारण

6. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (Dowry Prohibition Act, 1961) और संशोधन

दहेज प्रथा सामाजिक अभिशाप है, जिसे रोकने के लिए **दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961** (जो 1 जुलाई 1962 से प्रवृत्त हुआ) अधिनियमित किया गया।

अ. दहेज की परिभाषा (धारा 2):

क. 'दहेज' से ऐसा कोई भी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति अभिप्रेत है जो विवाह के समय, विवाह से पूर्व या विवाह के पश्चात कभी भी एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को, या उनके माता-पिता/किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी जाती है या देने का करार किया जाता है (परंतु मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मेहर इस दायरे में नहीं आती)।

ब. दंड प्रावधान (धारा 3, 4, 4A):

क. दहेज देना, लेना या इसके लेन-देन का दुष्प्रेरण करना: **न्यूनतम 5 वर्ष का कारावास और न्यूनतम 15,000 रुपये** या दहेज की रकम के मूल्य के बराबर, जो भी अधिक हो, का जुर्माना।

ख. दहेज की मांग करना (धारा 4): 6 मास से 2 वर्ष का कारावास + जुर्माना।

7. दहेज प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, 1984 एवं 1986

दहेज के कारण होने वाली मौतों (Dowry deaths) और उत्पीड़न को नियंत्रित करने के लिए 1984 और 1986 में कठोर संशोधन किए गए।

अ. प्रमुख संशोधन बिंदु:

क. दण्ड की राशि और अवधि बढ़ाई गई।

ख. सबूत के भार (Burden of Proof - भारतीय साक्ष्य अधिनियम/भारतीय साक्ष्य संहिता के समरूप प्रावधान) को कड़ा किया गया: यदि यह साबित होता है कि महिला की मृत्यु से ठीक पहले उससे दहेज की मांग की गई थी और उसे क्रूरता का सामना करना पड़ा था, तो यह उपधारणा की जाएगी कि यह दहेज मृत्यु है।

8. दहेज मृत्यु (Dowry Death) और भारतीय दंड संहिता / BNS समतुल्य प्रावधान

दहेज के कारण महिला की अस्वाभाविक मृत्यु को कानून ने जघन्य अपराध माना है।

अ. **दहेज मृत्यु परिभाषा (BNS धारा 80 / पुरानी IPC 304B):**

क. यदि किसी महिला की मृत्यु किसी जलने या शारीरिक चोट के कारण या विवाह के **7 वर्ष के भीतर** सामान्य परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में होती है, और यह साबित होता है कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले उसके पति या पति के किसी रिश्तेदार ने दहेज की किसी अवैध मांग के संबंध में उसके साथ क्रूरता या उत्पीड़न किया था, तो ऐसी मृत्यु को **दहेज मृत्यु** कहा जाएगा।

ब. **दंड प्रावधान:**

क. न्यूनतम **7 वर्ष का कारावास**, जिसे **आजीवन कारावास** तक बढ़ाया जा सकता है।

अपराध श्रेणी	BNS धारा प्रावधान / पुरानी IPC	न्यूनतम / अधिकतम दंड	विशेष विधिक उपधारणा
दहेज मृत्यु (Dowry Death)	धारा 80 (पुराना IPC 304B)	न्यूनतम 7 वर्ष से आजीवन कारावास	7 वर्ष के भीतर अस्वाभाविक मृत्यु + दहेज क्रूरता
क्रूरता (Cruelty)	धारा 85 (पुराना IPC 498A)	3 वर्ष तक का कारावास + जुर्माना	शारीरिक/मानसिक प्रताड़ना या दहेज मांग

9. धारा 498A (IPC) बनाम BNS समतुल्य प्रावधान और दुरुपयोग निवारण

पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता (Cruelty) का अपराध समाज और न्यायपालिका दोनों स्तरों पर व्यापक चर्चा का विषय रहा है।

अ. **BNS धारा 85 (पुराना IPC 498A):**

क. यदि कोई पति या पति का रिश्तेदार किसी स्त्री के साथ ऐसी क्रूरता करता है जो उसे आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करती है या उसके स्वास्थ्य/जीवन (शारीरिक या मानसिक) को गंभीर खतरा पैदा करती है, या दहेज की अवैध मांग के लिए दबाव डालती है।

ख. दंड: 3 वर्ष तक का कारावास + जुर्माना। (यह संज्ञेय - Cognizable और अजमानती - Non-bailable अपराध है, हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार गिरफ्तारी में संयम बरता जाता है)।

ब. न्यायिक दिशा-निर्देश एवं दुरुपयोग निवारण:

क. अरुण कुमार अग्रवाल / अर्ननेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि धारा 498A/समतुल्य प्रावधानों के तहत 7 वर्ष से कम सजा वाले मामलों में सीधे गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं है; धारा 41A CrPC (वर्तमान BNSS के संगत प्रावधान) के तहत नोटिस की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।

ख. परिवार कल्याण समिति (Family Welfare Committee) या प्रारंभिक जांच के माध्यम से झूठे या अति-व्यापक मुकदमों (Over-implication) पर रोक लगाने के न्यायिक प्रयास।

वैधानिक सुरक्षा आयाम	न्यायिक वाद / निर्देश	उद्देश्य
अनपेक्षित गिरफ्तारी रोक	अर्ननेश कुमार वाद (2014)	7 वर्ष से कम सजा वाले मामलों में बिना पूर्व कारण/नोटिस गिरफ्तारी पर रोक
परिवार सुलह प्रयास	मध्यस्थता (Mediation) अनिवार्य प्रावधान	पारिवारिक विवादों में प्रारंभिक स्तर पर सुलह की गुंजाइश

10. समकालीन चुनौतियाँ, एकीकृत न्याय प्रणाली और भविष्य की दृष्टि

घरेलू हिंसा और दहेज प्रतिषेध के कानूनों का क्रियान्वयन मैदानी स्तर पर सामाजिक संवेदनशीलता की मांग करता है।

अ. निष्कर्ष एवं भावी दृष्टि:

क. PWDVA 2005 के तहत संरक्षण अधिकारियों (POs) की सक्रियता, वन स्टॉप सेंटर (Sakhi Centres) के साथ समन्वय और डिजिटल शिकायत ट्रेकिंग से पीड़ितों को त्वरित राहत मिल रही है।

ख. दहेज प्रथा की मानसिकता के विरुद्ध विधिक कठोरता (BNS धारा 80/85) और सामाजिक-सांस्कृतिक पुनर्जागरण के संलयन से महिलाओं के गरिमापूर्ण जीवन (अनुच्छेद 21) के संवैधानिक लक्ष्य को धरातल पर सुनिश्चित किया जा रहा है।

wincompete

अध्याय 23: कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न एवं यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POSH एवं POCSSO)

1. सुरक्षित कार्यस्थल एवं बाल संरक्षण का संवैधानिक और मानवाधिकार आधार

लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में नागरिकों के गरिमापूर्ण जीवन, समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार (संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21) केवल सार्वजनिक क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनका विस्तार **कार्यस्थल (Workplace)** और **बाल्यावस्था (Childhood)** के सुरक्षित संरक्षण तक है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा-पत्र और CEDAW (महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के सभी रूपों का उन्मूलन) सम्मेलनों की अनुपालना में भारत ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और बालकों के विरुद्ध यौन हिंसा की शून्य-सहनशीलता (Zero Tolerance) की नीति को वैधानिक रूप दिया है।

अपराध न्याय प्रणाली (Criminal Justice System) में जहां महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में 'शक्ति-संतुलन के असंतुलन (Power imbalance)' को पहचानकर त्वरित और विशेष सुरक्षा तंत्र विकसित किए गए हैं, वहीं संस्थागत स्तर पर निवारण (Prevention) को प्राथमिकता दी गई है।

संरक्षण क्षेत्र	मूल वैधानिक कानून	मुख्य उद्देश्य / संरक्षित वर्ग
कार्यस्थल महिला सुरक्षा	कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH Act)	संगठित/असंगठित क्षेत्र की महिलाओं का यौन उत्पीड़न से संरक्षण
बाल यौन सुरक्षा	यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) एवं 2019 संशोधन	18 वर्ष से कम आयु के बालकों की यौन उत्पीड़न, पोर्नोग्राफी और शोषण से रक्षा

2. कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, 2013 (POSH Act): दायरा और परिभाषाएं

सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक *विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997)* वाद के दिशा-निर्देशों को वैधानिक जामा पहनाने के लिए **POSH Act, 2013** (9 दिसंबर 2013 से प्रवृत्त) अधिनियमित किया गया।

अ. व्यापक 'कार्यस्थल' (Workplace - धारा 2(o)) की परिभाषा:

- क. सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक उपक्रम, निजी कंपनियां, फैक्ट्रियां, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, एनजीओ।
- ख. नियोजक (Employer) द्वारा प्रदान किया गया कोई भी स्थान, जिसमें यात्रा (Transport) के दौरान या क्लाइंट मीटिंग, गेस्ट हाउस आदि शामिल हैं।
- ग. असंगठित क्षेत्र (Unorganized sector), घरेलू कामगार (Domestic workers), और कृषि क्षेत्र में कार्यरत महिलाएं भी इसके दायरे में आती हैं।

ब. यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment - धारा 2(n)) के कृत्य:

- क. शारीरिक संपर्क और अग्रसारण (Physical contact and advances).
- ख. यौन पक्ष की मांग या अनुरोध (Demand or request for sexual favours).
- ग. यौन रंगत वाली टिप्पणियां (Sexually coloured remarks).
- घ. अश्लील साहित्य दिखाना (Showing pornography).

ड. कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या अमौखिक यौन आचरण (Any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature).

दुर्व्यवहार श्रेणी	उदाहरण / रूप	वैधानिक गंभीरता
मौखिक (Verbal)	यौन टिप्पणियां, भेदे इशारे, व्यक्तिगत प्रश्न	प्रथम दृष्टया दुर्व्यवहार, ICC जांच योग्य
शारीरिक (Physical)	अवांछित स्पर्श, जकड़ना, जबर्दस्ती निकटता	गंभीर कदाचार एवं आपराधिक धारा 74/75 BNS समरूप
दृष्टिगोचर (Visual)	अश्लील पोस्टर, डिजिटल स्क्रीन पर पोर्न दिखाना	कार्यस्थल पर्यावरण प्रदूषण एवं मानहानि

3. आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee - ICC) और स्थानीय समिति (LC)

POSH Act, 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निवारक और अर्द्ध-न्यायिक निकाय के रूप में समितियों का गठन अनिवार्य किया गया है।

अ. आंतरिक शिकायत समिति (ICC - धारा 4):

क. ऐसा प्रत्येक कार्यालय या संस्थान जहाँ 10 या अधिक कर्मचारी नियोजित हैं, वहाँ ICC का गठन करना बाध्यकारी है।

ख. संरचना:

- **पीठासीन अधिकारी (Presiding Officer):** संगठन में कार्यरत उच्च स्तर की महिला।
- **सदस्य:** कम से कम 2 सदस्य ऐसे जो महिला अधिकार, कानून या सामाजिक कार्य में अनुभव रखते हों।
- **बाह्य सदस्य (External Member):** एनजीओ, बाल/महिला अधिकार कार्यकर्ता या विधि-वेत्ता (जो संबंधित संगठन का न हो)।
- **कुल सदस्यों में कम से कम आधी संख्या महिलाओं की होनी चाहिए।**

ब. स्थानीय समिति (LC - धारा 5/6):

क. जहाँ 10 से कम कर्मचारी हैं या असंगठित क्षेत्र के मामले हैं, वहाँ जिला कलेक्टर द्वारा प्रत्येक जिले में स्थानीय समिति (Local Committee) गठित की जाती है।

समिति प्रकार	वैधानिक आधार	गठन अनिवार्यता / दायरा	मुख्य नेतृत्व / संरचना

आंतरिक शिकायत समिति (ICC)	POSH धारा 4	10+ कर्मचारी वाले सभी संगठन	वरिष्ठ महिला अधिकारी (पीठासीन) + बाह्य सदस्य
स्थानीय समिति (LC)	POSH धारा 5-6	10 से कम कर्मचारी / असंगठित क्षेत्र	जिला अधिकारी द्वारा मनोनीत प्राधिकारी

4. शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया, समय-सीमा और समझौता (Conciliation)

शिकायत प्रक्रिया को गोपनीय, त्वरित और पीड़ित-केंद्रित (Survivor-centric) रखा गया है।

अ. शिकायत की समयावधि (धारा 9):

क. घटना की तिथि से **3 महीने के भीतर** लिखित शिकायत ICC या LC को दी जानी अनिवार्य है (विशेष परिस्थितियों में समिति इस अवधि को और 3 महीने बढ़ा सकती है)। यदि महिला शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ है, तो उसके विधिक उत्तराधिकारी या रिश्तेदार शिकायत दे सकते हैं।

ब. सुलह / समझौता (Conciliation - धारा 10):

क. जांच शुरू होने से पहले, यदि पीड़ित महिला अनुरोध करती है, तो समिति सुलह के माध्यम से मामले को सुलझाने का प्रयास कर सकती है (**परंतु मौद्रिक समझौता या जबरन समझौता वर्जित है**)। सुलह न होने पर नियमित जांच आगे बढ़ती है।

5. अंतरिम राहत (Interim Relief), जांच प्रक्रिया और अनुशासनात्मक कार्रवाई

जांच के दौरान पीड़िता की सुरक्षा और कार्यस्थल पर पक्षपात रोकने के लिए विशेष वैधानिक प्रावधान हैं।

अ. अंतरिम राहत (धारा 12):

क. जांच के दौरान पीड़िता के आवेदन पर समिति नियोजक को निम्नलिखित सिफारिश कर सकती है:

- पीड़िता या प्रतिवादी का दूसरे विभाग/लोकेशन पर स्थानांतरण।
- पीड़िता को 3 महीने तक का अतिरिक्त अवकाश देना।
- प्रतिवादी को पीड़िता के प्रदर्शन मूल्यांकन या गोपनीय रिपोर्ट (ACR) लिखने से रोकना।

ब. जांच रिपोर्ट और समय-सीमा:

क. जांच **90 दिनों के भीतर** पूरी होनी चाहिए। रिपोर्ट प्राप्ति के **60 दिनों के भीतर** नियोजक को दंडात्मक/अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी होती है।

ख. **दंड के प्रकार:** लिखित माफी, वेतन वृद्धि या प्रमोशन रोकना, डिमोशन, या सेवा से बर्खास्तगी (Termination), तथा मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए वेतन से कटौती कर पीड़िता को प्रतिकर (Compensation) देना।

चरण	वैधानिक प्रावधान / समय-सीमा	मुख्य निष्पादन

शिकायत प्राप्ति	घटना से 3 माह के भीतर (बढ़ाई जा सकने योग्य)	लिखित आवेदन ICC/LC को
अंतरिम राहत	धारा 12 (जांच दौरान)	स्थानांतरण, अतिरिक्त अवकाश, ACR से दूर रखना
अंतिम रिपोर्ट & दण्ड	90 दिन में जांच + 60 दिन में क्रियान्वयन	अनुशासनात्मक कार्रवाई + मानसिक क्षतिपूर्ति प्रतिकर

6. नियोजक (Employer) के वैधानिक उत्तरदायित्व और दंड

POSH Act, 2013 के तहत यदि कोई नियोजक ICC का गठन नहीं करता है, रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, या अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उसे **₹50,000 तक का जुर्माना** हो सकता है। बार-बार उल्लंघन पर जुर्माना दोगुना या लाइसेंस/पंजीकरण रद्द करने का प्रावधान है।

7. यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act, 2012): दर्शन और परिभाषाएं

बच्चों (18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति) के विरुद्ध यौन शोषण, लैंगिक हमला और पोर्नोग्राफी के जघन्य मामलों से निपटने के लिए **POCSO Act, 2012** (14 नवंबर 2012 से प्रवृत्त) अधिनियमित किया गया। यह **लिंग-तटस्थ (Gender-neutral)** कानून है, यानी बालक या बालिका दोनों के साथ होने वाले यौन अपराधों पर समान रूप से लागू होता है।

अ. मुख्य परिभाषाएं:

क. **बालक (Child - धारा 2(d))**: 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति।

ख. **प्रवेशक लैंगिक हमला (Penetrative Sexual Assault - धारा 3/4)**: जब कोई व्यक्ति लिंग का योनि, गुदा, मूत्रमार्ग में प्रवेश करता है, या वस्तु/शरीर के किसी अंग का प्रवेश करता है, या मुंह से छूता है।

ग. **गंभीर प्रवेशक लैंगिक हमला (Aggravated Penetrative Sexual Assault - धारा 5/6)**: पुलिस, सशस्त्र बल, शिक्षक, डॉक्टर, धार्मिक गुरु, परिवार के सदस्य या ट्रस्टी द्वारा किया गया प्रवेशक लैंगिक हमला, या ऐसा हमला जिससे स्थायी विकलांगता या एचआईवी संक्रमण हो।

घ. **लैंगिक हमला (Sexual Assault - धारा 7/8)**: यौन आशय से प्रवेश के बिना शरीर के किसी हिस्से को छूना या अनुचित संपर्क।

ड. **लैंगिक उत्पीड़न (Sexual Harassment - धारा 11/12)**: मौखिक या अमौखिक अछूता यौन दुर्व्यवहार।

POCSO श्रेणी	अपराध	धारा प्रावधान	न्यूनतम दंडात्मक प्रावधान	गंभीर कारक	aggravating

प्रवेशक लैंगिक हमला (PSA)	धारा 3 / 4	न्यूनतम 20 वर्ष का कठोर कारावास (जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है) + जुर्माना	-
गंभीर प्रवेशक लैंगिक हमला (Aggravated PSA)	धारा 5 / 6	न्यूनतम 20 वर्ष से आजीवन कारावास या मृत्युदंड (Death Penalty)	विश्वासपात्र व्यक्ति (शिक्षक, पुलिस, डॉक्टर, परिजन) द्वारा कृत्य
लैंगिक हमला (Sexual Assault)	धारा 7 / 8	न्यूनतम 3 वर्ष (जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है) + जुर्माना	-
बच्चों का पोर्नोग्राफी उपयोग/संग्रहण	धारा 13 / 14 / 15	प्रथम अपराध 3 से 5 वर्ष कारावास + जुर्माना	कमर्शियल उद्देश्य या डिजिटल वितरण पर अधिक दण्ड

8. POCSO अधिनियम 2019 के ऐतिहासिक संशोधन (2019 Amendment)

बाल यौन अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति और अधिक कठोर निरोधात्मक दण्ड के लिए संसद ने **POCSO (संशोधन) अधिनियम, 2019** पारित किया।

अ. प्रमुख संशोधन प्रावधान:

क. **मृत्युदंड का प्रावधान:** धारा 6 (गंभीर प्रवेशक लैंगिक हमला) के तहत न्यूनतम 20 वर्ष कारावास या आजीवन कारावास के साथ **मृत्युदंड (Death Penalty)** का स्पष्ट वैधानिक विकल्प जोड़ा गया।

ख. **पोर्नोग्राफी परिभाषा और कड़े दंड:** बच्चों का उपयोग कर बनाए गए पोर्नोग्राफिक मटेरियल को स्टोर करने, देखने (Streaming/Downloading) या वितरित करने के लिए कठोर दंडात्मक धाराएं (धारा 14/15)।

ग. **गवाह और पीड़ित संरक्षण:** बच्चे की पहचान उजागर न करने का सख्त प्रावधान (धारा 23 - मीडिया या किसी भी व्यक्ति द्वारा बच्चे का नाम/तस्वीर प्रकाशित करना वर्धित, 6 मास से 1 वर्ष तक का कारावास)।

9. POCSO अधिनियम के तहत विशेष प्रक्रियाएं और बालक-सुलभ (Child-Friendly) न्याय

पारंपरिक न्यायालयी प्रक्रिया बच्चों के लिए अत्यधिक भयावह (Traumatizing) होती है, इसलिए POCSO विशेष प्रक्रियाएं तय करता है।

अ. विशेष प्रक्रियागत नियम:

क. **पुलिस पूछताछ में संवेदनशीलता:** वर्दी के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ, महिला पुलिस अधिकारी की उपस्थिति, और थाने में बच्चे को रात भर नहीं रोका जा सकता।

ख. **मेडिकल परीक्षा:** किसी महिला चिकित्सक द्वारा बच्चे की माता/पिता या भरोसेमंद व्यक्ति की उपस्थिति में मेडिकल परीक्षण।

ग. **विशेष न्यायालय (Special Courts - धारा 28):** सेशन कोर्ट को ही 'विशेष POCSO कोर्ट' के रूप में नामित किया जाता है, जहाँ **1 वर्ष के भीतर** trial पूरा करने की वैधानिक अपेक्षा है।

घ. **गवाही के दौरान सुरक्षा (In-camera trial):** बच्चे को अभियुक्त का सामना न करना पड़े, इसके लिए स्क्रीन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अलग कक्ष की व्यवस्था (धारा 33/38)।

प्रक्रिया चरण	पारंपरिक दंडात्मक संहिता	POCSO विशेष प्रावधान
पुलिस पूछताछ	वर्दीधारी पुलिस, औपचारिक माहौल	सादे वस्त्र, बाल-सुलभ काउंसलिंग कक्ष, महिला अधिकारी
न्यायालयी ट्रायल	ओपन कोर्ट, अभियुक्त की सीधी उपस्थिति	इन-कैमरा ट्रायल, स्क्रीन/वीसी के जरिए बयान, 1 वर्ष समय-सीमा
पहचान सुरक्षा	खुली मीडिया कवरेज संभव	धारा 23 के तहत बच्चे की पहचान उजागर करने पर दण्ड

10. POSH और POCSO का अंतर्संबंध, प्रशासनिक अनुपालना और भविष्य की दृष्टि

शैक्षणिक संस्थानों (स्कूल, कॉलेज, कोचिंग हब) और आवासीय परिसरों में दोनों कानूनों का समेकित ढांचा लागू होता है।

अ. **संस्थागत उत्तरदायित्व:**

क. प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान में POCSO और POSH के नियमों के बोर्ड डिस्प्ले करना, ओरिएंटेशन वर्कशॉप और 'पोक्सो ई-बॉक्स' (NCPCR पोर्टल) का प्रभावी उपयोग।

ख. पुलिस, महिला एवं बाल विकास विभाग (WCD), और वन स्टॉप सेंटर (Sakhi) का त्रिपक्षीय तालमेल।

अनुपालन आयाम	POSH Act 2013	POCSO Act 2012 (संशोधित 2019)
शासी निकाय / अधिकारी	ICC / Local Committee	विशेष पुलिस इकाई / स्पेशल POCSO कोर्ट / CWC
रिपोर्टिंग बाध्यता	आंतरिक समिति / नियोजक रिपोर्ट	अनिवार्य FIR (धारा 19 के तहत सूचना न देना दंडनीय)

दार्शनिक फोकस	कार्यस्थल लैंगिक समानता एवं गरिमा	बाल यौन शोषण के विरुद्ध जीरो-टॉलरेंस एवं कठोरतम दण्ड
---------------	-----------------------------------	--

ब. निष्कर्ष एवं भावी दृष्टि:

क. POSH 2013 और POCSO 2019 के कठोर प्रावधानों ने कार्यस्थल और बाल विकास के दायरे में एक सुरक्षा कवच खड़ा किया है।

ख. एआई-आधारित डिजिटल मॉनिटरिंग, त्वरित विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट, और सामाजिक-संवेदनशील पुलिसिंग के संलयन से महिलाओं के गरिमापूर्ण कार्यस्थल और बच्चों के भयमुक्त बचपन के संवैधानिक लक्ष्यों को चिरस्थायी रूप दिया जा रहा है।

अध्याय 24: बाल अधिकार, बाल विवाह एवं बाल श्रम निषेध कानून

1. बाल अधिकारों का दार्शनिक और संवैधानिक आधार (Constitutional Framework)

बाल्यकाल मानव जीवन की वह संवेदनशील अवस्था है जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास का आधार तय करती है। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन (UNCRC, 1989) के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति 'बालक' है। भारत के संविधान में बालकों के कल्याण, संरक्षण और शिक्षा के लिए व्यापक प्रावधान हैं:

अ. संवैधानिक प्रावधान:

क. **अनुच्छेद 24:** कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध (14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने, खान या अन्य संकटपूर्ण नियोजन में नहीं लगाया जाएगा)।

ख. **अनुच्छेद 39(e) एवं (f):** बच्चों की सुकुमार आयु का दुरुपयोग न हो, और बच्चों को स्वतंत्र एवं गरिमापूर्ण वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर मिलें।

ग. **अनुच्छेद 21A:** 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार (86वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2002)।

संवैधानिक अनुच्छेद	विषय / संरक्षण दायरा	विधिक प्रकृति / प्रभाव
--------------------	----------------------	------------------------

अनुच्छेद 24	संकटपूर्ण उद्योगों में बाल श्रम निषेध (14 वर्ष से कम)	मौलिक अधिकार (न्यायलय द्वारा प्रवर्तनीय)
अनुच्छेद 21A	6-14 वर्ष शिक्षा का अधिकार (RTE Act 2009 आधार)	मौलिक अधिकार
अनुच्छेद 39(e)/(f)	बालकों के शोषण और कुपोषण से संरक्षण	नीति-निर्देशक तत्व (DPSP)

2. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 और राजस्थान विशिष्ट संदर्भ

बाल विवाह (Child Marriage) बालकों के शिक्षा, स्वास्थ्य, शारीरिक विकास और मानवाधिकारों का हनन है। राष्ट्रीय स्तर पर **बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (Prohibition of Child Marriage Act, 2006 - PCMA 2006)** लागू है, जिसने पूर्ववर्ती शारदा अधिनियम (1929) को प्रतिस्थापित किया।

अ. कानूनी परिभाषाएँ और आयु सीमा:

क. **बालक (Child):** ऐसा पुरुष जिसकी आयु 21 वर्ष से कम है, या ऐसी स्त्री (बालिका) जिसकी आयु **18 वर्ष से कम** है।

ख. **बाल विवाह (Child Marriage):** ऐसा विवाह जिसमें पक्षकारों में से कोई एक या दोनों बालक (अव्यय) हैं।

ब. बाल विवाह के विरुद्ध दंडात्मक प्रावधान (धारा 9, 10, 11):

क. **वयस्क पुरुष (21 वर्ष से ऊपर) जो बालक से विवाह करता है:** 2 वर्ष तक का कठोर कारावास या ₹1 लाख तक का जुर्माना, या दोनों।

ख. **बाल विवाह संपन्न कराने वाले, अनुष्ठान करने वाले या बढ़ावा देने वाले (माता-पिता, पंडित/मौलवी, टेंट/कैटरिंग वाले):** 2 वर्ष तक का कठोर कारावास या ₹1 लाख तक का जुर्माना, जब तक कि वह यह साबित न करे कि उसे यह विश्वास करने का कारण नहीं था कि विवाह बाल विवाह है।

अपराध / पक्ष	वैधानिक उत्तरदायित्व / धारा	दंडात्मक प्रावधान
वयस्क पुरुष (बालिका से विवाह)	PCMA धारा 9	2 वर्ष तक का कठोर कारावास + ₹1 लाख जुर्माना
बाल विवाह आयोजक / कर्ता	PCMA धारा 10/11	2 वर्ष तक का कठोर कारावास + ₹1 लाख जुर्माना

बाल विवाह के विरुद्ध निषेधाज्ञा (Injunction)	PCMA धारा 13	जिला न्यायालय/मजिस्ट्रेट द्वारा बाल विवाह रोकने का आदेश
--	--------------	---

3. राजस्थान में बाल विवाह निवारण और 'बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी' (CMPO)

राजस्थान में परंपरा, आखातीज (अक्षय तृतीया) आदि अवसरों पर बाल विवाह की कुप्रथा को रोकने के लिए प्रशासनिक और वैधानिक मुस्तैदी बढ़ाई गई है।

अ. **बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी (Child Marriage Prohibition Officer - CMPO):**

क. राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले/क्षेत्र में CMPO की नियुक्ति की जाती है।

ख. **कार्य:** बाल विवाह को रोकना, साक्ष्य जुटाना, पुलिस को सूचित करना, बाल विवाह के विरुद्ध जन-जागरूकता फैलाना और पीड़ितों को सहायता दिलाना।

ब. **विवाह का शून्यीकरण (Voidable Marriage - धारा 3):**

क. बाल विवाह पक्षकार (जो उस समय बालक थे) अपनी वयस्कता प्राप्त करने के बाद **2 वर्ष के भीतर** (यानी 20 वर्ष की आयु तक) न्यायालय में याचिका दायर कर बाल विवाह को **शून्य (Void)** घोषित करवा सकते हैं।

4. बाल श्रम (निषेध और नियमन) अधिनियम, 1986 (2016 संशोधन)

बच्चों के श्रम शोषण को रोकने और उनके पुनर्वास के लिए **बाल श्रम (निषेध और नियमन) अधिनियम, 1986** का संचालन किया जाता है, जिसमें 2016 में व्यापक संशोधन किए गए।

अ. **2016 संशोधन के प्रमुख प्रावधान:**

क. **14 वर्ष से कम आयु के बालकों पर पूर्ण प्रतिबंध:** किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन पूर्णतः **प्रतिबंधित** (अपवाद: पारिवारिक उद्यम जहाँ स्कूल के बाद या अवकाश में सहायता हो, बशर्ते वह संकटपूर्ण न हो)।

ख. **किशोरावस्था (Adolescent - 14 से 18 वर्ष):** किशोरावस्था के बालकों को **संकटपूर्ण व्यवसायों और प्रक्रियाओं (Hazardous occupations and processes)** (खान, फ्लैशबैक, ज्वलनशील पदार्थ, खतरनाक रसायन आदि) में नियोजित करने पर पूर्ण प्रतिबंध।

आयु वर्ग / श्रेणी	विधिक स्थिति	अनुमत / प्रतिबंधित दायरा
14 वर्ष से कम (Child)	पूर्ण प्रतिबंध (Total Ban)	किसी भी व्यावसायिक उद्यम में निषेध (पारिवारिक व्यवसाय अपवाद - गैर-संकटपूर्ण)
14 से 18 वर्ष (Adolescent)	नियमन एवं आंशिक प्रतिबंध	संकटपूर्ण उद्योगों (खान, कैमिकल, विस्फोटक) में पूर्ण प्रतिबंध

5. बाल श्रम उल्लंघन पर दंड प्रावधान (2016 संशोधन उपरांत)

अधिनियम के तहत नियमों के उल्लंघन को संज्ञेय (Cognizable) और कठोर दंड के दायरे में लाया गया है।

अ. नियोजक के लिए दंड:

क. धारा 14 के अनुसार, 14 वर्ष से कम आयु के बालक या 14-18 वर्ष के किशोर को संकटपूर्ण उद्योगों में नियोजित करने पर:

- न्यूनतम 6 महीने से 2 वर्ष तक का कारावास, या ₹20,000 से ₹50,000 तक का जुर्माना, या दोनों।
- पुनरावृत्ति (Repeat offense) पर 1 वर्ष से 3 वर्ष तक का कारावास।

ब. बाल श्रम पुनर्वास सह-निधि (Child Labour Rehabilitation-cum-Welfare Fund):

क. प्रत्येक उल्लंघन पर नियोजक से वसूला गया जुर्माना इस कोष में जमा किया जाता है, जिसका उपयोग पीड़ित बच्चों के पुनर्वास, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए किया जाता है।

6. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (Juvenile Justice Act, 2015)

बच्चों से जुड़े विधि-विरुद्ध आचरण (Conflict with law) और देखरेख एवं संरक्षण आवश्यकता वाले बच्चों (Child in need of care and protection) के लिए **किशोर न्याय अधिनियम, 2015** (जो 2021 में संशोधित हुआ) भारत में प्रभावी है।

अ. मुख्य संकल्पनाएँ:

क. **विधि का उल्लंघन करने वाला बालक (Child in Conflict with Law):** ऐसा बालक जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और उस पर कोई अपराध करने का आरोप है।

ख. **देखरेख और संरक्षण आवश्यकता वाला बालक (Child in Need of Care and Protection - CNCP):** अनाथ, बेघर, शोषित, या हिंसा का शिकार बच्चा।

ग. **गंभीर अपराध (Heinous Offences) का विशेष प्रावधान (16-18 आयु वर्ग):** यदि 16 से 18 वर्ष की आयु के किसी बालक द्वारा जघन्य अपराध (जैसे हत्या, बलात्कार आदि) किया जाता है, तो किशोर न्याय बोर्ड (JJB) प्रारंभिक आकलन (Preliminary Assessment) के बाद यह तय कर सकता है कि मामला नियमित अदालत (Children's Court) में चलाया जाए या नहीं।

संस्थान / बोर्ड	वैधानिक आधार	मुख्य उत्तरदायित्व
किशोर न्याय बोर्ड (JJB - Juvenile Justice Board)	JJ Act धारा 4	विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों (CCL) के मामलों की बाल-सुलभ सुनवाई
बाल कल्याण समिति (CWC - Child Welfare Committee)	JJ Act धारा 27	देखरेख/संरक्षण आवश्यकता वाले बच्चों (CNCP) के संरक्षण, आश्रय और पुनर्वास का निर्णय

विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU)	JJ Act धारा 107	प्रत्येक जिले/पुलिस स्टेशन पर बाल-संवेदनशील पुलिसिंग इकाई
-------------------------------	-----------------	---

7. CWC (बाल कल्याण समिति) और JJB (किशोर न्याय बोर्ड) की संरचना

बच्चों के सर्वोत्तम हित (Best Interest of the Child) के सिद्धांत पर यह निकाय कार्य करते हैं।

अ. **CWC (Child Welfare Committee):**

क. जिले स्तर पर एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं (कम से कम एक महिला अनिवार्य)।

ख. बच्चों के आश्रय (Observation/Foster/Special homes) और संरक्षण आदेश जारी करना।

ब. **JJB (Juvenile Justice Board):**

क. एक महानगर मजिस्ट्रेट/प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (अध्यक्ष) और सामाजिक कार्यकर्ता (कम से कम दो, जिनमें एक महिला हो)।

8. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (SCRPC): गठन और अधिकार

बाल अधिकारों के संरक्षण, निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत राज्यों में **राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (SCRPC)** का गठन किया जाता है।

अ. **गठन एवं संरचना:**

क. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से गठन।

ख. **संरचना:** एक **अध्यक्ष** (बाल अधिकार क्षेत्र के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ) और **6 सदस्य** (विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल मनोविज्ञान, समाज कार्य आदि से, जिनमें कम से कम 2 महिला सदस्य अनिवार्य)।

ब. **कार्य एवं शक्तियाँ:**

क. बाल अधिकारों का अतिक्रमण या बच्चों के उत्पीड़न के मामलों में **स्वतः संज्ञान (Suo motu)** या शिकायत पर जांच करना।

ख. बच्चों के लिए बनाए गए कानूनों और नीतियों की समीक्षा करना और सरकार को संस्तुति देना।

ग. बाल सुधार गृहों, आश्रय गृहों और किशोर न्याय संस्थाओं का निरीक्षण करना।

घ. जांच करते समय सिविल न्यायालय की शक्तियाँ (समन, दस्तावेज प्रकटन, शपथ पर साक्ष्य)।

आयोग आयाम	वैधानिक आधार / संरचना	मुख्य कार्यक्षेत्र
शासी कानून	बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005	राष्ट्रीय एवं राज्यीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग गठन

राज्य आयोग संरचना	1 अध्यक्ष + 6 सदस्य (महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य)	बाल अधिकारों की निगरानी, गृह निरीक्षण, नीतिगत संस्तुति
अर्द्ध-न्यायिक शक्ति	सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) शक्तियाँ	समन जारी करना, साक्ष्य परीक्षण, त्वरित जांच

9. बाल अधिकारों से जुड़े समकालीन वैधानिक और प्रशासनिक तंत्र (पोक्सो, सीसीटीएनएस, सिंक टू चाइल्ड प्रोटेक्शन)

बच्चों के विरुद्ध अपराधों और अधिकारों के हनन को रोकने के लिए डिजिटल और मैदानी नेटवर्क का अभिसरण किया गया है।

अ. प्रमुख डिजिटल व मैदानी पहलें:

क. चाइल्डलाइन (1098 - वर्तमान में आपातकालीन रिस्पॉंस सिस्टम 112/1098 एकीकृत): संकटग्रस्त बच्चों की आपातकालीन सहायता के लिए 24x7 हेल्पलाइन।

ख. पोक्सो ई-बॉक्स (NCPCR Portal): ऑनलाइन बाल यौन शोषण या उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने का गुप्त पोर्टल।

ग. ट्रैकिंग पोर्टल (Khoya-Paya / TrackChild): गुमशुदा और बरामद बच्चों की राष्ट्रव्यापी डिजिटल ट्रैकिंग।

10. समकालीन चुनौतियाँ, बाल श्रम-विवाह उन्मूलन और भविष्य की दृष्टि

पारंपरिक सामाजिक कुप्रथाओं (बाल विवाह) और असंगठित क्षेत्र के बाल श्रम (जैसे ढाबे, ईट-भट्टे, हस्तशिल्प कार्य) के उन्मूलन में कई व्यावहारिक चुनौतियाँ आती हैं।

अ. प्रमुख चुनौतियाँ:

क. गरीबी और सामाजिक सुरक्षा अंतराल: आर्थिक लाचारी के कारण परिवारों द्वारा बच्चों को श्रम या कम उम्र में विवाह की ओर धकेलना।

ख. पुनर्वास की मैदानी सीमाएं: रेस्क्यू किए गए बच्चों के दीर्घावधि शैक्षणिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास में संसाधन कमी।

ग. गुप्त विवाह और सामाजिक दबाव: ग्रामीण क्षेत्रों में गोपनीय ढंग से बाल विवाह संपन्न कराना और साक्ष्यों का अभाव।

चुनौती आयाम	कारण	सुधारात्मक प्रशासनिक उपाय
बाल विवाह गुप्त आयोजन	सामाजिक संकोच/रूढ़िवादिता	ग्राम पंचायत स्तर पर 'बाल विवाह मुक्त ग्राम' शपथ, मुखबिर प्रोत्साहन

बाल श्रम रेस्क्यू/पुनर्वास	असंगठित नेटवर्क और गरीबी	श्रम विभाग, पुलिस और CWC का संयुक्त ऑपरेशन, डीबीटी आधारित शिक्षा सहायता
डिजिटल अवेयरनेस	ग्रामीण इलाकों में ऐप/हेल्पलाइन अज्ञानता	स्कूल स्तर पर 'बाल अधिकार संसद', वॉल पेंटिंग और वॉयस अवेयरनेस कैंपेन

ब. निष्कर्ष एवं भावी दृष्टि:

क. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016, किशोर न्याय अधिनियम 2015 और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का समेकित ढांचा बच्चों के अधिकारों का अजेय सुरक्षा कवच है।

ख. शून्य-सहनशीलता (Zero-tolerance), त्वरित सी डब्ल्यू सी/जेजेबी निस्तारण और समाज-प्रशासन के सहयोगात्मक संवाद से 'बाल-अधिकार सुरक्षित, भयमुक्त और शिक्षित समाज' के संवैधानिक लक्ष्यों को साकार किया जा रहा है।

अध्याय 25: राजस्थान में महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा हेतु विशेष योजनाएँ व पुलिस हेल्प लाईन

1. महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा का सुशासन-केंद्रित और वैधानिक परिप्रेक्ष्य

लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में कानून के शासन (Rule of Law) की सार्थकता इस बात से तय होती है कि समाज के सबसे संवेदनशील और कमजोर वर्ग—विशेषकर महिलाएं और बालक—कितने सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण में निवास करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों के व्यावहारिक धरातल पर क्रियान्वयन के लिए केवल दंडात्मक संहिताएं (BNS/POCSO) पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि निवारक (Preventive), पुनर्वासकारी (Rehabilitative), और तकनीकी-आधारित त्वरित सहायता (Emergency Response) की आवश्यकता होती है।

राजस्थान राज्य ने अपने भौगोलिक और सामाजिक संवेदनशीलता के दृष्टिगत महिला सुरक्षा, घरेलू हिंसा निवारण, बाल अधिकार संरक्षण और त्वरित पुलिस प्रतिक्रिया के लिए एक बहुआयामी अवसंरचना विकसित की है, जिसमें राष्ट्रीय योजनाओं (निर्भया फंड) और राज्य-विशिष्ट पहलों (सुरक्षा सखी, आवाज़ अभियान) का समेकित प्रतिमान है।

सुरक्षा आयाम	राष्ट्रीय/केंद्रीय ढांचा	राज्य-विशिष्ट (राजस्थान) तंत्र
वित्तीय सहायता	निर्भया फंड (Nirbhaya Fund - 2013)	वन स्टॉप सेंटर (सखी केंद्र), शक्ति भवन और महिला सुरक्षा कोष

समुदाय भागीदारी	कम्युनिटी पुलिसिंग दिशानिर्देश	राजस्थान पुलिस 'सुरक्षा सखी' और ग्राम रक्षक योजना
जागरूकता अभियान	राष्ट्रीय महिला आयोग/WCD अभियान	'आवाज़' अभियान और डिजीलिटरेसी कैंपेन

2. निर्भया फंड (Nirbhaya Fund): स्थापना, वित्तीय ढांचा और राजस्थान में अनुप्रयोग

2012 की दिल्ली की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पश्चात केंद्र सरकार द्वारा **निर्भया फंड (Nirbhaya Fund)** की स्थापना 2013 में की गई। यह एक गैर-लेप्सिबल (Non-lapsable) कॉर्पस फंड है, जिसका प्रबंधन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) द्वारा वित्त मंत्रालय के समन्वय में किया जाता है।

अ. निर्भया फंड का मूल उद्देश्य:

क. महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और संरक्षणात्मक अवसंरचना के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की परियोजनाओं को वित्तीय सहायता (Grant-in-aid) देना।

ख. वन स्टॉप सेंटर (One Stop Centres - OSC), महिला हेल्पलाइन्स, सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन (NIRBHAYA framework in buses/trains), और फास्ट-ट्रैक कोर्ट को वित्तपोषण।

ब. राजस्थान में निर्भया फंड के उपयोग के क्षेत्र:

क. प्रदेश के सभी जिलों में 'सखी' वन स्टॉप सेंटर (Sakhi Centres) का संचालन।

ख. अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (Abhay Command & Control Centre) और डॉयल 112 (ERSS - Emergency Response Support System) का आधुनिकीकरण।

ग. महिला पुलिस थानों और हेल्प डेस्क का सुदृढीकरण।

निर्भया परियोजना घटक	वित्तीय/प्रशासनिक स्रोत	राज्य में मैदानी क्रियान्वयन
वन स्टॉप सेंटर (सखी)	निर्भया फंड शत-प्रतिशत/सह-वित्तपोषण	जिला स्तर पर चिकित्सा, विधिक और परामर्श एकछत सुविधा
अभय कमांड सेंटर (112)	निर्भया/स्मार्ट सिटी/राज्य बजट	जीपीएस-ट्रैक पीसीआर वैन और रीयल-टाइम वीओआईपी/कॉल रिस्पांस

3. राजस्थान पुलिस 'सुरक्षा सखी' (Suraksha Sakhi) योजना

पारंपरिक पुलिसिंग की परिधि को तोड़कर सामुदायिक पुलिसिंग (Community Policing) को जन-सहभागिता से जोड़ने के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा **'सुरक्षा सखी' योजना** का प्रभावी संचालन किया जा रहा है।

अ. योजना का दर्शन और संरचना:

क. गांवों, मोहल्लों, शिक्षण संस्थानों, बाजारों और कार्यस्थलों से सक्रिय, जागरूक और सेवाभावी महिलाओं/युवतियों को 'सुरक्षा सखी' के रूप में जोड़ा जाता है।

ख. यह मॉडल पुलिस और आम नागरिक के बीच 'सेतु' का कार्य करता है।

ब. मुख्य कार्य और उत्तरदायित्व:

क. महिला एवं बाल उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, बाल विवाह या साइबर ठगी की प्रारंभिक सूचना पुलिस तक पहुंचाना।

ख. बस्तियों और स्कूलों में महिलाओं-बालिकाओं को उनके कानूनी अधिकारों, पोक्सो, गुड-टच/बैड-टच और आत्मरक्षा (Self-defense) का प्रशिक्षण देना।

ग. बीट अधिकारी (Beat Officer) के साथ मासिक समन्वय बैठकें कर स्थानीय सुरक्षा फीडबैक देना।

सुरक्षा सखी आयाम	वैधानिक / प्रशासनिक स्वरूप	सामुदायिक प्रभाव
चयन प्रक्रिया	स्थानीय पुलिस थाना स्तर पर स्वैच्छिक नामांकन	समाज के हर वर्ग (शिक्षिका, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, गृहिणी) की भागीदारी
प्रशिक्षण	राजस्थान पुलिस अकादमी / जिला पुलिस प्रशिक्षण	आत्मरक्षा, विधिक साक्षरता और सूचना प्रेषण कौशल
संवाद सेतु	साप्ताहिक/मासिक 'सखी बैठक'	थाना स्तर पर भरोसे का वातावरण और त्वरित बीट इंटेलिजेंस

4. 'आवाज़' अभियान (Awaaz Campaign): जन-जागरूकता और डिजिटल सुरक्षा

महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के मूल कारणों (रूढ़िवादिता, मौन की संस्कृति और डिजिटल अनभिज्ञता) पर चोट करने के लिए राजस्थान पुलिस और प्रशासनिक निकायों द्वारा 'आवाज़' अभियान संचालित किया गया है।

अ. अभियान के मुख्य स्तंभ:

क. **मौन तोड़ो (Break the Silence):** घरेलू हिंसा या यौन उत्पीड़न के खिलाफ पीड़िताओं को आवाज उठाने के लिए प्रेरित करना।

ख. **डिजिटल और भौतिक संवाद:** नुक्कड़ नाटक, सोशल मीडिया रील्स, रेडियो जिंगल और स्कूल-कॉलेज कार्यशालाओं के जरिए 'गुड टच-बैड टच' और साइबर स्टकिंग की पहचान सिखाना।

ग. **शिकायत सुगमता:** किसी भी प्रकार के उत्पीड़न पर पुलिस हेल्पलाइन या महिला डेस्क से सीधा जुड़ाव।

5. 1090 महिला हेल्पलाइन (Women Helpline) और 1098 बाल हेल्पलाइन (Childline)

संकट की घड़ी में सेकंड के भीतर सहायता पहुंचाने के लिए विशिष्ट नंबरों की आपातकालीन सेवाएं कार्यरत हैं।

अ. 1090 महिला हेल्पलाइन:

क. महिलाओं के साथ छेड़छाड़, कार्यस्थल उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना या आपात स्थिति में 24x7 कॉलिंग सुविधा।

ख. यह अभय कमांड सेंटर (Abhay Command Centre) से जुड़ी होती है, जिससे निकटतम पीसीआर वैन (PCR Van) या महिला सुरक्षा यूनिट को तुरंत निर्देशित किया जाता है।

ब. 1098 बाल हेल्पलाइन (Childline / ERSS Integration):

क. 18 वर्ष से कम आयु के संकटग्रस्त, बेघर, शोषित, बाल श्रम या बाल विवाह के शिकार बच्चों के लिए 24 घंटे टोल-फ्री आपातकालीन सेवा।

ख. सूचना मिलने पर बाल कल्याण समिति (CWC), विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) और श्रम/प्रशासनिक दल द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन।

हेल्पलाइन नंबर	लक्षित वर्ग	मुख्य कार्यक्षेत्र	रीयल-टाइम इंटीग्रेशन
1090	महिलाएं	उत्पीड़न, छेड़छाड़, घरेलू आपात सहायता	अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर / पीसीआर डिस्पैच
1098 / 112	बच्चे (0-18 वर्ष)	बाल विवाह, बाल श्रम, रेस्क्यू, आश्रय आवश्यकता	CWC, SJPU और जिला बाल संरक्षण इकाई (DCU)
गरिमा हेल्पलाइन (0141-2740700 या विशिष्ट राज्य नंबर)	वरिष्ठ नागरिक / असुरक्षित वर्ग	सामाजिक सुरक्षा और प्रताड़ना निवारण	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / पुलिस समन्वय

6. गरिमा हेल्पलाइन (Garima Helpline): वरिष्ठ नागरिक एवं असुरक्षित वर्ग सुरक्षा

महिलाओं और बच्चों के साथ-साथ परिवार में उपेक्षित या प्रताड़ित महिलाओं/वरिष्ठ नागरिकों की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए गरिमा हेल्पलाइन और संबंधित परामर्श केंद्र कार्य करते हैं।

अ. मुख्य कार्यक्षेत्र:

क. पारिवारिक कलह, बुढ़ापे में उपेक्षा, या संपत्ति विवाद के कारण असुरक्षित हुई महिलाओं को परामर्श देना।

ख. वृद्धाश्रमों, आश्रय गृहों और विधिक सहायता प्रदाता एजेंसियों से समन्वय करना।

7. महिला डेस्क (Mahila Desk): पुलिस थानों में लैंगिक-संवेदनशील प्रवेश द्वार

प्रत्येक पुलिस थाने में महिलाओं और बच्चों की शिकायतों को भयमुक्त और संवेदनशीलता से सुनने के लिए महिला डेस्क (Mahila Desk) की स्थापना अनिवार्य की गई है।

अ. संरचना और कार्यपद्धति:

क. थाने में नियुक्त प्रशिक्षित **महिला पुलिस अधिकारी/कर्मचारी** द्वारा परिवाद (Complaint) प्राप्त किया जाना।

ख. पीड़िता को गोपनीय वातावरण में अपनी बात रखने का अवसर देना, ताकि थाने के पारंपरिक पुरुष-प्रधान या औपचारिक माहौल का संकोच समाप्त हो सके।

ग. घरेलू हिंसा, दहेज या छेड़छाड़ के मामलों में प्रारंभिक परामर्श (Counseling) देना और आवश्यकतानुसार शून्य FIR या नियमित FIR दर्ज करना।

थाना स्तर व्यवस्था	पारंपरिक थाना माहौल	महिला डेस्क (Mahila Desk) स्वरूप
परिवाद प्राप्ति	मुख्य मुंशी/थानाधिकारी के समक्ष सामान्य कतार	अलग महिला डेस्क, महिला आरक्षी/उप-निरीक्षक द्वारा स्वागत
परामर्श दृष्टिकोण	कानूनी-तकनीकी औपचारिकता	मनोवैज्ञानिक संवेदनशीलता, सुलह या त्वरित वैधानिक कार्रवाई
गोपनीयता स्तर	खुला पूछताछ कक्ष	सुरक्षित और गोपनीय परामर्श कक्ष (Counseling/Privacy Room)

8. पोक्सो कोर्ट्स (POCSO Courts) की स्थापना और कार्यप्रणाली (Fast-Track Special Courts - FTSCs)

बाल यौन अपराधों (POCSO Act, 2012) के मामलों में त्वरित, भयमुक्त और न्यायसंगत ट्रायल के लिए विशेष पोक्सो न्यायालयों का गठन किया गया है।

अ. वैधानिक एवं प्रशासनिक ढांचा:

क. बलात्कार और गंभीर यौन अपराधों के त्वरित निस्तारण के लिए केंद्र प्रायोजित **फास्ट-ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स (FTSCs)** योजना के तहत राजस्थान के जिलों में विशेष पोक्सो कोर्ट्स कार्य कर रहे हैं।

ख. **1 वर्ष के भीतर ट्रायल पूरा करने** का वैधानिक निर्देश (POCSO Act प्रावधानों के अनुरूप)।

ब. बाल-सुलभ और इन-कैमरा (In-Camera) ट्रायल प्रक्रिया:

क. कोर्ट रूम में अभियुक्त की प्रत्यक्ष दृष्टि से बच्चे को बचाने के लिए स्क्रीन (Screen) या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) का उपयोग।

स. बच्चे से अनावश्यक बार-बार पूछताछ या क्रोस-एग्जामिनेशन से बचाने के लिए विशेष मजिस्ट्रेटियल बयान (Section 183 BNSS / old 164 CrPC) और रिकॉर्डेड साक्ष्य का उपयोग।

द. **मुआवजा और प्रतिकर (Victim Compensation):** राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना (Rajasthan Victim Compensation Scheme) के तहत ट्रायल के दौरान ही या निर्णय के समय त्वरित आर्थिक सहायता/मुआवजा दिलाना।

न्यायिक आयाम	नियमित क्रिमिनल कोर्ट ट्रायल	विशेष पोक्सो कोर्ट ट्रायल (FTSC)
ट्रायल समयावधि	अनिश्चितकालीन विलंब (वर्षों तक पेंडेंसी)	वैधानिक 1 वर्ष के भीतर निस्तारण का लक्ष्य
कोर्ट रूम वातावरण	औपचारिक, भयावह, अभियुक्त की निकटता	इन-कैमरा, स्क्रीन/वीसी व्यवस्था, बाल-सुलभ सपोर्ट पर्सन
प्रतिकर वितरण	अंतिम निर्णय के बहुत बाद	अंतरिम प्रतिकर (Interim compensation) का त्वरित प्रावधान

9. महिला एवं बाल सुरक्षा यूनिट (AHTU, Cyber Cell, Mission Sahyog/Suraksha) का समेकित नेटवर्क

राजस्थान पुलिस मुख्यालय के अधीन अपराध अनुसंधान और महिलाओं/बच्चों के विरुद्ध विशिष्ट अपराधों से निपटने के लिए एकीकृत इकाइयाँ कार्यरत हैं।

अ. एकीकृत मैदानी नेटवर्क:

क. मानव तस्करी रोधी यूनिट (AHTU): हर जिले में बाल श्रम और महिलाओं के अवैध व्यापार पर रोक।

ख. अभय कमांड सेंटर (112 / ERSS): GPS आधारित रीयल-टाइम वाहन ट्रैकिंग, जिससे किसी भी हाईवे या शहरी कोने से आई SOS कॉल पर 10-15 मिनट में पुलिस पहुंचती है।

ग. साइबर हेल्पडेस्क: महिलाओं व बच्चों के खिलाफ सोशल मीडिया ब्लैकमेलिंग/मॉर्फिंग पर 'गोल्डन ऑवर' कार्रवाई।

विशेष इकाई	वैधानिक/प्रशासनिक आधार	मुख्य दायरा
AHTU (एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग)	गृह विभाग अधिसूचना / निर्देश	मानव तस्करी, बाल श्रम, जबरन देह व्यापार रेस्क्यू
ERSS (112)	आपातकालीन रिस्पांस परियोजना	24x7 लोकेशन-ट्रैकड पुलिस/मेडिकल वैन प्रेषण

सखी केंद्र (OSC)	निर्भया फंड / WCD दिशा-निर्देश	चिकित्सा, पुलिस, कानूनी सहायता और 5 दिन अस्थायी आश्रय
------------------	-----------------------------------	--

10. समकालीन चुनौतियाँ, डिजिटल निगरानी और भविष्य की दृष्टि

योजनाओं और हेल्पलाइन्स के व्यापक जाल के बावजूद मैदानी क्रियान्वयन में कुछ संरचनात्मक चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

अ. प्रमुख चुनौतियाँ:

क. **ग्रामीण सुदूर अंचलों में जागरूकता कमी:** दूरस्थ ढाणियों या आदिवासी बेल्ट में 1090/1098 या सखी केंद्रों की जानकारी का अभाव।

ख. **स्टाफ और परामर्शदाताओं (Counselors) का कार्यभार:** एक सखी केंद्र या महिला डेस्क पर मामलों के भारी दबाव के कारण व्यक्तिगत फॉलो-अप में विलंब।

ग. **डिजिटल फ्रॉड/उत्पीड़न साक्ष्य संकलन:** सोशल मीडिया के एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म से साक्ष्य जुटाने में तकनीकी सीमाएं।

चुनौती आयाम	कारण	सुधारात्मक प्रशासनिक उपाय
दूरस्थ जागरूकता कमी	डिजिटल और प्रिंट प्रचार का अभाव	'सुरक्षा सखी' और ग्राम रक्षक के जरिए घर-घर चौपाल संवाद
पेंडेंसी और वर्कलोड	सीमित मानव संसाधन	सखी केंद्रों और महिला डेस्क के कैडर पदों का विस्तार
तकनीकी साक्ष्य विलंब	एफएसएल और साइबर लैब पेंडेंसी	जिला स्तर पर मिनी साइबर फॉरेंसिक लैब की स्थापना

ब. निष्कर्ष एवं भावी दृष्टि:

क. निर्भया फंड के वित्तीय संबल, 'सुरक्षा सखी' के सामुदायिक नेटवर्क, 1090/1098 हेल्पलाइन्स के त्वरित रिस्पांस और पोक्सो फास्ट-ट्रैक कोर्ट्स के न्यायिक कठोरता ने राजस्थान में महिला एवं बाल सुरक्षा का एक मजबूत सुरक्षा कवच तैयार किया है।

ख. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI-based SOS emergency routing), डिजिटल साक्षरता और जीरो-टॉलरेंस पुलिसिंग के संलयन से संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के लक्ष्यों को धरातल पर चिरस्थायी रूप दिया जा रहा है।